राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 51 वां दिवस [संख्या 29

मंगलवार,

दिनांक 4-5-1971.

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-02 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिचाई, देवस्थान, वित्त, यातायात, वन, शिक्षा, वित्त, पंचायत, विद्युत्, राजस्थान नहर परियोजना, आयुर्वेद, पुनर्वास चिकित्सा विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री नन्दलाल बैरवा ।

चम्बल की नहरों से सिंचाई ।

515. **श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

जिला बूंदी व कोटा में चम्बल की कौन कौन सी नहरों से कितना कितना सिंचाई का पानी प्रतिवर्ष दिया जाता है और कितनी कितनी भूमि की सिंचाई होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : जिला कोटा व बूंदी में चम्बल की दाईं व बाईं मुख्य नहरों की जल निस्सरण क्षमता (डिजाइन्ड डिस्जार्ज) क्रमश : 6656 व 1500 घन फुट प्रति सैकिंड है । उक्त नहरों से प्रति वर्ष सिचाई के लिये जो जल निस्सरण किया गया एवं उससे जितना क्षेत्रफल सिंचित हुआ उसकी सूची (अ) संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार कोटा और बूंदी में पानी दिया जाता है उसको कौनसी कमेटी निर्धारित करती है ।

श्री जसराज : इसके लिये सेन्ट्रल चम्बल बोर्ड है, वह इसका सारा पानी डिस्ट्रिब्यूट करता है ।

श्री नन्दलाल बैरवा : क्या मंत्री महोदय यह बताने को कृपा करेंगे, माइलों को जो पानी मिलना चाहिये वह पानी नहीं मिलता है और सैकड़ों बीघा भूमि पानी से वंचित रह जाती है । जो कमेटी निर्णय करती है उसमें कौन कौन सदस्य हैं और जिले का कौन प्रतिनिधित्व करता है ?

Page No 2

श्री जसराज : चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री के. एन. राव, सेन्ट्रल इर्रीगेशन मिनिस्टर, श्री राम प्रसाद लड्ढा उसके मेम्बर हैं जो सारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं—जिले का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसका दो प्रान्तों से सम्बन्ध है एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान राजस्थान में जो पानी के डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल आता है कितना एम. पी. को देना और कितना राजस्थान को देना इसी कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है।

श्री नन्दलाल बरवा : सवाल यह नहीं है, सवाल तो यह है कि जितना पानी कोटा, बूंदी को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। काश्तकार बार बार जाकर कहता है कि हमें··

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री नन्दलाल बैरवा : पानी चाहिये तो जवाब मिलता है, हमें सेन्ट्रल से पानी देने का आदेश है। सवाल इस बात का है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : मध्य प्रदेश को कितना पानी निश्चित किया गया है और राजस्थान को कितना पानी निश्चित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय यही तो डिफीकल्टी है। सारा पानी मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या इयरली डिस्ट्रिब्यूशन होता है पानी का या एक दफा तय हो जाता है 5–10 साल के लिये ?

श्री जसराज : पानी डिस्ट्रिब्यूशन एक निश्चित सा है। इसका सिद्धान्त तय किया जा चुका है। 6,650 क्यूसेक फिट पानी प्रति सैकिन्ड के हिसाब से पानी मिलता है और इस पानी में से 8,100 घन फुट पानी मध्य प्रदेश को जाता है और बाकी का पानी राजस्थान को मिलता है और जहां तक निर्णय का सवाल है, यह करीब करीब कम्पलीटली जिस समय डिजाइन बनी थी और जिस समय निर्माण हुआ था उस समय तय कर दिया गया था कि इतना पानी राजस्थान को मिलेगा और इतना पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा। समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता होती है तो बदला जा सकता है।

प्रश्न सं. 596

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द लाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा : इसका जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। देवस्थान मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : अनुपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण लाल।

विशेष भत्ते का भुगतान।

567. श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय क्रय संगठन की बैठकों की वित्त आयुक्त भी

(श्री श्रवणलाल)
मुखर्जी ने अध्यक्षता की है ? यदि हां, तो कब और किस किस आदेश से ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह कार्य श्री मुखर्जी को उपरोक्त कार्य के लिये कोई विशेष भत्ता मिला है ? यदि हां तो कितना और किस आदेश से ? कृपया उस आदेश की प्रति सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भत्ता कन्टिनजेन्सी फण्ड से दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य वित्त मंत्री (श्री बी. एन. जोशी) : (1) केन्द्रीय क्रय संगठन की बैठकों की अध्यक्षता श्री मुखर्जी वित्त आयुक्त ने की है। जिसका विवरण इस प्रकार है:–

1665	6
1966	22
1967	14
1668	7
1969	6
1970	6
1671	2

संगठन की बैठकों की अध्यक्षता, मंत्री मण्डल सचिवालय, व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग की आज्ञा सं. क्रमांक एफ. 5(30) व्य. प.163 दिनांक 8-10-65 के द्वारा की गई है।

(2) इस पद पर कार्य करने हेतु कोई भत्ता नहीं दिया जाता है।

(3) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि कोई भत्ता नहीं दिया गया ?

श्री बी. एन. जोशी : कत्तई नहीं दिया गया है। यह मानकर चलिये गवर्नमेंट ड्यूटी दी है। न भत्ता चेयरमैन को मिलता है और न किसी मेम्बर को मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें आर्डर की कापी मिलनी थी।

श्री श्रवण लाल : कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री बी. एन. जोशी : उसकी कापी आपको दे दी जायगी। वह भिजवा दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : भिजवाने से क्या मतलब है। उस पर तो सारा प्रश्न ही आधारित रहता है।

श्री अध्यक्ष : वह पहले भिजवानी चाहिये। मैं लिस्ट में ले लूंगा।

प्रश्न सं 594

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

अनुपस्थित

कृपया आगे देखिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

प्रश्न सं. 599 श्री नत्थी लाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री केदार नाथ।

स्वाधीनता संग्राम का इतिहास

601, श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को लिखने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है। यदि हां, तो क्या ?

(2) स्वाधीनता संग्राम के इतिहास लिखने के लिए सम्बन्धित घटनाओं, व्यक्तियों

Page No 4

(श्री केदारनाथ)
तथा स्थानों की जानकारी प्राप्त करने के लिये किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं से सहयोग लिया जा रहा है ?

(3) इतिहास लिखने के लिए किसी समिति का गठन किया गया ? यदि हां, तो कब और उसमें कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(4) क्या स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले वाले व्यक्तियों, घटनाओं तथा स्थानों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समिति ने कुछ कार्य किया है ? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या ?

शिक्षा, उपमन्त्री (रावधीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह : कहां से प्राप्त नहीं हुआ ?

रावधीरसिंह : बीकानेर से प्राप्त नहीं हुआ है। यह खड़गावत जी को दिया गया था लेकिन उन्होंने अभी तक क्या किया क्या नहीं किया, इसकी जानकारी नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये।)

श्री देवी दत्त गाड़िया।

आर. ए. सी. के जवानों की बीमा पालिसी।

603, श्री देवीदत्त काड़िया (बारां) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
(1) क्या यह सही है कि आर. ए. सी. पुलिस जवानों की भी राज्य बीमा पालिसी अन्य कर्मचारियों की तरह चालू है ? यदि हां, तो उसकी कुल कितनी संख्या है ?
(2) क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पूर्व आर. ए. सी. की करीब तीन चार बटालियन बी. एस. एफ. के सुपुर्द कर देने के कारण उसकी बीमा पालिसी प्रीमियम के अभाव में बन्द हो गई ? यदि हां, तो किस वर्ष से कितने ऐसे जवानों की बीमा पालिसी बन्द हुई और उस समय तक उनकी कुल कितनी धनराशि प्रीमियम के रूप ये जमा थी और वह कितने समय की थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जो पुलिस आर. ए. सी. के कर्मचारी बी. एस. एफ. में चले गये, उन कर्मचारियों को बीमा पालिसी का रुपया सरेन्डर वेल्यू के रूप में दिया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत और किस हिसाब से कितने कर्मचारियों का कितना रुपया दिया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, वित्त श्री (बिश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) जी हां। आर. ए. सी. पुलिस जवानों की भी राज्य बीमा पालिसी अन्य कर्मचारियों की तरह चालू है। आर. ए. सी. के करीब 4,900 जवानों की बीमा पालिसी चालू है।

(2) जी नहीं। पालिसियां बन्द (लैप्स) नहीं हुई है। अतः सूची का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। सिवाय उन मामला के जिनमें कि बीमेदारों ने स्वयं अभ्यर्पण यानि सरेन्डर वेल्यू मूल्य लेने का नियमानुसार निर्धारित फार्म में विकल्प दिया है। यह कार्यवाही राज्य बीमा नियम 1953 के नियम 45 के अन्तर्गत की जा रही है।

(श्री विश्वंभरनाथ जोशी)
अध्यर्पण मूल्य नियमों में दिये गये सरेन्डर फेक्टर की तालिका के अनुसार देय हैं। बी. एस. एफ. में स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों में से लगभग 383 कर्मचारियों के सरेन्डर वेल्यू देने हेतु विकल्प पत्र निर्धारित फार्म में इस विभाग को प्राप्त हो गये हैं। इनमें से अब तक 199 मामलों में रु. 35,320 का अध्यर्पण मूल्य दिया जा चुका है जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री देवीदत्त गाडिया : यह जो आपने 4,900 बीमा पोलिसियां चालू बताई हैं आर. एसी. के जवानों की तो कितने कर्मचारी आर. ए. सी. के हैं। जिनके बी. एस. एफ. में चले जाने के बाद में बीमा पालिसी चालू नहीं हैं और कुल कितनी संख्या थी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : लगभग 13,092 जवानों के लिए बीमा पालिसियां चालू की गई जितनी बटालियनें थीं उनमें से 10 बटालियनें बी. एस. एफ. में चली गई। उसके बाद में उनके लिए बीमें का प्रीमियम चालू करने का एक प्रकार से वैकल्पिक हो गया और कम्पलसरी नहीं रहा।

दिनांक 1–4–66 को आर. ए.सी. की दो बटालियनों को सी. आर. पी. में परिवर्तित कर दिया गया तो जो इनमें निर्धारित कर्मचारी थे 8188 तो उनमें से 2350 बी. एस. एफ. के जवानों ने अपनी बीमा पालिसियां चालू नहीं रखने का निर्णय किया है और शेष जवानों की कटौतियां प्राप्त हो रही हैं। राजस्थान स्टेट इन्शोरेन्स की पालिसियां लैप्स नहीं होती हैं और अगर कन्टीनुअसली 6 महिने तक उससे बीमा पालिसी की प्रीमियम प्राप्त नहीं होती है तो वह पेड अप में परिवर्तित हो जाती हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : पेड अप कैसे हो जाती है ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : 12 महिनों तक अगर मान लें कि प्रिमियम दे दी और उसके बाद में डिस्कन्टीन्यू हो जाती है और 6 महिने तक डिस्कन्टीन्यू रहती है तो और पालिसी होल्डर की तरफ से यदि यह प्रस्ताव नहीं आये, यह दरख्वास्त नहीं आये कि वह सरेन्डर वेल्यू चाहता है तो पालिसी पेड अप मान ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि 6 महिने तक प्रीमियम नहीं आती है तो पेडअप मान ली जाती है तो यह आप किस तरह से अन्दाज लगाते हैं क्योंकि आपके विभाग में 3–3 साल तक पोस्टिग नहीं होता है। आपने यह कैसे और किस आधार पर अन्दाज लगा लिया कि यह पेड अप हो गई।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : साल के एण्ड में उनके कमाण्डेण्ट से फीगर्स आते हैं कि यह इतना एमाउन्ट उनकी सेलेरी में डिडक्ट हो गया है। कमाडेन्ट इनफार्म करता है कि इन लोगों की प्रिमियम्स का पेमेन्ट नहीं हो रहा है। तो वर्ष के अन्त में मालूम हो जाता है और 6 महिने तक किसी की प्रीमियम जमा नहीं होती है तो वह पालिसी पेडअप कर दी जाती है। 30 साल की पालिसी है तो 10 साल तक प्रिमियम

Page No 6

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

देने के बाद में पेड अप पालिसी पर प्रोपोर्शन में उतना ही मिलता है जितना कि वह जमा करता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : जब आपके यहां पोस्टिंग ही नहीं होता है और जब तक पोस्टिंग न हो तब तक आप अन्दाज नहीं लगा सकते हैं कि प्रिमियम आ रही है या नहीं आ रही। तो फिर आपने कैसे अन्दाजा लगा लिया ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि यदि किसी कर्मचारी का प्रिमियम साल में नहीं आता है या साल भर तक नहीं आता है तो क्या विभाग द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है कि आपका प्रिमियम नहीं आ रहा है इसलिए जमा करायें ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपने यह फरमाया कि 3-4 साल तक पोस्टिंग नहीं होता है तो यह बात सही नहीं है। कभी पोस्टिंग में विलम्ब हो सकता है, लेकिन हैड आफिस इज दी डिपार्टमेंट जो इस केस में कमाण्डेन्ट होते हैं वे या तो एमाउन्ट जमा हुआ है तो वह कन्वे कर देते हैं या अगर नहीं हुआ तो इसकी सूचना दे देते हैं कि कौन कौन से लोगों का डिडक्शन नहीं हो रहा है। वह इन्फर्मेशन मिल जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि प्रिमियम की धनराशि वेतन में से काट ली जाती है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : कोई जबरदस्ती नहीं काटते हैं। जो राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लाईज हैं उनका डिडक्शन कम्पलसरिली किया जा सकता है रूल्स के तहत में। जो आर. ए. सी. के जवान होते हैं वे सी. आर. पी. में चले गये या आर. ए. सी. पर्सोनल बी. एस. एफ. में चले गये तो दे सीज टू बी एम्पलाईज आफ राजस्थान गवर्नमेंट। वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लोई हो गये। उनके लिए आप्सन होगा एक तो यह है कि वे बदस्तूर चालू रखें पालिसी को, दूसरा आप्शन यह है कि यह सरेन्डर वेल्यू ले लें और तीसरा आप्शन यह है कि वह पेडअप करा लें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि कितने कर्मचारी आर. ए. सी. से चले गये और उस समय तक कितनी प्रिमियम उनकी जमा थी तो इसका कोई उत्तर आपने नहीं दिया। सरेन्डर वेल्यू के बारे में बता रहे हैं तो आपने भी यह बात मानी है कि 8 हजार से अधिक कर्मचारी इन दो बटालियनों से चले गये तो उनकी कितनी प्रिमियम उस समय जमा थी उसकी सूची मांगी थी तो वह दी नहीं।

दूसरा प्रश्न है कि किसी कर्मचारी का समय पर प्रिमियम नहीं आता है तो विभाग द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपने सूची मांगी है कि लेप्स कितने हुए हैं उसकी सूची दे दें तो मैंने कहा कि लेप्स नहीं हुए तो सूची देने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : दूसरा प्रश्न यह है...

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न को लेकर सारा समय हो जाता है

(श्री चुन्नीलाल)
और दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक प्रश्न है कि क्या यह सही है कि आर. ए. सी. के जो जवान हैं···

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री केशरीसिंह हाडा। उपमंत्रीजी।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है उन गरीब कर्मचारियों के लिए···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सभी महत्वपूर्ण हैं। सारे अवशेष प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : ···मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि साढ़े आठ हजार कर्मचारी हैं और साढ़े आठ हजार कर्मचारियों का करीब 30 लाख रुपये का प्रिमियम वहां पर जमा है जिसको कि सरेन्डर वेल्यू दिलाना चाहते हैं जब कि वे बी. एस. एफ. में चले गये हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो जितने बीमे का प्रिमियम उनका जमा है वह पूरे का पूरा राज्य सरकार इनको दे।

श्री अध्यक्ष : श्री हाडा। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : ···और जो सीमा है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य दूसरों को समय दें। आर्डर प्लीज। पंचायत मंत्रीजी।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि···

श्री अध्यक्ष : अभी कोई सही नहीं है। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है और आप बराबर उसकी अवहेलना कर रहे हैं तो दूसरे प्रश्न नहीं लिये जा सकते हैं।

जिला बूंदी में सरपंचों के विरुद्ध मामले

604. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बूंदी के कौन कौन से सरपंचों के विरुद्ध जिलाधीश व डिप्टी डी. डी. ओ. के पास किस किस प्रकार के अभियोग दर्ज किये जाकर जांच चल रही है? ये अभियोग किस प्रकार के हैं? और कब से चल रहे हैं? अब तक कितने सरपंचों के विरुद्ध पुलिस केस दर्ज हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न में चाही गई सूचना एकत्रित की जा रही है उसमें समय लगेगा। इसलिए स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री केशरीसिंह हाडा : कब तक आ जायेगी इसका आश्वासन मिलेगा?

श्री अध्यक्ष : जल्दी कर देंगे। घर की ही बात है।

नेक्स्ट।

खण्डार तहसील का विद्युतिकरण

605. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाई माधोपुर जिले की तहसील खंडार की जनसंख्या लगभग 500 की है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कस्बे में पंचायत समिति, पुलिस स्टेशन, हायर सेकेण्डरी स्कूल व तहसील हैड क्वार्टर हैं ? यदि हां, तो उस कस्बे का अब तक विद्युतिकरण नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार खण्डार का विद्युतिकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) 1961 के सेन्सस के अनुसार खण्डार ग्राम की जनसंख्या 3499 है।

(2) जी हां। योजना लाभप्रद नहीं होने के कारण।

(3) जी हां। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री चुन्नीलाल : 1971 में जनसंख्या कितनी है। उसके बाद में दूसरी जन-गणना हो गई है तो खण्डार कस्बे की आबादी 5 हजार की है या उससे ज्यादा है। इस कस्बे के अन्दर पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है, थाना है, हायर सेकेण्डरी स्कूल है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार का जब इस साल बजट पेश हुआ था तो बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि ऐसे कस्बों में बिजली देने का निश्चय किया गया है और आपने प्रश्न को टाल दिया है। क्या सरकार इस बारे में सोचेगी ?

श्री खेतसिंह : जहां तक जनसंख्या का ताल्लुक है तो वह सन् 61 की मैंने बताई है। 71 की जनसंख्या मेरे पास में नहीं है। यह मैं मानता हूं कि खण्डार में तहसील हैड क्वार्टर है, पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है, पुलिस थाना है और हायर सैकण्डरी स्कूल है इसलिए वहां का विद्युतिकरण होना चाहिए और राजस्थान सरकार की भी मंशा यही है कि इस कस्बे का जल्दी से जल्दी विद्युतिकरण करने की योजना बनाई जाये।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी का क्या मतलब है ? वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि जहां पर पंचायत समिति हैड क्वा.तह. हैड क्वा. होंगे और जिनका विद्युतिकरण नहीं हुआ होगा तो इस वर्ष उनका विद्युतिकरण कर देंगे तो क्या आप इस वर्ष कर देंगे ?

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने बताया है कि यह योजना लाभकारी नहीं होने के कारण नहीं ली जा सकती और फिर अभी कह रहे थे कि सरकार योजना बनायेगी तो फिर दोनों में से कौन सा सही है ?

श्री खेतसिंह : यह बात सही है कि जितनी लाभकारी एक योजना को होना

(श्री खेतसिंह)

चाहिए उतनी नहीं, लेकिन राज्य सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया है कि पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स, तहसील हैड क्वार्टरों का विद्युतिकरण हम करेंगे इसलिए इसकी योजना बनाई जा रही है और कोटा के एस. ई. के सामने यह स्कीम है। वहां से वह इस को ठीक करके बोर्ड को भेजेंगे, उसके बाद में विचार किया जायगा।

श्री बालसिंह : प्रश्न यह है कि योजना बनी ही नहीं तो उसके पहले उसको लाभकारी या हानिकर कैसे बता दिया जाता है ?

श्री चन्नीलाल : मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस वर्ष तहसील हैडक्वार्टर्स, पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स पर जहां बिजली नहीं पहुंची है उनको बिजली से जोड़ दिया जायगा उनका विद्युतिकरण कर देंगे, तो क्या वह कर देंगे ?

श्री खेतसिंह : इस वर्ष के लिए कहां कहा है ?

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें कहा है कि जल्दी से जल्दी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : वही मन्त्री महोदय कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बजट भाषण में इसी वर्ष के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : बजट भाषण में इस वर्ष के लिए कहा है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : बज भाषण पढ़ा ही नहीं है।

श्री खेतसिंह : किया होगा लेकिन विभाग की जो स्थिति है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि योजना बनी ही नहीं तो कैसे कह दिया तो मैंने यह निवेदन किया कि एक योजना पहले बनी थी 1966 में और उनके अन्दर 9-64 था इसलिए इसको प्रोडक्टिव नहीं माना गया, लेकिन चूंकि इस वर्ष यह निर्णय ले लिया है और राज्य सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर्स का विद्युतिकरण करेंगे उस दृष्टि से चूंकि संडार में तहसील हैडक्वार्टर्स हैं, पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है तो इनके लिए एक रिवाइज्ड स्कीम बनाई गई है और वह स्कीम अभी तक एस. ई. के विचाराधीन है। उसके बाद में जब वह बोर्ड में आयेगी तब विचार किया जायगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप विचार करने की बात कहते हैं जब कि वित्त मन्त्रीजी ने कह दिया है कि पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स को जोड़ेंगे तो फिर विचार करने की बात क्यों आती है। दूसरी बात यह है कि आप मानते हैं कि.....

श्री अध्यक्ष : यह इस जाल के आरम्भ करने के प्रश्न पर आप क्या विचार रखते हैं ?

श्री खेतसिंह : इसमें यह देखना होगा कि हमारी वित्तीय स्थिति क्या है, लाइन कहां पर ले जानी पड़ेगी, कितनी मेटीरियल की जरूरत पड़ेगी ? बोर्ड के पास मेटीरियल है या नहीं ? मैं यह कह दूं

(श्री खेतसिंह)
कि लगा दिया जायगा, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर वित्त मन्त्रीजी ने किस रूप में कहा है? यह कह रहे हैं तो क्या माना जाये?

श्री अध्यक्ष : अपने अपने सन्दर्भ में सभी सही है। नैक्स्ट। श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। उसका जवाब हमको उस दिन मिल गया है। इसलिए मैं नहीं पूछना चाहता हूं।

प्रश्न संख्या 607

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामप्रसाद बोहरा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासहाय।

बडौदा कान माध्यमिक शाला को उच्च-माध्यमिकशाला में क्रमोन्नत करने का मामला

608. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व बडौदा कान माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में उन्नत करने के पंचायत समिति, कठूमर, जिला परिषद् अलवर, जिला निरीक्षक शालाएं, अलवर द्वारा सर्व प्रथम प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि सिफारिश के बाद कई माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक शाला में उन्नत किया जा चुका है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपमंत्री शिक्षा (श्री राववीरसिंह) : (1) केवल विकास अधिकारी पंचायत समिति कठूमर ने बड़ोदा कान को हाई स्कूल बनाने हेतु सिफारिश की थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पूर्ति न होने के कारण जिला परिषद् व विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा सिफारिश नहीं की गई है। क्योंकि शाला भवन में 7 कमरे हैं।

(2) जी हां। उन मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत किया गया है, जिन्होंने राज्य सरकार की शर्तों को पूरा किया था।

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि इतनी दूरी पर स्कूल खोले जा सकते हैं। इसका पालन करते हुए रखा गया है?

श्री धीरसिंह : आप उसको हाईस्कूल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा?

श्री गंगासहाय : इन्सपेक्टर जिला स्कूल ने सर्वसम्मति से पास किया है। इसको प्रमुखता दी जायेगी।

श्री धीरसिंह : कमरे नहीं बनेंगे तो नहीं होगा?

श्री गंगासहाय : कमरे नहीं बनेंगे तो नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री दौलतराम सारण : आज किधर रह गये ?

एक माननीय सदस्य : हैं है।

नहरी कालोनी की भूमि पर खेती

609. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नहरी कालोनी में पेड़ पौधे लगाने की भूमि में अधिकारी लोग खेती कराते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कालोनी की भूमि में महकमा सिंचाई के अधिकारी कृषि फसल उगाकर काफी फायदा उठा रहे हैं ? यदि हां, तो कुल कितने अधिकारियों ने नहरी कालोनी की भूमि में फसल काश्त कर रखी है ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि कालोनी की भूमि में फसल उगाने से राज्य सरकार को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पेड़ पोधे लगाने से पानी का व नहर पर काम करने वाले बेलदार व चपरासियों से अपनी निजी काश्त पर उनसे मुफ्त में काम लेते हैं ?

राज्यमन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री मनफूलसिंह) : [1] जी नहीं।

[2] जी नहीं।

[3] प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे प्रश्न नहीं उठता है ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं कहा है दो दफा। नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका उत्तर सही नहीं दिया गया है।

श्री मनफूलसिंह : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या उत्तर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि पेड़ पोधों के लिए जो जमीन है, उसमें अधिकारी खेती कराते हैं ?

श्री मनफूलसिंह : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे नहीं करते हैं ? एक भी पेड़ पौधा नहीं लगाया जाता है। खेती की जाती है।

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, हर एक बंगले में कुछ जमीन होती है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाना सभी जगह थोड़ी जमीन होती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह नहीं है सैकड़ों मन अनाज पैदा करते हैं। पानी का दुरुपयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में पहले भी प्रश्न पूछा था। आज कहते हैं, जी नहीं प्रश्न नहीं उठता है। कैसे नहीं उठता है ? आप जांच कराइये। अधिकारी खेती करते

(श्री रामचन्द्र आर्य)
चपरासियों से काम लेते हैं। आप कहते हैं जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है। कभी वहां जाकर देखा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य: गंगानगर में अनेक प्रकार के बंगले हैं।

श्री अध्यक्ष: वेस्ट। आयुर्वेद मन्त्री।

श्री रामचन्द्र आर्य: या तो सही उत्तर दिलाया जाये या यह आश्वासन दिलाया जाय कि इसकी जांच होगी और जो गैरवाजिब हैं उनको दण्डित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अब बरसात आने वाली है। फसल बोई जायेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य: अभी तक कई जगह की फसल तक नहीं कटी है।

श्री अध्यक्ष: गेहूं उगे हुये हैं क्या?

श्री मनफूलसिंह: यह सही नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य: क्या सही नहीं है? रावतसर में ज्वार बोई हुई है।

श्री अध्यक्ष जी: उत्तर दे दिया है।

श्री दौलतराम सारण: उत्तर जो विभाग का है, वह माननीय मन्त्री ने दे दिया है। लेकिन माननीय सदस्य मन्त्री के उत्तर को चेलेंज करते हैं। तो क्या राज्य सरकार कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं हैं? वह खुद की जानकारी से कहते हैं। फसल खड़ी है। माननीय मन्त्री इनकार करते हैं। यह स्थिति अध्यक्ष महोदय, अच्छी नहीं है। फिर भी तो मांग करने का कोई अधिकार ही नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष: फिर क्या होना चाहिये?

श्री मनफूलसिंह: अगर वह कोई जानकारी देते हैं, लिखकर देते है तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री दौलतराम सारण: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह क्या गलत कहते है?

श्री रामचन्द्र आर्य: मेरी बात को असत्य माना जाय अगर वह नहीं मिले तो। लेकिन यह सदन में खड़े होकर कहते हैं, जी नहीं प्रश्न नहीं उठता। सिंचाई विभाग के अधिकारी खाली जमीन में खेती कराते हैं। मुफ्त की जमीन मिली है। चपरासियों से काम लिया जाता है। सरकारी पानी को काम में लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य: चपरासियों से काम लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमें लिखकर देंगे तो जांच करायेंगे। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। प्वाइण्ट रेज किया है जो सरकारी बंगले हैं, उनमें खेती होती हैं। राजस्थान केनाल हैं, गंग केनाल है, उन बंगलों में प्राईवेट तरीके से अधिकारी

(श्री दौलतराम सारण)

खेती करते है और माननीय मन्त्री कहते है, कि हमें लिख कर दो तो हम जांच करायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो सरकारी कर्मचारी है, चपरासी हैं, उनसे मुफ्त में काम लिया जाता हैं।

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूची है। किसी में आधा बीघा जमीन किसी में डेढ़ बीघा और किसी में दो बीघा जमीन है। आप कह रहे हैं कि सैकड़ों मन, हजारों मन अनाज पैदा होता है यह कहते है कि सारी कोठियों की जांच करवायें। इतना लम्बा काम हो जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : तो क्या हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि एक बंगले में ज्वार बोई हुई है। आप एक बंगले की जानकारी कर लें। अगर वह मिलता है तो आप के क्वेश्चन का जो उत्तर आया है उसकी और जानकारी कर लें।

श्री अध्यक्ष : एक और बात है, माननीय मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह : आप को एप्रीसियेट करना चाहिये, उसके बजाय आप कहते है कि बात गलत हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके अलावा जो बंगले बने हुए हैं उनमें....

श्री दौलतराम सारण : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि किसी बंगले में एक बीघा जमीन किसी में डेढ बीघा किसी में आधा बीघा जमीन आपको पता है, वहां पर एक बीघा जमीन कम से कम 20 मन एवरेज पैदा होती है और 1½ बीघा जमीन है तो कम से कम 30 मन अनाज होता है। इस प्रकार कितने ही बंगलों में 1 बीघा और डेढ़ बीघा जमीन है उनमें पानी की सीमा नहीं हैं, पानी खुला मिलता है और भी ज्यादा पैदा होता है। तो राज्य की एक संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस संबंध में माननीय सदस्य ने सूचना दी है और मंत्री महोदय हंस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं निर्णय ले रहा हूं।

श्री केदारनाथ : मन्त्री महोदय ने कहा सब्जी बोई जाती है और जानवरों का चारा बोया जाता है, यह आपकी नालेज में है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, एक बीघा मान लीजिए, आधा बीघा मान लीजिए अगर उसमें अनाज बोया जाता है तो क्या वह निषिद्ध है? नहीं बोना चाहिये?

श्री मनफूल सिंह : अनाज नहीं बो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर अनाज बोया जाता हैं तो राज्य सरकार सारी फसल ले लेगी या लगान लेगी।

श्री मनफूल सिंह : अगर अनाज बोता है तो पानी का पैसा सरकार में जमा कराना पड़ता है जैसे डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वहां पर खुला पानी मिलता है, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पानी का पैसा जमा नहीं कराया, फसल पैदा हुई तो किसकी फसल होगी? जो बंगले में रहते हैं उनकी या राज्य सरकार की?

Page No 14

श्री मनफूल सिंह : वह खुद खर्च करता है। मान लीजिये बीघा भी है, बीज भी डालता है, खाद भी देता है, पानी का पैसा भी देना पड़ता है, उसके पास से मजदूरी लगती है, तो फिर हम कैसे ले सकते हैं।

श्री मनोहर सिंह : जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से खेती कराते हैं उनकी तनख्वाह कौन देता है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकारी बंगलों में खेती कराने के संबंध में राज्य सरकार ने नियम बना रखे हैं।

श्री मनफूल सिंह : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नियमों के तहत मन्त्री अपने बंगलों में खेती करवा सकते हैं ?

श्री मनफूल सिंह : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : किसी बात की जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, अगर एक बीघा में सब्जी पैदा हो, मक्की पैदा हो, दो बीघे में पैदा हो, राज्य सरकार की जमीन है, ऐसी हालत में राज्य सरकार का क्या हक रहता है ? जानकारी दे सकते हैं ?

श्री मनफूल सिंह : अगर किसी बंगले में मन्त्री या अधिकारी ने कोई सब्जी बोई है,...

श्री अध्यक्ष : हिस्सा देते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इनसे क्या पूछते हैं ? हिस्सा देते नहीं लेकिन फ्री बीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, फ्री श्रम और लाभ सारे का सारा मन्त्री ले जाते हैं, यह हमारा जवाब है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बंगलों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जो काम लेते हैं, तनख्वाह राज्य के माथे लगती है उनकी तनख्वाह उनसे वसूल की जाएगी ?

श्री जुझारसिंह : मन्त्री महोदय ने फरमाया कि जो अधिकारी हैं, उसमें खाद देते हैं, बीज देते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन उन अधिकारियों की तो ट्रांसफरेबुल पोस्ट है, जिसने खर्चा किया है, बीज डाला है, पैसा लगाया है, तो उनकी ट्रांसफर हो जाने के बाद फसल को कौन लेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : साथ साथ यह भी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों वाला जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, सारा प्रश्न.....

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रश्न के बारे में चेलेंज करता हूं, एक भी कोठी ऐसी मिल जाय जिसके अन्दर फसल बोई हुई नहीं हो तो मैं त्याग पत्र दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप-क्वेश्चन आवर के बाद मन्त्री महोदय को अपने चेम्बर में ले जायें, टेलीफोन है, कम से कम जानकारी करें ताकि मालूम हो जाए कि सरकार का जवाब कितना असत्य है।

श्री मनफूलसिंह : मेरे पास जो सिंचाई विभाग का जवाब आया है, वह मैंने दिया है।

श्री भैरोंसिंह : सिंचाई विभाग का जवाब सुनने के लिए नहीं हम सरकार का जवाब चाहते हैं।

श्री फतेहसिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि किसी बंगले में आधा बीघा किसी में एक किसी में 1।। बीघा में खेती हो जाती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में ऐसे हजारों लाखों किसान हैं जिनके पास आधा-आधा एक-एक बीघा की होल्डिंग भी नहीं है, वह अगर काश्त करते हैं तो मालगुजारी वसूल करते हैं, तो यह सिद्धांत की बात है। अगर बंगलों में रहने वाले अधिकारीगण जमीन का उपयोग करते हैं, उसमें खेती करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, तो उनको भी मालगुजारी देनी चाहिए, नियम बनाने चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : तावान लगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! आपकी तरफ से....

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं तो सबका झूंठा उत्तर दिया जाता है। इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। शत प्रतिशत बंगलों में फसल बोई हुई है और हजारों रुपये का फायदा उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (श्री वृद्धि चन्द जैन के खड़े होने पर) : स्थान ग्रहण करें। यह प्रश्न पेचीदा हो गया है। सिंचाई विभाग का उत्तर तो वही आना चाहिए, दूसरा उत्तर नहीं होना चाहिए। पानी सिंचाई विभाग का है अपव्यय उसका होता है। आप, मन्त्री महोदय, अपने स्तर पर जांच करें क्योंकि हरेक माननीय सदस्य को जानकारी, क्योंकि इधर उधर उनको सब बंगलों की जानकारी है किसमें फसल बोई जाती है, सब्जी बोई जाती है। ऐसी स्थिति में सारी जानकारी अपने स्तर पर करें, किसी विभाग के माध्यम से नहीं, तो आपको सत्य असत्य का पता लग सकेगा, जैसे माननीय सदस्य ने बताया है, ज्वार बोई हुई है। आप पता लगा सकते हैं, इस प्रश्न को मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के सत्यासत्य की परीक्षा कर लें, बंगलों में खेती होती है या नहीं। माननीय सदस्य जिस बंगले और अधिकारी का नाम बताये वहां निश्चित रूप से टेलीफोन होगा, फोन के द्वारा कम से कम इस बात की जानकारी कर ली जाए कि वहां पर वास्तव में ज्वार या कोई और फसल बोई हुई है तो भविष्य के लिए पता लगेगा कि सदन में उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यही संकेत मैंने मंत्री महोदय को दिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह कार्यवाही आपके चेम्बर में...

श्री अध्यक्ष : चेम्बर के बाहर ही संकेत दे दिया है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : एक एक दो दो बीघा की बात करते हैं, लेकिन 60-60 बीघा की एरिया में पुलिस लाइन्स में खेती होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल। प्रश्न संख्या 610

जिला बोर्ड के वैद्यों व कम्पाउण्डरों को पेन्शन

610. श्री श्रवणलाल : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि पहले आयुर्वेदिक वैद्य व कम्पाउण्डर जिला बोर्ड के तहत कार्य करते थे ? वैद्यों व कम्पाउण्डर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वैद्यों व कम्पाउण्डरों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन्स दिलाने के संबंध में सरकार क्या विचार रखती है ? कब तक उनको पेन्शन दिला दी जायेगी ?

श्री अमरचलाल (उप मंत्री) : इसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

सरपंच ककोड़ के विरुद्ध आरोप

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री फौजमल, सरपंच, ककोड़, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक को 14,000) रुपये के गबन संबंधित कारण बताओ आदेश जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त सरपंच द्वारा उन आरोपों का उत्तर दे दिया गया है ? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या सरकार ने उक्त सरपंच को धारा 17 (4) का भी नोटिस दिया है ? यदि हां, तो कब ?

उपमंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) दिनांक 7-11-1970 को श्री फौजमल सरपंच, पंचायत ककोड़ को आरोप पत्र स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु जारी किया गया।

(2) जी हां। उप जिलाधीश, टोंक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(3) प्रारम्भिक जांच से आरोप प्रमाणित पाये जाने से राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 21 (2) के अन्तर्गत आरोप-पत्र मय नोटिस दिनांक 7-11-70 को दिया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : यह आरोप-पत्र जो आपने दिया, उसका उत्तर सरपंच ने दे दिया।

श्रीमती प्रभा मिश्र : अभी उत्तर नहीं आया है।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि किसी सरपंच के विरुद्ध गबन का मुकदमा हो तो राज्यपाल महोदय अपनी सिफारिश से वह मुकदमा हटवा सकते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री फतेहसिंह : आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरपंच अनूपसिंह पर गबन का मुकदमा लगाया, उसका अदालत में मुकदमा पेश किया गया लेकिन वह मुकदमा हटा दिया गया क्योंकि राज्यपाल महोदय ने सिफारिश की है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री फतेहसिंह : नीति का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हाइपोथेटिकल है।

श्री फतेहसिंह : यह नीति है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं एक जानकारी चाहूंगा, जो आरोप-पत्र दिया, उसको छः महीने हो गये, लेकिन आज तक उत्तर नहीं दिया, तो आप क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, अगर जवाब नहीं देता है तो ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बताया, 31-3-71 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जांच रिपोर्ट आ जाती है, उसके आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मनोहर सिंह मेहता !

झंझोला एवं बीकानेर में आयुर्वेदिक औषधालय

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बड़ी बिजोलिया क्षेत्र के छोटी बिजोलियां और बड़ौदा में औषधालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कब खोले गये ?

(2) दोनों गांवों में दूरी कितनी है ?

(3) औषधालय खोलने में दूरी का आधार हुआ है क्या, उक्त गांव उस आधार में आते हैं ?

(4) दैनिक रोगी संख्या दोनों औषधालयों की कितनी है, वर्ष भर का औसत कितना है ?

(5) मानपुरा, धामनिया झंझोला, बल, सरथला, खटवाड़ा व गेंदलया जैसे बड़े गांवों में औषधालय न खोल कर बड़ौदा और छोटी बिजोलिया में जिनके खेत मिले हैं और एक या डेढ़ माइल से अधिक दोनों गांवों की दूरी नहीं है किस कारण से औषधालय खोले गये ?

(6) झंझोला, बीकरन जैसे विकट क्षेत्र में औषधालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

उप मंत्री, आयुर्वेद (श्री समरथ लाल): (1) जी हां। दिनांक 18-1-68 को।

(2) चार किलोमीटर।

(3) दूरी का कोई हार्ड एण्ड फास्ट आधार नहीं है।

(4) दैनिक रोगी संख्या का औसत बड़ौदा व छोटी बिजोलिया का क्रमशः 18, 20, तथा वार्षिक रोगी संख्या 6579, 7120 है।

(5) केवल दूरी के आधार पर ही नहीं बल्कि अन्य आवश्यकता के अनुसार औषधालय खोले जाते हैं।

(6) नये औषधालय खोलते समय विचार कर लिया जावेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, चार साल से बराबर यहां पर निवेदन कर रहा हूं, बारह मील की दूरी में एक भी दवाखाना नहीं खोलते हैं और तीन चार मील के क्षेत्र में तीन तीन, चार चार दवाखाने खोल दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करते जाइये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मानपुरा धामनिया, झंझोला में दवाखानें खोलने की स्थिति में हैं या नहीं? अगर नहीं हैं तो एडजोर्नमेंट मोशन मैं रोज दूंगा और अध्यक्ष महोदय का प्रहरी का उपयोग करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में इतनी उत्तेजना क्यों?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उत्तेजना की बात नहीं फिर गया है।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा): अध्यक्ष महोदय प्रश्न के खण्ड छः में उत्तर दिया गया है कि विचार किया जावेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : चार साल से बराबर यह कह रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप एडजोर्नमेंट मोशन देंगे, उसका तो आपको अधिकार हैं। मैं मना नहीं कर सकता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है, मैं फिर वही करूंगा, अध्यक्ष महोदय को तकलीफ करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : मुझे तकलीफ क्यों पहुंचायें प्रश्न पूछिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं निश्चित आश्वासन चाहता हूं ... तक आपका दवाखाने खोलने का विचार है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : निश्चित अवधि तो एक एक जगह के लिए देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। प्रश्न के खण्ड छः में उत्तर दिया है कि विचार अवश्य किया जावेगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपने बताया कि कोई हार्ड एण्ड फास्ट आधार नहीं हैं, तो क्या क्या आधार हैं जिन पर दवाखाना खोला जाता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कई बार बता दिया है, भवन की व्यवस्था किस प्रकार की है, और भी कई प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये वहां की हवा कैसी है, क्या बिमारियां होती हैं आदि।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह आधार होते हुए भी दवाखाना नहीं खोलें तो क्या करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री भैरोंसिंह!

पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा कृषि कार्य

618. श्री भैरोंसिंह, (किशनपोल जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा) पंचायत समिति द्वारा पेटा काश्त कराई जाती है? यदि हां, तो

Page No 19

(श्री भैरोंसिंह)
कब से? कृपया अब तक का हानि लाभ का लेखा जोखा सदन की मेज पर रखें।

(2) इस पेटा काश्त के खाते ट्रेक्टर व अन्य मशीनें, पुर्जे, मशीनों की मरम्मत आदि के नाम पर प्रति वर्ष कितना कितना व्यय हुआ है ?

(3) पेटा काश्त से किस किस वर्ष में कौन सा कितना कितना अनाज पैदा हुआ और उसकी बिक्री में कितनी आय हुई ? कृपया अनाज के विक्रय के भाव बताने का कष्ट करें।

उपमंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): अध्यक्ष महोदय क्योंकि सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है इसलिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसी प्रश्न के लिये आया था।

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात आ गई।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह 30-4 को भेजा है।

श्री अध्यक्ष : अपने यहां से गड़बड़ी हुई है! यहां से हुई है, इस सचिवालय से हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सचिवालय से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : अब ज्यादा ज्यादती अच्छी नहीं है। धीरे धीरे चलिये।

नेक्स्ट! श्री रघुनाथ विश्नोई!

614. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि मण्डोर में देवताओं की मूर्तियों में जम्भोजी की मूर्ति भी है? अगर हां, तो वह कौन से नम्बर की मूर्ति है? क्या यह भी सत्य है कि इस प्रकार का जिक्र मारवाड़ के इतिहास में भी अंकित है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि मंडोर में उपरोक्त मूर्ति के आकार में बाद में कुछ फेर बदल कर दिया गया है? अगर हां, तो कब व किसने ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि मंडोर में जम्भोजी की मूर्ति पर उनका नाम भी अब अंकित नहीं है? अगर हां, तो उस पर किसका नाम कब लिखा गया है तथा इसके लिये कौन जिम्मेवार है? इस बारे में सरकार द्वारा अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

(4) मारवाड़ इतिहास में अंकित मूर्ति नम्बर 8 जो जम्भोजी के नाम है, उसको उसी हालत में मौके पर कब तक अंकित कर दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(राव श्री धीरसिंह)

(3) जी हां। विभाग में इसकी कोई जानकारी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) परिवर्तन सम्भव नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जानकारी क्यों नहीं की गई। पहले जवाब दिया गया था कि फेर-बदल नहीं किया गया है। अब कहते हैं कि जानकारी नहीं है। उस समय आपने इस विषय में आश्वासन दिया था कि जांच करके सूचित करेंगे।

राव श्री धीर सिंह : जांच के बाद जानकारी आई उससे मालूम पड़ा है कि वहां पन्द्रह मूर्तियां हैं और उन 15 मूर्तियों के नाम इस प्रकार से हैं...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैंने यह पूछा है, मारवाड़ इतिहास के नम्बर 8 पर जो मूर्ति अंकित बताई गई है, उसके आकार में फेर बदल की गई है। इस विधान सभा में आपने बताया था कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में आप दूसरा जवाब देते हैं। तो जो फेर-बदल किया गया है उसमें विभाग की तरफ से कार्यवाही क्यों नहीं की गई और यह किसके द्वारा किया गया?

श्री राव धीरसिंह : विभाग ने जो जानकारी की है, उसके परिणामस्वरूप विभाग के डाइरेक्टर ने बताया कि पन्द्रह मूर्तियां पत्थर पर खुदी हुई हैं इसलिये उनको हटाने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री रघुनाथसिंह बिश्नोई : हटाने का प्रश्न नहीं है। इस सदन में पिछले सत्र में जवाब दिया था कि मूर्ति जो मारवाड़ इतिहास में आठ नम्बर पर अंकित है। वह उसी जगह स्थित है और उसमें फेर-बदल नहीं की गई है। अब आप दूसरा जवाब देते हैं। आप जो बता रहे हैं। उसको हटाने का प्रश्न नहीं है क्योंकि वह पत्थर में खुदी हुई है, इसकी आपने पुष्टि की थी। तो ऐसी बात नहीं है, जैसा आपने कहा कि फेर-बदल कर दी गई हो। लेकिन आकार के अन्दर फेर-बदल के बारे में आपने आज दिन तक जानकारी क्यों हासिल नहीं की है और अब क्या जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करेंगे।

राव श्री धीरसिंह : आठ नम्बर पर गोला जी मूर्ति है, वह पहले से गोगाजी की मूर्ति के नाम से है। उसमें फेर-बदल करने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो मारवाड़ इतिहास में लिखा है, उसकी पुष्टि करके, स्थानीय अधिकारियों से जांच करा कर पहले जवाब दिया था, आज दूसरा जवाब दे रहे हैं। इस बारे में जांच कराना पसन्द करेंगे? और आज तक क्यों नहीं की गई?

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इस प्रकार कहा जाता है कि उनकी मूर्ति नहीं है।

श्री केदार नाथ : अब पचपन करोड़ है।

राव श्री धीरसिंह : यह प्रश्न पन्द्रह मूर्तियों के बारे में। इसमें आठ नम्बर की मूर्ति का सवाल है।

Page No 21

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय यह मामला सीरियस है, मंत्री जी के जवाब से मामले में गड़बड़ी हो सकती है, वहां अशांति फैल सकती है। मंत्री जी जांच करें क्योंकि इतिहास में उसका उल्लेख है।

श्री अध्यक्ष : आप जांच करा लीजिये

राव श्री धीर सिंह : विभाग से जांच करा ली जायेगी। इस बारे में क्या किया गया है, किस तरह से किया गया है—इस बारे में और जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! स्थगित प्रश्न। श्री कृष्ण कुमार गोयल !

स्थगित प्रश्न
(16-4-71)

ब्लड ट्रांसफ्यूजन व ब्लड बैंक के कार्यों के लिए प्रशिक्षित डाक्टर

359. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में भारत सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है कि सारे जिला अस्पतालों में ब्लड ट्रान्सफ्यूजन व ब्लड बैंक के कार्यों के लिये प्रशिक्षित डाक्टर होने चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में इस प्रकार का प्रशिक्षण केवल जयपुर में ही दिया जा सकता है।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रशिक्षण के लिए अन्य विशेष विषयों की तरह इस विषय में भी रीडर, लेक्चरार आदि के पद होने चाहिए।

(4) क्या यह सही है कि भारत सरकार राज्य सरकार को इसके लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिए भी तैयार है ? यदि हां, तो इन पदों के सृजन में राज्य सरकार को क्या कठिनाई अथवा आपत्ति है।

(5) क्या यह सही है कि आईसोटोप जैसी माईनर सब स्पेसिलिटी में लेक्चरार का पद है ? यदि हां, तो क्या इसमें ब्लड बैंक जितना वर्क लोड है ?

(6) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कब तक आवश्यक कार्यवाही कर लेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा) :

(1) जी नहीं। भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 11916 9 ओ. एस. डी. (बी. टी.) दिनांक 22110169 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य अपने आवश्यकतानुसार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

(2) जी नहीं। यह प्रशिक्षण उन सभी स्थानों पर दिया जा सकता है। जहां ब्लड बैंक स्थापित हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। आइसोटोप सब स्पेसिलिटी अनुसंधान से सम्बन्धित है व ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सामान्य सेवा है। इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने इस प्रश्न के खण्ड दो में कहा कि जहां पर ब्लड

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
बैंक स्थापित हैं वहां प्रशिक्षण दिया जा सकता है। क्या यह सही है कि राजस्थान में पांच मेडिकल कालेज में से केवल जयपुर मेडिकल कालेज ऐसा है जहां ब्लड बैंक की व्यवस्था है और जगह नहीं है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पांचों जगह व्यवस्था है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो चार स्थान हैं वहां केवल ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सर्विस है, वहां ब्लड बैंक नहीं है? ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सर्विस और ब्लड बैंक इन दोनों में अन्तर है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां ब्लड कलेक्शन होता है, और सामान्य रूप से रखा जाता है उसको ब्लड बैंक का नाम नहीं देकर ब्लड ट्रान्सफ्यूजन का नाम रख दिया है, वैसे तहां ब्लड रखा जाता है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि इण्डियन मेडिकल कौन्सिल ने मई 70 के अन्दर सारे देश की स्टेट्स को लिखा था कि ब्लड बैंक का महत्व 1961 के चाइना अग्रेशन और 1965 के पाक अग्रेशन के बाद बढ़ गया है इसको देखते हुए हर मेडिकल कालेज में असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डिमान्स्ट्रेटर की पोस्ट रखी जाय, क्या यह सही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : असिस्टेन्ट प्रोफेसर और डिमान्स्ट्रेटर जरूरी होते है वहां रखते हैं। जहां टीचिंग कालेज में उनमें ब्लड ट्रान्सफ्यूजन का काम करते हैं और लोगों को प्रशिक्षित करते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने यह पूछा था, क्या इण्डियन मेडिकल कौन्सिल ने मई 70 के अन्दर सारी स्टेट्स को लिखा था कि ब्लड बैंक की इम्पोर्टेन्स को देखते हुऐ विशेष तौर से चाइना अग्रेशन और पाक अग्रेशन के बाद इनकी आवश्यकता महसूस हुई उसको देखते हुए हर मेडिकल कालेज में असिस्टेन्ट प्रोफेसर और डिमान्स्ट्रेटर की पोस्ट क्रियेट की जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसी सिफारिश थी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेडिकल कालेज में असिसटेन्ट प्रोफेसर को लेक्चरार कहते हैं, और कई जगह लेक्चरार की पोस्ट क्रियेट करने की योजना है। प्रावधान यह नहीं था कि प्रशिक्षण के लिए ही की जायेगी, वह तो उनको अभ्यास कराने के लिए जो ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सर्विस होती है उसमें अभ्यास कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्रीमती मदनकौर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि एस. एम. एस. के प्रिंसिपल ने स्वयं ने राज्य सरकार को सिफारिश की थी कि एस० एम० एस० कालेज की ब्लड बैंक की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए लेक्चरार, रीडर की पोस्ट क्रियेट की जाय। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मुझे दुःख है, प्रश्न के उत्तर की सारी इन्फार्मेशन डाइरेक्टोरेट से गलत दी जाती है। प्रिंसिपल ने एक्सपर्ट के नाते यह लिखा था कि लेक्चरार, रीडर की कालेज पोस्ट क्रियेट की जाय-क्या यह सही है?

Page No 23

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सर्विस का इन्डियन मेडिकल कौन्सिल का जो स्लेबस है उसमें जिक्र नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि जहां पर ऐसा कोर्स नहीं हो वहां यह पोस्ट क्रियेट की जाय। जो पेटर्न है, जो अब तक डिसाइड हुआ है, उसके अनुसार राज्य सरकार के द्वारा काम हो रहा है। जब तक पेटर्न को बदलने की कार्यवाही नहीं होगी, विचार नहीं होगा तब तक इस बारे में मैं कह नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री शेखावत !

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंने स्पेसिफिकली पूछा है कि क्या यह सही है कि एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर के प्रिन्सिपल ने रिकमन्ड किया है कि ब्लड बैंक की रिपोर्ट को देखते हुए रीडर और लेक्चरार की पोस्ट क्रियेट की जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब तक मेरी जानकारी में नहीं आया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि आपके पास जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : कह रहे हैं कि नहीं है। यह प्रश्न समाप्त हुआ। वित्त मन्त्री महोदय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार जानकारी छिपायी जाय और मन्त्रीजी चुप रहें। आप यह कह दीजिये कि इस प्रकार से एस. एम. एस. कालेजों के प्रिन्सिपल ने यह लिख कर नहीं दिया कि कालेज के अन्दर लेक्चरार और रीडर की जगह कायम की जाये।

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटिकल है। एक्जिस्ट ही नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह डेफिनेट जानकारी है कि प्रिन्सिपल ने यह लिख कर दिया है कि लेक्चरार और रीडर की पोस्ट होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : फिर उस ढंग से उठा लीजिये। मेरे प्रश्न रह जायेंगे। आपके नेता का प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया। ट्रान्सफ्यूजन की इम्पोर्टेन्स नहीं है। ब्लड बैंक में हजारों केसेज होते हैं। आइसोटोप के अन्दर एक विशेष व्यक्ति को रखने के लिये यह किया गया है। और पी. एस. सी. में एडवरटाइज नहीं किया गया। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेन्ट।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल ने यह लिखा है तो बाकायदा इसको एग्जामिन कर लिया जायेगा और रेशनालाइज्ड पेटर्न के साथ ही यह होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मन्त्री महोदय, सेक्रेटेरियेट से गाइड होते हैं आइसोटोप के पास व्यक्ति को अपोइन्ट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
करने के लिये यह किया गया है। एम. डी. की पोस्ट मेडिकल साइन्स के लिये है। पी. एस. सी. ने एडवरटाईज की और लोग गये। एक इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति थे वहां पर भी। टालना चाहा कि मेडिसन के लिये इन्वाइट की है आइसटोप का व्यक्ति चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्पष्टीकरण हो चुका है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जनवरी में सिलेक्ट किया और अप्रेल में जाकर अपोइन्ट किया।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण करेंगे। माननीय श्री गोयल स्थान ग्रहण कर ले।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ट्रांसफ्यूजन का सवाल आपका सही है। यह प्रशिक्षण के लिये है। जहां जहां ब्लड बैंक हैं वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मेडीकल एडवाइजर दिये हुए हैं और उनकी एडवाइस लेने के बाद कार्यवाही की जा सकती है। खाली प्रिन्सिपल के लिखने के आधार पर तो नहीं कर सकते हैं। इसको एक्जामिन किया जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दिनेश माथुर का प्रश्न एक्जामिन कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

स्थगित प्रश्न

(26-4-71)

मनोरंजन कर से मुक्त चल चित्र

451. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1970-71 में किस-किस चल चित्र को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया व क्यों ?

(2) यह चल चित्र किस किस सिनेमा घर में कितने--कितने दिन चले ?

(3) कितने आवेदन-पत्र कर मुक्ति के लिये अस्वीकृत किये गये व क्यों ?

(4) कर मुक्त चल-चित्रों के निर्माता व वितरक कौन कौन हैं ?

उपमंत्री वित्त (श्री बृजप्रकाश गोयल) : (1) 1970-71 में 9 चल चित्रों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया।

(1) जहां प्यार मिले। इसको

श्री भैरोंसिंह : क्या बताया ?

श्री अध्यक्ष : फिर से बोल दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जहां प्यार मिले

श्री अध्यक्ष : जहां प्यार मिले का प्रश्न आता है, माननीय सदस्य उद्विग्न हो जाते हैं।

श्री बृज प्रकाश गोयल : इसकी विषय वस्तु राष्ट्रीय एकीकरण व साम्प्रदायिक भावना पर आधारित है।

(2) हीज मालो।

यह चल चित्र देश भक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है इसके अतिरिक्त यह चल चित्र सिन्धी भाषा में है। सीमित दर्शकों के लिये बनाई गयी है।

Page No 25

(श्री बृजप्रकाश गोयल)

3. यादगार—

यह शिक्षाप्रद चल चित्र है । समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों यानी मजदूर, राजनैतिक कार्यकर्ता, डाक्टर, व्यवसायी आदि के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। परिवार नियोजन के विषय को भी फिल्म के संगीत में अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ स्थान दिया गया है ।

4. सस्ता खून मंहगा प्यार—

पूरा चल-चित्र राजस्थान में बना है । चलचित्र में राजस्थान के दृश्य पर्यटक को आकर्षित करते हैं । राजस्थान में अधिक से अधिक चल–चित्र चित्रित हों जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिले । यह भी कर मुक्ति देने में एक कारण रहा है ।

5. मेरा नाम जोकर–

श्री अध्यक्ष : उनका नहीं है।

श्री विजयसिंह (भरतपुर): आपके आगे बैठे हुए हैं वे हो सकते हैं ।

श्री बृजप्रकाश गोयल : इस फिल्म का एक भाग राजस्थान में चित्रित किया गया है इसमें कलाकार की जिन्दगी व इसकी फिलोसफी का दिग्दर्शन कराया गया है । अपनी मृत मां को भी छोड़कर वह दर्शकों के मनोरंजन के लिये अपने कर्तव्य को निभाता है

6. नानक नाम जहाज है–

यह चल-चित्र प्रचलत शिक्षाप्रद है । देश भक्ति एवं सेवा की भावना से ओत-प्रोत है, इस कारण से कर मुक्ति दी गयी ।

7. हम एक हैं–

यह चल-चित्र देश भक्ति, राष्ट्रीय अखंडता एवं एक्य का संदेश देता है । रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने की भावना को बल देता है ।

8. घर–घर की कहानी–

यह चल-चित्र अल्प बचत और जीवन के सही मूल्यों पर प्रकाश डालता है ।

2. पूरब और पश्चिम–

शिक्षाप्रद चलचित्र है । यह स्पष्ट रूप से भारतीय सभ्यता की पवित्रता को, पाश्चात्य जीवन के दूषित वातावरण की भूमि में दर्शित करता है । राष्ट्रीय मूल्यों जैसे देशभक्ति, विनम्रता, क्षमा, प्रगति आदि का सही रूप में दिग्दर्शन करता है।

2. सूची संलग्न है ।

3. आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये कर मुक्ति से कोई जनहित हो, ऐसी सम्भावना न होने के कारण एवं एक आवेदन-पत्र (आंचल के फूल बाबत) अस्वीकृत किया गया । दूसरे (सत्यकाम बाबत) पर निर्माता या वितरक द्वारा प्रीव्यु का प्रबंध न करने से विचार नहीं किया जा सका । मनोरंजन कर से होने वाली आय की कमी को ध्यान में रखते हुए नीति सम्बन्धी यह निर्णय लिया गया कि कर मुक्ति प्रदान की जावे । इस निर्णय के अधीन अन्य पांच (प्रेम पुजारी, दर्पण, भुवनसोम, सात हिन्दुस्तानी व नया रास्ता, बाबत) आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये ।

(श्री बृजप्रकाश गोयल)

(ग) 1. जहां प्यार मिले निर्माता श्री लेख टण्डन, एल. आर. टी. फ़िल्म्स, बम्बई। वितरक एस. एम. एम. फिल्म्स, जयपुर।

2. होजमाली निर्माता, श्री हरि-भाटवानी, बम्बई। वितरक–आई. पी. फिल्म्स, अजमेर।

3. यादगार निर्माता श्री एस. राय शर्मा, कुनाल चित्र, बम्बई। वितरक के नाम की सूचना आवेदन–पत्र में नहीं है।

4. सस्ता खून महंगा प्यार–निर्माता श्री एस. के. पुरोहित, शारदा फिल्म्स, बम्बई। वितरक शारदा फिल्म्स, जोधपुर।

5. मेरा नाम जोकर–निर्माता श्री राजकपूर, बम्बई। वितरक मुकेश सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एम. आई. रोड, जयपुर।

6. नानक नाम जहाज है–निर्माता श्री पन्नालाल महेश्वरी, कल्पना लोक, बम्बई।

वितरक मेसर्स चारु चित्र, जयपुर।

7. हम एक हैं– निर्माता–राजवंश सिन्धु, बम्बई वितरक श्री सुन्दर लाल माथुर, कुसुम लता, फिल्म्स एक्सचेंज, जोधपुर।

8. घर घर की कहानी–निर्माता श्री. बी. नागी रैड्डी, विजया इन्टर नेशनल, मद्रास। वितरक एस. आर. ब्रदर्स, जयपुर।

9. पूरब और पश्चिम–निर्माता–श्री मनोज कुमार, बम्बई वितरक नटराज फिल्म्स जयपुर।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : यह आपने बताया है कि यह जनहित में है, शिक्षाप्रद है और भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। लेकिन इन बातों का असेसमेन्ट किस प्रक्रिया और किस आधार पर किया जाता है?

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसमें एक कमेटी का निर्माण किया जाकर और फिर फिल्म्स को देखकर किया जाता है। वे अपने ज्ञान से फिल्म्स को देखकर इन बातों का ध्यान रखते हैं कि इसमें क्या आइडियाज हैं। और यदि सफीशियेन्ट आधार माना जाता है तो करमुक्त किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह एक ही समिति है जिसने 9 पिक्चर्स को देखा है या अलग अलग पिक्चर्स के लिए अलग अलग समिति बनाई गई है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : अलग-अलग पिक्चर के लिए अलग अलग समिति बनायी गयी है ताकि किसी प्रकार का कोई भेद-भाव न रहे और वे अपने विचार दे सकें। तीन तीन आदमियों की समिति बनाई गई है जिन्होंने तमाम पिक्चर्स को देखकर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : समिति के सदस्यों के नाम बता सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता?

Page No 27

श्री बृजप्रकाश गोयल : अलग अलग फिल्म्स के लिये इस प्रकार समितियां बनाई गई हैं। जहां प्यार मिले-मथुरादास माथुर, वित्त मंत्री राजस्थान, के. के. जोशी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेन्स।

होजमालो-श्री भगवानदास शास्त्री, श्रीमती कांता कथूरिया, श्री किस्मतराय, मेम्बर यू. आई. टी., जयपुर और श्री के. के. जोशी, स्पेशल सेक्रेटरी, फाइनेन्स।

यादगार-श्री प्रद्युम्नसिंह, उपमंत्री, श्री बृज प्रकाश गोयल-उप मंत्री, श्री ए. वी. गणेशन, सेक्रेटरी टू सी. एम. श्री के. के. जोशी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेन्स।

सस्ता खून महगा प्यार--श्री प्रद्युम्नसिंह, उपमंत्री, श्रीमती गौरी पूनिया, श्री पी. के. वी. कुरूप, स्पेशल सेक्रेटरी, फाइनेन्स।

मेरा नाम जोकर-श्रीमती चन्द्रा माथुर वाइफ ऑफ मुरारीलाल माथुर, जयपुर। श्री किस्तूरमल शाह, श्री पी. के. वी. कुरूप, स्पेशल सेक्रेटरी, फाइनेन्स।

नानक नाम जहाज-No committee was constituted. C.M. has recommended the case for consideration and as a special case exemption of entertainment-tax was granted.

हम एक हैं-श्री मुन्नालाल गोयल, जनरल मैनेजर, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, श्रीमती वी. हूजा, श्री पी. के. वी. कुरूप, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेन्स।

घर घर की कहानी....

श्री अध्यक्ष : क्या चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन-जिन आदमियों की आपने समिति नियुक्त की है क्या राज्य सरकार ने इन सारी समितियों के सम्बन्ध में कोई आदेश प्रसारित किये हैं या जुबानी ही नियुक्ति करदी है कि आप देख कर बता देना।

श्री बृजप्रकाश गोयल : इनको लिख-कर भेजा गया कि इस फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है उस दिन आप इसको देखकर अपनी ओपीनियन दें।

श्री भैरोंसिंह : क्या कमेटी को कान्स्टी-ट्यूट करने के सम्बन्ध में कोई आर्डर इश्यु हुए हैं और यह भी कहा गया है कि वे इसको देख कर अपनी रिपोर्ट दें ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : माथुर साहब जिस कमेटी के सदस्य थे उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है ? क्या यह सही है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसमें स्वयं ही आर्डर करने वाले हैं। फाइनल डिसिजन लेना उनके हाथ में था इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह सरकार है फिर कमेटी क्यों नियुक्त की और क्यों आर्डर इश्यु किये गये। यह सही है कि उस कमेटी की कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई ? क्या यह सही है कि चन्द्रा माथुर वाइफ आफ मुरारी लाल माथुर, जो मथुरादास माथुर की बहिन हैं वे जिस कमेटी की सदस्य थीं उस कमेटी के बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुआ और

(श्री भैरोंसिंह)
न कमेटी की सदस्या थीं उस कमेटी के बारे में प्रतिवेदन ही पेश किया है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसमें एक श्री किस्तूरमल जी उपस्थित नहीं हुए थे। फाइनेन्स सेक्रेटरी ने अपनी ओपीनियन दी है और उनसे भी ओपीनियन जरूर ली गई होगी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा परटीकूलर क्वेश्चन्स है, कोई लम्बा चौड़ा नहीं है। मैं इन दो क्वेश्चन्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। श्रीमती चन्द्रा माथुर जिस कमेटी की सदस्या थीं क्या उस कमेटी के सम्बन्ध में आपने कोई आदेश प्रसारित किये हैं और क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट प्रतिवेदन दिया है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसकी जानकारी मेरे पास में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस कमेटी के बारे में जानकारी दें जिस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित हुए हैं। उस आदेश के कम्प्लाइन्स में रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए। स्वयं को फाइण्डिंग्स हैं और नोटिंग हो यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब।

श्री बृजप्रकाश गोयल : एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत कि कोई कमेटी अपाइन्ट की जाये। यह सेक्रेटरी के लिये किया गया है ताकि अच्छा व्यू सरकार के सामने आ जाये। इसलिये एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है। वैसे कानून के तहत कमेटी के लिये आर्डर्स जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह रूल्स में मेन्डेटरी नहीं है। यह कोई विशेष बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : विशेष बात का तो सवाल है। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है। यहां आपने कहा है कि इसके सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जिस फिल्म को देखने के लिये आदेश प्रसारित किये हैं और आदेश प्रसारित करने के बाद जिन लोगों ने फिल्म को देखा है, पिक्चर को देखा है। उनमें से किसी ने कोई एक रिपोर्ट दी है उसका नाम बतादें।

श्री बृजप्रकाश गोयल : एक तो मैं स्वयं था। मैंने खुद ने रिपोर्ट दी है यह तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं। दूसरों में भी करीब करीब रिपोर्टस आई हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस कमेटी में आप थे उसके आदेश प्रसारित नहीं हुए थे।

श्री बृजप्रकाश गोयल : आर्डर देने वाली कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि आर्डर प्रसारित किये जाते हैं और जिसके कमेटी में आप गये थे उसके लिये कोई आदेश नहीं है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : आर्डर की कोई बात नहीं है। किसी को कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो उसमें आर्डर देने की बात नहीं आती है।

श्री भैरोंसिंह : आपने सबके लिये कहा है कि आदेश प्रसारित किये गये हैं

(श्री भैरोंसिंह)
और माननीय सदस्य, माननीय मन्त्रीजी जिस कमेटी के सदस्य थे उसके बारे में कोई आदेश नहीं निकाला है।

श्री बृज प्रकाश गोयल : मैंने कहा है कि इतनी आवश्यकता नहीं है। यह मेटेरियल नहीं है कि आर्डर निकाले ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो कारण से जरूरी है। इस हाउस में आपने यह कहा है कि आदेश प्रसारित हुए। दूसरा कारण यह है कि यह राज्य विधान के अनुसार कानून चलता है। राजस्थान विधान सभा ने एक कानून को पास किया है, इन्टरटेनमेन्ट टैक्स का कानून पास किया है और इन सदन ने गवर्नमेन्ट को उसमें एग्जेम्पशन देने का पावर भी दिया है। पावर की लिमिटेशन होती है। उस पावर की किन केसेज में एक्सरसाइज किया जाना चाहिये, वह पावर गवर्नमेन्ट को दी है। उसके तहत में ही आप एग्जम्पशन कर सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते कि आप चाहे जिसको कर मुक्त कर दें। तुम देख कर मुझे बता दो और मैं इसको कर मुक्त कर देता हूं यह गलत है।

श्री बृज प्रकाश गोयल : यह गवर्नमेन्ट को पावर है एक्ट में। यह कोई जरूरी नहीं है। यह सरकमस्टान्सेज पर है और यह गवर्नमेन्ट डिस्क्रिशन पर है और उसको ही फाइनल डिसीजन करना होता है। गवर्नमेन्ट डिसीजन लेने के पहले किसी कमेटी का अपाइन्टमेन्ट करती है। परन्तु यह आर्डर देने की बात नहीं है। पार्टीकूलर सवाल को देखकर, पिक्चर को देख कर उन्होंने अपनी राय दे दी। इस पर यहां पर जो स्ट्रेस किया जा रहा है यह कोई मेटेरियल बात नहीं है। किसी को कहा जाये तो उसकी रिपोर्ट हो। यह उतना मेटेरियल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कमेटी के फार्मेशन का प्राविजन है क्या ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रोविजन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : डिस्क्रिशन एप्लाय करें तो कमेटी को नियुक्त कर सकते हैं और एज ए प्रिन्सीपल आपने कमेटी को नियुक्त किया है। अब यह जो आपने नीति निर्धारित की इनको कर मुक्त नहीं किया जायेगा यह कब से की है।

श्री बृज प्रकाश गोयल : इसके बारे में पहले सन् 67 में डिसीजन लिया गया था। 70 में एक बार फिर डिसीजन लिया गया कि इनको कर मुक्त नहीं किया जाये। परन्तु कुछ विशेष बातें हो जाती हैं और चूंकि एक्ट में प्राविजन है तो डिपार्टमेन्ट पोलिसी डिसीजन लेता है कि ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें इसको आवश्यकता होती है।

श्री भैरोंसिंह : विथड्रा कब किया। तीनों आर्डर्स मेरे पास हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अर्से पहले कर मुक्ति के आदेश दिये थे उसका विथड्रा कब किया ?

श्री बृज प्रकाश गोयल : गवर्नमेंट ने जो आर्डर दिया है···

श्री भैरोंसिंह : जो आर्डर था उसको विथड्रा कब किया ? जिस समय बालकृष्ण जी कौल फाइनेन्स मिनिस्टर थे उस समय

Page No 30

(श्री भैरोंसिंह)

हकीकत पिक्चर के बारे में प्रश्न उठा था कि एग्जम्पशन न किया जाय और जब मथुरादास जी माथुर के पास श्री महेन्द्र कपूर ने जब गीत गाया तो उसके बाद अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री मुकेश कुमार माथुर जो मथुरा दास जी माथुर के रिश्तेदार लगते हैं इनको रिसीव करने के लिये माथुर सहाब स्टेशन पर गये और इनके आने के बाद फिर एक पिक्चर कर मुक्त किया गया। यह कोई घर की दूकान नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आपने नई नीति कब से निर्धारित की है-पिक्चर को एग्जम्प्ट न किया जाय।

श्री बृज [illegible] काश गोयल : यह माथुर साहब के [illegible] दार लगते हैं, यह बिलकुल गलत है।

श्री भैं सिंह : यह गीत गाया है सुनिये आप भी। वह गीत मैं सुनकर आया हूं आपको भी सुना सकता हूं--

एक मा. सदस्य : सुना दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : , इसमें महेन्द्र कुमार गाते हैं-न मुंह छिपाकर के जीओ और न सिर झुका के जीओ। गमों का दौर भी आये तो मुस्करा के जीओ।

और अध्यक्ष महोदय मैंने ही नहीं आपने भी सुना है।

श्री अध्यक्ष : मुझे ध्यान नहीं आया लेकिन आपको याद रहा।

श्री भैरं सिंह : इस गीत का मतलब है इस पिक्चर को कर मुक्त करना। मेरे पास लेटर भी मैं हाऊस में पेश करता हूं इस गीत से राजस्थान सरकार को हजारों रुपयों का नुकसान हो गया...

श्री विजयसिंह : हजारों का क्या लाखों का नुकसान हो गया।

श्री बृजप्रकाश **गोयल** : आपने बताया यह कौन साहब के टाइम का था, कौल साहब के टाइम का नहीं बल्कि मथुरादास जी माथुर के समय का है।

श्री भैरोंसिंह : अब कर मुक्त नहीं किया जाय इसकी तारीख बता दें। अभी आपने सदन में कहा कि अब निर्णय लिया है, निर्णय कब का है ?

श्री बृज प्रकाश गोयल : निर्णय नहीं यह माथुर साहब की बजट स्पीच से है।

श्री भैरोंसिंह : हमें माथुर साहब से मतलब नहीं, मतलब सरकार से है।

श्री विजयसिंह : माथुर साहब कौन से खुदा हैं। वे भी एक नुमाइन्दे हैं।

श्री बृजप्रकाश गोयल : इस बजट स्पीच के सिलसिले में एक योजना है। क्लियर एग्जम्पशन। ग्रान्ट करना गवर्नमेंट नहीं चाहती है लेकिन इस तरह की पालिसी पर रिजिड रहे तो यह भी ठीक नहीं हैं। अभी नानक नाम जहाज है ऐसे पिक्चर के लिये कोई

(श्री बृजप्रकाश गोयल)

रिजिड पालिसी बना ले तो यह ठीक नहीं है। जब कोई केस आ जाता है तो डेवियेसन भी किया जाता है....

श्री भैरोंसिंह : मै पूछना चाहता हूं आपने अभी अभी यह कहा, गवर्नमेंट ने अब निर्णय ले लिया है कि पिक्चर को कर मुक्त नहीं किया जायगा। वह निर्णय कब लिया ?

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है क्या ?

श्री बृज प्रकाश गोयल : यह भी बजट स्पीच में निर्णय लिया है, किन्तु अभी फाइल पर नहीं आया है, परन्तु ऐसा ही डिसिजन हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय यह बड़ा मेटेरियल क्वेश्चन हो गया। अभी-तक निर्णय नहीं हुआ और यह...

श्री बृज प्रकाश गोयल : हाउस की कोई कमेटी बनाना चाहे तो हाउस के मेम्बर्स उसको देखकर एग्जेम्प्ट देना चाहे तो दे दें। वैसे गवर्नमेंट एग्जेम्प्शन के केसेज आयें और एग्जेम्प्ट करें और फिर भी कोई क्रिटिसिज्म आये तो हाउस की कमेटी बना दें। आज भी गवर्नमेंट तैयार है जो एग्जेम्शन के केसेज को देखें।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन पिक्चरों को एग्जेम्प्ट करने से पहले राज्य सरकार ने विभिन्न पत्रों में और खास कर फिल्म से प्रकाशित होने वाले इन पत्रों की टिप्पणी देखी है। मेरे पास टिप्पणी है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं फिल्म जगत में इन पिक्चरों को एप्रीसियेट नहीं किया गया। अभी एक दो पिक्चर जिसमें मेरा नाम जोकर भी है उसमें किस प्रकार की गड़बड़ है, उसको आपने देखा है...

श्री बृज प्रकाश गोयल : एग्जेम्पशन पहले ही हो चुका था।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तीन बार अपनी बात को बदला है। एक बार यह कहा आदेश दे दिये गये, दुबारा कह दिया आदेश नहीं हुये दूसरे कमेटी की नियुक्ति के बारे में कहा फिर बदल गये अध्यक्ष महोदय यह तो...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री दौलतराम सारण : एक बार कोई जवाब दे दिया. दूसरी बार दूसरा जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री दौलतराम सारण : यह तो अच्छा है अध्यक्ष महोदय कि प्रश्न समाप्त हुये, लेकिन मंत्री महोदय बारबार बदलें यह कहां तक उचित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस पार्टी के लिये चन्दा लिया जाता है इसलिये सरकार एग्जेम्पशन दे देती है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है।

श्री बृज प्रकाश गोयल : यह गलत है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह बिल्कुल सही है।

श्री भंवरसिंह : इसकी जांच कराई जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चोरी और सीना जोरी ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दौलत राम सारण: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में अभी उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय ने तीन बार गलत सूचनायें दी हैं । एक बार कहा कमेटी नियुक्त की वह अलग चीज है···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून में जो अधिकार दिया गया है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, तीन बार इस सदन में गलत बात कही । एक बार कुछ कहा । तीन बार प्रश्नोत्तर काल में अपने स्टेटमेंट बदल दिये । इस तरह के घोटाले किये जायं और घोटाले करके छिपाने की कोशिश की जाए..

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह पर्दा डाला जाय और हाउस को गुमराह करने की चेष्टा की जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये ।

श्री विजयसिंह : मंत्री महोदय ने बचकाना जवाब दिया है । एक एक जबाब को दो दो बार बदला है । ये मरजी आये उसको बिठा दें, मरजी आये इसको चला दें । इनका घर का राज्य है···

श्री अध्यक्ष: मैं मा. सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं...

(विराम)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

कोटा जिले के मंदिरों को धनराशि

596. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में किस किस तहसील में कौन कौन से स्थान देवस्थान ने अपने हाथ में ले रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा इन स्थानों के लिये वार्षिक कितनी धनराशि किस किस कार्य हेतु दी जाती रही है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में जो मंदिर देवस्थान के प्रबन्ध में है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) इन स्थानों के लिए वार्षिक 2,80,047 रुपया (दो लाख अस्सी हजार सेंतालीस रुपया व्यय किये जाते हैं । यह सेवागिरी के वेतन एवं सेवा पूजा, भोगराग, उत्सव, पोशाक, रोशनी पर होता है ।

(कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

सवाई माधोपुर-इन्द्रगढ़ मार्ग पर बस के परमिट

598. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या यातायात मंत्री यह

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर से इन्दरगढ़ रोड़ पर बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु किसी पार्टी को परमिट दिया? यदि हां, तो यह परमिट कब, किस को किस, माडल की गाडी का दिया गया?

(2) क्या इस रूट पर बस सेवा अब चालू है? यदि नहीं, तो कब से और किस कारण से?

(3) राज्य सरकार यात्रियों को इस रूट पर यात्रा की सुविधा देने हेतु क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) एक परमिट श्री अल्लानूर को गाड़ी नम्बर आर. जे. एल. 7008 मोडल 1954 सवाई माधोपुर से लाखेरी वाया इद्रगढ़ तक बस चलाने का दिनांक 12-3-63 को दिया गया था जिसकी अवधि 11-7-69 तक थी।

(2) जी नहीं, वर्तमान में इस मार्ग पर कोई बस सेवा चालू नहीं हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को पहले परमिट दिया गया था, उसने 11-7-69 के बाद परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया।

(3) इस मार्ग पर रिक्त स्थान के भरने के लिये बस चलाने का परमिट देने के लिये प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पर्यना क्रास बांध

599. श्री नत्थीलाल (नदबई): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि रमेश, स्वामी नहर के सामने पेयंना क्रास डेम विगत वर्ष बनाया गया था?

(2) क्या यह सही है कि उस क्रास डेम पर छप्पर डालने का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया था? यदि हां, तो उसकी क्या रेट आई थी?

(3) क्या यह सही है कि वही छप्पर उसी साइज का उसी क्रास डैम पर अब ठेकेदार से डलवाया गया? यदि हां, तो उसका विभाग ने क्या रेट दिया?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, उसकी रेट 9.25 प्रति सैंकड़ा वर्ग फुट थी।

(3) जी हां, उसकी विभाग को बी. एस. आर. पर कार्य किया गया।

जंगल माता का बरा में लकडी कोयला व बांस के कूप का ठेका

600. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आबू में गत 5 वर्षों में लकड़ी कोयला व बांस के कूप

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
का ठेका जंगल माता का दरा (आबू ब्लाक नं. 3), माता का दरा (आबू ब्लाक नं. 20 (ए), आबू ब्लाक नं. 1, (कम्पार्टमेंट नं. 31 से 35) के ठेके दिए गए हैं ? अगर हां, तो कब कब, किस किस को, कितने कितने क्षेत्र का, कितनी कितनी रकम में ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ठेकेदारों पर नाजायज कटाई के कारण पेनेल्टी लगाई गई थी ? अगर हां, तो कब कब व कितनी कितनी ? कृपया आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि पेनल्टी की वसूली को स्थगित कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों व किसके आदेश से ? कृपया आदेश की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में माता का दरा आबू ब्लाक नं. 8 का ठेका नहीं दिया गया । आबू ब्लाक (माता प्रातः) नं. 20 ए का 23 एकड लकड़ी कोयले का ठेका 1966-67 में श्री गुलाम अहमद हाजी पीर जी को 60100 रु. में तथा आबू ब्लाक नं. 1 (कम्पा. 31-35) के 2294 एकड़ बांस का ठेका श्री रामेश्वरलाल सुवालाल को 50100 रु. में 1967-68 के लिए दिया गया था ।

(2) जी हां । माता का दरा वन क्षेत्र में अवैध कटान हेतु 98030 रु. मई 1969 में तथा मातरमाता नं. 20 एक के ठेकेदार पर 30722 रु. तथा आबू वन सं. नं. 1 कम्पा. नं. 31-35 बांस के ठेकेदार पर 57216 रु. अक्टूबर 1968 से । आदेशों की प्रतियां संलग्न है ।

(3) जी हां । ठेकेदारों के प्रार्थना-पत्र पर राज्यादेश से वसूली रोकी गई थी मातरमाता नं. 20 ए के ठेकेदार से वसूली के स्थगन आदेश राज्य सरकार ने 29-12-70 को निरस्त कर दी तथा माता का दरा वन क्षेत्र के ठेकेदार से वसूली के स्थगन आदेश दिनांक 19-4-71 को निरस्त किये जा चुके हैं । आदेश की प्रति संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय से रखी गई)

वन सम्पदा

602. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की वन सम्पदा बीस वर्षों पहले कितनी थी ?

(2) अब इन बीस वर्षों में वन सम्पदा की कितनी हानि हुई ?

(3) क्या राज्य ने कभी इस प्रकार का सर्वेक्षण किया कि प्रति वर्ष कितनी वन सम्पदा नष्ट होती जा रही है ?

(4) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि यदि इसी प्रकार वन नष्ट होते रहे तो बीस साल बाद राज्य में बहुत कम जङ्गल बच पायेंगे ?

Page No 35

उत्तर

(1) इस प्रकार का सर्वेक्षण नहीं होने के कारण बीस वर्ष पूर्व की सम्पदा की जानकारी देना संभव नहीं।

(2) सर्वेक्षण के अभाव में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

झालावाड़ स्टेट बैंक में लोगों की बकाया

607. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड स्टेट बैंक की लोगों में रकम बकाया है? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि किन्हीं व्यक्तियों को कर्जे से मुस्तस्ना भी कर दिया गया है? यदि हां, तो किन किन को? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह भी बताने का कष्ट करें कि किन किन व्यक्तियों को सूद की रकम छोड़ दी गई और किश्तों से रकम वसूल की जा रही है? इसकी भी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) बकाया रकम वसूल क्यों नहीं की जा रही है।

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा निरीक्षक कार्यालय अलवर में अध्यापकों की नियुक्तियां

583. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

कार्यालय शिक्षा निरीक्षक जिला अलवर में गत कुछ महिनों में कितने अध्यापक की नियुक्तियां हुई हैं उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने अध्यापक नियुक्त किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। 13 अध्यापक। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

केन्द्रीय एन. डी. एस. इन्स्ट्रक्टर्स

584. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार केन्द्रीय एन. डी. एस. इन्स्ट्रक्टर्स को केन्द्रीय शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्रालय से अपने अधीन लेने को सहमत हो गई है? यदि हां, तो इन्स्ट्रक्टर्स की कौन-कौन सी श्रेणियों को लिया जा रहा है और प्रत्येक श्रेणी की क्या वेतन श्रृंखला होगी ?

(2) क्या सरकार उनको स्थायी राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में लेगी ?

(3) क्या एन. डी. एस. इन्स्ट्रक्टर्स को लेने की शर्त केन्द्रीय सरकार के

(श्री रामानंद अग्रवाल)

साथ अन्तिम रूप से तय हो चुकी हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा एन. डी. एस. इन्स्ट्रक्टर्स को खपाने (एब्जोर्बेशन) की अन्तिम शर्तें क्या हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार उनको केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वर्तमान कुल वेतन (एमोल्यूमेन्ट्स) तथा अन्य सुविधाओं को आरक्षित (प्रोटेक्ट) करेगी ?

(5) क्या राज्य सरकार उन्हें सेवाकाल पूर्ण होने तक (अर्थात् 58 वर्ष तक) सेवा सुरक्षा का आश्वासन देगी ?

(6) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति भिजवादी है ?

(7) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तें क्या हैं ?

(8) क्या राज्य सरकार सामूहिक रूप से सभी एन. डी. एस. को अपने अधीन लेगी ? यदि नहीं, तो आंशिक रूप से खपाने की अपेक्षा इन्हें अपने आधीन लेने से मना क्यों नहीं किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। यदि केन्द्रीय सरकार इन एन. डी. एस. का सारा खर्च सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड के तहत देने को सहमत हो। एन. डी. एस. जूनियर ग्रेड प्रथम व द्वितीय जो मैट्रिक व एन. डी. एस. प्रशिक्षित को वेतन श्रृंखला 110-230 व एन. डी. एस. सीनियर ग्रेड प्रथम व द्वितीय जो ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा इन फीजीकल एज्यूकेशन हैं को वेतन श्रृंखला 160-360 में लिया जायेगा।

(2) बजट में नये पदों के सृजन होने पर सम्भव होगा।

(3) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपना प्रतिवेदन भेज दिया है। शर्तें संलग्न है।

(4) जी हां। यदि केन्द्रीय सरकार पूरा-पूरा हिस्सा राज्य सरकार को देती है।

(5) यदि केन्द्र सरकार अपना हिस्सा देती रही तो राजकीय नियमानुसार ही सेवा पूर्ण होने तक उन्हें सेवा में रखा जाना सम्भव हो सकेगा।

(6) स्वीकृति का मामला विचाराधीन है।

(7) प्रति संलग्न है।

(8) आवश्यकतानुसार ही इन्हें सेवाओं में लेने हेतु सरकार अनुमोदन कर चुकी है। मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

सवाईपुर ग्राम में माध्यमिक स्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति

595. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की सवाईपुर ग्राम पंचायत के ग्राम सवाईपुर में माध्यमिक स्कूल भवन निर्माण हेतु कुछ माह पूर्व करीब तीन हजार रुपया

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो कब और वह रुपया दिया गया या नहीं ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 5 (2) क्षेत्रीय। खेल–5/70 दिनांक 30-3-71 के द्वारा स्वीकृत किये गये थे।

बून्दी पंचायत समितियों के अधीन चलने वाली प्राथमिक पाठशालायें

586. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बून्दी की चारों पंचायत समितियों के अधीन चल रही प्राथमिक शालाएं कितने भवनों में चल रही हैं और कितनी पेड़ों के नीचे चलती हैं ?

(2) कितनी शालाओं के भवन अधूरे पड़े हैं और क्यों ?

(3) ग्राम पीपल्या की शाला के निर्माण हेतु ग्राम के श्रमदान से कितनी रकम प्राप्त हुई और कितनी पंचायत समिति नैनवां से रकम दी गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं दी गई ?

(4) ग्राम बासनी, पंचायत उमर, पंचायत समिति हिन्डोली की शाला की क्या छत की पट्टियां टूट रही हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति ने उसकी मरम्मत अब तक क्यों नहीं कराई ·

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

(3) 2000) रु. । 300) रु. वर्ष 1961 में दिये गये थे। उस समय जन-सहयोग के अभाव में सरपंच द्वारा 17-8-62 को वापिस जमा करा दिया। बाद में धनाभाव के कारण पंचायत समिति द्वारा रकम नहीं दी गई।

(4) जी हां। शाला भवन पंचायत समिति को अधिकृत रूप से न संभलाये जाने के कारण उसका जीर्णोद्धार नहीं करवाया जा सका।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पंचायत समिति कठूमर द्वारा ऋण का वितरण

587. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति, कठूमर ने आरम्भ से लेकर फरवरी, 1971 तक कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में वितरित की ? वितरित धनराशि पर कितना ब्याज सरकार को मिला ? कितनी रकम वसूल की जा चुकी है और कितनी धनराशि बट्टे खाते डालने योग्य है ?

उत्तर

ऋण के रूप में वितरित की गई रकम व वसूल की गई धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। ब्याज के रूप में राज्य सरकार को 90,391,·57 की राशि मिली है। बट्टे खाते कोई रकम अभी तक नहीं डाली गई है।

पंचायत समिति कठूमर को कृषि फार्मों हेतु भूमि का आवंटन

588. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर को एक सौ बीघा भूमि जिलाधीश अलवर ने कृषि फार्म हेतु अलाट की थी ? यदि हां, तो अब तक इस भूमि से कितनी आमदनी पंचायत समिति को हुई और कितना खर्च हुआ ?

उत्तर

जी, हां। जून, 69 में 100 बीघा जमीन कृषि फार्म हेतु अलोट की गई थी। पंचायत समिति को अब तक 34,792) रुपये की आमदनी व 20,136) रुपये का खर्च हुआ है।

ग्राम चाणोद (पाली) की खरीफ की फसल

589. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चाणोद (जिला पाली) 5-6 वर्षों से अकाल पीड़ित रहा है ?

(2) गत वर्ष ऋतु में अच्छी वर्षा हुई परन्तु क्या यह सही है कि—

(1) इस चाणोद ग्राम के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्राय: 250 परिवार इस अच्छी वर्षा का लाभ नहीं उठा सके. क्यों कि उनके पास बैल नहीं होने से (क्योंकि गत अकाल वर्षों में बैल प्राय: सभी के मर चुके थे) वे खरीफ की फसल बो भी नहीं सके ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी सावधानी क्यों नहीं बरती कि सबको बैल जोड़ियां दिलवाई जाती जिससे अन्नोत्पादन बढ़ता और साथ ही इन गरीबों का भी गुजारा हो जाता ?

(3) उपर्युक्त असावधानी का दोष किसका है और उस क्रम में क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

सरकार द्वारा गुवार की निकासी के परमिट

590. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् 1967-68. 1968-69 एवं 1969-70 में गुंवार की निकासी हेतु परमिट दिए थे ?

(2) यदि हां, तो किस किस पार्टी को किस किस स्थान के कितनी तादाद के किस किस तारीख को परमिट दिए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

Page No 39

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान से बाहर जाने पर पशु चारे की निकासी पर सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है ?

(स्थगित किया गया)

राज्य में बेरोजगार व्यक्ति

501. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

राज्य में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

राज्य में कुल 1,35,771 बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परीशिष्ट 8 देखिये)

जालोर जिले में नियोजन अधिकारी का दफ्तर

592. रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले में अभी तक नियोजन अधिकारी का दफ्तर कायम नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सिरोही जिले के मुकाबले जालोर जिला बहुत बड़ा व उसकी जनसंख्या ज्यादा है ?

(3) क्या सरकार शीघ्र ही जिला जालोर में डिवीजन अधिकारी का दफ्तर खोलना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो कब-तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। जालोर जिले में अभी तक नियोजन कार्यालय कायम नहीं किया गया है। सभी जिलों में धीरे धीरे वित्तीय साधनों तथा रोजगार के उपलब्ध अवसरों आदि के आधार पर नियोजन कार्यालय खोले जा रहे हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जावेगा।

एल. डी. सी. के पदों पर नियुक्तियां

593. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा सन् 1969-70 व 71 में कुछ एल. डी. सी. के पदों पर नियुक्तियां की गई है ? यदि हां, तो कब कब किन किन व्यक्तियों कि नियुक्तियां कहां कहां पर की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त नियुक्तियां बिना एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के द्वारा की गई है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

Page No 40

(श्री श्रवणलाल)

(3) क्या यह सही है कि बिना एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के लिये गये व्यक्तियों के वेतन के बिलों को ट्रेजेरी पास नहीं करती है ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्तियों के वेतन का भुगतान किस नियम के तहत किया जा रहा है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं, नियुक्तियां अभी अभी अस्थायी हैं तथा नियोजन कार्यालय के माध्यमों अथवा अनुसूचित जातियों के प्रमाण-पत्र के आधार पर अथवा नियमों में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से की गई थी, अल्पावधि रिक्त पदों पर नियुक्तियां बिना नियोजन कार्यालय के माध्यम से की जा सकती हैं ।

(3) जी हां, किन्तु जो नियुक्तियां अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र के आधार पर अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिपिक अंग में स्थानान्तरण अथवा अल्प अवधि के लिये नियुक्तियां बिना नियोजन कार्यालय के की जा सकती हैं अतः इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के वेतन देने में कठिनाई नहीं हुई, आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची बिस्तृत होने के कारण-विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रावतसर ब्रान्च पर पुल का निर्माण

594. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की रावतसर ब्रान्च पर गंगोली से दासूवाली जोन के लिए पुल नहीं बना है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुल नहीं बनने से काश्तकारों को अपने खेत की उपज का माल मन्डी में ले जाने में भारी रुकावट पैदा हो रही है ?

(3) क्या यह पुल बनाने की योजना पहले से ही बनी हुई है ? तो पुल निर्माण कार्य में देरी क्यों हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

गांव गंधेली से दासूवाली जाने का पुराना रास्ता, रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी को आर. डी. 108½ पर पड़ता था उसी के अनुसार शुरू के नक्शों में पुल आर. डी. 108½ पर प्रस्तावित किया गया। परन्तु यह स्थान बहुत निचान में पड़ता है अतः रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी यहां पर लगभग 15 फुट की बंधाई में है । अतः इस स्थान पर शुरू के वर्षों में रावतसर डिस्ट्रब्यूटरी 2-3 बार टूट चुकी है । इसलिये यह स्थान पुल बनाने

Page No 41

(राजस्थान नहर परियोजना) के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया है।

(2) रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी की बुर्जी नं. 97 एवं 117 पर पुल बन चुके हैं, अतः काश्तकार इन पुलों को मण्डी में माल ले जाने के लिये उपयोग कर रहे हैं।

(3) उपरोक्त प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के आधार पर प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील सांचोर में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत छोटे बांधों का निर्माण

595. श्री रघुनाथविश्नोई (सांचोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में कई लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत छोटे बांध बंधाने का स्कोप है? क्या यह भी सत्य है कि सिंचाई का सर्वे स्टाफ नहीं होने से ऐसे बन्धों का सर्वे किया जाकर तखमीने तैयार नहीं हो पाए हैं? क्या यह भी सत्य है कि सर्वे के अभाव में लघु सिंचाई बांधों का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्य के रूप में शुरू कराने में कठिनाई पैदा हो रही है? अगर हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है व भविष्य में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) पंचायत समिति सांचोर में लघु सिंचाई बांध कहां कहां बंधाने के लिए जनता की मांग प्राप्त हुई है? क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति सांचोर द्वारा ऐसे बंधों की सूची भेजी गई है? अगर हां, तो वह सूची क्या है? इन बंधों का सर्वे कब तक करा दिया जावेगा?

(3) जिला जालौर में लघु सिंचाई बांधों का कितना स्कोप है? इस स्कोप का पता लगाने के लिए सर्वे स्टाफ लगाने का सरकार ने क्या निर्णय लिया है? क्या यह भी सत्य है कि अकाल राहत कार्यों में सिंचाई कार्यों को प्राथमिकता दी जावेगी? अगर हां, तो जिला जालौर में सिंचाई कार्य शीघ्र ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके लिए सिंचाई का ज्यादा सर्वे स्टाफ सरकार कब तक लगाने का विचार रखती है?

(4) अब कितने ऐसे बांध बंधने बाकी रहे हैं? ऐसे बांध कब तक बंधा दिये जावेंगे?

(5) क्या यह सत्य है कि रतनपुरा एवं गोपी बांधों से रतनपुरा ग्राम की जमीन नहीं रेली गई है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं? अब इस ग्राम की जमीन को रेलाने के लिए क्या योजना तैयार की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

जी नहीं।

(2) पंचायत समिति सांचोर में लघु सिंचाई बांध बनाने के लिए एक सूची 41 कार्यों की अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी। उचित स्थानों पर 16 कार्य शुरू कर दिये गये थे, अब इस पर उचित सर्वेक्षण चालू है जो दिसम्बर में पूर्ण होने की संभावना है।

(3) इस जिले का कुल वाटर पोटेन-शियल 7968 एम. सी. एफ. टी. है।

Page No 42

(सिंचाई मंत्री)

इसमें से 1400 एम. सी. एफ. टी. पानी मौजूदा योजनाओं द्वारा काम में लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1502 एम. सी. एफ. टी. पानी जो योजनाएं हाथ में हैं उनसे काम में लाया जा सकेगा तथा लगभग 246 एम. सी. एफ. टी. बाकी प्रस्तावित योजनाओं द्वारा काम में लाया जा सकता है। बाकी का पानी कन-वेनशनल योजनाओं द्वारा काम में नहीं लाया जा सकता है।

जी हां, अकाल राहत के कार्यों को पूरी प्राथमिकता दी जायेगी। सर्वे के लिए तथा कार्यों को कराने के लिए एक खंड की स्थापना पहले से ही कराई जा चुकी है।

(4) 79 कार्य हाथ में लिए जा चुके हैं, जिनमें 41 कार्य अकाल राहत के अधूरे कार्य हैं। ये समस्त कार्य जुलाई, 74 तक पूर्ण होंगे।

(5) जी हां, क्योंकि ये कार्य अभी अधूरे हैं तथा इनको रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत पूरा करा दिया जाने की सम्भावना है।

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के तालाब

596. श्री नंदलाल (किशनगंज) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में कौन कौन से तालाबों का निर्माण कार्य चल रहा है? सूची देने का कष्ट करें।

(2) किस किस तालाब के लिए कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत हुई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) कौन कौन सा तालाब कब तक पूर्ण हो जावेगा? अब तक कितना कितना कार्य हो चुका है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची 'अ' में अंकित है।

(3) ये सभी कार्य आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर जून, 1974 तक पूरे होने की सम्भावना है। अब तक उन पर जो कार्य हो चुका है वह सूची 'अ' में दर्शाया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

सतवाड़ी ग्राम के लिंक ड्रेन का अधूरा निर्माण कार्य

597. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सतवाड़ी लिंक ड्रेन के निर्माण से ग्राम सांबरैल और ग्राम मूंगसका की अधिकतर कृषि भूमि आबादी से दूर ड्रेन के दूसरी तरफ बह गई है।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ग्रामों के किसानों को अपनी फसलों को, बैलगाड़ियों से ढुलाई करने में बड़ी कठिनाई आ गई है? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग कृषकों की इस असुविधा को महसूस करते हुए पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री मजलिस खां)

(3) क्या यह सही है कि उक्त लिंक ड्रेन सतवाड़ी ग्राम के निकट अधूरी रह गई है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जब तक उक्त अधूरे निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जावेगा, तब तक इस ड्रेन से बाढ का पानी ड्रेन आउट नहीं हो सकेगा ? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि धोलेट डिप्रेशन से जो लिंक ड्रेन हुजरा, कनवाड़ी फतहपुर होती हुई कामां पहाड़ी ड्रेन में मिलाई गई है उससे धोलोट डिपरेशन का पानी ड्रेन आउट नहीं होता है ? क्या यह सही है कि उक्त डिपरेशन से करीब 500 बीघा भूमि बगैर काश्त के रह जाती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामवासियों का कहना यह है कि उक्त डिपरेशन से दूसरी लिंक ड्रेन ग्राम खरवड़ और घाटमीका की सरहद से जब तक निर्माण नहीं की जायेगी । तब तक धोलेट डिपरेशन का पानी नहीं निकल सकता और ना ही उसमें काश्त हो सकती है ? यदि हां, तो उक्त ड्रेन का निर्माण वर्षा काल से पूर्व ही पूरा किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, पुलिया दो तीन महीने में बन जाने की सम्भावना है।

(3) जी हां, वर्षा शुरू होने से पहले इसे पूरा करा दिया जावेगा।

(4) जी हां, धोलेट डिपरेशन का पानी ड्रेन आउट नहीं होता है जिससे लगभग 250 बीघा जमीन बगैर काश्त रह जाती है ।

(5) जी हां, इसका विस्तृत सर्वेक्षण होने पर इस बारे में आगे निर्णय लिया जा सकेगा ।

बून्दी जिले की लघु सिंचाई योजना

598. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग बुन्दी खण्ड के लिए लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सन् 1967-68, 1968-69, 1969-70 व 1970-71 में योजनायें स्वीकृत की ? इन योजनाओं पर हर साल कितनी कितनी रकम स्वीकृत की गई थी और उसमें से कितनी व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, जिनको बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के शुरू किया गया और उन पर कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) बांध अभयपुरा, गुठा गोकुलपुरा व विजयगढ़ की योजना को राज्य सरकार ने कब स्वीकार किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है ।

(2) इस विभाग द्वारा बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कोई कार्य

[(सिंचाई मंत्री)
नहीं करवाया गया है।

(3) सूची 'अ' में अंकित हैं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

लूनी नदी पर कच्चे बांध की मांग

599. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर के नेपड़ क्षेत्र में ग्राम टांपी, ग्राम वरणवा, ग्राम अमीरपुरा सेली व ग्राम रनोदर में लूनी नदी पर मिट्टी के बांध इरीगेशन के लिए बांधने की स्थानीय ग्रामों के काश्तकारों की मांग है? अगर हां, तो क्या सरकार उपरोक्त बांधों की शीघ्र सर्वे करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कच्चे बांधों में बहुत कम खर्चा होगा, एवं हजारों काश्तकारों को इरीगेशन से बेहद फायदा होगा एवं उत्पादन बढ़ेगा? अगर हां, तो ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं कब तक बनाई जाकर पूरी कर दी जावेंगी?

(3) उपरोक्त योजनाओं में अलग अलग कितना कितना खर्चा होगा? क्या इस वर्ष इन योजनाओं को हाथ में लेकर कार्य पूरे करा दिए जावेंगे? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केवल टांपी व ग्राम करणवा के काश्तकारों की प्रार्थना पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। इन बांधों का विस्तृत सर्वे दो माह में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) सर्वेक्षण पूरा होने पर ही यह बताना संभव हो सकेगा।

(3) विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् उपरोक्त योजनाओं की लागत बतलाना संभव हो सकेगा। धनराशि की उपलब्धि पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

अधीक्षक, भेड़ प्रजनन केन्द्र, बाकलिया

600. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या भेड़ व ऊन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि अधीक्षक, भेड़ प्रजनन केन्द्र बाकलिया, जिला नागौर ने दिनांक 22-‍‍ -71 को फार्म पर पाला खरीदने का टेण्डर आमन्त्रित किया था? यदि हां, तो टेण्डर नोटिस कब जारी किया गया और क्या क्या शर्तें थी व किन-किन के टेण्डर प्राप्त हुये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन पार्टीज ने टेण्डर दिया है उनमें क्या रेट आई और किनका टेण्डर मन्जूर किया गया और उसकी रेट क्या है?

(3) बाजार भाव से पाले का मूल्य क्या है?

(4) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो कब और क्या शिकायत थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) उक्त टेण्डर आमन्त्रित करने तथा उनको खोलने एवं ठेका देने में क्या क्या अनियमिताएं पाई गई ?

(6) कितने रुपयों का पाला खरीदने का प्रावधान था ?

(7) गत वर्ष पाला किस भाव में कितने रुपयों का किस ठेकेदार से खरीदा गया था ?

उत्तर

(1) जी नहीं, टेण्डर नोटिस 30-1-71 को राज-पत्र में प्रकाशन हेतु अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजा गया था। टेण्डर के सम्बन्ध में जो शर्तें रखी गई थी उनकी प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' व जिन-जिन टेण्डर प्राप्त हुये उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिए गये हैं।

(2) जिन पार्टीज ने टेण्डर दिया है और उनके द्वारा अंकित की गई दर परिशिष्ट 'ख' में उपलब्ध है। अभी किसी पार्टी का टेण्डर मन्जूर नहीं किया गया है। अतः उसकी रेट का प्रश्न नहीं उठता।

(3) इस समय पाले का मूल्य लाडनूं कस्बे में करीब 14/- रुपये प्रति क्विन्टल है।

(4) इस सम्बन्ध में दिनांक 19-3-71 को भेड़ व ऊन विभाग में शिकायत प्राप्त हुई थी कि टेण्डर नियमित रूप से नहीं दिये गये हैं और बहुत ऊंची दर स्वीकार की गई है। शिकायत की जांच की गई है।

(5) स्थानीय पाला व्यापारियों को नाम-जब टेण्डर नोटिस नहीं भेजा गया टेण्डर खोलने में कोई अनियमितता नहीं हुई, ठेका अभी तक किसी को नहीं दिया गया है।

(6) भेड पेजनम' केन्द्र, बाकलिया पर मेन्टेनेन्स एण्ड रिप्लेसमेन्ट आफ लाइव-स्टोक के हैड में वर्ष 71-72 में रुपये 10,000/- का प्रावधान रखा गया है।

(7) गत वर्ष पाला रुपये 38/- प्रति क्विन्टल की दर से मैसर्स धनराज सिंघवी लाडनूं से खरीदा गया था।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(27-4-71)

भेड प्रजनन केन्द्र बांकलिया का नल कूप

483. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या भेड़ व ऊन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भेड़ व ऊन प्रजनन केन्द्र बांकलिया, तहसील लाडनूं जिला नागौर में नलकूप बनवाया गया था ? यदि हां, तो कब और उसमें कितनी लागत आई, जिसमें क्या क्या कार्य हुआ और पानी की सतह कितनी है तथा प्रति घण्टा जल निकास कितना है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कूप से क्या क्या कार्य लिए जायेंगे ? इस संबंध में कोई योजना बनाई गई हो तो योजना को प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस कुए पर प्रति वर्ष कितना कितना खर्चा आयेगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(21-4-71)

दान में मिले तथा चन्दे से बने भवन

465. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चिकित्सा विभाग में कितने भवन दानदाताओं अथवा सार्वजनिक चन्दे से बना कर समर्पित किये गये हैं ? दानदाता के नाम और लागत मूल्य दर्शाते हुए प्राप्ति के दिनांक सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भवनों में से ऐसे कितने भवन है जो अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी सूची में सम्मिलित नहीं किए हैं जिससे उनकी मरम्मत नहीं हो रही है ? तथा ऐसे कौन कौन से भवन हैं तथा कब से और क्यों सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) जिन जिन जिलों से जिस प्रकार की सम्बन्धित सूचना एकत्रित की गई है उसकी सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है क्योंकि मरम्मत के लिए खर्चे का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक 'पूल' से किया जाता है। जिसका ब्योरा विभाग को नहीं दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित-प्रश्न

(27-4-71)

बड़गांव नदी पर पुल

497. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बड़गांव के पास नदी का पानी व चौड़ा खाल होने के कारण वर्षा ऋतु में एवं उसके दो तीन माह बाद तक बड़गांव के किसान पैदल व बैल गाड़ियों द्वारा अपने खेतों पर व अन्ता पंचायत समिति केन्द्र तक व अन्य गांवों में इस नदी की खाल में होकर नहीं आ जा सकते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस नदी खाल के रास्ते से यातायात को चालू रखने के लिए पुल बनाया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया व्यय होगा और यह कार्य कब तक चालू हो जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :-

(1) जयपुर शहर में हथरोई किला मारवाड़ी कच्ची बस्ती में रहने वालों के साथ नगर विकास न्यास के अधिकारियो के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री विजयसिंह, श्री लादूराम मुसानिया श्री दिग्विजयसिंह, श्री मुवालाल चौधरी, श्री फतेहसिंह, श्री विट्ठलप्रसाद, व श्री बालसिंह सोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने कस्बा दौसा में पानी के संकट को अब तक दूर न करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) तीसरे स्थगन प्रस्ताव की की सूचना श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री दिग्विजयसिंह व श्री विजयसिंह, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि अनुचित रूप से सेवा मुक्त किये गये एग्रो इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों को लेबर कोर्ट द्वारा अस्थायी राहत दी जाने की आज्ञा के उपरान्त भी राहत नहीं दी गई है।

(4) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने जयपुर नगर में सफाई रखने में नगर परिषद् की असफलता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मा. सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी स्थगन पस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई है। ये सूचनाएं इस प्रकार हैः–

(1) श्री मुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने तहसील दूदू में साखून पड़ासोली रोड को पूरा न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री बालसिंह सोढ़ा, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि सीमा सड़क निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा अनियमित रूप से निर्माण करने के कारण सीमा सडक पूर्ण होने से पहले ही टूटनी प्रारम्भ हो जाती है।

(3) श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य, विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें कहा गया है कि बर्षों पूर्व जनता से भारी चन्दा लेकर स्थापित काछोला प्राइमरी हैल्थ सेन्टर (तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा) को वहां से हटाये जाने की योजना चल रही है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना माननीय श्री भेरोंसिंहजी से मिली है और उसी विषय का एक स्थगन-प्रस्ताव माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा नगर में सफाई रखने में जयपुर नगर परिषद की असफलता से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में दी गई है। इन दोनों प्रस्तावों को मैंने एक ही में रख

Page No 48

(श्री अध्यक्ष)
लिया है। राज्य सरकार से जानकारी नहीं आई है और अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानते हुए भी मैं राज्य सरकार को वक्तव्य देने का संकेत देता हूं और वक्तव्य भी राज्य सरकार कल इस सम्बन्ध में देगी।

श्री भैरोंसिंह : है कहां राज्य सरकार ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : बैठी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर मीन्स राज्य सरकार।

श्री भैरोंसिंह : है कहां मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष : आज उनके प्रश्न नहीं थे ··

श्री खेतसिंह : मैं उनका उप मंत्री बैठा हुआ सुन रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह जानकारी आपके लिए है कि ये भीखाभाई के गोद बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय···

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, दौसा में पेय जल की बड़ी समस्या है। उसके संबंध में विधान सभा के सत्र के शुरू में ही इस प्रश्न को उठाया गया था, और यहां तक वह समस्या है कि वहां पर पानी.

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया गया है उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री लादूराम सुलानिया : विचार नहीं कर रहा हूं निवेदन कर रहा हूं····

श्री अध्यक्ष : निवेदन भी नहीं होगा।

श्री लादूराम सुलानिया : आपके द्वारा···

श्री अध्यक्ष : फिर निवेदन और विचार कुछ नहीं होगा जो कि अस्वीकार किया गया है।

श्री लादूराम सुलानिया : आपने अस्वीकार नहीं किया है जानकारी के लिए भेजा है।

श्री अध्यक्ष : फिर विचार नहीं होगा।

श्री लादूराम सुलानिया : एस. डी. एम. की कोर्ट के****

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। इसमें जानकारी प्राप्त की है, माननीय सदस्य माननीय किसी भी नियम की कोई भी सीमा होती है। मैंने जानकारी प्राप्त की है और आपने भाषण प्रारम्भ कर दिया।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, आपने जानकारी के लिए भेज दिया है लेकिन वह वहां पर लोग भूख–हड़ताल पर बैठे हैं ''

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए मैंने भेजा है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपने पहले फरमाया था कि

****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दिग्विजयसिंह))
संबंध में मंत्री महोदय को बुला कर जानकारी कर लूंगा और जो मसला है उसको ठीक करा लूंगा। जब आज तक वहां पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भूख-हड़ताल पर लोग बाग बैठे हैं और स्थिति यह हो जायगी····

श्री अध्यक्ष : इस पर निर्णय लूंगा जल्दी ही।

श्री लादूराम सुलानिया : पानी की समस्या है···

श्री अध्यक्ष ; दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रश्न को उठाया··· (श्री लादू राम के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य!

श्री दौलतराम सारण : बड़ी अध्यक्ष महोदय प्रोब्लम है पानी की····

श्री अध्यक्ष : उस पर राज्य सरकार जानकारी दे या न दे मैं कल इस पर निर्णय ले लूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय यह बड़ा सीरियस मामला है। कई दिन से राज्य सरकार से लिखा पढी कर रहे हैं, और वहां पर एक्शन कमेटी बनी है उसने राज्य सरकार को तार व चिट्ठियां दी हैं और उनका प्रतिनिधि मण्डल भी उनसे मिला है लेकिन वे सुनते नहीं हैं और उन्होंने नोटिस भी दिये···

श्री अध्यक्ष ; माननीय सदस्य, मैंने निवेदन कर दिया कि राज्य सरकार अगर उत्तर भी नहीं देगी तो कल इस पर निर्णय दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, कल इस पर स्टेटमेन्ट दिला दें। यह साधारण समस्या नहीं है। साधारण समस्या पर आप जानते हैं कि हम इस तरह से एजीटेट नहीं करते हैं लेकिन नगर में इतनी गम्भीर समस्या है कि बारबार तार आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं···

श्री अध्यक्ष : मैं गम्भीरता समझता हूं।

श्री विजयसिंह : होस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं है···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर भूख हड़ताल में सभी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, उनमें एक भूतपूर्व मंत्री श्री रामकरणजी जोशी और एक भूतपूर्व विधायक श्री मथुरेस बिहारी और अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ता भी हैं। वहां पर एक्यूट पानी की समस्या है नहीं तो उनके दिमाग खराब नहीं हैं कि यों ही भूख हड़ताल पर बैठ जायं। वहां एक्यूटनेस टू दी एक्टीम पर पहुँच गयी तो उनको यह कदम उठाना पड़ा न तो पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर है और न स्टेट मिनिस्टर हैं।

श्री अध्यक्ष ; मैंने कहा कि जानकारी प्राप्त की गई है। जानकारी आये या नहीं तब भी इस प्रश्न को गम्भीरता को देखते हुए कल निर्णय दूगा। कल मैंने निर्णय देने का कहा तो वक्तव्य आयेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन कर रहा हूं····

अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री लादूराम मुलानियां : आपका निर्णय समाप्ति का · · ·

श्री अध्यक्ष ; समाप्ति का नहीं है । स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्री लादूराम मुलानियां ; · · होता क्या है · · ·

श्री अध्यक्ष ; अंकित न हो ।

श्री लादूराम मुलानियां +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें आप इन दिनों बड़े ही उत्तेजित होते जा रहे हैं माननीय सदयों ने इस प्रश्न की गम्भीरता को व्यक्त किया तो उस गम्भीरता के संदर्भ में मैंने अपना मत प्रकट कर दिया उसके बाद में कोई प्रश्न नहीं उठता है और आप बोलते ही चले जायंगे और अवहेलना करेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया ; अध्यक्ष महोदय, स्टेट इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट के डिसेन्ट्रे-लाइजेशन के संबंध में मेरा और माननीय भैरोंसिंहजी और सतीशजी का था । उस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह कहा था कि स्टेट इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी उनसे मिलने वाले हैं, इसलिए वे प्रस्ताव अधूरे हैं। स्टेट इन्श्योरेन्स डिपार्ट-मेन्ट का शिष्टमंडल माननीय वित्त मंत्रीजी से मिल चुका है और वित्त मंत्रीजी अपने विभाग में जा चुके हैं उसके बारे में · · · · ·

श्री अध्यक्ष ; मैं समझ गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या समझ गये ।

श्री बालसिंह सोढा: अध्यक्ष महोदय, सीमा सड़क के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव था और आपने यह व्यवस्था दी चूंकि वह अविलम्बनीम लोक महत्व का नहीं, इसलिए उसको रिजेक्ट करता हूँ ? उसके बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा अविल-म्बनीय लोक महत्व की नहीं है तो फिर और क्या अविलम्बनीय लोक महत्व का हो सकता है। आज रामगढ़ से सामनिया · ·

रामगढ़ से सामानीया · · ·

श्री अध्यक्ष ; जब पी. डब्लू. डी. के सम्बन्ध में डिमाण्ड थी तो उस पर विश्लेषणात्मक बहस हो चुकी है और माननीय सदस्य ने भी उसमें भाग लिया है ।

श्री बालसिंह सोढा : मैंने भाग नहीं लिया है ।

श्री अध्यक्ष : जब मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है तो कोई स्थिति नहीं रहती है।

श्री बालसिंह सोढा : आपने अस्वीकार किया है वह तो शिरोधार्य है लेकिन देश की सुरक्षा को देख लें । रामगढ़ से सामनियां और बुनोट को जो रोड गई है वह बड़ी महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा के लिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया । आर्डर प्लीज ।

श्री बालसिंह सोढा : सीमा सुरक्षित नहीं है । वह रोड 10 जगहों से टूटी हुई है। आज उस पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। आज अगर कोई हमला हो जाय !

+++अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No 51

श्री अध्यक्ष : आज ही भाषण कर देंगे तो मैं समझ लूंगा कि वक्तव्य हो गया और आपने सवाल पूछ लिये और उसको बन्द कर दूंगा। इसलिए इसको आज आप अवशेष रूप में रहने दें।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने एग्रो-इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के बारे में अर्ज किया था...

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए दिया है।

श्री विजयसिंह : उसमें ऐसा हुआ है हुकुम...

श्री अध्यक्ष : हुकुम कुछ मत करिये। जानकारी के लिए भेजा है। मैं महत्व को समझता हूं।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कच्ची बस्तियों के लिए...

श्री अध्यक्ष : अभी तो आया नहीं है प्रश्न।

श्री विजयसिंह : आया है।

श्री अध्यक्ष : किस रूप में?

श्री विजयसिंह : हतरोई।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए भेजा है।

श्री लादूराम सुलानिया : इस सम्बन्ध में यह बात है...

श्री अध्यक्ष : यह किस सम्बन्ध से पैदा हो गया है।

श्री विजयसिंह : इसलिए पैदा हो गया है कि अमृतलाल के पुत्र जिसको टिल्लू कहते हैं उसने वहां एक लड़के की आंख फोड़ दी और पानी नहीं भरने दिया...

श्री अध्यक्ष : पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और आपने नामकरण संस्कार भी कर दिया। आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : यह बात तो सही नहीं है। उनके पुत्र उत्पन्न हो गया है और उसमें आंख फोड़ने की ताकत पैदा हो गई।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि जयपुर में गंदगी के सम्बन्ध में कल एड जोर्नमेंट मोशन दिया था और मैं समझता था कि सरकार अभी वक्तव्य देगी, लेकिन सरकार नहीं है और माननीय उप मंत्रीजी जैसे हैं वह तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और यह हाउस भी जानता है...

एक माननीय सदस्य : वे भी गायब हैं।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर शहर की इस गन्दगी को लेकर सदन के बाहर कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन हो रहे हैं और यह संख्या दिन व दिन बढ़ेगी और स्थिति एक दिन यह पैदा हो जायगी कि जिसके कारण माननीय गृह मंत्रीजी को खड़े होकर स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में आज किसी समय मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय को बुला कर जयपुर शहर में भयंकर गंदगी है उसकी सफाई किस प्रकार से की जा सकती है और उसमें सरकार किस प्रकार के एफर्ट्स कर सकती है, क्योंकि वह नगरपालिका के ताकत के बाहर की चीज है, वह वास्तव में किसी प्रकार की सफाई की व्यवस्था कर दे, और आप जानकारी लेते रहें तो जानकारी अध्यक्ष महोदय यह है कि मैं आप से मिलने गया था और जिस रास्ते गया था तो एक आफिसर और थे साथ और गलती से मैं स्कूटर पर बैठ गया और रास्ते में हम एक नाली पार कर रहे थे तो नाली पार करने में यहां से लेकर वहां तक सारे कपड़े कीचड़ से भर गये और आपसे मिलना न होकर मुझे फिर से स्नान करना पड़ा। जयपुर के किसी रास्ते में आप चले जायं पानी से भरी नालियां बह रही हैं और गटर लाइन ओवरफ्लो होकर उसमें से पानी निकल रहा है। म्युनिसिपैलिटी किसी प्रकार का काम नहीं कर रही है मैं ज्यादा न कह कर इस प्रश्न की गम्भीरता पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार को बुला कर किसी तरह से इस समस्या का समाधान कराया जाय वर्ना जयपुर की स्थिति वैसे ही खराब हो रही है और भी ज्यादा खराब होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें एक निवेदन इतना है कि कल स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार के किसी भी मन्त्री का पता नहीं है। मन्त्री को, उप मन्त्री को उपस्थित रहना चाहिए। वह ऐसा प्रिज्यूम करके कैसे चलते हैं कि अध्यक्ष महोदय इसको अस्वीकार करेंगे। यह हालत बहुत ही आब्जेक्शनेबिल है। जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, वह प्रिज्यूम करके चलते हैं कि यह रिजेक्ट हो जायेगा।

मैं समझता हूं कि यह बुरी स्थिति है। आज जयपुर में यह हालत है कि बहुत ही मजबूर होकर यह स्थगन प्रस्ताव हाउस में पेश करना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, सड़कों पर गटर लाइन का पानी बह रहा है। कई जगह गटर लाइन और पीने के पानी की लाइन आपस में मिल जाती है। साराशहर सड़ रहा है। पानी बाहर फैल रहा है। इसलिए एडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। प्रस्ताव गम्भीर भी है और महत्वपूर्ण भी है। मैंने जानकारी के लिए भेजा है, लेकिन जानकारी नहीं मिली है। इस पर माननीय मन्त्री महोदय को मैंने संकेत दिया है कि वह स्टेटमेण्ट दें। यह बात ठीक है, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार को जानकारी के लिए भेजा है। परन्तु यह प्रश्न सदन के सम्मुख उपस्थित होने का है। यह जानकारी मन्त्री महोदय को है यह भी मन्त्री महोदय को जानकारी होगी कि उस समय प्रश्नोत्तरकाल में मन्त्री महोदय को उपस्थित होना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं उपस्थिति को अनिवार्य नहीं कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप अनिवार्य नहीं कह सकते हैं लेकिन हमारा तो प्रिविलेज है।

श्री अध्यक्ष : यह संकेत पर्याप्त होगा यह समझें। मैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, आज इसको ले लिया जाये, अगर समय मांग पारित होने के बाद मिलेगा तो। मैं भी राज्य सरकार को संकेत देता हूं। समय विशेष रहने पर।

श्री हरिदेव जोशी : उनको मालूम होगा कि कल स्टेटमेण्ट होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो हाउस में कहा गया है। यह तो अध्यक्ष महोदय की उदारता है जिसका आप नाजायज फायदा उठाते हैं। एडजोर्नमेण्ट मोशन पहुंच गया है। लेकिन मन्त्री भी नहीं हैं, उप मंत्री भी नहीं हैं।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आर्डर क्लोज। आसन पैरों पर खड़ा है।

श्री दौलतराम सारण : पैरों पर क्या खड़ा है····

श्री अध्यक्ष : सदन का समय 5 बजे तक का है। 5 बजे तक पारित हो जानी चाहिए। इसलिए 5 बजे तक पारित हो जायें तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि वह दे सकते हों तो दें। मैंने कह दिया है, यह पर्याप्त होगा।

श्री लादूराम सुलानिया : एक बात मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : राज्य सरकार किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया करती है····

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो।

श्री लादूराम सुलानिया : × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री लादूराम सुलानिया : × ×

श्री अध्यक्ष : यह नई स्थिति पैदा हो रही है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह अन्याय उनके साथ हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि यह अध्यक्ष का ही दायित्व नहीं है। माननीय सदस्यों को नियमों का पालन कराने का यह हमारा ही दायित्व नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कोई बोलना चाहता है तो···

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है आपके मन में तो दूसरी बात है और मुंह से आप दूसरी बात कहते हैं। अब माननीय सदस्य यह कहेंगे तो वह और उत्तेजित होंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्पूर्ण बात कही है। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने पी.सी.सी. को एक जमीन अलाट कर दी है। इस जमीन पर जो गरीब लोग बसे हुये हैं, उनके लिए एक गम्भीर प्रश्न है।

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब तो गम्भीर प्रश्न सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : लेकिन अध्यक्ष महोदय, आदमी जब कन्ट्रोल के बाहर होता है....

श्री अध्यक्ष : अब मैं खड़ा ही रहूंगा। ताकि आप बोल न सकें।

श्री विजयसिंह : आप खड़े रहेंगे तो वह भी खड़े रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखा गया पत्र मैं राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) नियम, 1971 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रम मन्त्री महोदय, आदित्य मिल्स किशनगढ़ के मजदूरों द्वारा हड़ताल का नोटिस दिये जाने सम्बन्धी मामलों पर वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

अरविन्द मिल्स किशनगढ़ के मजदूरों द्वारा हड़ताल के नोटिस के संबंध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य निम्न प्रकार है:-

आदित्य मिल्स किशनगढ़ के व्यवस्थापक को किशनगढ़ मिल मजदूर कांग्रेस द्वारा दिनांक 10-4-71 को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें 40 मांगें थी। इस मांग पत्र में यह नोटिस दिया गया था कि यूनियन इन मांगों की प्राप्ति के लिए दिनांक 26 अप्रेल, 1971 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर देगी। उक्त मांग पत्र पर वार्ता के लिए दोनों पक्षों को दिनांक 22-4-71 को जयपुर बुलाया गया। और श्रम आयुक्त एवं संयुक्त श्रम आयुक्त के समक्ष बातचीत हुई। प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर ने भी समझौता वार्ता विधिवत दिनांक 25-4-71 को प्रारम्भ कर दी लेकिन दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। दिनांक 26-4-71 को प्रातः से मिल के सभी श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। श्रम आयुक्त किशनगढ़ गये और दोनों पक्षों से बातचीत की तथा विवाद को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव दिये। लेकिन फिर भी समझौता नहीं हो सका। अतः पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 26-4-71 को श्रमिक हड़ताल पर चले गये। उस दिन से अब तक पूर्ण हड़ताल चालू है। हड़ताल प्रारम्भ होने के पश्चात् भी प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर ने समझौता वार्ता चालू रखी और दिनांक 2-5-71 को अजमेर में श्रम आयुक्त ने फिर दोनों पक्षों को बुला कर समझौते के प्रयत्न किये। श्रम आयुक्त ने मुख्य मुख्य मांगों को पंच फैसले को सुपुर्द करने का सुझाव दिया है। प्रबन्धक प्रतिनिधि ने अभी तक उनके सुझावों का उत्तर नहीं दिया है। हड़ताल शांति पूर्ण चल रही है। श्रम विभाग द्वारा समझौते के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्रमिकों की मुख्य मांग एक श्रमिक, श्री गणेश को वापिस काम पर रखने की है। जिसको प्रबन्धक ने आरोप लगा कर

Page No 55

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
तथा जांच के पश्चात् अनुशासनहीनता के लिये सेवा मुक्त कर दिया था। श्रमिक संघ इस सेवा मुक्ति को विक्टीमाइजेशन बताते हैं। इसके अतिरिक्त रोलिंग तथा बाईंडिंग खातों के कामगारों के वेतन में सुधार तथा उन्हें न्यूनतम वेतन दिलाने की भी मांगें हैं। यदि इन मुख्य मांगों पर समझौता हो सकता तो शेष मांगों पर बाद में आपसी बातचीत से हल निकालने की सम्भावना है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह किशदगढ़ मिल जो है . . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही पूछे जायेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : इसके मजदूरों की महत्वपूर्ण मुख्य मांगें सिर्फ छः हैं। यह जो छः मांगें हैं, पहले तो एम. के जोशी से इनकी बातचीत हुई तो मिल के प्रबन्धक ने कहा कि जो नोटिस दिया गया है दस तारीख को इस नोटिस को विथड्रा करने की बात हो। एक तो प्रबन्धक की यह हठधर्मी है। दूसरे श्री गणेश है. उनको वापिस नौकरी में रखने का जो प्रमुख प्रश्न रखा है—यह भी वाजिब है। उसने कभी कोई खराब काम नहीं किया, न कानून की अवहेलना की, न किसी को मारा और न यंत्र को बिगाड़ा, और न ही मिल को घाटा पहुंचाने की कोशिश की। क्या यह सही है कि पीने के पानी को व्यवस्था मिल के अन्दर नहीं है? क्या श्रम आयुक्त का यह कर्तव्य नहीं है कि जो रूल्स हैं उनको देखते हुए मिल के एरिया के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध किया जाय? इसके अलावा भी मजदूरों को कई सुविधाओं से वंचित किया गया है। मकानों के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि इक्कीस रुपये का मकान, उसमें उन्होंने एक बीच में दीवार खड़ी करके . . .

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह असंगत होगा कि मांगों के बारे में, मेरिट या डिमेरिट में जाकर हाउस में कोई चीज कही जाय, क्योंकि यह समझौता वार्ता की बात है, जिनके सम्बन्ध में क्या श्रम आयुक्त ने किया, या क्या श्रम आयुक्त को ओर से प्रयास किये गये – यह ऐसी समस्यायें हैं जिनके ऊपर इस सदन के अन्दर विचार नहीं करना चाहिए। मैं तो माननीय सदस्य से एक बात आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का हल नहीं निकले तो क्या माननीय सदस्य चाहेंगे कि इस सारे मामले को ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का महत्व है क्या ?

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, वहां पर सोलह सौ मजदूर हैं . . .

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं. इसकी इम्प्लीकेशन्स को माननीय सदस्य समझते नहीं है, इससे तमाम मजदूरों का नुकसान इस बारे में हो जायगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रिन्सिपल पर हम चलते हैं। पूर्ण हड़ताल चलती है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रिन्सिपल से अलग हट कर कानून का सहारा लेते

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के सामने और चारा नहीं है, तो क्या आप चाहेंगे, यह मामला ट्रिब्यूनल को रेफर कर दें? क्या ऐसा समझते हैं कि मजदूरों की समस्या का इससे हल निकलेगा?

श्री भगवान दास शास्त्री : आप मजदूरों के हित के बारे में संकुचित विचार के हैं। मैं चाहता हूं, कम से कम एक बात आप सुनिये, मिल एरिया में स्कूल है, लेकिन मजदूरों के बच्चों को बाहर शहर में पढ़ने जाना पड़ता है और शहर के बच्चे मिल के स्कूल में पढ़ने आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सूचना है . . .

श्री अध्यक्ष : एक साथ मांग पर प्रश्न कर लें। एक एक मांग को अलग अलग लेंगे, तो जैसा मन्त्री जी ने कहा, बाद में वार्तालाप के वक्त नुकसान रहेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा क्या नुकसान होगा। इसके कारण श्रमिक नेताओं में घोर असंतोष है . . .

श्री अध्यक्ष : सारी मांग टुगेदर ले लीजिये।

श्री भगवान दास शास्त्री : अखबारों में प्रकाशित कराया कि मिल बन्द रहेगी किसकी ताकत है जो मिल बन्द करे। अखबारों में प्रकाशित करा कर यह मजदूरों की एकता तोड़ने का असफल प्रयास है कि मिल बन्द होगी। लेकिन अखबारों में यह प्रकाशित करा दिया। यह नवरंग है, इस अधिकारी ने कानोड़िया की तीन मिल बन्द करा दी हैं। आप कहते हैं कि मैं मजदूरों के हित की बात नहीं करता हूं। यह अधिकारी इस बात पर उतारू है, इसने तीन मिल बन्द करवा दी हैं और अब चौथी बंद करवाना चाहता है। तो क्या आप मजदूरों के हित में सोचते हैं, आप जन प्रतिनिधि हैं . . .

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर में जो लोको वर्कशाप है, सेन्टर का कारखाना है, उसमें भी आप चार्ज शीट की प्रथा को समाप्त कर दीजिये। पहले चार्ज शीट दी जाय, फिर निलम्बित किया जाय। यह चार्ज शीट की समस्या कहां से आ गई। यह मैंने कहीं देखी नहीं।

श्री अध्यक्ष : जितने प्रश्न हैं वह पूछ लीजिये एक साथ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है जो मजदूर काम पर लगे हुए थे गेट को बन्द करके प्रवेश न करने की व्यवस्था की, उनको बेइज्जत किया और कहा कि मत घुसिये अन्दर? दूसरे पहला नोटिस दिया गया, मांग पत्र का, 10 तारीख को मांग पत्र रखा है। उसको मिस्टर जोशी और अधिकारियों के पास पहूंचने के बाद मैनेजमेंट ने यह शर्त क्यों रखी, पहले इसे विथड्रा कर लें बाद में बात कर लें? मैं पूरे प्रश्न कर लेता हूं, बाद में आप उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिये सारे।

श्री भगवानदास शास्त्री : प्रश्न पूछ रहा हूं मिल के अन्दर जो स्कूल है उसमें शहर के मालदार आदमियों के बच्चे पढ़ने आते हैं और मिलके स्कूल में पढ़ने हैं, लेकिन

Page No 57

(श्री भगवानदास शास्त्री)

मजदूरों के बच्चे शहर के स्कूल में बाहर पढ़ने जाते हैं। वहां की सड़क खराब है, सड़क खराब होने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं ? क्या यह सही है कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है ? क्या यह सही है कि सेनीटेशन बिल्कुल नहीं है ? क्या यह सही है कि मि. नवरंग, यह मजदूरों को बराबर तंग करते हैं। कहते हैं कि तमीज नहीं है, तुमने देर से सलाम करा यह सभ्यता है। सभ्य नागरिक के नाते नमस्ते कर सकते हैं, लेकिन यह पुराने जमाने की जीहुजूरी...

श्री अध्यक्ष : आगे चलिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह नवरंग पुराने जमाने की हवा पंजाब से खाकर आये हैं। भी खाकर आये हैं...

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : राजस्थान की हवा खवाओ।

श्री अध्यक्ष : और क्या कृपा करें--यह बता दीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह गणेश है बंसी पुत्र मांगी लाल, एक तीसरे हैं--इनको चार्जशीट देकर 1969-70 और 1970-71 में इनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, उसको वापिस लिया जायगा या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि इस मिल में 51 परसेंट शेयर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : बिल्कुल हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब मैजोरिटी शेयर गवर्नमेंट के हाथ में हैं।...

श्री भगवानदास शास्त्री : शेयर नहीं है, प्रापर्टी है, पैसा लगाया है लोन के रूप में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में डाइरेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से नामीनेतेड हैं, वह मिस्टर मुखर्जी हैं, फाइनेन्स कमिश्नर, जब गवर्नमेंट के नामीनी बोर्ड आफ डाइरेक्टर में हैं, तो इस मामले में समझौता करने के लिए गवर्नमेंट अपने इन्फ्लूएन्स का यू बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स इस्तेमाल करके इस मामले को जल्दी क्यों नहीं निपटा देती ?

श्री केदार नाथ ; पंच फैसले सिद्धान्त को दोनों पार्टियों ने मान लिया है।

श्री भगवानदास शास्त्री ; कुछ नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, परसों मैं अजमेर था, मैंने इस सम्बन्ध में बातचीत की थी कि पंच फैसले के सिद्धान्त को मानले तो झगड़ा समाप्त हो जायेगा...

श्री केदार नाथ : डिमाण्ड पर झगड़ा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा ; डिमाण्ड जितनी चल रही है, मैंने खुद जाकर कोशिश की थी मैनेजमेंट इस बात को सिद्धान्त: मान ले कि आर्बीट्रेशन में सारी मांग को दे दें। उन्होंने कहा कि मैं साहब, टेलीफोन करने वाला हूं, जितने मैनेजिंग डाइरेक्टर्स हैं

Page No 58

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)
उनसे बात करके मैं जवाब दे सकता हूं। कल मैंने प्रयत्न किया था, बात करने का, तो कल भी यही स्थिति थी। उस प्रश्न के ऊपर, जो इन्डिसीप्लिन है उस मामले पर आर्बीट्रेशन नहीं हो, बाकी मांगों के लिए भले ही कर दें। श्रमिकों ने भी इस चीज को प्रेस्टिज का इश्यू बनाया हुआ है, गणेश जो वर्कर है, उसको डिस्मिस किया हुआ है, उस पर फैसला पहले चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसका फैसला हो जाता है तो दूसरी बातों का फैसला होने में आसानी रहती। प्रश्न, माननीय सदस्य जो अजमेर से आने वाले हैं, उन्होंने जो कुछ उठाये, मैं उन मांगों को बहुत गौण मानता हूं, फैक्ट्री में पानी है या नहीं, मिल के वर्कर्स के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वहां पढ़ने दिया जाता है या नहीं- इन मांगों के लिये तो कभी भी बात होकर समझौता हो सकता है। लेकिन जो प्रेस्टिज इश्यू दोनों ने बना रखे हैं, वह एक वर्कर के डिस्मिसल को लेकर हैं। उसको लेकर भी उन्होंने जो इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल को परमीशन के लिए मामला पेश किया हुआ है, मैं सदन के सामने क्या निवेदन करूं, इतने काम्प्लीकेशन्स होंगे ट्रिब्यूनल के पास जाने के बाद, मैं नहीं जानता उसका अन्दाजा आपको है या नहीं। माननीय सदस्य प्राइवेट में बात कर लेते तो अच्छा होता। इससे कई काम्प्लीकेशन्स पैदा होने वाले हैं। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं, जहां कम्प्लीट स्ट्राइक हो, वहां हमको कम्प्लीट बार्गेनिंग को आपरेट करना चाहिए, इसको न करके एक्शन जल्दी ले लिया और बालाबाला नोटिस निकाल दिया और स्ट्राइक को बान कर दिया तो माननीय सदस्य समझेंगे कि उसका क्या नतीजा होने वाला है। मजदूरों का आन्दोलन जो है, जिसके लिए वह लड़ना चाहते हैं, वह इससे फेल हो सकता है। इसके और क्या नतीजे हो सकते हैं इसके सम्बन्ध में प्राइवेट में बात हो जाय, अध्यक्ष महोदय के सामने उनके चेम्बर में बात कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भगवान दास शास्त्री : लीगल नोटिस नहीं दिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : श्रीमान्‌जी, नोटिस है, यह भी इश्यू है।

श्री अध्यक्ष : सारे इश्यू पर आप बात कर लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सारे इश्यू काम्प्लीकेटेड इश्यू हैं, ट्रिब्यूनल में रेफर किये हुए हैं तो अब दूसरा सवाल उठाया जाय कि स्ट्राइक लीगल है या नहीं तो क्या करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : ठीक है।

श्री केदार नाथ : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा।

श्री अध्यक्ष : एक और वक्तव्य है। श्री भगवानदास शास्त्री ने एक प्रस्ताव रखा है गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर सीमा से मिलते हुए जिलों में पाकिस्तान से आए विस्थापितों को खास सुविधाओं से वंचित रखे जाने के बारे में। मैं अभी इस पर वक्तव्य दिलाता हूं, माननीय सदस्य।

पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को राशन पहुंचाने से सम्बन्धित विषय पर वक्तव्य

श्री जयकृष्ण (पुनर्वास राज्य मन्त्री) : बाड़मेर जिले में 50 हिन्दू परिवार शरणार्थी फरवरी-मार्च 1971 में आये थे जो साथ में 56 ऊंट, 25 घोड़े और 30 गायें तथा 25 बकरियां भी साथ में लाए। इन्हीं लोगों के कुछ साथी छः माह पूर्व आ गए थे। इन लोगों को शरणार्थी मान कर सहायता देने के लिए व बसाने की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा व भारत सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया। इसी बीच भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत होने की आशा में राज्य सरकार ने 25 हजार रुपये की स्वीकृति सहायता के लिए दे दी और जिलाधीश बाड़मेर को आदेश दे दिये कि जिन लोगों को सहायता देना आवश्यक हो उनको भारत सरकार के स्वीकृत पैटर्न के अनुसार सहायता दी जाए। जिलाधीश को कैश डोल्स भी बांटने के आदेश दे दिए गए हैं। इन लोगों को एक को अस्थाई कैंप चावडी कलां गांव में लगाया गया है।

100 तम्बू माना कैम्प मध्य प्रदेश से मंगवाये गये हैं जिनकी बिल्टी जिलाधीश, बाडमेर के पास आ गई है। इनके पहले जिलाधीश के पास 30 तम्बू उपलब्ध थे वो दे दिए हैं।

जिला गंगानगर में 23-2-70 से 2-11-70 तक करीब 1244 हिन्दू शरणार्थी समय समय पर बोर्डर क्रास करके आते रहे हैं। ये लोग ज्यादातर ओड जाति के हैं जो मिट्टी का काम करते थे, ये लोग राजस्थान नहर पर अलग अलग काम पर मजदूरी करने लगे। इन लोगों के लिए कैम्प लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। भारत सरकार से उच्च-स्तर पर सम्पर्क स्तापित किया गया है और भारत सरकार ने इन पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए दो लाख रुपये की रकम तदर्थ सहायता के बतौर स्वीकार करने की बात कही है। कैश डोल्स आदि जिन लोगों को सहायता की जरूरत हो उनको भारत सरकार के स्वीकृत पैटर्न के आधार पर दी जायगी।

जैसलमेर जिले में 43 परिवार आए थे। जिलाधीश, जैसलमेर की ओर से सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। उनको लिखा गया है।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था उसमें मैंने साफ लिखा था कि 1965 से लेकर आज तक राज्य सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए क्या क्या कदम उठाये। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1965 की लड़ाई के समय जो शरणार्थी आए थे उनको राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने कुछ मदद जरूर दी। उसके बाद में जितने भी शरणार्थी आए तो राज्य सरकार ने ऐसे आदेश दे दिए कि इनको शरणार्थी लिस्ट में नहीं लिया जाए। इस प्रकार से बाड़मेर जिले के

Page No 60

(श्री बालसिंह सोढा)

ओहटन में करीब 7 हजार से ज्यादा लोग आए। किनको एलाटमेंट जरूर हुआ, परन्तु वहां तहसीलदार और विकास अधिकारी कह रहे हैं कि आपको एलाटमेंट नहीं किया जाएगा, आप आगे नहीं जायेंगे, आपको ताशकंद वार्ता के अन्तर्गत वापस भेजा जायगा। इस प्रकार करीबन 100 एलाटमेंट्स तहसीलदार द्वारा कैंसिल की गई अब जो आपने बताया कि केंद्र से सम्पर्क स्थापित किया गया है तो मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि उनको स्थायी तौर पर बसाने के लिए राज्य सरकार क्या योजना बना रही है। गंगानगर में एक हजार लोग आए हैं, मजदूरी तो करते हैं परन्तु स्थाई तौर पर बसाने के लिए राज्य सरकार क्या योजना बना रही है? बाड़मेर में जो आए हैं उनमें कुछ राज्य कर्मचारी भी थे उनके लिए राज्य सरकार नौकरी देने या और रूप से प्रेफरेंस देने की क्या योजना बना रही है?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, शरणार्थियों में किसान भी हैं, कर्मचारी भी हैं। जिनके लिए आपने ओह कहा है परन्तु मैं आपसे कहता हूं कि ये बर्तन बनाने वाले, जिनको कुंभार कहते हैं। उनके लिए आप जिस तम्बू की बात करते हैं, क्या वे सर्दी और गर्मी में पर्याप्त हैं?

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(12.55 म. प.)

जो पैसा राज्य सरकार की तरफ से सहायता के रूप में चाहे 5 लाख चाहे 10 लाख दी गई है उनसे कुछ छोटे से केबिन्स सिस्टम के अनुसार 200-200 गज, 100-100 गज जमीन देकर फिलहाल अपने बच्चों की सुरक्षा तो कर सकें, ऐसी आप व्यवस्था करें। कैश में उनको दे दें क्योंकि 1947 से लेकर कैंप का सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। यहां के व्यवस्थापक और कर्मचारी खुद खा जाते हैं, 25 प्रतिशत पैसा जनता को मिलता है। आज विशेषकर जो पाकिस्तान की स्थिति है, जैसे वहां डाक्टर था उनकी पत्नी की करीबन 5 लाख रुपये की जमीन थी, उसको अपने पजेशन में लेकर उनको वापस निकाल रहे हैं तो पश्चिम पाकिस्तान में एक लाख से ज्यादा हिंदू नहीं रहे जो भी वहां हिंदू हैं उनके बारे में एक आध महीने में पूरी सूचना मिल जाएगी। आपने कहा थोड़े है। कम से कम 5 हजार शरणार्थी जो विशेषकर बाड़मेर साइड में आए उनमें हरिजन भी हैं, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान सरकार ने हरिजनों को रोक रखा था कि अगर ये चले जायेंगे तो सेनीटेशन का काम कौन करेगा। तो हरिजनों ने भेष व जाति बदल कर हिंदुस्तान में प्रवेश किया। तो हरिजनों को बसाने की कोशिश यदि हमारी सरकार ने नहीं की तो वे भूखों मर कर वापस पाकिस्तान चले जायेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे उसके बाद खाने की व्यवस्था के बारे में निवेदन है कि मैं ठेकेदारी प्रथा में विश्वास नहीं करता। जो ठेका आप देते हैं, वे ठेकेदार नेताओं के नेता हैं जो, खून चूसने वाले हैं, आप कैश में चाहे एक

(श्री भगवानदास शास्त्री)
परिवार को एक हजार रुपये दें, 2 हजार दें, पांच हजार दें, यह राज्य सरकार का पुनीत कर्तव्य है । जहां-जहां आवश्यकता है, खेती के योग्य हैं तो उनको खेती पर लगायें और कर्मचारी हैं तो नौकरी दें । उसके सिवा स्पेशल कोष से, जैसे मुख्य मन्त्री कोष है, उसमें से आप कुछ धनराशि उनको दिलवा दें ताकि शरणार्थियों को पर्याप्त मात्रा में सहायता मिल सके और वे अपने बच्चों की भी पढ़ाई कर सकें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें ।

इनको चावल उबले हुए जो मिलते हैं उनमें कीड़े हैं, गेहूं में पत्थर हैं लाल गेहूं में और सब्जी में तीन-तीन दिन की सड़ी हुई वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, दूध और चाय की बात तो छोड़ दीजिए...

श्री जयकृष्ण : जरा बता तो दें ।

श्री भगवानदास शास्त्री : इसलिए जो सहायता उनको दें, मेरे कहने का मतलब है कि कैश में दें । 1947 में शायद आप मन्त्री नहीं थे, भारत स्वतन्त्र हुआ था, आप और हम छोटे होंगे, उन दिनों की स्थिति का आपको पता नहीं । अगर एक दिन भी आप कैम्प में रह जाएं तो वहां सभ्यता और संस्कृति क्या रहती है, कैसे उन लोगों को रहना पड़ता है, कोई एक अच्छे घराने का व्यक्ति कैम्प में एक दिन तो क्या एक घंटा भी रहना पसंद नहीं करेगा शरणार्थियों की संख्या 30 लाख तक पहुंच चुकी है । जो पूर्व बंगाल से आये हुए शरणार्थी हैं लाखों की संख्या में उनको आप कैसे बसा पायेंगे ? उसके साथ साथ पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं जैसलमेर बाड़मेर, इनको बसाने का तरीका आपका यही होगा ? जिस जिलाधीश महोदय को स्वाभिमान है, पुलिस अधिकारी को स्वाभिमान है, मुझे पता नहीं था, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत जहां फौज घुसी है वह वापस चली जाएगी । उस घोषणा के अन्दर सीमा तो वापस दे दी, कायरता और नपुंसकता का वातावरण जो तय हुआ, उसको अधिकारीगण क्यों सामने लाते हैं यह शर्म की बात है मेरी राज्य सरकार से मांग है कि कैश के रूप में एक धनराशि एक साथ देकर उनको बसाने के लिए खेती में या नौकरी में लगा दें जिससे उनको अच्छी तरह से बसाया जा सके क्योंकि केन्द्रीय सरकार छोड़ेगी नहीं । पूर्वी बंगाल के लोगों को खपाना पड़ेगा । पश्चिमी पाकिस्तान के साथ लगे हमारे बोर्डर के अजमेर और जैसलमेर में उन लोगों को बसा दें और कार्य पर उनको लगा दें ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के रूप में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या बंगाल से आने वाले रिफ्यूजीज और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करने के सम्बन्ध में अलग अलग नीतियां हैं और यदि अलग अलग नीतियां हैं तो उनका आधार क्या है ? नम्बर एक ।

अब बाड़मेर जैसलमेर में शरणार्थी पश्चिमी पाकिस्तान से आदे हैं उनके स्थायी आवास के लिये कोई योजना बनाई है और

(श्री भैरोंसिंह)

उसको क्या भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ! नम्बर दो ।

नम्बर तीन जैसलमेर में शरणार्थी आये हैं । जिलाधीश ने कोई योजना उपस्थित नहीं की । क्या आप यह जानते हैं कि उन शरणार्थियों में अधिकांश भील हैं, जिनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, उन्हें रिहेबिलिटेशन की सहायता देने के लिये कलेक्टर ने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी है इस पर राज्य सरकार को क्या कहना है ?

यह भी कहना चाहूंगा कि शरणार्थियों में जो यहां आये हैं उनमें कर्मचारी हैं और उनको राज्य सेवा में लेने के लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? आपको जानकारी होगी कि सन् 1965 में जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, पटवारी और दूसरी सर्विसेज के लोग आये तो उनको एम्पलोयमेन्ट नहीं मिला, तो उनको एम्पलोयमेन्ट देने के लिये सरकार की क्या पोलिसी है ?

अन्त में यह भी जानना चाहूंगा कि उनको नागरिकता के अधिकार मिलें इस ओर राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

राज्य मन्त्री, पुनर्वास (श्री जयकिशन): जैसलमेर से आये माननीय सदस्य ने बताया कि शरणार्थी आये उनको सहायता दी गयी और बाद में नहीं दी गयी यह बात सही है । ताशकन्द घोषणा के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच एक महादा हुआ था, उसके बाद कोई भी शरणार्थी जो हिन्दुस्तान में आये उनको भारत सरकार ने इमदाद देना बन्द कर दिया । जिनको हमने इमदाद दी वह यह किया कि जमीन अलाट कर दी और की जा रही है । जमीन अलाट करने की बात है अभी बाड़मेर में की गयी है और यह चल रही है । जैसलमेर से कोई योजना नहीं आई । ताशकन्द घोषणा का सवाल था नहीं । इतने आ नहीं रहे थे । पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त आये उनको बसाने की योजना थी । अब एक नयी बात चली है । पाकिस्तान के बंगाल में । इस वजह से पाकिस्तान में चुनाव हुए, उस अवसर से ही कुछ लोग बाड़मेर जैसलमेर और उधर के जिलों में आये और उसके लिये हमने भारत सरकार को लिखा कि हमारे यहां जो कुछ पुरुषार्थी पाकिस्तान से आये हैं उनको सहायता दी जाय और भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में विचार विमर्श हुआ और 25 हजार रुपया उनको दिया केश में और केश डोल दिया गया । माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हें केश दे दिया जाय और व्यवस्था न की जाय और नकदी दे दिया जाय । मैं जानकारी के लिये कह दूं कि भारत सरकार के पेटर्न पर जो सूक्ष्म राशि है वह हम ज्यादा से ज्यादा देंगे । वह है तीस रुपया । चांवल देते हैं 57 पैसे फी किलो ग्राम के हिसाब से जो मार्केट में नहीं मिल सकता है । और भी सुख सुविधा देते हैं । भारत सरकार के पेटर्न पर देते हैं । यदि उनको केश दे देंगे तो जो सुख सुविधायें उनको मिलनी चाहिये वे नहीं मिल सकेंगी । राजस्थान का ही सवाल नहीं है । पुरुषार्थी भाई भारत वर्ष के दूसरे प्रान्तों में भी आये हैं और सब जगह काफी हैं । इसलिये उसी पेटर्न पर चलना होगा जो भारत सरकार

(श्री जयकिशन)

का पैटर्न है। इसलिये उनको जो कुछ देने का सवाल है मैं समझता हूं कि उनके हित में है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सड़े हुए चावल दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह तथ्य सही नहीं है। कोई भी पुरुषार्थी आता है तो कैम्प में रखा जाता है, उसको दो दिन गीला राशन दिया जाता है और बाद में सूखा राशन दिया जाता है। किसी को भी बाध्य नहीं किया जाता है कि पके हुए चांवल लें। उनको गलत इन्फोर्मेशन दी गयी है। मुख्य मंत्री के द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में कहा। पचास हजार रुपया देवली कैम्प को दिया है, 5 हजार रुपया धार्मिक संस्कार करने के लिये, इस प्रकार 55 हजार रुपया इसी हाउस में घोषणा करके देवली कैम्प के पुरुषार्थियों को दिया गया है और जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया जावेगा और सहायता भी मिलेगी। राजस्थान सरकार यह नहीं चाहती है कि कोई पुरुषार्थी राजस्थान में आये और वो किसी प्रकार दुख में रहे और उसको सुख सुविधा न मिले। हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है और उनको उद्योग धन्धा दिलाने में हम पूरी कोशिश करेंगे, और कर रहे हैं। थोड़ा मैं जानकारी के लिये कह दूं कि देवली कैम्प में जितने पुरुषार्थी हैं उनको उद्योग धन्धों में लगाने के लिए कोटा में जितने उद्योग हैं उनको लिखा गया किन्तु भाषा की जानकारी न होने के कारण और ऐसा काम न करने के कारण वे उनमें नहीं जाना चाहते हैं। हमने उन्हें यह भी कहा है कि उनके पास सर्टिफिकेट आदि हों तो हमें दें तो राज्य सरकार भी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जा सके ताकि उनको सर्विसेज मिल सकें। बहुत को सर्विस में लगाया गया है जो देवली कैम्प में आये। जो वहां सरकारी सर्विस में नहीं थे उनको मिले और बसाने के लिए हमने योजना बनायी है कि उनको उद्योग धन्धों में लगाया जाय और खेतीबाड़ी में लगाया जाय। लगाया भी गया है। यह हमारा लगातार प्रयास है। जैसलमेर से आये माननीय सदस्य का एडजोर्नमेन्ट मोशन पहले से ही था। भारत सरकार से हम दो लाख रुपया सहायता के रूप में देने के लिये निवेदन कर रहे थे। अब उस बात में न पड़ कर मैं यह सूचना दे रहा हूं और यह कह रहा हूं कि भारत सरकार की ओर से दो दिन पहले ही दो लाख की सहायता आयी है। इसलिये पुरुषार्थियों को जो बाडमेर और जैसलमेर में आये हैं उनको कैश डोल दिया जावेगा उनको बसाने की व्यवस्था की जावेगी। इतना बड़ा सवाल, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सन् 45 में आपने देखा होगा कि, यह कहा कि मैं भी उस समय बच्चा होऊंगा और माननीय सदस्य भी होंगे, '47 में पाकिस्तान हिन्दुस्तान बने। उस समय मेवों को बसाने के लिये एक अधिकारी की पोस्ट बनी थी और दूसरे लोग काम करते थे। मैंने भी मेवों को बसाने में काम किया है। मैं जानता हूं कि पुरुषार्थियों को बसाने में क्या दिक्कतें हैं। जो बेघरबार हो गये हैं उनको क्या दिक्कतें आती हैं। उसका मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। आज इस विभाग के मंत्री, मंत्री की हैसियत से काम कर रहा हूं लेकिन मैंने उस समय एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया है। मेरी पूरी जान-

Page No 64

(श्री जयकिशन)

कारी है बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर में आये हुए पुरुषार्थियों की ओर मेरी सबके साथ सहानुभूति है। जब मैं गंगानगर के दौरे पर गया तो मैंने गंगानगर के कलेक्टर को बुला कर आंकड़े इकट्ठे कराये कि कितने शरणार्थी आये हैं जो कि पाकिस्तान बोर्डर को क्रोस करके आये हैं। उसी आधार पर मैंने कहा कि इतने शरणार्थी आये हैं। उनको बसाने की कार्यवाही के लिए कहा। आप चाहे मिट्टी खोदने वाले कहें, ओड जाति के राजपूत कहते हैं वे अपने को। मैंने उनको ओड़ राजपूत बताया। आप ज्यादा जान सकते हैं, उधर आप रहते हैं। एक जगह नहीं हैं। पांच कहां दस कहां काम कर रहे हैं। उनके आंकड़े मंगवा करके योजना बनाने की कार्यवाही चल रही है। अभी तक वे अलग जगहों पर हैं और यह जो नई शुरुआत हुई है उसमें काफी संख्या में लोग आये हैं। इसके लिए भी कोई योजना भारत सरकार के साथ मिल कर तय करनी है। माननीय सदस्य, जो जयपुर से आये हैं उनको जानकारी दे दूं कि इस बारे में भारत सरकार व राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से चिन्तित हैं और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि पुरुषार्थियों को स्थायी तौर पर कैम्प की तरह जैसे बंगाल के शरणार्थियों को देवली कैम्प में बसाया गया है, उनको भी बसाया जायगा चाहे वह जैसलमेर में हो, बाड़मेर हो। इसके लिए प्रयास चल रहे हैं इसी प्रकार से गंगानगर है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि हम इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं और उन लोगों को जो यहां पर आये हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने का राजस्थान सरकार भरसक प्रयत्न करेगी। जैसा कि माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि बंगाल से जो शरणार्थी आये और पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं उनको बसाने के बारे में राजस्थान सरकार की क्या नीति है? राजस्थान सरकार की नीति सब के लिए एक ही है। पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं उनको भी बसाया जायेगा। अब अलग नीति से काम नहीं ले सकते। उस समय हमारे यहां से भी कुछ अल्पसंख्यक लोग वहां गये थे और उनकी प्रोपर्टी यहां पर रही थी। वह सम्पत्ति हमारे यहां थी। इसलिए उन दिनों में हमको यह नीति अपनानी पड़ी थी। अब हमारे यहां पर जो आ रहे हैं उन के लिये हम एक ही नीति अपना रहे हैं। इसलिए अब उनको बसाने की नीति में कोई भेद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि बंगाल से जो आये हैं उनको आपने देवली के एक कैम्प में बसाया है और पश्चिम पाकिस्तान से जो बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर में आये हैं उन लोगों के रिहैबिलिटेशन के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार और राजस्थान सरकार की नीति एक है और क्या भिन्नता है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोई भेदभाव नहीं है। जो पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं उनको भी हम शरणार्थी मानते हैं और उनको भी बसाया जायगा।

श्री रामकिशन : गोकुलप्रसाद जी को क्या मानते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा देवली के सम्बध में

श्री उपाध्यक्ष : पहले का जवाब दूसरा था ?

श्री भरोंसिह :उपाध्यक्ष महोदय ने सह कहा हैं । इसके बारे में मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा । देवली के सम्बन्ध में चर्चा गत सत्र में हुई थी और आपने जो व्यक्तव्य दिया था वह इससे भिन्न था और उस समय मुख्य मन्त्री महोदय ने 55 हजार रुपये अपनेफण्डसे देने की घोषणा की थी । उस समय आपने कहा था बगांल से जो शरणार्थी आ रहे हैं और पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको बसाने के सम्बन्ध में नीति अलग 2 है और हमने भारत सरकार को लिखा है। अब आप कह रहे हैं कि नीति एक ही है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : पहले जो उत्तर दिया था उस समय स्थिति अलग थी। उस समय बंगाल से आने वाले शरणार्थी और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के बारे में ऐसी स्थिति हो गई थी। इस सम्बन्ध में अब मेरी बात भारत सरकार से हो गई है और जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है जैसलमेर, बाड़मेर में जो शरणार्थी आये हैं उनको भी केशडोल दिया जायेगा और उनका भी पेटॅन वही होगा जो देवली कैम्प का रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी को भी पक्के कैम्प में बसाया जायेगा । भारत सरकार ने दोनों के लिए एक ही नीति तय कर दी है और अब कोई भेद नहीं है। जिस समय वक्तव्य दिया था उस समय स्थिति वैसी ही थी।

श्री बार्लसिह सोढा : चौहटन तहसील में जो शरणार्थी आये हैं उनको जो अलाटमेंट किया गया था वह तहसीलदार ने कैन्सिल कर दिया है यह कह कर कि आपको ताशकन्द वार्ता में वापिस भेजेंगे । क्या आप इसको एग्जामिन करेंगे ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने कहा है कि पहले इस बात को उठाया था। ताशकन्द वार्ता के बाद कुछ ऐसा ही रुख भारत सरकार का था परन्तु बाद में ऐसी बात हुई है और जैसा कि अभी माननीय सदस्य को मैंने बताया है वह नीति तब्दील हो गई है। अगर ऐसी कोई बात है तो वह मुझे बतावें। मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और जो शरणार्थियों को सहायता दी जा सकती है वह व्यवस्था की जायेगी।

श्री भगवान दास शास्त्री : चौमासा नजदीक है। उनकी आवास व्यवस्था के बारे में सरकार का कौनसा कदम होगा। आपने कहा है कि दो लाख रुपया है तो क्या आवास व्यवस्था जल्दी करा देंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने जैसी कि जानकारी दी है देवली कैम्प की तरह उनको पक्के तम्बुओं में बसाया जाये और उसके अन्दर वह सभी व्यवस्था कर देंगे। जो भी सुविधा देंगे वह जल्दी से जल्दी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री केदारनाथ : जो गंगानगर में राजपूत, सांसी, मेघवाल आये हैं, तो वे अनुसूचित जाति के हैं। जो अलाटमेन्ट के रूल्स बने हैं उसमें जिसका काश्तकारी का पेशा है उसके लिये अलाटमेन्ट की बात है।

(श्री केदारनाथ)
तो क्या सरकार उनके लिये रूल्स में अमेन्डमेन्ट करने के लिए तैयार है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : रूल्स को रिलेक्स करने की बात दूसरी है लेकिन जो भी पुरुषार्थी आये हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिये ताकि उनको बसने में सहायता मिल सके। मैं समझता हूं कि मानवता के प्रश्न पर चाहे किसी रूल्स को रिलेक्स करना पड़े जो जरूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार। माननीय मंत्री महोदय।

मांग संख्या 23

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप मन्त्री, पंचायत विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37, सामुदायिक विकास परियोजनाये, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,26,22,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 44,

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप मन्त्री, पंचायत विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124, सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,85,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 23 व 44 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

श्री हरिवल्लभशर्मा (सवाई माधोपुर):

मांग संख्या 23

1. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों में रखे जाने सम्बन्धी नीति का अनुमोदन)।

2. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामु विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों के पास कोई काम न होते हुए भी उन्हें कायम रखने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

3. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत इन मांगों को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (न्याय पंचायतों के वर्तमान स्वरूप रखने सम्बन्धी सरका की नीति का अननुमोदन)।

. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामु ायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (जिला परिषदों को शक्तिहीन बना देने सम्बन्धी नीति का अननुमोदन।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

5. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा अनुदान राशि बांटने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत को सार्थकताहीन बना देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास अधिकारियों एवम् पंचायत समितियों के अन्य अधिकारियों के स्थानांतर की वर्तमान प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक आधार पर भ्रष्ट सरपंचों, प्रधानों एवं प्रमुखों को सरकार द्वारा संरक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों द्वारा विकास सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

10. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन्नत बीज खरीद वितरण पंचायत समितियों के माध्यम से करने एवम् सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप संबंधो चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में जीपों के दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

12. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सवाई माधोपुर एवं खण्डार के वर्तमान विकास अधिकारियों को पंचायत समितियों के सर्वसम्मत आग्रह के बावजूद स्थानान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (पन्चायत समितियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक जिले में पंचायती राज की गाड़ियों का जिला हैडक्वार्टर पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 23

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) 15. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय स्थानीय विकास कार्यों हेतु सामुदायिक विकास विभाग को दी जाने वाली राशियों के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन।

मांग संख्या 44

16. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर। 1 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार पर पूंजी नियोजन के सिद्धान्तों के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 23

17. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की सामुदायिक विकास परियोजनाओं को असफल बनाने की जिम्मेवारी सरकार की है, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

18. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलायी जा रही स्कूलों के अध्यापकों को मेडिकल बिल निजी आय में से अदा किये जाने संबंधी सरकारी निर्णय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

19. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124– सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (खाद्यान्न का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में न लेने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

20. श्री नंदलाल बैरवा (पाटन) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जाने वाली प्राइमरी स्कूलों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों को विशेष आय का साधन जुटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा लगाये गये शिक्षा कर पर चर्चा के लिए)।

23. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-समुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा चलाई जाने वाली स्कूलों में

(श्री नन्दलाल बैरवा)

अध्यापकों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आधीन पंचायत समितियों को विशेष अनुदान दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की पंचायत समिति केशोरायपाटन द्वारा किये गये अधूरे कार्यों को पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में पंचायत समितियों द्वारा गांवों में पीने के पानी के कुए पूरे नहीं करवाये जाने पर चर्चा के लिए)।

27. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं के कार्य संचालन हेतु आवश्यक आमदनी नहीं होने से वांछित कार्य नहीं किये जा सकने सम्बन्धी स्थिति पर चर्चा के लिए)।

28. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पंचायत समितियों को विशेष बजट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की पंचायत समिति केशोरायपाटन में पीने के पानी के अधूरे कुओं को पूरा करने के लिए अनुदान नहीं दिया, उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

30. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार को खाद्यान का व्यापार अपने हाथ में नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

31. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्यान के घटते हुए अनाज के भावों को नहीं रोके जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 23

32. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतें अर्थ के

Page No 70

(श्री हंसराज आर्य)

अभाव में फेल हो गई हैं, मृत प्रायः रह गई हैं, उनके पास आय का साधन नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

33. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37— सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का आपस में तालमेल नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, इस पर चर्चा के लिए)।

35. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37— सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों की इस समय कोई उपयोगिता नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37— सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के पास आय के साधन के अभाव में वे प्रायः निष्क्रिय सी हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37— सामुदामिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पंचायत समितियों की जीपों का बड़ा भारी दुरुपयोग होता है एवं उन जीपों की देखभाल नहीं होती है, इस पर चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों को जो धनराशि विकास कार्यों के लिए दी गई थी उसका सही उपयोग काफी ग्राम पंचायतों में नहीं हुआ है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

39. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124— सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्य निगम द्वारा रोडवेज के माध्यम से जो खाद्य पदार्थ खरीदा जा रहा है उसमें बड़ा भारी घोटाला है, इस चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 23

श्री गंगासहाय (कठुमर) :

40. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37— सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों की उपयोगिता पर चर्चा के लिए)।

41. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें

Page No 71

(श्री गंगासहाय)
आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कठुमर पंचायत समिति करोड़ी कुण्डबांध, सौंखली बांध की उपयोगिता, शिक्षकों के मनमाने ढंग से स्थानान्तरण, जीप का दुरुपयोग, कृषि फार्म उपयोगिता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

42. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं का समय पर व सस्ते दर पर न मिलना, बीज खरीद में पक्षपात तथा दुग्ध योजना में गड़बड़ी पर चर्चा लिये)।

मांग संख्या 23

43. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियाँ एवं जिला परिषदें वर्तमान व्यवस्था के तहत पंगु हो गई है और विकेन्द्रीकरण के स्थान पर राज्य शनैः 2 सत्ता का विकेन्द्रीकरण करता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

44. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124– सरकारी व्यापार की योजनायें पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय व्यापार योजनाएं निरन्तर घाटे में चल रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

45. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में विकास कार्यों पर कम धनराशि दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

46. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों व पंचायत समितियों व जिला परिषदों को कमजोर बना रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

47. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को बन्द करने, जीपें हटाने, पंचायत समितियां से शिक्षा हटाने और इनसे कृषि फार्म ले लेने के बारे में चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को तुरन्त बन्द करने, टी टायर सिस्टम चालू करने

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
व शिक्षा पंचायत समितियों से अविलम्ब ले लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

49. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनायें पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में कठोर अनुशासन तथा नियन्त्रण रखने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 23

50. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में विकास के लिये रुपये नहीं हैं, जिससे स्टाफ बेकार बैठा रहता है, इस पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति की जीपों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों व पंचायत समितियों में खाद बीज निर्माण आदि की बकाया पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

53. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत बनेठा, जिला टोंक, के एक सरपंच पर गंभीर आरोप व अनियमितताओं के प्रमाण साबित होने पर भी, कोई कार्य न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत ककोड़ जिला टोंक के एक सरपंच को राज्य सरकार, द्वारा गबन इत्यादि साबित होने पर भी पृथक नहीं किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पंचायत समितियों को अविलम्ब समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

56. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पंचायत समिति व जिला परिषद् के द्वारा किये जा रहे विकास के कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37– सामुदायिक विकास परियोजनायें

(श्री नाथूराम)
आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज में दलबन्दी में विकास कार्यों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

58. श्री कल्याण मल (जहाजपुर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेती की पैदावार बढाने में लोकतान्त्रिक संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

59. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजना दोष पूर्ण है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री पृथ्वीसिंह (वाली) :

मांग संख्या 23

60. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिव की योजना की पूर्ण रुपेण असफलता के बाबत चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा अध्यापकों को वेतन समय पर उपलब्ध नहीं करने बाबत चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुमेरपुर सरपंच के विरुद्ध चल रही जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुमेरपुर पंचायत के भूमि विक्रय के अधिकार समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुमेरपुर पंचायत द्वारा ग्राम में रोड़ लाइट एवं सार्वजनिक नलों की अव्यवस्था के बाबत चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुमेरपुर पंचायत में बने मास्टर प्लान की अवहेलना करने बाबत चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुमेरपुर पंचायत समिति से ग्राम सेवकों के स्थानांतरणों के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री पृथ्वीसिंह)

67. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (सुमेरपुर पंचायत समिति में विकास अधिकारियों की नियुक्ति बाबत चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली पंचायत समिति को पंचायत सिवतलाव के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायतों की जांच बाबत चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पंचायत समितियों, न्याय पंचायतों की असफलता के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) :

मांग संख्या 23

70. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज की ओर राज्य सरकार के उदासीन एवं उपेक्षा पूर्ण रवैये एवं पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोकतन्त्र सुदृढ़ बनाने हेतु पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

72. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 184 सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटे अनाज विशेषत: बाजरा के भाव अधिक गिर जाने के किसानों में भयंकर असंतोष है। अत: राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज को उचित कीमत में खरीद कर किसानों को राहत पहुंचाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

73. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में विभाग द्वारा किये जाने वाले अनुचित काम व फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

74. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की पंचायत समितियों के अधीन आने वाले कृषि फार्म में बढ़ती अनियमितताओं व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

Page No 75

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

75. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों द्वारा फैलाये गये भ्रष्टाचार व धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

76. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय सरकारी कारखानों में होने वाले नुकसान व फेल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 23

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :

77. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास विभाग द्वारा जारी किये आदेश में भेडबन्दी में 75 प्रतिशत कर्जा, के स्थान पर सेन्ट परसेन्ट अनुदान की व्यवस्था करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) :

78. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को समाप्त करने के विषय में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

79. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (सरकार की अव्यवहारिक व्यापार नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 23

80. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों में ओवरसियर्स के अभाव में अपूर्ण कार्य विलम्ब से पूर्ण होने पर चर्चा के लिये)।

(वि. सं. 56) प्रस्ताव करेंगे कि :–

मांग संख्या 23

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) :

81. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के समय पर चुनाव न करवाकर उन्हें अधिकार नहीं, साधनहीन एवं निष्क्रिय करके पंचायत राजव्यवस्था एवं सामुदायिक विकास में जनभावना को हानि पहुंचाई है तथा पंचायतों की स्थिति दयनीय कर ली है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

82. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर

(श्री दौलतराम सारण)
पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं के निर्माण, संचालन, पर्यवेक्ष में दूर दर्शिता, स्पष्ट चिंतन, समुचित व्यवस्था के अभाव के कारणों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 23

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) :
83. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज्य को मजबूत बनाने तथा उसे और अधिक अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) :
84. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक आधार पर जिला झालावाड़ के भ्रष्ट सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिवा जाय (ग्राम पंचायत गुराड़िया कलां, समिति डग, जिला झालावाड के सरपंच के विरुद्ध गबन का आरोप सिद्ध होते हुए भी पिछले दो साल से कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सलोतिया पंचायत, जिला झालावाड के एक भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच केवल उनके उप-मन्त्री बन जाने के आधार पर नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :
87. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने व उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

88. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटे अनाज के भावों को स्थिर रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) :
89. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सामुदायिक विकास कार्यों को विशेष प्रगति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

(श्री भगवानदास शास्त्री)

90. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास योजनाओं में लगी धनराशि को लेप्स होने से रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

91. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकरण के बाद आय के साधन अधिक होने पर भी विशेष लाभ नहीं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

92. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर द्वारा बिजली के खम्बे लगाने पर किये गये गलत व्यय पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर द्वारा जीप मरम्मत के नाम पर गलत खर्चा करने पर चर्चा के लिये।

94. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं द्वारा दिनाङ्क 81.3.70 की अवशेष राशि राज्य कोष में जमा नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर, की गाड़ियों को जिन्हे निजी कार्य में लेने, व्यर्थ पेट्रोल खर्च करने तथा फर्जी लाग बुकें भरने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा ट्रंक-काल के नाम पर फालतू खर्च करने पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर, द्वारा स्वागत समारोह के नाम से गलत खर्च करने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर द्वारा पंचायतों को भू-राजस्व का अंश नाय का अनुदान समय पर नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि

(श्री हरजीराम बुरड़क)
के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर द्वारा अनुदान की राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रधान, पंचायत समिति, लाडनूं के द्वारा यात्रा व्यय की गलत उठाई गई राशि के सम्बन्ध में आडिट द्वारा ऐतराज करने पर भी वांछित राशि जमा नहीं करवाने पर चर्चा के लिए)।

101 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर द्वारा कृषि कुओं के लिए दी गई ऋण राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर द्वारा आडिट ऐतराजों की पूर्ति नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के पास अल्प पोषाहार कार्यक्रम की गाड़ी का दुरुपयोग करने एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा समय पर अपना बजट पास नहीं करने तथा उसे उच्चाधिकारियों के पास नहीं भेजने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (पंचायत समिति, लाडनूं, द्वारा सामान की खरीद में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के प्रधान द्वारा उठाये गये यात्रा व्यय के बिल को फर्जी होने के कारण गायब कर देने पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा समिति क्षेत्र के बहार की यात्राएं करने तथा खर्चा समिति के कोष से उठाने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं,

Page No 79

(श्री हरजीराम बुरड़क)
जिला नागौर के आवास गृहों के पानी के बिलों का भुगतान समिति के कोष से करने पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के आवासगृहों में अनधिकृत व्यक्तियों के निवास करने पर चर्चा के लिये।

110. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायं (पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के आवासगृहों का किराया वसूल नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के खिलाफ चल रही कार्यवाहियों में सतर्कता नहीं बरतने तथा राजनैतिक आधार पर नाजायज संरक्षण देने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच, ग्राम पंचायत, आसोटा, तहसील लाडनूं के खिलाफ चल रही कार्यवाही में सतर्कता नहीं बरतने पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच, ग्राम पंचायत, ललासरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर के खिलाफ आडिट रिपोर्ट में निकाली गई रिकवरी नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की न्याय पंचायतों के अध्यक्षों व सदस्यों के रिक्त स्थानों का चुनाव नहीं करवाने पर चर्चा के लिए)।

115. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की पंचायतों के सरपंचों व पंचों के रिक्त स्थानों का चुनाव नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच, ग्राम पंचायत, गेनाणा, पंचायत समिमि लाडनूं, जिलो नागौर द्वारा सार्वजनिक कुआ बनाने के लिये प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-सरपंच, ग्राम पंचायत, ढींग सरी, पंचायत समिति लाडनूं

(श्री हरजीराम बुरड़क)
जिला नागौर, द्वारा अलग से पंचायत चलाने के मामले में कार्यवाही करने में की गई ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

118. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन खरीदने के मामलों में अनियमितताओं के कारण विभाग द्वारा अधिकारियों के खिलाफ निकली गई रिक्वरी नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों द्वारा उन खरीदने में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोहे की चद्दरों के वितरण में राजनैतिक आधार पर की गई कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोहे की चद्दरों के वितरण के जिले रेट्स तय करने में की गई मनमानी कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना नमक क्षेत्र की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापारी की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना नमक क्षेत्र में मजदूरी नहीं बढ़ाने तथा इस सम्बन्ध में मजदूरों के साथ हो रहे झगड़ों को नहीं निपटाने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना में नमक के व्यापार में नमक अधिक समय तक पड़ा रहने के कारण हुए नुकसान पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के सरकारी अनाज के वितरण करने वाले व्यापारी एवं संस्थाओं को किराया चार्जेज का भुगतान नही करने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार

(श्री हरीराम बुरडक)
अनाज के गोदाम सोडा फैक्ट्री, जोधपुर, का किराया नहीं चुकाने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अनाज के गोदाम लाडनूं में अनाज खराब हो जाने तथा कम हो जाने पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक, 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन वर्गीकरण सेन्ट्रों पर पूरी उन सप्लाई नहीं होने के कारण स्टाफ को पूरा काम नहीं मिलने तथा इसके कारण राज्यकोष को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौजूदा ऊन वर्गीकरण केन्द्रों का पूरा उपयोग नहीं होते हुए भी एक और वर्गीकरण केन्द्र ब्यावर में स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय वर्गीकृत ऊन को पैक करने के लिए वूल पेक खरीदने में किये गये घोटाले पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124, सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन वर्गीकरण केन्द्र, जोधपुर में ऊन क्रय करने में अधिकारियों द्वारा किये गये घोटाले पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124, सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं जिला नागौर, के सरकारी गोदाम में अनाज की चोरी होने पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

श्री शंकरलाल (जेतारण):

133. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत ग्राम्य कलाओं, हस्त कलाओं तथा ग्रामोद्योगों के प्रति उदासीनता के बारे में नीति का अननुमोदन)।

134. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजना आदि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय
(स्थानीय विकास कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशी न देने के बारे में नीति का अननुमोदन)

135. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये (पंचायती राज्य संचालन में असफलता दूर न कर सकने सम्बन्धी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 23

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : 136. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय । (पंचायत समितियों के प्रधानों व उप प्रधानों के रिक्त स्थानों के चुनाव न कराने से संबन्धित राज्य सरकार की नीति से भयंकर असंतोष फैल रहा है इस विषयक सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

137. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत अरदकी, पंचायत समिति नोहर, के एक सरपंच द्वारा भूमि विक्रि में अनियमितायें करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

138. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति नोहर के मुअतिल शुदा एक विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जाच में भारी उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

139. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायि विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, नोहर, के भूतपूर्व विकास अधिकारी, श्री मनीराम द्वारा भयंकर अनियमिततायें तथा घोटाले किये गए, इस पर चर्चा के लिये) ।

140. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, नोहर के भूतपूर्व विकास अधिकारी श्री एस. एम. व्यास द्वारा सामान खरीद में किये गये भयंकर घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

141. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ।

मांग संख्या 44

142. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में राज्य सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

143. मांग सख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पून्जी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं पर सरकार द्वारा पूंजी की जो लागत हो रही है, उस सम्बन्धी राज्य सरकार की असफल नीति का अनुनोदन) ।

मांग संख्या 23

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : 144. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

Page No 83

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कर दिया जाय (पंचायती राज संस्थायें में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादिक अली कमेटी रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

147. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में सरकार की उदासीनता एवं उसे पुनर्गठित न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सांचोर द्वारा गोचर जमीन का नाजायज पट्टा दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सांचोर की आबादी भूमि में अन्धाधुन्ध नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सांचोर द्वारा दिये गए नाजायज पट्टों की शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

151. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 121–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी को लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खरीफ 69-1 का अनाज खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) 152. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के सचिवों का वेतन चुकारा समय पर न करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा चलाये गये विकास कार्य पूरे नहीं किये जाने एवं उनमें भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 84

(श्री श्रवणलाल)

154. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को आये दिन चुनाव तारीखों के बढ़ने व समय बढ़ाते चले जाने में विभाग की मनमानी पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की जीपों पर हो रहे अनाप सनाप खर्चों को रोकने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा चलाई जा रही स्कूलों के अध्यापकों को वेतन समय पर नहीं चुकाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

158. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार अधिकांशतः नुकसान में जा रहे हैं, इस पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

159. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा चलाये जा रहे सरकारी व्यापार में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 23

160. श्री मूलचन्द फटेवा (पिलानी): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज संस्थाओं के समय पर चुनाव न कराए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों द्वारा करवाये गये अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में जीपों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

163. श्री नाथूलाल करेल (जमवा रामगढ़): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें

(श्री नाथूलाल करोल)

आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियां खत्म किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

164. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सिकराय, द्वारा छोई के पानी को रोकने के लिए कराई गई सर्वे का कोई उपयोग न होने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सिकराय की जीप कार का प्रधान द्वारा दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सिकराय, के प्रधान द्वारा विकास कार्यों निमित्त पूंजी का दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)

मांग संख्या 44

167. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं में जो पूंजी लगाई जा रही है उसका सदुपयोग न होने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 23

168. श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार पंचायत समितियों को समाप्त कर ग्राम पंचायतों को शक्तिशाली बनाने व जिला परिषदों को प्रभावशाली बनाने में असफल रही, सरकार की इस असफल नीति का अननुमोदन)।

169 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार प्रमुखों, प्रधानों, सरपंचों व न्याय पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों के चुनाव करवाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पंचायतों में विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को अमल में लाने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार प्रधानों व प्रमुखों के चुनाव की पद्धति में मौलिक परिवर्तन करने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री केदार नाथ)

172. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को मालगुजारी वसूल करने के अधिकार दिलाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

173. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पंचायत समिति तहसील व विधान सभा क्षेत्रों को कोटर-मिनस बनाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

174. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार सामुदायिक विकास परियोजनायें व राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं द्वारा ग्रामीणों के सोचने व जीवन के दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन लाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 23

175. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सिंचन के आधीन बहुत ही कलीलर कम दी गई है, इसको बढ़ाये जाने पर चर्चा के लये) ।

176 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सामाजिक शिक्षा पर बहुत ही कम दी गई है, इसे बढ़ाया जाने पर चर्चा के लिये) ।

177. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37,—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को स्वास्थ्य व ग्राम स्वच्छता के लिये बहुत ही कम रकम दी गई है उसे बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

178 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के आधीन शिशुओं एवं स्त्रियों के लिये मिश्रित कार्यक्रम पर बहुत कम रकम दी गई है इसे बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

179.. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनायें के अन्तर्गत ग्राम कला, हस्तकला तथा उद्योग पर जो राशि खर्च करने का प्रावधाम रखा गया है, इससे ग्रामवासियों में होने वाले व्याप्त असंतोष को दूर कराने पर चर्चा के लिये) ।

180. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
दिया जाय (युवा कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की राशि को बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

181. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर में 5000 स्पिन्डल्स की जगह सिर्फ 1250 स्पिन्डल्स लगे हैं जिससे कम कामगार ही काम पर लगाये जा सके हैं। अतः पूरे 5000 स्पिन्डल्स लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्न प्रदाय योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि में होने वाले पक्षपात व अनियमितता को रोकने पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज को खरीदने में होने वाले पक्षपात को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अनाजों के क्रय से मेहनत कश कामगारों को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नमक व्यापार में सरकार द्वारा होने वाले शोषण को कम करने पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुग्ध वितरण योजनाओं में पक्षपात को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर में होने वाली आर्थिक हानि को रोकने पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊन के व्यापार में होने वाली अनियमितता से राज्य सरकार को होने वाली आर्थिक हानि को कम करने पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी...

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा अधिक से अधिक 15 मिनट।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सामुदायिक विकास योजना के बारे में मैंने कुछ कटमोशन रखे हैं और उसके जरिये मैं आपकी मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंचायत समितियों में प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है। वहां की प्राथमिक शालाओं में अमुमन पाया गया है कि शिक्षक लोगों की कमी रहती है और ज्यादातर स्कूल खाली पड़े रहते हैं। शिक्षकों के अभाव के अन्दर करीब करीब स्कूलें साल में बहुत थोड़े अर्से तक चलती हैं और फिर बाद में शिक्षक लोग बगैर पढ़ाये ही सर्टीफिकेट दे देते हैं और पांचवीं कक्षा पास करने के बाद जब बच्चा मिडिल स्कूल में पहुंचता है तो वह कमजोर होता है और फिर आगे जाकर जब राजकीय स्कूलों में लड़का आता है तो अमुमन उनका स्तर बहुत ही नीचा, गिरा हुआ पाया जाता है। प्राथमिक पाठशालाओं के जो बच्चे हैं उनको जिस ढंग से अच्छे ढंग से एजूकेशन दी जानी चाहिये वह नहीं मिल रही है। इसके बारे में राज्य सरकार को पुनः विचार करना चाहिये। इन स्कूलों का दिनोंदिन स्तर गिरता जा रहा है और वहां पर पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो रही है। इस बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके बारे में कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये, जो एस.डी.आई. विकास अधिकारी वगैरह हैं वे टाइम टू टाइम भ्रमण नहीं करते हैं, चैकिंग नहीं करते हैं। ऐसी हालत में स्कूलों का स्तर दिनोंदिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर जिस तरह से उठाना चाहिये नहीं हो रहा है। पहले ही ग्रामीण पिछड़े हुए हैं। प्राथमिक शालाओं में जिस ढंग से शिक्षा दी जा रही है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो मैंने कटमोशन रखा है इसके जरिये में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट पंचायत राज जिस तरह से राजस्थान में चल रहा है उन कमियों को दूर करने के लिए प्रधानों और सरपन्चों और वहां के पन्चों की राय ले, जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी उस रिपोर्ट के अनुसार आजतक पंचायत राज का रि-आरगेनाइजेशन नहीं किया गया है। इस सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट को यहां पेश किया जाना चाहिये था और उसी के अनुसार जो रिपोर्ट के अन्दर कमी थी उसकी पूर्ति करते हुए यहां एक्ट पास किया जाना चाहिये था लेकिन राज्य सरकार ने आज तक उस बारे में उदासीनता बरती है इसलिए मैं इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सादिक अली रिपोर्ट के अनुसार जो इतना खर्च करके किया है उसके अनुसार पंचायतों को शीघ्र ही पुनर्गठन किया जाना चाहिये। इसको राज्य सरकार ने एक रि-आरगेनाइजेशन कमीशन का गठन करने की घोषणा की थी कि पंचायत समितियों में तहसील वाइज जो छोटी और बड़ी पंचायतें हैं उन पर विचार किया जाकर बड़ी इकाई बनाया जाय। इन छोटी और बड़ी पंचायतों के रि-आरगेनाइजेशन के लिए राज्य सरकार ने कोई ऐक्शन नहीं लिया है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जबकि पंचायत राज संस्था की अवधि बहुत लम्बी बढ़ा दी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है राज्य सरकार पंचायत समितियों के पुनः निर्माण करने के शीघ्र उचित कदम उठाये तब तक जो चुनाव आयें तो सारी कार्यवाही हो जाय। उपाध्यक्ष जी इसके अलावा दूसरा मैंने स्पेसिफिक कट मोशन ग्राम पंचायत सांचोर में राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं जो कुछ बड़ी पंचायतें हैं जिनकी संख्या 4–5 हजार है और म्यूनिसिपैलिटि टाइप है वहां पर पंचायत की अवधि लम्बी होने की वजह से आस पास की जो भूमि है– गोचर भूमि है वहां पर एन्क्रोचमेंट करके टाउन प्लानिंग की भूमि की जो भूमि अच्छी होने के कारण अन्धाधुन्ध एन्क्रोचमेंट कर रहे हैं उसकी ओर में राज्य सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। सांचोर में जो नामिनल प्राइस पर जो पट्टे दिये गये हैं उन पट्टों को राज्य सरकार को बड़ी पंचायतों से वापिस छीन लिया जाना चाहिये। जो राज्य सरकार की इन्कम है और जिस भूमि पर एन्क्रोचमेंट बहुत थोड़ी नामीनल रेट पर पट्टे दिये जा रहे हैं। इस ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहूंगा। अभी वहां पर पेट्रोल पम्प के नाम से थोड़ी सी भूमि कनवर्ट की गई थी मुझे सूचना मिली और मैंने राजस्व मन्त्री जी के ध्यान में वह बात रखी। उन्होंने हाऊस में आश्वासन दिया कि यह जमीन जो अलाट की गई है वह वापिस कैंसिल कर दी है। उस जमीन पर एन्क्रोचमेंट किया गया है और इस ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष जी इसके अलावा न्याय पंचायतों और पंचायतों के सचिव को तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है। पंचायत में सचिव हैं वे पांचवीं छठी क्लास तक पढे हुए है। बहुत थोड़ी उनको तनख्वाह मिलती है। पंचायतों के अन्दर करीब करीब काम बन्द सा है ये पंचायतों के सरपंच आदि के यहां रहते हैं इसलिये पंचायतों को मजबूत करने के लिये राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया इसलिये मेरा निवेदन है भविष्य में पंचायतों को मजबूत बनाया जाय क्योंकि एक्जीक्यूटिव ऐजेन्सी पंचायत समितियां है। पंचायतों में कोई इन्कम नहीं है इसलिये न्याय पंचायतों में जो सचिव है उनको वेतन नहीं मिलता है और वेतन न मिलने के कारण ही पंचायत में कई प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं क्योंकि इन्कम न होने के कारण सचिव लोगों का हैरेसमेंट करते हैं और फिर दूसरी तरफ से इन्कम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पंचायत समितियों में और न्याय पंचायतों में निश्चत कोष की स्थापना करके उनकी तनख्वाहों का भुगतान करें। इस ओर राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिये। अभी न्याय पंचायतों की अवधी करीब करीब समाप्त हो गई है और सभी न्याय पंचायतें बन्द हैं। कानूनी तौर से गलत होने के बावजूद भी लोगों को न्याय पंचायत पांचलया ने नौटिसेज देकर अन्धाधुन्ध मुकदमें बाजी, पार्टी बाजी के आधार पर लोगों को हैरेसमेंट करते हैं और अभी न्याय पंचायतें काम कर रही है हांलाकि अवधि समाप्त हो रही है लेकिन फिर भी गैर कानूनी तौर से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कार्य कर कर रही है। अदालतों में भी शिकायत की जाती है। मुन्सिफ ने भी यह फैसला दिया है कि ये न्याय पंचायत कानूनी नहीं है फिर भी राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया है। राज्य सरकार को सरक्यूलर निकाल कर डिप्टी डी. डी. ओ. को आदेश जारी करने चाहिए– न्याय पंचायतों की अवधि समाप्त हो गई है जब तक विधिवत चुनाव न होकर पुनर्गठन न हो तब तक इनको काम करने से रोकना चाहिए। मैं सांचोर तहसील में पाचला ग्राम है वहां एक सिर्फ न्याय पंचायत सचिव है सैकड़ों मिसलें कायम कर रखी है। जनता को बुलाबुला कर नोटिस देता है और इस तरह गांव वालों को जनता डराता धमकाता है और केवल नाम मात्र की कार्यवाही करके हजारों रुपये गरीब आदमियों से वसूल कर रहा है। इस बारे में मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जो न्याय पंचायतों की गैर कानूनी कार्यवाही है उसको तुरन्त बन्द की जाय। मैंने पत्र भी लिखा है कलक्टर को....

श्री लादूराम सुलानियां : एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। सबको आप पहचानते नहीं है। मन्त्रियों की संख्या ज्यादा है।

श्री लादूराम सुलानिया : उनमें से 50 प्रतिशत तो उपस्थित रहे ज्यादा है तो

श्री दिग्विजय सिंह : आपने मन्त्रियों की संख्या ज्यादा बताई है लेकिन उनको तो फिर भी कम लगती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कानूनी तौर से नहीं कर सकते हैं। उस बारे में आदेश सरकार से गये थे। कुछ दिन तो बन्द रहे परन्तु अब फिर कार्यवाही शुरू हो गई है। इस प्रकार अन्धाधुन्ध जुर्माना करना, जनता को परेशान करने का काम अपना रखा है जो पंचायतें विधिवत काम नहीं कर रही है उनके रेकार्ड मंगा कर रद्द करना आवश्यक है, वरना ये न्याय पंचायतें बड़ी भारी परेशानी जनता में खड़ी कर रही है। मैं राज्य सरकार का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : पंचायत मन्त्रीजी मौजूद हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उप मन्त्री जी बैठे हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 124 के अन्तर्गत एक कट मोशन के जरिये राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि अभी जो बाजरे की खरीद हुई, मोटे अनाज की खरीद हुई उसमें खाद्य निगम के द्वारा राज्य सरकार का हाथ न होने से व्यापारियों से खरीदा हुआ अनाज क्रय कर लिया जब कि काश्तकार से 25–30 रु० क्विन्टल में नहीं खरीदा और वही बाजरा व्यापारियों से 55 60 में खरीदा। इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान इधर से और उधर से पूरे हाउस के अन्दर इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान बार बार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आकर्षित किया है और मांग की है कि जांच कराई जाय और जो सेम्पल लिये गये हैं वह भिन्न भिन्न स्थानों पर जो अनाज खरीदा गया है उसकी क्वालिटि खराब है फिर भी खरीदा गया है व्यापारियों से और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है।

इसके फलस्वरूप, उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में राज्य सरकार ने अनाज की जो खरीददारी नहीं हो रही थी तो राज्य सरकार बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और क्वालिटी को रिलेक्स करके खरीददारी बापिस चालू की है। इससे काश्तकारों को काफी रिलीफ मिलेगा। इस बारे में मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा। काश्तकारों को पिछले साल अकाल की स्थिति के कारण · ·

श्री उपाध्यक्ष : यह हो जाय तो धन्यवाद दें। इससे पहिले भी बहुत दफा धन्यवाद दे चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने डिफिकल्टी बाजरे की थी और फूड कारपोरेशन वाले खरीदते नहीं थे तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि क्वालिटी इन्सपेक्टर जो कि फुड डिपार्टमेंट का होगा उसका अपर हैन्ड नहीं होगा और वहां का ए. ई. ओ. वगैरह मिलकर क्वालिटी ठीक बता देंगे तो खरीद सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी गड़-बड़ी होगी तो हमारी कमेटी ध्यान देगी। परन्तु इस बारे में राज्य सरकार ने काश्तकारों की डिफिकल्टी को देखते हुए जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य। अब इसका इम्प्लीमेन्टेशन किस तरह से होता है उसके बारे में आगे का अनुभव से निर्णय करेंगे। राज्य सरकार इस बारे में घाटे का अन्देशा कर रही है परन्तु वास्तव में घाटा नहीं होगा। सितम्बर के महीने में कुछ बरसात की वजह से रंग में फर्क आ गया है वरना वह खराब दाना नहीं है। सवाल वास्तव में यह है कि फूड कारपोरेशन और उनके एक्सपर्ट्स ने यह राय न मालूम किस तरह से दी है, परन्तु काश्तकारों का यह अनुभव है कि यह बाजरा खराब नहीं होगा और अगर वहां पर स्टेट एकाउन्ट में अन्दर बाजरा रखा जायगा तो बापिस लेने को हम तैयार हैं। इसलिए खतरे की आवश्यकता नहीं हैं। काश्तकारों से सीधे बाजरा लेने की बात है और 45 रुपये की मिनिमम गारन्टी दी हुई है उसके बावजूद पिछले 2-3 महीनों में सस्ते दामों में लोकल व्यापारियों ने नीचे की दरों में वसूली के डर से काश्तकारों से खरीदा और उसकी वजह से घाटा पहुंचाया गया है। इसके बारे में काश्तकारों को बहुत ही नुकसान हुआ है. और आगे भी राज्य सरकार सिर्फ 10 हजार क्विटल खरीदने का ध्यान रखती है तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है तो बढाया जाय, और फुड कारपोरेशन या जो भी व्यापारी बाजार में आयें तो जब तक भाव ठीक न हो तब तक खरीददारी की जानी चाहिए।

बाजार में गेहूं भी आने लगा है, और उसका भाव भी भारत सरकार ने पिछले साल के आधार पर ठीक रखा है (समय-समाप्ति सूचक घण्टी), परन्तु बाजार के अन्दर गेहूं के आते ही भाव बहुत सस्ता हो गया है तो गेहूं की खरीद के बारे में भी राज्य सरकार तुरन्त व्यवस्था करे ताकि लोगों को गेहूं के ठीक दाम मिल सकें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इन्हीं कुछ कट मोशनों के जरिये जो मैंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है इस बारे में चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी स्पेसिफिक जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासहाय।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सामुदायिक विकास मंत्रीजी का अपने कटौती प्रस्तावों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला प्रस्ताव है मेरा कि आज पंचायत समितियों की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। जिस समय पंचायत समितियां बनी थी उस समय अनेक विभागों के कर्मचारी वहां पर थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे, इन्डस्ट्रीज के थे, प्रोग्रेसिव असिस्टेंट भी थे, सोशियल एज्यूकेशन के व दूसरे भी थे, ओवरसियर्स भी थे। आज धीरे धीरे करके सभी विभागों ने अपने कर्मचारियों को विधड्रा कर लिया है। ओवरसियर्स भी नहीं हैं, एस. डी. आई. भी नहीं है, इन्डस्ट्री वाले भी नहीं है और पंचायत समितियों में प्रोग्रेशन असिस्टेन्ट भी नहीं हैं। सारे जो काम थे वे अलग अलग विभागों में बंट गये तो मैं समझता हूं कि उनकी उपयोगिता नहीं रही है। इन्डस्ट्रीज का काम था कि ग्रामोद्योग हैं उनके केन्द्र खोले जायं और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय और वहां के गांव के लोगों को स्वावलम्बी बनाया जाय उद्योग धन्धे सिखाकर, वह भी समाप्त कर दिये। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की तो यह पद्धति भी समाप्त कर दी। ओवरसियरर्स वगैरह भी वहां पर थे जो कि कुए, तालाब वगैरह सम्हालते थे उनको भी हटा लिया गया। जो विभाग से ओवरसियर बुलाये जाते हैं वे वहां पर नहीं रहते हैं और इन्ट्रेस्ट भी नहीं लेते हैं इसलिए वह काम भी नहीं होता है।

पंचायतों के बजट को जो देखते थे और आडिट करते थे उसको भी विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है। तो पंचायतों का इससे उत्साह काम करने का भंग हो गया है। जो पंच और सरपंच सत्ता में होते थे उनको डर रहता था लेकिन आज कोई डर नहीं है और आज मनमानी करते हैं और लोगों के साथ दुश्मनी निकाली जाती है और झूटे-सच्चे केस बनाकर लोगों को परेशान किया जाता है। वे आज पंचायतों के सचिवों को वेतन भी नहीं दे पाते हैं तो उनका उपयोग क्या है।

पंचायत समितियां जब पहले पहल बनी थीं तो उस समय अनेक प्रकार के ऋण वहां पर दिये जाते थे कुओं के लिए बान्धों के लिए, तालाबों के लिए, पम्पिंग सेटों के लिए बैलों के लिए दिये जाते थे। अनेक प्रकार के ऋण वहां पर दिये जाते थे, लेकिन आज सारी व्यवस्था वहां से हटा ली गई है। खाद बीज भी वे देती थीं, लेकिन आज खाद बीज का काम पंचायत समितियां न करके सहकारी समितियां कर रही हैं, और दूसरे प्रकार के ऋण बैंकों से दिलाये जाते हैं। इस तरह से आज पंचायत समितियों की इस प्रदेश में कोई उपयोगिता नहीं रही है। केवल शिक्षकों या ग्रामसेवकों को वेतन देने मात्र का उनके पास काम है। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि पंचायत समितियों को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए ताकि उसमें जो लाखों रुपये बरबाद होते हैं वे बच जायेंगे। उसके स्थान पर एक अधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए या तहसीलों के

Page No 93

(श्री गंगासहाय)

अन्दर ही उसको दे देना चाहिए। तो प्रधान लोग जो रहते हैं वे मनमानी करते हैं। अध्यापकों को परेशान और जीप का दुरुपयोग करते हैं। जो टीचर्स उनके फेवरेवल होते हैं उनको अपने गांव में भेज देते हैं और मनमानी करते रहते हैं। जो टीचर्स उनके अधीन या उनकी मरजी के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उनको कहीं भी भेज दिया जाता है। जहां के वे निवासी हैं उनको वहीं रख लिया जाता है अगर उनके फेवरेवल होते हैं तो जो कि अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता वरतते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि टीचर्स अपने स्थान से स्कूल में 4–5 वजे तक नहीं पहुंचते हैं और बेचारे बच्चे जो मीलों से आते हैं निराश होकर वापस जाते हैं। रिप्रेजेन्टेशन करते हैं तो सुनते नहीं है। एस. डी. आई. निरीक्षण के लिए सालभर में एक वार चला गया तो ठीक है। ऐसी स्थिति में पंचायत समितियों का कोई उपयोग नहीं है उनको समाप्त कर लाखों रुपयों की बरबादी को रोका जा सकता है।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि पंचायत समितियों को बान्ध बनाने हैं। लेकिन आजकल वहां पर ओवरसियर नहीं रहता है तो क्या होता है कि ओवरसियर को सम्बन्धित विभाग से थोड़े समय के लिए बुला लेते हैं और सर्वे करा लेते हैं और बांध अपने आप बन्धवा लेते हैं। दो बांध इसी प्रकार से पंचायत समिति कठूमर ने बन्धवाये– एक करेरी का बांध और दूसरा समोहा का बांध दोनों के नीचे आने वाली जमीन उपजाऊ थी, लेकिन बांध बनने के बाद उस जमीन का कोई उपयोग नहीं रहा और जो बांध बने हैं वे भी बेकार गये हैं क्योंकि उनमें पानी का अवरोध नहीं है। पानी टिकता ही है, और उनका कोई उपयोग नहीं है। ग्रामीण लोगों ने शिकायत भी की कि उनकी जमीन भी गई और इन बांधों का कोई उपयोग नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था लेकिन प्रश्न का उतर ही नहीं दिया गया। मैंने पूछा था कि इनकी कितनी क्षमता है, कितना पानी इनमें ठहरता है, लेकिन कोई जानकारी आज तक इस सिलसिले में नहीं दी गई। मुझे कई महीने हो गये प्रश्न दिए हुए लेकिन कोई जानकारी आज तक हासिल नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार पंचायत समितियों ने कृषि फार्म बना रखे हैं। सैकड़ों बीघा जमीन दे रखी है। उसमें अकाउन्ट भी ठीक ढंग से नहीं रखा जाता है। पंचायत समितियों को उससे कोई लाभ हुआ हो ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन पंचायत समितियों को आपने जमीन दे रखी है उनमें कठूमर को और राजगढ़ को भी जमीन दी गई हो। 5 साल फार्म चला लेकिन घाटे में चला। वह व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर वह जमीन कुछ खेती करने वाले परिवारों को दे दी जाती तो चार पांच परिवारों का पालन पोषण होता। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपको पंचायत समितियों को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। या नहीं करना चाहते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप आने वाले चुनावों तक प्रधानों को बनाये रखना चाहते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे कि पंचायत समितियों को तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है

(श्री गंगासहाय)
कि अभी आप तोड देंगे तो फिर वह आने वाले चुनाओं में टिकट मांगेंगे । सारे के सारे टिकट मांगेंगे तो मुसीबतें होगी । इसलिए मैं समझता हूं कि यह भी प्रदेश के साथ धोका है । इसलिए ऐसी स्थिति है कि पंचायत समितियों को तुरन्त तोड दिया जाये । साथ ही जो शिक्षा विभाग की प्राथमिक शालाएं हैं, उनको भी विभाग को जल्दी से जल्दी दे दिया जाये । उनका विभाग ढीला है । शिक्षा निकम्मी होती जा रही है । वह आते हैं और चले जाते हैं । एक भी अध्यापक हैडक्वार्टर तक नहीं जाता हैं । प्रौढ शालाएं चलती हैं । वहां पर प्रमाणपत्र दिए जाते हैं । भूटे प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं । इतना ही नहीं उनको इतना तक दिया जाता है । इन सब को रोकने के लिए शिक्षा विभाग को दे दिया जाये । मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर माननीय मन्त्री महोदय ध्यान दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा ।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पंचायत समिति सिकराय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । पंचादत समिति सिकराय के प्रधान ने पम्पिग सेट खरीदने के लिए 8 व्यक्तियों को 3-3 हजार रु. का तकाबी लोन दिया जिनके नाम इस प्रकार हैं :--

1. हरिमोहन वल्द जगन्नाथ ब्राह्मण, राजावस, ता. 30-12-70 3 हजार

2. मूल्या वल्द वाल्या चमार सिकराय, ता. 1-1-71 3 हजार

3. रामजीलाल वल्द सोन्या ब्राह्मण, भण्डारी, ता. 1-1-71 3 हजार

4. नानगराम वल्द प्रसादी महन्त, गनीपुर, ता. 1-1-71 3 हजार

5. रमनलाल वल्द सोन्या मीना, नादरी, ता. 1-1-71 3 हजार

6. पून्य वल्द नन्दा मीना, नादरी, ता. 18-1-70 3 हजार

इस प्रकार दो अन्य व्यक्ति और हैं । जबकि पंचायत समिति द्वारा इस प्रकार पम्पिग सेट के लिए तकावी देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है मंजुर शुदा बजट में पम्पिंग सेट के लिए कोई हैड नहीं है । यह रकम बिना स्थाइ समिति की स्वीकृति के दी गई है। और न इसकी स्वीकृति राजस्थान सरकार से ही ली गई है। बिना स्वीकृति के प्रधान पंचायत समिति के द्वारा यह रकम दी गई है । और न आज तक कोई पम्पिग सेट ही खरीदे गये हैं । प्रधान ने अपना कमीशन पैदा करने के लिए चालू बजट में दूसरे कामों के लिए जो पैसा था उसको इस मद में अपने आप ही ट्रान्सफर करके उक्त कथित लोगों को पैसा दे दिया । क्योंकि पम्पिग सेट के बिकवाने में उसे खरे कम से कम 40% कमीशन तो मिलता ही है । और इन पम्पिग सेट की खरीद की रसीद वहां रहने वाले अनुअथराइज्ड ठेकेदार कोरीलाल से रसीद करा ली । क्योंकि जिन पम्पिग सेट को खरीदना कहा जाता है उसका वह कोरीलाल अथराइज्ड ऐजेण्ट नहीं है । फिर ये सेट उसके पास कहां से आये । इसमें यह किया गया है कि पुराने इंजनों को खरीद करके उन पर पालिश व रिपेयर करके न्यू की रेट से बेचे है । इस प्रकार काश्तकारों के

(श्री किशनलाल वर्मा)

साथ धोका किया है। बेईमानी की है। इसमें मैं समझता हूं कि 70 प्रतिशत 80% कमीशन प्रधान की जेब में गया है। यह एक प्रकार का विकास नहीं है विनाश है। काश्तकारों के साथ धोका धडी की जाये। गरीब काश्तकार को इस प्रकार से लूटा जाय क्या यही समाजवाद है? ये ही इंजन एक फसल के बाद बेकार हो जायेंगे। इसी तरह से प्रधान ने एक इंजन श्योनाथ थानेदार मानपुरा का जो कम से कम 8-10 साल पुराना था जिसकी ज्यादा से ज्यादा 1000 रु. कीमत हो सकती थी उस पर रंग पालिश कराके व रिपेयर कराके रस्टन नाम लिखवाकर काश्तकार को 8 हजार में बेच दिया। जब पार्टी कम्पनी में शिकायत करने जाती है तो उसे जाने नहीं देता है और कहता है कि मैं यहां ही ठीक करा दूंगा। घबरा मत हमारी सारी जिम्मेदारी है। यह इंजन एक साल भी नहीं चलना। साल भर बाद रहस्य खुलेगा। मैं चाहता हूं कि इस इंजन को मंगाकर यदि वेरीफिकेशन उस रस्टन कम्पनी से कराया जाय तो 10 साल पहिले जिस पार्टी को बेचा था उसका नाम मिलेगा यह फोजदारी केश 420 व फ्राड का बनता है। यह थानेदार का इंजन जो पुलिस की रोब व धोस में गरीब काश्तकार को बेचा गया है पंचायत समितियां इस प्रकार धोका घड़ी की व काश्तगारों को लूटने की व प्रधान द्वारा कमाई करने की व कमीशन खाने की एजेन्सियां बन रही हैं। मैं चाहता हूं इन भ्रष्ट एजेन्सीज को जल्दी ही बन्द किया जावे।

दूसरी तरफ गवर्नमेंट के साथ उसने एक 420 व फ्राड का और काम किया है। वह यह कि उक्त कथित 8 व्यक्तियों के नाम जिनको बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें भरी है प्रत्येक के नाम दो दो फाइल लोन दिलाने की पम्पिंग सेट के वास्ते खोली है। एक पंचायत समिति में दूसरी भूमि बंधक बैंक दौसा में। दौसा में जो फाइल फिजवाई है उनके साथ नो ड्यू सार्टीफिकट फर्जी जारी किया है। क्यों कि जब उनको पम्पिंग सेट के वास्ते पंचायत समिति से लोन दे दिया जिसकी फाइल पंचायत समिति में पहले से चला रखी थी, तो नो ड्यू सार्टिफिकेट कैसे दे दिया। लेकिन जब बी. डी. ओ. को इसका राज खुला। जब कि उसको कमीशन पंचायत समिति से नहीं मिला। तो उसने बैंक के नाम जरिये पत्र नं. 541-42 ता. 27-1-71 को लिख कर भेजा कि उक्त कथित 8 व्यक्तियों के नाम यदि कोई ऋण बैंक से स्वीकृत करके दिया जावे तो उसमें पहले पंचायत समिति की बकाया रकम को जो 3000 रु. प्रत्येक के ऋण से उक्त कथित तिथियों में दी गई, कटौती करके भुगतान किया जावे। और इन लोगों के नाम जो नो ड्यू सार्टिफिकेट जारी किये हैं वे गलत है। अतः उनको निरस्त समझा जावे। वह प्रकार बी. डी. ओ. ने गवर्नमेंट को धोका दिया है। और एक फ्राड का अपराध किया है। जिसकी जांच की जाकर प्रधान व बी. डी. ओ. के खिलाफ फौजदारी केस बनाया जावे। और प्रधान को 24 घण्टे का नोटिस दिया जाकर सरकार 24 हजार की रिकवरी उसके

Page No 96

(श्री किशनलाल)
घर से की जावे । इसके अलावा प्रधान को सस्पैंड किया जावे और पंचायत समिति को लिखा जावे कि आइन्दा राजस्थान सरकार की मन्जूरी के बिना कोई पैसा नही दिया जावे । क्योंकि यह पैसा दूसरे कामों के लिए होता है ।

श्री लादूराम सुलानिया : कौन सी मद से दिया है, यह बता सकते हैं आप ?

श्री किशनलाल वर्मा : जो विकास का और दूसरे कामों का पैसा था. . .

श्री लादूराम सुलानिया : कौनसी मद से दिया है ।

श्री मनोहरसिंह महेता : अफण्ड अफण्ड है, कौनसा फण्ड है ।

श्री लादूराम सुलानिया : पंचायत में तो कई मद होती हैं. . .

श्री किशनलाल वर्मा : जो कृषि के लिए पैसा होता है, दूसरी मदों के लिए पैसा होता है ।

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा यह कहना, मैं पूछना चाहता हूं आपने सारी बात कह दी, मैं इतनी जानकारी और चाहता हूं कि यह निजी फण्ड में से दिया है या सरकारी फण्ड से. .

श्री किशनलाल वर्मा : सरकारी फण्ड से दिया है. . .

श्री लादूराम सुलानिया : कौन से फण्ड से ?

श्री किशनलाल वर्मा : जब जांच की जायेगी तो जांच रिपोर्ट आने के बाद से यह पता लगेगा ।

श्री लादूराम सुलानिया : कौनसी मद से दिया है ? कोई मद नहीं है ।

श्री किशनलाल वर्मा : कुछ पैसा सिचाई का था, कुछ लघु उद्योग का था इसके बारे में तो ज्यादा पंचायत समिति बता सकती हैं ।

श्री लादूराम सुलानिया : लघु उद्योग बताने में क्या था ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री किशनलाल वर्मा : यह पैसा इस काम के लिये नही था, जब लोन देने का प्रावधान नहीं और पंचायत समिति को अधिकार नहीं है तो क्यों दिया ?

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सदस्य ने शिकायत भेजी है ? मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं. . .

श्री उपाध्यक्ष : बाद में कह दीजिये ।

श्री किशनलाल वर्मा : आप प्रश्न पूछ लीजिये, पंचायत मंत्रीजी से, वह जवाब दे देंगे मै जानकारी नहीं दे सकता हूं ।

इसके साथ ही एक और वाक्या है, दो साल पहले चार पंचायत समिति के राज्य कर्मचारियों को पंचायत समिति के विकास के पैसे में से रामेश्वर प्रसाद एस. डी. आई. रामजीलाल, सी. ओ. ललित मोहन भारद्वाज ए. ई. ओ. व पुरुषोतम

(श्री किशनलाल वर्मा)

को जब ललित मोहन बी. डी. ओ. की जगह काम करते थे, चार चार हजार रुपये की मोटर साइकिल खरीदने के लिए दो साल पहिले लोन दिया है। दो साल हो गये लोन दिये हुए, यह लोन दिया है, इसका प्रावधान नहीं था इस काम के लिए नहीं था, बजट नहीं था। पंचायत समिति का पैसा था इसको इस तरह राज्य कर्मचारियों को दिया गया है, और यह जो दिया गया है, वह बेजा दिया गया है, नियम और कानून के खिलाफ दिया गया है। उस पैसे से आज तक कोई मोटर साईकिल खरीदी नहीं गई है, न इससे वापिस रिकवरी की गई है। इस प्रकार विकास के पैसे का दुरुपयोग होता है जिसमें प्रधान को अपना कुछ हिस्सा कमीशन का मिल जाता है, इसलिए विकास के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है

इसके साथ ही बताऊं, एक अन्य व्यक्ति को आठ-साढ़े आठ हजार रुपये हर्जाने के रूप में दिया है। इसका किस्सा यह है कि एक व्यक्ति ने 17-18 हजार रुपये का गबन प्रधान कि राय में किया उसके बाद गबन को छुपाने के लिये, जब देखा कि गबन पकड़ा जायगा, उसने सारे दफ्तर को आग लगा दी और सारा रिकार्ड जला दिया। उस पर मुकदमा चला। उस व्यक्ति को आग लगाने के जुर्म से प्रधान ने बचा दिया, उसको बरी करा दिया। उसके बाद में उसको आठ, साढ़े आठ हजार रुपय का इनाम और दिया गया पंचायत समिति से। यह इस प्रकार से दिया गया कि उसने हर्जाने का क्लेम किया, सरकारी वकील से पूछा लिया, उसने कहा कि राजीनामा कर सकती है पंचायत समिति, वकील से लिखवा लिया, चलते हुए वकील से और उसको भी कुछ रुपया दे दिया, उसने भी लिख दिया राजीनामा कर सकती है पंचायत समिति। तो राज्य सरकार से बिना पूछे उसको आठ-साढ़े आठ हजार रुपये ईनाम के दे दिये गये। इस प्रकार कोई गबन करे, दफ्तर में आग लगा दे, रिकार्ड जला दे उसके बाद भी इस तरह से उसको इनाम दिया जाता है। यह इस प्रकार किया जाता है, शर्म की बात हैं, अफसोस की बात है। उसके बाद वह व्यक्ति सर्विस में बराबर रहता है और बराबर काम करता रहता है, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुलती है। सरकारी अधिकारी जांच करने के लिए केवल दौरा करने आ जाते हैं अपना टी. ए. डी. ए. कमा कर ले आते हैं। मन्त्री महोदय ने अपने नीचे वाले अधिकारियों के काम के उपर ध्यान नहीं दिया तो इस प्रकार के तजुर्बे ही होंगे।

इसी प्रकार से प्रधान ने हरलाल मीणा सिकराय को ता. 21-2-66 को 2500 व ता. 25-3-66 को 2000 सिकराय से पुरानी पट्टी तक लिंक रोड बनाने के लिऐ दे दिया। परन्तु यह सड़क केवल थोड़ी दूर वी. डी. ओ. के आफिस तक बना कर आगे नहीं बनाई और आगे की सड़क का पैसा प्रधान व हरलाल मीणा खा गये। इस खर्च की गई रकम का आज तक कोई वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है, न बाकी रकम ही हरलाल से वसूल की गई है।

इसके अलावा में बताऊं, धूला तारा, करतार, प्रेम सुवा भूरी, सम्पत, श्याम

(श्री किशनलाल वर्मा)
गुलाम, खेराती आदि 'सिकराय के नटो को सिकराय के सरपंच द्वारा जो उसीकी पार्टी का है, 5000 रु. व्यवसाय करने के लिए ता. 27-2-60 को दिया, जिसका आज तक कोई व्यवसाय नहीं किया गया। प्रधान उस पैसे को उनसे मिल कर खा गया। इस प्रकर विकास की रकम का दुरुपयोग किया गया और उसका आज तक पता नहीं है।

इसी प्रकार, कस्बा सिकराय के पेड़ पौधे लगाने के वास्ते 50-60 थावलों को 4,500 प्रधान जी ने स्वीकार किए। यह जो पचास-साठ थावले लगाये गये थे, उसके लिए पैंतालीस सौ की रकम स्वीकार की गई इनमें से 80-90 रु. का एक थावल पड़ा। यह थांवले ईंटों के बनाये गये जिनमें से मुश्किल से आठ दस की ईंट एक थावला में लगी होगी लेकिन 80-90 रुपया बताया गया। लेकिन थांवले बनने के थोड़े दिन बाद ही सारी ईंटें गायब करवा दी और एक ईंट भी वहां नहीं रही। और यह 60-70 थावले सब खत्म कर दिये गये। ईंटों का पता नहीं, कहां गायब कर दीं, एक भी थांवला आज दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार करीब 4500 रुपये का दुरुपयोग किया गया है—यह देखने की बात है।

इसी प्रकार से कस्बा सिकराय में बी. डी.ओ. आफिस के अन्दर लक्ष्मण में बोरिंग कराने के वास्ते 2000 रुपये की रकम गिरीज मीना जगजीवनपुर वाले के नाम से स्वीकार की गई परन्तु आज तक कोई काम नहीं हुआ है, न कम्प्लीशन सर्टीफिकेट ही पेश किया गया है, न कोई काम कराया गया और प्रधान जी और वह मिल कर पैसा खा गये। इस प्रकार से पंचायत के पैसे का दुरुपयोग होता है।

इसी प्रकार से मैं बताऊं, सिकराय पंचायत समिति में बी. डी. ओ. का आफिस है, उसमें एक अहाता है, बिना मतलब के और बिना आवश्यकता के प्रधान ने कमीशन कमाने की नीयत से करीब दस हजार रुपये बोरिंग लगाने के लिए काम कराया और जब कि जरूरत नहीं थी, बोरिंग मशीन मंगा कर खुदाई की गई, उसमें सारा पैसा लगाया हुआ दिखा दिया लेकिन एक पैसे का भी उपयोग नहीं हुआ। वह पैसा बेकार गया, कोई काम नहीं निकला। सरकार ने देखा कि काम नहीं निकला तो उस बोरिंग को बन्द करा दिया। सरकार ने बन्द करा दिया, लेकिन दस हजार रुपया पंचायत समिति का लग गया, जो दूसरे मद का था, इसके लिए न कोई प्रावधान था, न ही बजट में प्रावधान था, न इसकी पंचायत समिति से स्वीकृति ली गई, न सरकार से मंजूर ली गई, और दस हजार रुपया, जो काश्तकारों की भलाई के लिए था, वह प्रधान ने खुद का कमीशन कमाने के लिए, हिस्सा कमाने के लिए खर्च कर दिया और आज तक उसके सम्बन्ध में कोई जांच नहीं हुई है।

इसके अलावा प्रधान, पंचायत समिति के सरपंचों को हजारों रुपये विकास के कामों के लिए कई वर्षों से दे रखे हैं, किसी को आठ हजार, किसी को दस हजार, किसी को बारह हजार, किसी को छः हजार, किसी को सात हजार—सबको रुपया दे रखा है। इसको दिये हुए सात

(श्री किशनलाल वर्मा)

आठ साल हो गये हैं, दस साल हो गये हैं, वह पैसा सरपंचों के वोहरगत करने के काम में आता है, इससे सरपंच बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं, मकान बनाते हैं और व्याज कमाते हैं, उसी पैसे से एशोआराम करते हैं। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है और गांवों में कोई काम नहीं होता है। कोई वहां पर विकास नहीं होता है...

श्री विजय सिंह : प्रधानों के बारे में फर्मा रहे हैं तो शंकरसिंह जी प्रधान रहे हैं।

श्री शंकर सिंह : यह सब समझते हैं।

श्री किशनलाल वर्मा : इस प्रकार पंचायत राज ने, गांव में जहां भ्रष्टाचार नहीं था, वहां भ्रष्टाचार फैला दिया। पहले धांधली नहीं होती थी, पंचायतों के जरिये और पंचायत समितियों के जरिये इस प्रकार से पंच, सरपंचों ने भ्रष्टाचार फैला कर गांव के वातावरण को खराब कर दिया है और विकास के पैसे का दुरुपयोग किया है। मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं है। इसके लिए मंत्री जी को कहा, और मंत्री जी को लिख कर भेजा। मंत्री जी ने तो लिखकर भेजा, लेकिन नीचे से कार्यवाही नहीं हुई। यह जरूर हुआ है कि इन प्रधानों के खिलाफ पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट को धारा 140 के तहत इन्हें डिस्क्वालिफाई करने और हटाने की फाइंडिग जरूर दी है। गवर्नमेंट ने फाइंडिंग दी, उसके खिलाफ प्रधान ने सिविल जज के सामने अपील पेश की, वहां उसकी अपील खारिज हो गई। उसके बाद में प्रधान हाई कोर्ट में गया, पता नहीं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ......

श्री लादूराम सुलानिया : जीत गये।

श्री किशन लाल वर्मा : इस तरह से धांधली हुई है, पैसे का दुरुपयोग किया है-- उसकी जांच की जाय। हम इस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो गरीब आदमी से टैक्स लेते हैं, लगान लेते हैं, दूसरी तरफ यह लोग गरीबों का पैसा खा रहे हैं, पानी की तरह उस पैसे को बहाते हैं और इस तरह से विकास के नाम पर उस पैसे को खा जाते हैं। यह शर्म की बात है, अफसोस की बात है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार गुमानपुरा में इसी प्रधान ने मिडिल स्कूल की छठी कक्षा खोलने की स्वीकृति ली थी लेकिन बीच में पार्टी पोलिटिक्स के कारण प्रधान ने इस स्कूल को सहायता देना बन्द कर दिया और स्कूल को काफी नुकसान पहुंचाया। वहां के हैडमास्टर थे श्री कालूराम उसको बिना किसी कारण 17-4-70 को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद 6-6 महिने तक वेतन नहीं दिया जाता है, जीवन उपार्जन के लिये भत्ता नहीं दिया जाता है। सस्पेन्ड पड़ा है। जिला परिषद् को अपील की है, एक साल हो गया है लेकिन आज पंचायत समिति ने फाइल नहीं भेजी है ताकि जिला परिषद् में उसका फैसला हो जाए। इस प्रकार मास्टरों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और जुल्म किया जाता है, हरैस किया जाता है। इस प्रकार पंचायत समिति के अन्तर्गत जो पाठशालायें चलती

(श्री किशनलाल वर्मा)

हैं वह शिक्षा विभाग को दी जायं ताकि वातावरण सुधरे और अध्यापकों को जो पार्टी पोलिटिक्स में घसीटते हैं वह न हो। इससे पढ़ाई भी अच्छी होगी और वातावरण भी सुधरेगा।

इसके अलावा पंचायत समिति सिकराय की जीप का दुरुपयोग होता है, रात दिन गाड़ी या तो प्रधान के द्वारा शादियों में घूमती है या जो उनके मुकदमें चलते हैं उनकी सुनवाई में और उनके रिश्तेदारों के काम आती है। पंचायत समिति की जीप दूसरे जिलों में और दूसरी तहसीलों में जाती है, ड्राइवर मिला हुआ है। उस बारे में लिखकर दे दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की।

इसी तरह से तहसील सिकराय में छोई का पानी भर जाता है, उस पानी को रोकने के लिये कई बार सर्वे कराई गई। पंचायत समिति ने हजारों रुपए लगा दिए, लेकिन आज तक नतीजा नहीं निकला। इस प्रकार पंचायत समिति के पसे को बहाया जाता है उसके लिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की जो कार्यवाहियां होती हैं उनके लिए प्रधान के खिलाफ जांच की जाए और दोषी पाने पर सस्पेंड किया जाए और जो रकम का इस तरह से दुरुपयोग किया है वह वसूल किया जाए ताकि पंचायत समिति का पैसा, जो विकास का पैसा है, उसका सदुपयोग हो, इस प्रकार आगे कार्यवाही न हो।

श्री उपाध्यक्ष (श्री विट्ठल प्रसाद के खड़े होने पर) आपको समय देंगे।

श्री सुवालाल चौधरी।

श्री लादूराम सुलानिया।

श्री रामकिशन : समय 40 मिनट।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : मैं निवेदन कर दूं कि सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी अभी पंचायत समिति के प्रधान के लिए कह रहे थे, एक एक बात न कहकर मैं इतना ही कह दूं कि क्योंकि वह विरोधी दल के प्रधान हैं और कांग्रेस का चमचा नहीं है और माननीय सदस्य की वहां दाल नहीं गलती है...

श्री किशनलाल वर्मा : पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। स्वतन्त्र पार्टी...

श्री लादूराम सुलानिया : मैंने स्वतंत्र पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा, वह कांग्रेस का चमचा नहीं है। कांग्रेस के प्रधान भ्रष्टाचार करें, या दुरुपयोग करें दुरुपयोग करें वह तो बरदाश्त हो सकता है करते हैं लेकिन विरोधी दल का कोई व्यक्ति अगर एक सुई की भी चोरी करे, एक पैसे का भी दुरुपयोग करे तो उसको राज्य सरकार छोड़ने वाली नहीं है। यह जो प्रधान के लिए बात कही है वह बिल्कुल गलत है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सिकराय पंचायत समिति के प्रधान ने कोई गलती नहीं की। अगर कोई लोन देता है तो वह सिंचाई के लिए देता है, उससे सिंचाई बढ़ेगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी। बीच में कमीशन की बात कही तो कमीशन कोई देता नहीं है। एजेन्सियां लेती हैं बीच में। कोई सिफारिश करे या प्रमाण

(श्री लादूराम सुलानिया)

पत्र दे, यह तो आप भी एम.एल.ए. हैं सर्टीफाई करते हैं और आप भी करते रहे हैं···

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जो कुछ किया है, जनहित में किया है।

श्री लादूराम सुलानिया : पंचायती राज के बारे में लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पंचायती राज जब बना, उसका मकसद अच्छा था। उसका उपयोग होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इतनी सी कमियां हैं, ये कमियां सरपंच की या प्रधान की हो, ऐसा नहीं है। कमी हमारी राज्य सरकार की है। सरकार ने पंचायतों को जो पावर्स दी हैं बिल्कुल कम हैं, कोई पावर नहीं दी। सरपंच को पावर मिलनी चाहिये। उनको गांव की आय बढ़ाने के लिए सफाई और सुरक्षा के लिए जो पावर दी है कम है। वहां आमदनी कम है और सरकार पैसा कम देती है। मैं चाहता हूं कि पंचायत राज अगर राज्य सरकार को रखना है तो पंचायतों की सीमा जो सरकार ने टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है, उसको ठीक करना चाहिए। एक गांव 8 कोस दूर, एक 10 कोस दूर और एक बिल्कुल पास में है। सीमा सही होनी चाहिए। अगर कोई गांव दो-तीन मील से दूर है तो अलग से पंचायत बनाई जानी चाहिए। पंचायत का घेराव ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी आराम से अपनी शिकायत लेकर सरपंच तक पहुंच जाए और उसका हल करा सके। तो पंचायतों की सीमा कम होनी चाहिए और पावर अधिक होनी चाहिए।

आज हमारे पंचायती राज में अगर विशेष कठिनाई आ रही है तो उसका कारण है कि पहले पंचायत में काम करने वाला जो सेक्रेटरी रखा जाता था वह सरपंच के मारफत रखा जाता था और उसको वेतन कम दिया जाता था और 24 घंटे काम करते थे। यदि गांव में कोई शिकायत लेकर जाता था तो उसी समय सुनवाई होती थी, न्याय मिलता था। लेकिन आज स्थिति राज्य सरकार ने ऐसी कर दी कि पंचायत के अन्दर ग्रुप सचिवों ने पंचायतों की सत्यानाश कर दी। एक एक ग्रुप सचिव 3-3 पंचायतों को संभालता है, वह हैडक्वार्टर पर नहीं रहता। बंटवारा पंचायत वाइज किया जाता है। दो-दो, तीन-तीन दिन एक एक पंचायत में रहते हैं। निश्चित तिथि पर ग्रुप सचिव नहीं पहुंचता। हैडक्वार्टर की चाबी ग्रुप सचिव के पास रहती है और सरपंच हो और ग्रुप सचिव न हो या ग्रुप सचिव चला जाए तो सरपंच न हो, तो पंचायत की मीटिंग नहीं हो पाती है। ऐसी हालत में पंचायतों में और सरपंचों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रुप सचिवों की है, वह अपनी मनमानी करते हैं। सरपंच, वार्ड मेम्बर्स और ग्रुप सचिवों में तालमेल नहीं है इसलिए इस पद को हटाया जाए और उनकी जगह जैसे पहले सेक्रेटरी काम करते थे पंचायत वाइज उसी तरह उनकी नियुक्ति की जाए ताकि ग्राम पंचायत का काम सुचारु रूप से चल सके।

पंचायत समितियों के लिए जैसे कई सदस्यों ने बताया, उनको तोड़ा जाए। इनमें घोटाला है तो ये बातें वहां के प्रधान या विकास अधिकारी दोनों में तालमेल

(श्री लादूराम सुलानिया)

नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण है। विकास अधिकारी क्या चाहता है, प्रधान क्या चाहता है, पंचायत समिति के सदस्य क्या चाहते हैं, इन सबका तालमेल अलग अलग रहता है। राज्य सरकार की नीति अच्छी नहीं है। जहां काश्तकारों को बीज वितरण पंचायत समिति के मारफत करते हैं, उसमें भी घोटाला है। अच्छा बीज नहीं भेजते हैं, खराब बेचते हैं, ग्राम सेवक और सरपंच मिलकर उस बीज का वितरण करवाते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके अनुसार वितरण कराने की योजना बनाते हैं लेकिन उगता नहीं। उगता है तो पकता नहीं, शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। गत वर्ष मेरी पंचायत समिति चाकसू में खराब बीज कृषि विभाग ने भेजा बाजरे का, वह उगा नहीं। हमारे प्रधान व विकास अधिकारी ने कृषि विभाग से लिखा पढ़ी की तो यहां से अफसर गये और उन्होंने यह माना है कि यह बीज खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि काश्तकारों से उसकी वसूली हुई है या नहीं। इस प्रकार की अनियमितायें राज्य सरकार की हैं और राज्य सरकार रोकथाम नहीं करती है। प्रधान और सरपंच उत्सुक हैं प्रोडक्शन का बढ़ाने के लिये। लेकिन यह दिक्कतें हैं। जीप का दुरुपयोग कोई नहीं करता है। यदि कोई करता है तो वह विकास अधिकारी ही उसका दुरुपयोग करता है। प्रधान के द्वारा दुरुपयोग करता है।। विकास अधिकार सरकार का व्यक्ति होता है, वह घोटाला करता है। मास्टरों की समस्या शिक्षा के विषय को लेकर चलती है, सारी की सारी बातें विकास अधिकारी रखता है। प्रधान की बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं सरपंच यदि कहता भी है तो वह कहता है कि यह बात कानून में नही आती है। पंचायत की मिटिंग में विधायक और कोई अधिकारी जाता है तो वह उस वक्त वही दबादेता है और कानून की बात नहीं रखता है और कहता है कि इसको ठीक कर देंगे। इसके अलावा उपाध्यक्षजी और कोई चारा नहीं है। अगर पंचायती राज को कायम करना चाहते हैं और जागृति लाना चाहते हैं, गांवों की सफाई और अच्छी योजना बने उसके लिये प्रधान को पावर्स डेलीगेट करिये। गांव में बिजली आदि की समस्या है। आप यह पावर प्रधान को दीजिये। पंचायत समितियों को रख कर तहसीलों को तोड़ दिया जाय। तहसीलदारों द्वारा जनता के साथ बड़ा अन्याय होता है, मनमानी होती है वह रुक सकती है और ग्राम पंचायतों की योजनाएं भलीभांति चल सकती है। इनको पूरा करने की और बनाने की पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों की क्षमता है। आप उनको अधिकार दीजिये। राज्य सरकार यह चाहती है कि जहां उनकी मनमानी करने वाले सरपंच और प्रधान हो तो वहां उसको सब कुछ करने देती है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उधर पंच परमेश्वर ही रह गये हैं। बहुत शुभ है।

श्री लादूराम सुलानिया : इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि अच्छे नियम बनाये और विधान बना कर परस्यु करे ताकि काम में आ सके।

(श्री लादूराम मुलानिया)

ग्राम पंचायतों की एक समस्या है। सरकार आदेश निकालती है। पिछले साल आदेश निकाले कि ग्रामों में बसने वाले परिगणित जाति और जन जाति के लोगों को फ्री जमीन दी जायगी। सारे के सारे आदेश लेट भेजे इसलिये सारी की सारी जमीन नहीं मिल सकी। न दे सके। एक साल के लिये जो आदेश निकाले वह एक साल के लिये होने चाहियें सदैव के लिये होने चाहिये। परिगणित जाति और जन जाति के लिये फ्री पट्टे दिये जायं, जहां पर मकान बना कर रह सकें। पिछड़े वर्ग में ज्यादा जागृति आ सकती है और रहन सहन की व्यवस्था अच्छी बन सकती है।

इसके अलावा पंचायत समिति के माध्यम से जितने भी परिगणित जाति और जन जाति को मकान सहायता और इस प्रकार की उनकी मांग है और लिखा पढ़ी की जाती है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि समाज कल्याण मन्त्री जिस पर खुश हो जाय उसको दे दे वरना पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की सिफारिश आती है। लोन भी नहीं देते हैं। राज्य सरकार इस प्रक्रिया को अपने हाथ में लें। समाज कल्याण मन्त्री अपनी मनमानी न करके पंचायत समिति जिसको समझे उसको डाइरेक्ट दे दें। सारी की सारी जिम्मेदारी इसकी सरकार पर है।

घोटाले की बात कहता हूं। पंचायत समिति फागी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि विकास अधिकारी ने 300 मन बीज फर्स्ट क्लास बीज सारे के सारे को राज्य सरकार के अधिकारी, जो गजेटेड अधिकारी थे वे बेच कर उसको खा गये और उसकी कोई बात नहीं हुई झूठ मूठ के दो चार को सस्पेण्ड करके आश्वासन दे देते हैं कि कार्यवाही हो रही है। प्रधान और सरपंच का कोई हाथ नहीं निकलेगा। विकास अधिकारी और कर्मचारी मिलकर घोटाला करते हैं। वहां के कर्मचारी हों चाहे विकास अधिकारी हो या अन्य हों वे प्रधान की आज्ञा में होने चाहिये, उनको पावर ऐसा देना चाहिए जिससे कि प्रधान पंचायत समिति को कन्ट्रोल कर सके। राज्य सरकार हस्तक्षेप न करे तो बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है। एक तरफ तो सुधार की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आप उनको पावर देते नहीं। जलेबी की रख वाली बिल्ली को बैठा दी है। खुद खायेगी, पुरस्कारी के लिए बैठी हूं, दूसरों को क्या खिलायेगी। राज्य सरकार की ढिलमिल नीति है। जब तक आप पावर नहीं देंगे, एरिया कवर नहीं करेंगे और और आवश्यकतानुसार पैसा नहीं देंगे तो हालत गांवों की अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के एरिया को टेढ़ामेढ़ा बना रखा है उसको मनमाने ढंग से बना रखा है उनको दायरे में लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट हो गये। इससे अधिक आप अपने ही दल के सदस्यों का समय लेंगे। उनको एतराज होगा कि हमारा समय नहीं रहा।

श्री लादूराम मुलानिया : दो मिनट और।

(श्री लादूराम सुलानिया)

छोटी पंचायतें हो जो ठीक तरह से चल सके। तीन मील से अधिक पंचायत न लगे। पंचायते समितियों और ग्राम पंचायतों को कन्ट्रोल करने के लिए प्रधान और सरपंच को पावर दिया जाय इन शब्दों के साथ साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज्य के विषय में थोड़ा कहूंगा। हम और जनता तरस रहे थे कि हमारे यहां पंचायत राज्य आये। और विकास हो। लेकिन पंचायती राज्य होने के बाद गांवों में यह स्थिति हो रही है कि आदमी यह कहते हैं कि विकास के बजाय विनाश हुआ और न्याय के बजाय अन्याय हुआ। यह बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रधान आपके पक्ष के हैं ?

श्री विट्ठल भाई : है साहब। सरकारी विभाग और विकास अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ये हर तरह से पक्षपात करते हैं और उसका कारण है कि सरकार की ओर से उनको गलत काम कराया जाता है। जैसे विकास अधिकारी है। पहले बी. डी. ओ. आर. ए. एस. को रखते थे और थोड़े दिनों के बाद नोन आर. ए. एस. बी. डी. ओ. लगा रखे हैं और सब ही जगह यह हालत है कि कहना तो अच्छा नहीं किसी मन्त्री के दौरे का प्रोग्राम होता है इन्तजाम में रहे बाकी विकास कार्य में ध्यान नहीं। मन्त्री कहेंगे वे ही काम करेंगे बाकी उनकी मरजी से काम नहीं करेंगे। यह हालत बांसवाड़ा जिले में है। उनको डर है कि मन्त्री का कहना नहीं करेंगे तो बी, डी. ओ. पद से उनको हटा देंगे और छुंटी पटक कर डाल देंगे। उनको डर है इसलिए उनके पीछे पीछे घूमते फिरते है और जो भी सत्तारूढ दल का मन्त्री दौरे पर जाता है, ये उसके कहने पर चलते हैं। बाकी विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं यही कारण है कि चाहे हमारा प्रधान हो चाहे किसी पार्टी का हो लेकिन वहां पर प्रधान और बी. डी. ओ. मेल नहीं खाता और यही कारण है कि वे सत्तारूढ पार्टी के कारण दबे हुए हैं और दबे रहने के कारण कार्य नहीं होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सात साल हो गये पंचायतों के चुनाव हुए। जनता में इसके प्रति असन्तोष बढ रहा है। चुनाव नहीं होने के कारण कोई सरपंच या पंच अपनी मनमानी करता है और मनमाना काम करता है और जनता उसकी शिकायत करती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और सात साल से बराबर वह चलता आ रहा है और आगे भी रहेगा। लोगों को विश्वास हो गया है कि चुनाव होना मुश्किल है। क्योंकि एक दो साल में चुनाव हो जायेंगे यह तो हमें भी विश्वास नहीं है और उनको भी भरोसा नहीं है। इसलिए जो सरपंच है, प्रधान है उन्होंने चाहे गबन किया हो, चाहे वे जनता का काम न करते हों, गलत काम करते हों उसकी उनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि सरकार उनको बचाने में है। जो जनरल चुनाव होते हैं उसमें सरपंच, बी. डी. ओ. प्रचारक होते हैं और कांग्रेस का प्रचार करते हैं। ये चुनाव में कांग्रेस

(श्री विट्ठलभाई)

की मदद करते हैं। यह धन्धा करते हैं। इसलिए वे जानते हैं कि हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह चुनाव नहीं होगा जनता की क्या हालत होगी इस पर भी आप विचार कीजिए। प्रधान को नहीं बदलेंगे, विकास अधिकारी का ट्रान्सफर नहीं करते हैं। तो आज कोई देखने वाला नहीं है। कलक्टर को शिकायत करते हैं तो कलक्टर पंचायत समिति को लिखकर भेजता है और पंचायत समिति कोई परवाह नहीं करती है। प्रधान और सरपंच परवाह नहीं करते और जनता की बुरी हालत हो रही है। जहां विकास हुआ है और वहां जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं। हमारे गांवाई कुए का सरपंच ने काम कराया और मजदूरी नहीं दी और सरपंच साहब पैसा खा गये। यह शिकायत जरूर होती है।

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

(2.22 म.प.)

आज तक इन शिकायतों की कोई जांच नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं। घाटोल पंचायत समिति ने हरिणवा पंचायत में एक गांवाई कुआ बनाया। दो, तीन साल इसको बने हो गये हैं। वहां पर लोगों ने मजदूरी की चाहे गाड़ियों से की हो, चाहे और तरीके से की हो, और चाहे टोकरी से मजदूरी की लेकिन मजदूरी की और उस मजदूरी का उनको चुकारा नहीं किया गया। पंचायत समिति में भी शिकायत की। कलक्टर को भी शिकायत की लेकिन आज तक सुनवाई नहीं की। उन मजदूरों ने क्या गुनाह किया था कि उनको आज तक उनकी मजदूरी का चुकारा नहीं किया गया। कुछ दिनों पहले मैं वहां पर गया था।

लोगों ने शिकायत की कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार भूखे इन्सानों गरीब आदिवासी मजदूरों को उनकी मजदूरी का पैसा दो दो साल तक नहीं दिया जा रहा है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। सरपंच पैसा खा जाता है। मजदूर को मजदूरी नहीं। वे लोग भूखे मरते हैं, और काम करते हैं। तो यह कहां का न्याय है। यह अन्याय के सिवाय कुछ नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करवा कर पंचायत के लोगों को जो उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है उसको दिलाने की कृपा करें।

दूसरी एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारी पंचायतों के पास धनराशि की बहुत ही कमी है। जितना विकास कार्य पहले हुआ था वह सारा का सारा पंचायत समितियों में अधूरा पड़ा हुआ है। आज तक उसके लिये उनके पास कोई धनराशि नहीं है। पैसा उनको नहीं मिलता है और कार्य पूरा नहीं हुआ है। जितना भी कार्य है अधूरा पड़ा है। अब एक तरफ तो लाखों रुपये सरकार ने खर्च किये पंचायत समितियों पर और दूसरी तरफ कार्य अधूरा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कराने के लिये सरकार या तो पैसा दे और उनको पूरा करवायें। अगर पूरा नहीं करवाया तो जितना हमारा पैसा खर्च हुआ है वह बेकार चला जायेगा। चाहे एनीकट में हो, चाहे कुए में हो, चाहे स्कूलों पर हो, चाहे किसी

(श्री विट्ठलभाई)

भी ढंग से तो लेकिन जितने अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कराने के लिये सरकार व्यवस्था करे और पंचायत समितियों को पैसा दे और उसको पूरा करावे नहीं तो जो पैसा हमारा खर्च हुआ है वह बेकार जाने वाला है और किसी काम का नहीं है।

एक बात मैं अपने क्षेत्र पीपलखूट पंचायत समिति के बारे में कहूंगा। यह मेरा क्षेत्र है। सरपंच प्रधान हमारे पार्टी के हैं। मैं यह उनके खिलाफ नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारे यहां जो कार्य हुआ है उसके बारे में कह रहा हूं। 16 एनीकट वहां पर बनाये गये। उस वक्त मौजूदा प्रधान नहीं थे, दूसरे प्रधान थे। ये एनीकट्स विकास अधिकारी ने अपनी मर्जी से वहां की पंचायतों के सरपंचों को पैसा देकर बनवाये। यह जो एनीकट्स बने हैं उसके घोटाला हुआ और उसमें पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। एक एक एनीकट 25 हजार रुपया का था। इसमें मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अगर वे इसकी जांच करेंगे तो मालूम होगा कि पैसा कहां पर गलत खर्च हुआ है। इस गलत काम को देखकर हमको दुःख होता है। सही तरीके से पैसा खर्च किया जाता तो लोगों को राहत मिलती। इन इन एनीकट्स से कुछ भी बीघा जमीन को पानी नहीं लगा है। इन 16 एनीकट्स में एक भी एनीकट सरसब्ज नहीं है। कुछ तो टूटे पड़े हैं और कई ऐसे लगते हैं, जैसे वर्षों से टूट पड़े हैं। कहीं बने हैं तो लीकेज होता है, नीचे से पानी चला जाता है। कहीं मिट्टी भर कर बराबर हो गये हैं और उससे सिंचाई बराबर नहीं होती है। एक बून्द पानी भी किसी एनीकट में नहीं है। तो यह देख रेख किस की थी विकास अधिकारी की? विकास अधिकारी ने देखा नहीं है। हो सकता है कि विकास अधिकारी ने भी अपने पास कुछ पैसा रख लिया हो या न रखा हो, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हुआ। और इतना पैसा खर्च हो गया फिर भी सारा कार्य अधूरा पड़ा है और जहां कहीं भी हुआ तो वह सही ढंग से नहीं हुआ। तो यह गलती किसकी? चाहे वह विभागीय कार्य हुआ हो बी. डी. ओ. और ओवरसीयर के द्वारा हुआ हो या सरपंच के द्वारा यह जो कार्य हुआ है उसके लिए उनकी जिम्मेदारी थी। इसकी जांच कराके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ताकि हमारे धन का जो दुरुपयोग हुआ है वह नहीं हो। इस लिये में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो एनीकट के बारे में मैंने कहा है उसकी जांच वे करावेंगे। कलक्टर को लिखेंगे कि जांच करे और सही स्थिति को आपके सामने रखे और जो चार लाख रुपया इस पंचायत समिति के अन्दर बेकार खर्च हुआ है वह नहीं हो।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। जो न्याय पंचायतें हैं वे आपकी न्याय पंचायतें ठप्प पड़ी हैं। न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है। न्याय पंचायतों की कोई बैठकें नहीं होती हैं। इसका कारण है उनके पास न तो सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी है तो उसकी तनख्वाह नहीं दे पाते हैं क्योंकि न्याय पंचायत को कोई आमदनी नहीं है। कोर्ट फी है, लेकिन कितनी होती है। कोई आमदनी नहीं होती है। अगर न्याय पाने के लिये कोई केसेज आते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती है।

(श्री विठ्ठलभाई)

उसके अन्दर भी दो दो साल लग जाते हैं। न्याय पंचायतों में पंच बराबर नहीं आते हैं और इस प्रकार इन्साफ नहीं होता है। मैं पंचायत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इन न्याय पंचायतों को चलाना चाहते हैं तो उनको कुछ धन-राशि दें ताकि सही ढंग से ये न्याय पंचायतें चल सकें जिस तरह की मुन्सिफ कोर्ट चलती हैं। जनता को सस्ता न्याय देने के लिये न्याय पंचायतें कायम की गई हैं परन्तु न तो उनके पास कोई धनराशि है, न क्लर्क है और जिससे जनता को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। या तो आप इनको तोड़ दीजिये इससे जनता को कोई फायदा नहीं है। लोग तबाह हो रहे हैं। केसेज की पेशियां पड़ रही हैं। कई दिनों तक न्याय नहीं मिल पाता। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि या तो आप उनके लिये कुछ धनराशि का इन्तजाम करें ताकि वे चल सकें नहीं तो आपकी न्याय पंचायतें ठप्प पड़ी है। इसी तरह से पंचायत समिति का हाल है। विकास अधिकारी को आपने जीप दे रखी है, नौकर दे रखे हैं लेकिन धन कोई नहीं दे रखा है। किसी भी पद के लिये उनके पास पैसा नहीं है। जब आपके पास में पैसा नहीं है तो इन पंचायत समिति को रखने में फायदा क्या है केवल पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तनख्वाह दें और वह जीप गाड़ी लेकर अपनी मर्जी आवे उधर घूमता रहे। वह न तो कोई विकास कार्य करता है और न कोई काम करता है....

तो ये जीपें देकर विकास अधिकारी को और स्टाफ को तनख्वा देते हैं। तो सरकार का इतना खर्च क्यों? या तो विकास के लिये उनको पैसा दे या पंचायत समितियों को मजबूत बनायें जिसमे विकास अधिकारी के पास जो जीपें होंगी उसको उपयोग में ले और जनता में जाये तो अच्छी तरह काम करे। अगर पंचायत समितियों को पनपाना है तो उनकी स्थिति को मजबूत करिये और अगर पंचायतों को खतम करना है तो मैं यह भी सुझाव करता हूं कि इनको तोड़ देना चाहिये। इनको कोई उपयोग नहीं है-पंचायतों को रखने से क्योंकि पंचायत समितियों को रखने से जनता का पैसा खर्च होता है-जीप वगैरह में जो पैसा खर्च होता हैं, वह बेकार जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो पंचायतों को पनपावो या बन्द करो।

कुछ मैं ये सरकारी लेन देन के विषय में भी कहूंगा कि हमारी सरकार की ओर से जो बीज बिजवारा और चाहे खाद हो सरकार खरीदती है और उनको किसान को समय पर देने के लिये, एक तो समय पर देगी नहीं। बरसात हो जायगी तब बीज बिजवारा देगी जब किसान कहीं से लेकर बो देगा और महीने 15 दिन बाद बीज बिजवारा देगी और जो भी बीज बिजवारा देगी वह इतना हाई होगा जो पकने के बाद काश्तकार को एक आना भी पैसा देने को सरकार तैयार नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ऐसे मंहगे बीज जैसे संकर मक्का और गंगा मक्का, मैं बांसवाड़ा जिले की बात करता हूं एक साल पहले गंगा मक्का सरकार ने खरीदी-8 60 बोरी में और वह मक्का सरकार ने कितने में बेची, 18 रुपये बोरी में और वह भी

Page No 108

(श्री विट्ठलभाई)
काश्तकार को उनकी मरजी पर नहीं दी, जबरदस्ती ले जाकर बोरी डाल दी— पंचायतों के मारफत। इसका कारण यह है कि वे लोग आज कर्ज में फंसे हुये हैं। बीज बो दिया और बाद में बीज ले गये और जबरदस्ती काश्तकार को दिया। बीज के नाम से उनको 18 रु० बोरी के हिसाब से दिया जो बोरी सरकार 8 रु० में खरीदी थी और एक बोरी 6 किलो की होती है। उनके नाम से सभापति महोदय आज तक करजा मान्ड रखा है। बहुतसों से वसूल हो चुका है और बहुतसों से अभी वसूल नहीं हुआ है। 6 किलो मक्का के आज 18 रुपये वसूल कर रहे हैं तो यह कहां का न्याय है? यह तो बहुत बड़ा व्यापार हुआ। काश्तकार मर गया। एक बोरी के जिसमें 6 किलो मक्का है 18 रु० में बेची है और वह भी काश्तकार को समय पर नहीं दी और उस बीज की 2-2, 3-3 बोरी काश्तकार को दे दी। 18 रुपये के बजाय 36 रु० और 54 रुपये काश्तकार के पड़ गये। इस प्रकार लोगों पर बहुत बड़ा कर्जा लाद दिया गया। इसी तरह खाद ... बोरी के पैसे ... रुपये, 50 रुपये ... आज काश्तकार आपके बीज और खाद से द... हुआ है। आज काश्तकार पनप नहीं सकता है। इसलिए ज्यादा वर्षों से जो यह खाद दिया है और बीज दिया है सही ढंग से उनको समझाया नहीं है। जिसने खाद और बीज लिया वह किसान कर्जे में फंस गया इसलिए मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय उस पुराने खाद और बीज को काश्तकार के लिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि वे अब दे नहीं पायेंगे। काफी पैसे का कर्जा बढ़ गया है, वसूली नहीं हो पा रही है। इस तरह दोनों का जो कर्जा दिया है गलत ढंग से खाद दिया और गलत ढंग से ही बीज दिया, उनका नुकसान हुआ है। सरकार माफ करे नहीं तो काश्तकार आगे आने वाला नहीं है और जो नीति आपके समाजवाद की है वह आगे न आकर डूबेगी। इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन है जो काश्तकार का पुराना कर्जा है 4 साल पुराना, 10 साल पुराना उस कर्जे को माफ कर देना चाहिये नहीं तो काश्तकार पनप नहीं सकेगा। हजारों साल तक वसूल करेंगे तो यह वसूल होने वाला नहीं है और आपका यह कर्जा डूबेगा इसलिए आप अपनी ओर से उसको माफ कर दें।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

(अनुपस्थित)

श्री प्रभीलाल यादव

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पार्टी की हाजरी ले रहे है क्या ?

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) : मैं उपस्थित हूं। सभापति महोदय, मांग संख्या

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

20 मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं मांग संख्या 44 सरकार की व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत इन पर मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं पहले मैं मांग सं० 44 सरकार की व्यापारी योजनाओं पर पूंजी की लागत पर विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सदन में पहले भी मैंने यह मांग की थी कि मोटे अनाज के भाव गिर रहे हैं और राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम भी उठाये परन्तु उस कदम का अभी तक इम्प्ली-मेन्टेशन नहीं हुआ और न वह कदम कारगर साबित हुये। उस कदम से जो पहले आठ परसेन्ट काले दाने के बजाय 12 परसेन्ट काले दाने के बारे में निर्णय लिया गया और अब मुझे यह मालूम पड़ा है कि राज्य सरकार ने 60 परसेन्ट काला दाना अगर अनाज में सम्मिलित है तो भी वह बेचा जा सकता है और गवर्नमेंट उसे खरीद सकती है। इसका भी अभी तक इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। भाव अभी तक जोधपुर शहर में और बाडमेर में 38 और 40 के बीच में है और गवर्नमेंट में 48 रु० हिसाब से खरीदने का निर्णय लिया है एफ० सी० आई० ने 50–52 रु० के हिसाब से खरीदा है किन्तु वह बहुत ही कम खरीदा है और जालौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम खरीदा गया है। जब किसान अनाज बेचने के लिए अनाज मण्डी में आता है और जब कुछ अनाज बिक जाता है और अधिकांश नहीं बिकता है तो व्यापारी उनसे बहुत ही सस्ते भाव से अनाज खरीदते हैं। यह स्थिति मैंने बाडमेर गर में देखी है और अन्य स्थानों से भी सूचना मिली है क्योंकि जो किसान बाजरा बेचने के लिए आया है वह वापिस ले जाने को कभी पसन्द नहीं करेगा क्योंकि उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं है और उसको वापिस ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और होता है इसलिए उसको किसी न किसी प्रकार अनाज बेचना पड़ता है। इस प्रकार उसको बहुत कम कीमत मिलती है। 35 रु० के हिसाब से उन्हें बाडमेर में मिलता है।

और इन्टीरियर गांवों में अभी तक भाव 30-32 पर क्विन्टल के हिसाब से है। इसलिए राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वह निर्णय वास्तविक है और उस निर्णय का इम्प्लीमेन्टेशन करें। जो 10 हजार क्विन्टल की खरीद करना चाहिए यद्यपि इससे राज्य सरकार के ऊपर काफी वजन पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से मदद लेना पड़ती है, लेकिन किसान के हित में यह कदम सरकार को उठाना चाहिए।

दूसरा मैं पंचायतों के बारे में मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ तो हमने बड़ी आशाएं बान्धी थीं कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण बड़ा सफल होगा और पंचायत राज्य बड़ा सफल होगा और इससे नई नेतागिरी पैदा होगी और नई लीडरशिप पैदा होगी, और वह इस देश का शासन इन ग्राम पंचायतों का शासन इस प्रकार से करेगी कि जिससे जनता को बहुत ही लाभ पहुंचेगा, परन्तु जो हमारी आशाएं

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

थीं वे आशाएं सफलीभूत नहीं हुईं या यों कहें कि आशाओं पर तुषारापात हो गया। अब इस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में जब शक्ति कुछ आती है तो उस शक्ति का दुरुपयोग भी होता है और उस शक्ति के आने पर करप्शन भी आ जाता है। यही स्थिति आज इन पंचायतों की हुई है। शक्ति के आने पर शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। ग्राम पंचायत के पास तो बहुत ही कम शक्ति थी वह क्या दुरुपयोग करती, जिला परिषद् के पास भी शक्ति नहीं थी कि दुरुपयोग करे। लेकिन इन शक्तियों का अधिक से अधिक दुरुपयोग पंचायत समितियों ने किया। जीपें उनके पास में थीं तो जीपों का दुरुपयोग किया और अभी तक उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जीप व कारें चाहें वे किसी मन्त्री के पास हों, चाहे प्रधान के पास में हों, तो वे उन जीपों और कारों का दुरुपयोग करते ही हैं। कोई यह नहीं समझता है कि यह राष्ट्र की सम्पत्ति है तो इसका दुरुपयोग न करें। हमारा तो दृष्टिकोण इस प्रकार का है कि यदि राज्य की कोई प्रापर्टी है तो हम उसका पूरा दुरुपयोग करें तो यह दृष्टिकोण बड़ा खतरनाक है और इसमें परिवर्तन करना होगा।

पंचायतों के लिए मेरा यह कहना है कि अब जो कमेटी आप जल्दी से जल्दी बना रहे हैं तो उसके लिए यह कहा गया है पंचायतें अवश्य बड़ी होनी चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा इसके विषय में यह भी कहना है कि बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र ही विस्तृत क्षेत्र हैं और उनका एरिया बड़ा विस्तृत है और एक एक ग्राम 12-14 मील के एरिया में आया हुआ है। तो अगर कोई गवर्नमेंट इस प्रकार का निर्णय ले तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्र में क्षेत्र जो कि बहुत विस्तृत क्षेत्र हैं उनमें पंचायतों के क्षेत्र को बढ़ाया जाय।

दूसरा मुझे इस अवसर पर यह कहना है कि आप पंचायत समितियों को रखें, जिला परिषदों को रखें। परन्तु जो इलेक्शन हो चाहे पंचायत समितियों के प्रधान के हों या प्रमुखों के हों। वे इन्डाइरेक्ट इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वे डाइरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाईज के बेसिस पर वह इलेक्शन होने चाहिए। अगर इन्डाइरेक्ट इलेक्शन्स होते हैं तो प्रधान के इलेक्शन में पंच और सरपन्च उसके अन्दर भाग लेते हैं मत देने में और उनमें जो प्रधान खड़ा होता है तो जिसके पास में अधिक से अधिक साधन होते हैं जीपें और दूसरे साधन होते हैं तो वह उन पन्चों और सरपन्चों को जल्दी से जल्दी एकत्रित कर लेता है और 6-7 दिन तक रोक रखता है और रोक कर फिर वह शक्ति प्राप्त कर लेता है और प्रधान के पद पर सफल हो जाता है। उससे करप्शन भी बढ़ता है। तो मेरा यह मत है कि यह जो चुनाव है प्रधानों का चुनाव हो या प्रमुखों का हो वह जैसे असेम्बली के चुनाव होते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर तो ये चुनाव भी उस बेसिस पर होने चाहिए। इससे करप्शन नहीं बढ़ेगा और योग्य प्रधान भी आ सकेगा जनता में जिनकी प्रसिद्धी है, जिनकी मान्यता है वे ही इसके लिए चुने जा सकेंगे, इसलिए मेरा यह कहना है कि अब जो आप

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

परिवर्तन करना चाहते है उस परिवर्तन के अन्दर मेरा यह दृष्टिकोण है कि डाइरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पर प्रधानों के एवं प्रमुखों के चुनाव कराये जाएं। तो वह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा।

अब जो विकास अधिकारी हैं तो पहले आर. ए. एस. थे और उसके बाद में जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफीसर्स और ऐनीमल हस्बेन्ड्री ऐक्सटेन्शन आफीसर्स थे उनको अपग्रेड करके विकास अधिकारी बना दिए हैं। मेरा यह दृढ़ मत है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वे इतने एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर सकसेसफुल नहीं होते हैं और जितने भी एक्सपर्ट जो कि बी. डी. ओज. हुए हैं वे एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर इतने ज्यादा होशियार नहीं हैं और वे जीपों का दुरुपयोग करते हैं और उनका जो रियल एग्रीकल्चर का वर्क है वह होता ही नहीं है और उसी प्रकार से ऐनीमल हसबेन्ड्री का वर्क है वह सफर करता है। अगर इसका इवेल्यूएशन किया जाय तो मैं तो इस बात पर दृढ़ हूं कि जो एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफीसर और एनीमल हसबैन्ड्री एक्सटेन्शन आफिसर को बी डी. ओ. बनाया जाय तो उसके विकास की गति अवरुद्ध होती है और उसके विकास की गति में बाधा पड़ती है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

यह जरूरी है किसी भी सूरत में जो एक्सर्ट है जिसको कि उस विषय को जानकारी है उनको इन्चार्ज विकास अधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए, और अगर बनायेंगे तो विकास की गति आगे नहीं बढ़ सकेगी और उसमें बाधा आयेगी। यह भी मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

मुझे यह कहना है कि ग्राम पंचायतों की सीमा में जो गोचर भूमि है परन्तु गोचरों को कुछ प्रभावशाली किसानों और कुछ प्रभावशाली लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों की यह स्थिती नहीं हैं कि उन पर फौजदारी मुकदमा करके उनके पन्जे से जो है यह गोचर जमीन ले ले, उनके नाजायज कब्जे को हटाकर कब्जा ले ले। तो इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिलाधीशों को यह डाइरेक्शन देने चाहिए कि गोचर की जमीनों पर कोई नाजायज कब्जा करें तो कलेक्टर्स उनकी पूरी मदद करें और जिन्होंने कब्जा किया है उनको उस कब्जे पर से हटा दिया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत ही केयरफुल हों क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में गोचर जमीन का बड़ा ही महत्व है। वहां की एनीमल हस्बेन्डरी का विशेष महत्व है वहां पशुधन का विकास करना बहुत जरूरी और उसके लिए गोचर भूमि का होना बहुत ही आवश्यक है और गोचर जमीन को स्वार्थी लोग दबा रहे हैं। इसकी सुरक्षा के लिऐ गवर्नमैंट विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिए मेरा सम्बंधित मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि गोचर जमीन की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि गवर्नमेंन्ट कलेक्टर्स वगैरह को निर्देश दे जिससे पंचायतों को उक्त सुविधायें मिलें।

सचिवों की नियुक्ति के बारे में मेरा यह कहना है कि बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में जो

Page No 112

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

भी सरपंच वगैरह हैं वे बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं और बहुत कम पढ़े-लिखे होने से वे इमानदारी से काम करें तो भी किसी तरह से उनको फंसा दिया जाता है मिसएप्रोप्रीयेशियन ग्राफ एकाउन्टस में तो सचिवों की नियुक्ति होना चाहिए, और मेरा तो यह निवेदन है कि ग्राम सेवक जो है हम देखते हैं कि हमारे बाड़मेर जिले में ग्राम सेवक का काम बहुत ही कम रह गया है। दो तीन पंचायतों को मिलाकर एक मुकररं कर दिया जाय और वे उन ग्राम पंचायतों में काम करें, और एकाउन्टस वगैरह मेन्टेन करने का कार्य करें। मिटिंग का एजेन्डा लिखने का कार्य करें, मिटिंग का प्रोसेडिंग्स लिखने का कार्य करें तो वे यूजफुल हो सकते है तो इनके सचिवों की नियुक्ति की जाने के आदेश कर देना चाहिए दूसरा मुझे इस अवसर यह भी कहना है कि।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बस यही है।

वास्तव में हमें पंचायत समितियों को मजबूत करना है। तो हमें सोचना है कि 6-6 साल तक चुनाव नहीं होता है। परन्तु जब होतो पूरे तौर से हों। जिला परिषद बनाई जाये। पंचायत समितियां बनाई जाएं। तो उनको पूरे अधिकार होने चाहिए उनके पास जो रेवेन्यू है उनका 14 शेयर पंचायत समितियों को दिया जाय। इस तरह से वास्तविक रूप में उनको मजबूत करना चाहते है तो शीघ्र कदम उठाने होंगे।

श्री सभापति : श्री हरजी राम बुरडक श्री जुझार सिंह।

श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी) : सभापति महोदय, सामुदायिक विकास योजना पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिया है। वैसे तो पंचायतों का भी डी वेल्यूएशन ये खुद ही कर चुके हैं। 1959 में जो उनको पावर दी गई थी। वह धीरे धीरे सब विड्रा करली गई है। कई आफीसर्स को हटा कर उसे काफी वीकर कर दिया गया है बी. डी. ओ. का काम एक्सटेंशन अधिकारियों से लिया जा रहा है और विकास अधिकारी वहां लगे हुये हैं वह दिलचस्पी से काम नहीं कर सकते हैं। क्यों कि उन्हें भरोसा नहीं है कि वह वहां रहेंगे या नहीं। इन्होंने विकास अधिकारियों की सीनियोरिटी लिस्ट भी नहीं बनाई है। इसलिए वह अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी पंचायत राज की तरफ पूरी तब्वजोह नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव साइड विकेन होने के कारण भी इसकी उपेक्षा हो रही है। पंचायत समितियों की ओर से कई प्रकार के लोन्स दिये जाते हैं जैसे डवलपमेंट लोन, एग्रीकल्चर लोन, और दूसरी प्रकार के कई लोन हैं जो एडवांस किये हुए है। और विकास पंचायतों में रिकार्ड ठीक नहीं रखने के कारण उनकी मांग की जा रही है। वह रिकार्ड कम्पलीट नहीं है होने से जिस आदमी का ड्यू अमाउन्ट बताया गया है, उसका यह पता नहीं है कि वह वास्तव में ड्यू ही है या नहीं। लोगबाग कहते हैं कि हमने पेमेन्ट कर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने लिया ही नहीं है। रिकार्ड ठीक नहीं है। जो एतराज नहीं करते है उनसे विद पीनल इन्टेरस्ट वसूल किया जाता है। सभापति महोदय, मेरे स्वयं के खिलाफ भी एक पीनल इन्ट्रेस्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जिसके हम अवस्य

(श्री जुझार सिंह)

भी नहीं है। 12 वर्ष का पुराना बकाया बताया। बताया गया कि खानपुर पंचायत समिति से खाद ली थी, उसका पेमेन्ट करना है। मैंने लिखकर भेजा कि क्या मेरे दस्तखत हैं? या, उससे हमारा कोई सम्बन्ध है। जब उन्हें मालुम हुआ तो गलती को दर्ज करते हुये लोन को राइट आफ कर दिया। यह तो एक एग्जाम्पल है। दूसरी पंचायतों में इसी प्रकार का किया जा रहा है। उनसे पीनल इण्ट्रेस्ट लिया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी जांच करवायें जिससे कि पता चले कि दरअसल ये लोन एडवांस किये गये या नहीं। आप को रिकार्ड नहीं रखने ले पीनल इण्ट्रेस्ट बन्द करना चाहिए। यह पुरानी मांग है। इसके लिए जिला परिषद् की ओर से राज्य सरकार को लिखा भी गया है। राज्य सरकार पंचायत समितियों को एक बेकार महकमा समझती है। उनकी लिखी हुई बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदय, क्योंकि मेरी पार्टी की ओर से 2 मेम्बर और बोलने वाले हैं। इसलिए खास-खास मुद्दे जिनके बारे में मैंने कटोती प्रस्ताव दिये हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, पंचायत समितियों में जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है, इसकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सभापति महोदय, इस मसले पर मैं निवेदन करूंगा कि जिस बारे में विधान सभा में भी जवाब दिया गया है। मैंने मन्त्री महोदय को कई बार पत्र भी दिये हैं। मैं ऐसा खयाल करता हूं कि पंचायत मन्त्री महोदय की मेमोरी बहुत शार्प है। सभापति महोदय, जैसा कि 2 वर्ष पहले प्रश्न किया था, सलोता पंचायत के सरपंच जिन्होंने पंचायत के कैश में गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है। अनियमितता की है, उनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कोई एक्शन हो रहा है। मेरा प्रश्न 139 संख्या का है। उत्तर में बताया गया है कि 1964 में ऐसे भ्रष्टाचार का मामला राज्य सरकार के सामने पेश हुआ है। 1967 में वह विधान सभा के सदस्य बन गये। उसके बाद 1968 में राज्य सरकार के उप मन्त्री बन गये। 25–5–69 को फिर कलेक्टर ने जांच करने के लिए पिड़ावा तहसीलदार के पास भेजा।

पिड़ावा का तहसीलदार उस मामले में लिखकर राज्य सरकार को भेजता है, क्योंकि यह सदस्य, यह सरपंच महोदय अब राज्य सरकार में उप मंत्री बन गये हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ जो चार्जेज हैं उनकी जांच नहीं कर सकता। उसके बाद में जिलाधीश के पास यह मामला रैफर किया गया। जिलाधीश ने भी उन भ्रष्टाचार के आरोपों के अगेन्स्ट जांच करने में अपने आपको कमजोर पाया और उन्होंने बिना किसी जांच किये उप मंत्री होने के नाते उस मामले को राज्य सरकार को रेफर किया। इस जवाब में भी बताया है, जिलाधीश इसलिए आरोपों की जांच करने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उप मंत्री हैं तहसीलदार ने साफ लिख कर भेज दिया कि उप मंत्री हैं इसलिए जांच नहीं कर सकता। जिलाधीश ने राज्य सरकार को रेफर किया तो राज्य सरकार आदेश देती है कि इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि जांच करके टालमटोल

(श्री जुझार सिंह)

करके भेज दी जायगी। बी.डी.ओ. ने लिखा हुआ है, बरसात का मौसम है इसलिए नहीं पहुंच सकता। बरसात के बाद में जांच की जायगी। अभी आरोप हैं इनकी जांच का प्रश्न पैदा नहीं होता है। यह किस्सा लम्बा-चौड़ा है, भले ही आपकी तरफ विराजमान हों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वह आरोप उप मंत्री बनने मात्र से रद्द कर दिये जाते हैं। यह जो जवाब इस विधान सभा में सरकार के द्वारा दिया गया है, क्या वह जवाब वास्तव में देने लायक है। फिर कहते हैं 1969 के बाद, उस टाइम को भी दो साल हो गये, दो साल के बाद, मैं पूछना चाहता हूं कि दो साल के अर्से में बी.डी.ओ. से, दूसरे व्यक्ति से, जिसके मार्फत आप जांच करवाना चाहते थे, उसने क्या जांच की और जांच होने पर आपने क्या एक्शन लिया है। सभापति महोदय, यही नहीं, इस प्रश्न पर कई बार चर्चा हो चुकी है, मंत्री महोदय को इधर परेशानी होती है...

श्री फतहसिंह : यह उप मंत्री कौन हैं?

श्री जुझार सिंह : श्री कन्हैया लाल! मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते है, इस विधान सभा में कई बार प्रश्न आ चुका है, इन्होंने मंत्री बनने के बाद में दो साल तक सरपंच की हैसियत से काम किया है, मीटिंग अटेन्ड की हैं, भत्ता उठाया है और इनके द्वारा अनियमितायें हुई हैं–यह जब प्रश्न विधान सभा में उठाये गये तो मंत्री महोदय ने प्राटेक्ट करने के लिए खूब सूरत ढंग से जवाब दिया। यह साबित करने की कोशिश की कि उस पीरियेड में सरपंच नहीं रहे थे, इस्तीफा दे दिया था। वह बात माननीय अध्यक्ष महोदय के पूछने के ऊपर, चेम्बर में बुलाकर जब ज्यादा जोर डाला, और विधान सभा में प्रश्न हुआ, चेम्बर में पूछा गया तो उप मंत्री जी ने मंजूर किया कि मैंने तीन चार महीने पहले इस्तीफा दिया है, उसके पहले मैं सरपंच था। मैं उस बात को ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि उस पर काफी बहस हो गई है। मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, उन्होंने यह कहा था, मैंने तीन चार महीने पहले इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बारे में दिनांक बार बताई कि फलां फलां तारीख को एक पत्र रेजिगनेशन का कलेक्टर के पास भेजा है। इसकी जांच हुई, तो वह पत्र जिसका रेफरेन्स विधान सभा में दिया था, जिसका नम्बर और तारीख विधान सभा की प्रासीडिंग्स में मौजूद है, वह पत्र था, वह पत्र या, वह रेजिगनेशन का पत्र नहीं था बल्कि वह किसी जमीन के प्लाट को रेगुलेराइज कराने के लिए रिकमन्डेशन किया हुआ पत्र था, उस पत्र को गलत तरीके से काट कर, जो मौजूद है रिकार्ड में, इस्तीफे का पत्र बताया था, उसकी जांच अभी तक नहीं कराई है। मैं कहना चाहता हूं कि एक आदमी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वह मंत्री बनने के बाद भी सदन में गलत और झूठ बोल कर दूसरे पत्र को इस्तीफे का पत्र बता कर सदन को गुमराह करना चाहता है, उसको आप बेजा तरह से क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं–इससे पंचायती राज मजबूत नहीं होगा इससे उस इलाके में लोगों में गलत

(श्री जुझार सिंह)

तरीके से हवा फैलती है और लोगों को भ्रष्ट तरीके अपनाने का, भ्रष्टाचार करने का प्रोत्साहन मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह मंत्री महोदय की, जो सरपंच थे, शायद आफिसियली अगर ईमानदारी से जांच की जाय तो इन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया है, यह सरपंच चले आ रहे हैं, और अपने दबाव से सलोतिया के पास 268 बीघा, दो विस्वा जमीन में बिना किसी कार्यवाही के किये जबर्दस्ती स्कूल बना लिया है। मैंने माननीय रेवेन्यू मंत्री सहाब से इसके बारे में एक प्रश्न किया, उनको पत्र लिखा और यहां पर एक कटौती का प्रस्ताव पिछली विधान सभा में दिया, उसका जवाब यह दिया गया, यह सही है कि सलोतिया की पंचायत में नम्बर 268 में स्कूल बना लिया है। यह भी सही है, पटवारी ने इसके अलावा भी दफा 91 में कोई कार्यवाही नहीं की है। यह भी सही है, यह जमीन रेवेन्यू लैंड है। लैंड रेवेन्यू की है, उसको कन्वर्ट कराये बिना, बिना गवर्नमेंट की पर्मीशन के इस प्रकार का भवन बनाया है। यह भी एक अनियमितता है (समय समाप्ति-सूचक घंटी) मैं दो तीन मिनट और लूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बावजूद भी इर्रेगुलर तरीके से सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर लेना, कब्जा करने के बाद स्कूल बना लेना, स्कूल बनाने के लिए जमीन को कन्वर्ट नहीं करना यह सब कार्यवाहियां होते हुए भी, रेवेन्यू मिनिस्टर के कलेक्टर को लिखने के बावजूद, कलेक्टर को पत्र लिखने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस तरह राज्य सरकार के प्रोत्साहन से यह दूसरी अनियमिततायें, दूसरे इलाके में कर रहे हैं। इस ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यही नहीं, इसके अलावा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यह फैक्ट्स बतलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इनके बारे में मंत्री जी को करीब डजन पत्र लिख चुका हूं, और जवाब भी एक दो का दिया है, वह जानकारी स्वयं रखते हैं,

एक दूसरे सरपंच हैं, हरिसिंह जलाडिया कली, पंचायत समिति डग। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा। इस व्यक्ति के अगेन्स्ट पंचायत के फण्ड के गबन का केस है। इन्होंने स्पष्ट तौर से मंजूर किया है: जो हां, इसने गबन किया है! आडिट रिपोर्ट 1966 में इस प्रकार का रेफरेन्स किया गया है और इन्होंने गबन किया है, वह किस तरह गबन किया है, उसकी डिटेल्स मेरे प्रश्न के जवाब में बताई हैं। यह सरपंच वहां था, कांग्रेस कमेटी, मंडल का अध्यक्ष है और इस वजह से राज्य सरकार के द्वारा मंजूर करने के बाद कि इन्होंने गबन किया है, इन्होंने 344 किसी काम के लिए लिये, रिकार्ड में 244 दर्ज किया। इस प्रकार गबन किया। इस प्रकार की डिटेल्स देने के बाद वह मामला राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है और इस आदमी को बेजा तौर पर प्राटेक्ट किया जा रहा है लेकिन एक्शन नहीं लिया गया है। एक प्रश्न और पूछा था, कांग्रेस के सरपंच हैं, सूरजमल भोलालाल सरपंच हैं खानपुर के, वह किसी तरह से राज्य सरकार से, इस कांग्रेस सरकार से एसोसियेटेड हैं, उस आदमी के खिलाफ विधान सभा में प्रत्यक्ष प्रमाण रखने के बावजूद सब तरीके से प्रोटेक्शन

(श्री जुझारसिंह)

दिया जाता है। सभापति महोदय क्योंकि मुझे वार्निंग मिल चुकी है स्पीच को खत्म करने के लिए, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं निवेदन करूंगा, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले झालावाड़ जिले में हैं, जिनकी जानकारी आपको है, जिनमें से बहुत सों के बारे में आप मंजूर कर चुके हैं कि वास्तव में मामला सही है। उसके बाद भी जानबूझ कर उन मामलों पर किसी तरह से लीपापोती करना एक्शन न लेना इससे पंचायती राज में लोगों की निष्ठा नहीं रहती है और जनता का विश्वास उठता है। मैं निवेदन एक करूंगा, अब पंचायती राज तो नहीं है, अब राज्य सरकार द्वारा चलाई हुई पंचायतें हैं, नौ दस साल पंचायतों का चुनाव हुए हो गये। मैं निवेदन करूंगा, आज राजस्थान में चालीस प्रधानों की जगह, सैकड़ों सरपंचों की जगह, जहां चुनाव हुए वर्षों हो गये, पिछले टाइम पर मेरे पीछे जो माननीय सदस्य बैठे हैं, श्री विट्ठल प्रसाद, यह एम. एल. ए. बने, इन्हें एम. एल. ए. बने चार साल हो गये, इनकी जगह आफिसियेट कर रहे हैं, उसका चुनाव नहीं हुआ है। इसी तरह मेरी खुद की पंचायत समिति ने प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तीन वर्ष हो गए, लेकिन आफिसियेटिंग आदमी काम कर रहा है और चुनाव कहीं हो रहा है प्रधान का। नहीं किसी वजह से, किसी के मर जाने की वजह से, कहीं पद छोड देने की वजह से, किसी जगह एम.एल.ए. बन जाने की वजह से कई जगह खाली हो गई हैं वहां चुनाव नहीं कराया गया है। इस विषय में माननीय मंत्री निश्चित कहें वैसे उन्होंने ऐलान किया, मई जून में चुनाव हो जायेंगे। मैं कहता हूं जिस तरह कार्यवाही की गई उससे नहीं लगता कि मई जून में चुनाव करा लेंगे समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सभापति महोदय, आपने मेरी स्पीच खत्म करने के लिए घण्टी बजा दी है, इसलिए मैं समाप्त करता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): सभापति महोदय, मेरा भी सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है। पंचायती राज का जो कन्सेप्ट था, बहुत अच्छा था इस माइने में कि हम इसके जरिए जनता को विकेन्द्रीकरण के रूप में उनको सस्ता प्रशासन व न्याय दें। पर जिस तरह से इस पंचायत राज का सत्यानाश किया गया है वह अभी जो माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, उससे स्पष्ट है। आपने जिस प्रकार पंचायती राज के चुनावों में देरी की और उसके फलस्वरूप पंचायतों में एक निश्चित भावना पैदा हुई वातावरण इस प्रकार का बन गया कि आज जो सरपंच या पंच बने हुए हैं वह बिल्कु निरंकुश हो गए। आप स्वयं इस पंचायती राज को बरबाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। पंचायत एक्ट के अन्दर जब तक हम कोई मुद्दे के संशोधन नहीं करते और सरपचों पर जो अंकुश लगा रहता है उनके मानस बनाने से यह धारा 17(4) रोकती है, वह इतना खतरनाक है कि पंच या सरपंच चुनकर पंचायत में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उन पर आप 17 (4) में कार्यवाही करते है और जब चाहे हटा देते हैं और जब चाहे निलम्बित कर

(श्री दिग्विजय सिंह)

हैं। इस प्रकार का भय जो रख दिया है, इस प्रकार सत्तारूढ़ शासन से दबकर चलने की कोशिश करते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि यदि कितना ही भ्रष्टाचार कोई करे, पर यदि आपके गुड बुक्स में है और आपका समर्थन उसको प्राप्त है तो चाहे गबन कर दें उस पर इस धारा का उपयोग नहीं करते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस सेक्शन को भी आप रखें तो इसका बिल्कुल निष्पक्षता से प्रयोग करें, तब तो कोई मान्यता है। जिस प्रकार आज हम भ्रष्टाचार की बात कहकर चलें तो भ्रष्टाचार तो अब एक कैंसर का रूप धारण कर लिया और हमारे कहने से समाप्त हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता।

श्री रामकिशन : टी. बी. कहिए। कैंसर का इलाज हो जाता है।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो जड़ों तक पहुंच गया। पंचायतों में भी पहुंच गया, इसका ब्योरा नहीं है। शुरू शुरू में जब पंचायती राज स्थापित हुआ था उस समय पंचायतें बड़ी थीं। उसके बाद में आपने उनको छोटा कर दिया। उसके साथ साथ न्याय पंचायतों की आज यह स्थिति बन गई है कि पंचायतों के पास अपने खुद के साधन जो आय के थे उसमें भी कमी आ गई और कई पंचायतों की स्थिति यह है कि और विधान सभा में भी सवाल आया था कि सचिवों की तनख्वाह नहीं चुकाई। हजारों रुपए हो जाए और तनख्वाह न चुकाने की वजह से बकाया चली आ रही हैं। इसलिए यदि पंचायत राज को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप न्याय पंचायतों को समाप्त करें और जो पंचायतें छोटी की गई हैं, वापस उनको बड़ा करें और डीलिमिटेशन करें कम से कम 5 हजार की आबादी पर एक पंचायत कायम करें ताकि पंचायतें स्वावलम्बी बन सकें और कार्य सुचारु रूप से चल सकें। जैसा कि माननीय सदस्य यहां कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि आज पंचायत समितियों का जो कार्य रह गया है वह सिवा पोस्ट आफिस या ट्रेजरी आफीसर के कुछ नहीं। आपके राज्य का जो प्लान एक्सपेंडीचर है, तनख्वाह के रूप में जो आप भेजते हैं उनको वे वितरण करते हैं। बाकी पंचायत समितियों की ऐसी स्थिति नहीं है कि लोन या सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत कुछ कार्य के लिए पैसा दे सकें। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि पंचायत समितियां आप समाप्त कर दें और जिला परिषद् को स्ट्रांग बोडी बना दें तो अधिक उपयोगी रहेगा। जैसे उन्होंने प्रधान के सम्बन्ध में कहा, मैं सहमत हूं। प्रधान का इस समय जो इन्डाईरेक्ट चुनाव होता है वह खतरनाक है। मन्त्री महोदय जानते हैं और हम सब अपने अपने क्षेत्र में जब प्रधान के चुनाव होते हैं, हम अनुभव करते हैं जैसे 39 सरपन्चों का इलेक्टोरल कालेज है तो 10 आदमी कोई लेकर भाग जाता है, 15 आदमी कोई लेकर भाग जाता है। इस तरह से इन्डाइरेक्ट फार्म में भ्रष्टाचार चलता है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर डाइरेक्ट चुनाव प्रधान करायें जिसमें उस ब्लाक के सारे लोग वोट दे सकें। इस समय पद्धति के अन्दर कमजोरी है और भ्रष्टाचार पनपने का स्रोत है, वह दूर होगा।

(श्री दिग्विजय सिंह)

उदाहरण के लिए मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार राज्य सरकार पक्षपात करके चलती है और मैं अपने मन मे नहीं कहता। किस प्रकार आप खुद जो कार्यवाहियां करते हैं और आर्बीटरी फैसले लेते हैं। ककोड़ के सरपन्च श्री फौजमल के खिलाफ एक बात नहीं दो बार शिकायतें हुई। उनकी इन्क्वायरी हुई और उसके बाद प्रेलिमिनरी जांच कराई गई। उसके अन्दर मौका दिया गया, उसके बाद फाइनल इन्क्वायरी के लिए उनको मौका दिया गया और एस. डी. ओ. को नियुक्त किया गया। जांच संपूर्ण होकर राज्य सरकार के पास आ गई। सरकार ने जिस प्रकार फैसला दिया है उसका थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं। इस केस में राज्य सरकार ने लिखा है लास्ट पैरा में :

चूंकि सरपंच के विरुद्ध कोई खास आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं, अत: राज्य सरकार एतद् द्वारा श्री फोजमल सरपंच ककोड़ को भविष्य में पंचायत का कार्य नियमों के अन्तर्गत पूर्ण सतर्कता से सम्पादित करने की चेतावनी देकर पत्रावली समाप्त करती है।

अब खास आरोप क्या हैं, सादा आरोप क्या हैं? आप किनको खास और किनको सादा मानते हैं। इस इन्क्वायरी अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो चार्जशीट दिया गया था उनमें 3-4 को छोड़कर सभी एस्टेबिलश माना है और यहां तक लिखा है कि जो सोचने की बात है। फैसले में लिखा है :

"मस्टर रोल में मजदूरों की सूची में 11 नम्बर पर समुद्र सिंह पुत्र जुझारसिंह को 20) दिनांक 1-7-66 से 8-7-66 तक दिन कार्य करने का भुगतान किया है जबकि श्री समुद्र सिंह एक कान्सटेबल है और मस्टर रोल पर अपने हस्ताक्षर नहीं होना और न रकम ही लेना स्वीकार किया है। इस प्रकार सरपंच ने 600) का फर्जी हिसाब बनाया है।"

जांच अधिकारी स्वयं लिखता है और अपने फैसले में समुद्रसिंह को कहा है ग्राम का मुख्या। इस प्रकार जो फैसला राज्य सरकार देती है तो स्पष्ट है कि जो असामाजिक तत्व हैं और भ्रष्ट काम करते हैं और पंचायती राज को बिगाड़ना चाहते हैं, आप उनको संरक्षण देते हैं। इतना ही नहीं इसी सरपंच के संबंध में एक फैसला और है। उसके लिए मैं मन्त्री महोदय से मिला था और उनसे निवेदन किया था कि कम से कम आप इस मामले को देखें कि इस प्रकार की कार्यवाहियां होती हैं। यह एक हजार रुपये का था जिसमें लिखा है।

'चूंकि मूल राशि के साथ ब्याज की रकम भी यथा समय जमा हो चुकी है तथा यह भी विवादास्पद है कि रकम सरपंच के पास रही अथवा उनके कहने अनुसार श्री दीनदयाल के पास, अत: राजस्थान सरकार एतद्द्वारा श्री फौजमल सरपंच पंचायत ककोड़ को भविष्य में पंचायत का कार्य अधिक सतर्कता से सम्पादित करने की चेतावनी देकर पत्रावली समाप्त कर दी है।'

Page No 119

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, जो जांच रिपोर्ट है जो अधिकारी ने की है, इसके अन्दर सारी बात है । जिस दीन दयाल का उल्लेख किया गया है हलफनामा में बयान लिये हैं उसमें यह लिखा है 'श्री दीन दयाल सरपंच के पास रकम की बतौर अमानत रख आया सरपंच का कथन है कि बाद में श्री दीन दयाल वह रकम देने से इन्कार हो गया और फिर बाद में बड़ी कठिनाई से उसने सुवा-लाल व गुल्या के सामने 15-1-68 को रकम लौटाई ।

इस विषय में श्री दीन दयाल ने अपना जवाब मय हलफनामे के पेश करते हुए कहा है कि श्री फौजमल की यह सब कार्यवाही फर्जी है । दीनदयाल के जवाब के बाद फौजमल ने अपने कथन की पुष्टि में किसी प्रकार का सबूत पेश नहीं किया है । उसने उन दोनों व्यक्तियों को भी पेश नहीं किया है कि जिनके सामने दीनदयाल के द्वारा यह रकम वापस लौटाना कहता है । इसी तरह ऐसो भी कोई शहादत पेश नहीं की है कि कब और किसके सामने उसने रकम दीनदयाल को दी ।

मेरे विचार से फौजमल के विरुद्ध यह आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि उसने 6 पंचायत को 1000 रुपये की रकम को 19-9-67 से 18-1-68 तक रखा । इतना ही नहीं उसने अपने अपराध को छिपाने के लिए फर्जी कार्यवाही करके दूसरे सरपंच के नाम रुपया देना बता दिया है ।'

इस प्रकार इन्क्वायरी ग्रोफिसर की रिपोर्ट के अनुसार भी रुपया जमा रखा गया है यह साबित होता है, यह गबन है । आप अपने फैसले में यह कह देते हैं कि विवादास्पद है कि रकम किसके पास रही । जिसके पास रही है वह हलफनामा देता है । यह बात इससे साबित होती है कि किस प्रकार से संरक्षण दिया जाता है और उसको बचाने के लिये और राजनैतिक आधार पर यह किया जाता है ।

सभापति महोदय, ककोड़ के सम्बन्ध में इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही विधान सभा में मंत्री महोदय ने फरमाया है कि 17-11-70 से जवाब पेश नहीं हुआ है, 31-3-71 के पहले इन्क्वा-यरी के लिये जिलाधीश को लिख दिया है । आप ही यह मानते हैं तो प्राइमाफेसी केस तो एस्टेब्लिश हो चुका है । आगे की कार्य-वाही नहीं करते हैं । फाइनल इन्क्वायरी का नोटिस दे दिया है । फाइनल इन्क्वायरी तो इस बात की होती है कि या तो रखेंगे या डिबार कर देंगे । बीच में सस्पेन्शन की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? इसलिये नहीं की कि उसको बचाना चाहते हैं । छः महीने तक वह सरपंच जवाब ही नहीं देना चाहता ।

सभापति महोदय एक और निवेदन करना चाहता हूं, कि जिस प्रकार इन दो फैसलों का निवेदन किया है, पंचायत के रूल 22 (2) में बिलकुल स्पष्ट है । आप इसको पढ़ेंगे, वह इस प्रकार है–If the State Covernment or such officer or authority finds upon such consideration that the charges have been established, it or he shall, by order, remove the panch, Sarpanch, UP

Page No 120

(श्री दिग्विजय सिंह)

sarpanch, member or chairman concerned from his office."

रिपोर्ट के बाद फाइन्डिग आयी है और उसमें चार्जेज एस्टेबिलइड हैं तो उसको रिमूव करना चाहिये। चेतावनी दी गयी है उसके लिये रूल 21 (3) में स्पष्ट है "may either drop the proceedings or may appoint an officer or authority to inquire into the charge or charges, hereinafter referred to as the inquiring officer to whom the record of the preliminary inquiry, the statement of charges, the explanation of the papers charged and all other relevant papers shall be forwarded."

21 (1) में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी का आया है और 21 (2) में इन्क्वायरी के लिये नोटिस दिया जावेगा, चार्जशीट दी जावेगी और तब जाकर इन्क्वायरी ओफिसर अपनी रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। चार्ज शीट देने के बाद ही फाईनल इन्कायरी होगी। लेकिन वह नहीं किया गया।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं अभी समाप्त करता हूं।

इस प्रकार इन्क्वायरी करके मामले को समाप्त कर देते हैं तो यह पंचायती राज के लिए न्याय संगत नही है।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैने बार बार विधानसभा में कहा है। और मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था। इस मामले में एन्टीकरप्शन ने जांच की और माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जिलाधीश से रिपोर्ट मंगा रहे हैं। 69 से आप लिख रहें हैं लेकिन जिलाधीश जवाब ही नहीं दे रहे हैं। एन्टीकरप्शन ने साफ लिख दिया है कि गबन के चार्जेज हैं और इर्रेगुलेरिटिज की हैं। क्लेक्टर सहाब से उत्तर मंगा रहें हैं अवधि तो हो कि इस वक्त तक उत्तर दे देंगे।

एक सरपंच है सलतरा के। वोटर लिस्ट में वहां नाम ही नहीं है और गांव के सरपंच हैं। सांगली की वोटर लिस्ट पर 323 नम्बर पर किशनलाल वल्द बजरंग नाम से है। उनका नाम लिखा हुआ है टांक पंचायत समिति में। आपके विभाग को जाकर देखना चाहिए। आप कार्यवाही करें और इस पद से उनको दूर करें।

पंचायत समिति के बारे में निवेदन कर रहा था। मैं उदाहरण के लिए कई कि लोन इतना दे चुके हैं कि हालत बिगड़ गई है और रिकवरी होना मुश्किल है। पंचायत समिति देवली के लिये निवेदन किया। 65 से 68 तक जो आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार उस पंचायत समिति को 14 लाख रुपये का ऋण दिया है और रिकवरी हुई 17 हजार की। बार बार सवाल किये कि कितनो रिकवरीज हुई हैं, यही उत्तर मिला है कि तहसीलदार को लिखा है और तहसील रिकवरी नहीं कर रही है। इस प्रकार लोन देते जावेंगे तो फिर तो हालत पंचायत समिति की अच्छी हो गयी। रिकवरी नहीं करते हैं यह अच्छाई नहीं है। किस प्रकार ऐसा करके पंचायत समितियों को जिन्दा रखेंगे। पंचायत मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे।

(श्री दिग्विजय सिंह)

बी. डी. ओज के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था। कई जगह ट्रान्सफर साल भर में और छः महीने में कर देते हैं और कहीं कहीं तो दस साल तक नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ, रानीवाड़ा, पोकरन, बाड़मेर।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बिलकुल गलत कह रहे हैं। दस वर्ष तक कोई भी विकास अधिकारी रहे उसको हम भी उचित नहीं मानते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : कब से है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दो ढाई साल से अधिक नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : अच्छी बात है आपकी बात मान लेता हूं।

एक और निवेदन कर रहा हूं और वह यह है कि पंचायत राज्य को अमली रूप से चलाना चाहते हैं, तो आपके सामने बड़ा अच्छा अवसर आया है कि आप इस समय प्रशासक नियुक्त कर दें। एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे तो कितने घोटाले हुए हैं यह सब आपके सामने आ जावेंगे।

श्री दौलतराम सारण : बचा खुचा वह आ जावेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : अब सरे नो क्रियान्वित करेंगे तो अच्छा होगा। बजाय समय बढ़ायें बनेड़ा के सरपंच के लिये निवेदन किया और प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि उन्होंने गबन किया है। 63 से यह मामला चल रहा है और अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने पूछा है कि 65.66 में सरपंच के विरुद्ध गम्भीर आरोप प्रमाणित हुए हैं आपने कहा कि गम्भीर आरोप प्रमाणित हुए है जरूर। नेक्स्ट में कहा कि जिलाधीश से रिपोर्ट मांग रहे हैं और आज तक नहीं प्राप्त हुई जब कि 71 आ गया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने बहुत टाइम ले लिया है।

श्री दिग्विजयसिंह : बार बार घंटी बजा रहे हैं इसलिये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री कल्याणमल।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सभापति महोदय, राजस्थान में जिस समय सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ और 2 अक्टूबर, 59 को राजस्थान के ऐतिहासिक नगर नागौर में भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका दीपक जलाया था तो सारे देश में एक लहर दौड़ गई थी दूसरे प्रान्तों के लोग भी यहां अध्ययन करने के लिये राजस्थान में आये। वह राजस्थान जो सब से पिछड़ा हुआ था और विकास के कार्यों में, सत्ता के विकेन्द्रीकरण

Page No 122

(श्री हंसराज आर्य)

में भारत का अग्रणी बन रहा है। लेकिन सभापति जी, सरकार की उदासीनता के कारण, पंचायतों की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे वह दीपक मंद पड़ता चला गया और आज बूझा तो नहीं है लेकिन बहुत ही मंद लौ में टीमटीमा रहा है।

श्री दौलतराम सारण : टीमटीमा नहीं रहा है। बूझ तो गया है और बाती कीलो धधक रही है।

श्री हंसराज आर्य : मैं तो यह नहीं कहूंगा।

लेकिन सभापति जी अर्थ के अभाव में हमारी पंचायतों की पंचायत समितियों की और जिला परिषदों की, जो दुर्दशा हुई है वह मानी हुई और देखी हुई बात है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो अवस्था इस समय पंचायतों और पंचायत समितियों की है या तो उसमें परिवर्तन लाना चाहिये, चेतना लानी चाहिये वरना उन सबको बन्द कर देना चाहिये। उनसे लाभ नहीं है। पंचायत समितियों में जितने भी राज्य कर्मचारी हैं एक से एक, सारे के सारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इससे तो अच्छा यह है कि इन पंचायत समितियों को बन्द कर दिया जाये। मेरा खास तौर से विकास मंत्री जी से निवेदन है कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाये, उनको आर्थिक साधन दिये जायें और सरकार ऐसा नहीं कर सकती या करने में असमर्थ है तो ऐसी पंचायत समितियों से कोई लाभ नहीं है। सभापतिजी पूरे राजस्थान में एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसके पास आज एक लिफाफा खरीदने का पैसा हो। वे सारी की सारी बन्द है। न्याय पंचायतों की चर्चा बेकार है। उनको तो लोग भूल गये हैं। उनका न तो कोई दफ्तर है, न उनके पास कोई रिकार्ड है कि उनकी कितनी मीटिंगें होती है या नहीं होती है। इस तरह ये पंचायतें आज किसी काम की नहीं रह गयी है। और पंचायतों के पास बड़े से बड़ा काम क्या है। उनके पास पैसा हो तो वे खर्च करे। सरकार उनको पैसा दे नहीं रही है। गांव के अन्दर जो जमीन पड़ी थी उसके प्लाट काट कर पंचायतों ने दे दिये। अब न उनके पास न तो पैसा और न कोई काम है।

सिवाय लड़ाई झगड़े के और पार्टी बाजी के उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। मेरा पंचायत मंत्रीजी से निवेदन है कि या तो वे इनको सशक्त बनावे वरना इनको बन्द कर दे। इनकी हालत को देखकर ग्राम जनता में बडी निराशा पैदा हो गई है। न तो सरकार ने पंचायतो में चेतना पैदा की और न उन्होंने अपने सामर्थ से साधन जुटाये और न सरकार ने उन्हें पैसा दिया है। इस प्रकार ये निष्क्रिय हो गई है। पहले पहले सरकार ने पंचायतों को विकास के लिये करोड़ों रुपया दिया है, 65, 66 करोड़ रुपया खर्च किया है और उस पैसे का सरकार ग्राम पंचायतों से या वहां के अधिकारियों से प्रमाण-पत्र नहीं ले सकी है, इससे बड़ी ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है। यह जो ऐसी अवस्था पंचायतों की बन गई है उस अवस्था में मैं पंचायत मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें बन्द कर देना चाहिये।

(श्री हंसराज आर्य)

सभापति जी पंचायत समिति में जीपें हैं। विकास का कोई काम वहां पर नहीं हैं। जब कोई पैसा वहां पर नहीं लग रहा है तो इन जीपों की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये जीपें बराबर दौड़ रही है। ये जितनी भी जीपे हैं उन सबको एक ही रात में हैलीकोप्टर भेजकर वहां से उठवा ली जाये और सारी जीपों को मंगवाकर दूसरे कामों के लिये दे दी जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रधान का चुनाव लड़ने के लिये आपको कोई नहीं मिलेगा।

श्री हंसराज आर्य : जिनको चुनाव लड़ना होगा वे लड़ेंगे। पंचायत के चुनाव में जीपों का क्या काम ? कोई उपयोग नहीं है।

श्री श्रवणलाल : वोट नहीं मिलेंगे।

श्री हंसराज आर्य : यह आपको भ्रम हो गया है।

श्री सभापति : आप विराज कर ही क्यों फर्मा रहे हैं? (श्री श्रवणलाल को संबोधित करके)

श्री हंसराज आर्य : सभापति जी मेरा निवेदन करना यह है कि कम से कम सरकार को जो यह चुनाव का तरीका है उसको बदलना चाहिये और ग्राम पंचायतों के चुनाव, पंचायत समिति के चुनाव, जिला परिषद् के चुनाब के साथ सरपंच के चुनाव, प्रधानों के चुनाव और प्रमुखों के चुनाव भी करा लिया जाये। क्योंकि आज किसी प्रधान का चुनाव होता है तो पंचों को गंगा, जमुना या कुतुबमीनार की सैर करानी होती है। मेरा निवेदन है कि चुनाव का जो आज तरीका है उसमें तब्दीली कराकर एक ही व्यक्ति को चार वोट देने का अधिकार दे दे जैसा कि लोक सभा और विधान सभा का चुनाव साथ साथ होता है। तो पंचायतों के चुनाव के साथ साथ मतदाता सरपंच, प्रधान और प्रमुख का वोट भी डाल दे ताकि इनके चुनावों के समय जो अनियमितता और भ्रष्टाचार होता है वह प्रथा समाप्त हो जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि चुनावों का तरीका बदला जाना चाहिये।

सभापति जी मैं निवेदन करूंगा कि खाद्य निगम ने देश और प्रदेश के माथे पर जो कलंक का धब्बा लगा या है। खाद्य निगम में जो अनियमितता है, जो मनमानी हो रही है और जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है शायद हमारे देश और प्रदेश में आज तक कोई रेकार्ड नहीं है। एक नंगा नाच हो रहा है। सरे आम खाद्य निगम वाले मुंह मांगा पैसा ले रहे हैं। ढाई रुपया क्विन्टल, तीन रुपया क्विंटल पांच रुपया क्विन्टल, सात रुपया क्विन्टल, एक बोली हो रही है। मेरा निवेदन है कि या तो सरकार खाद्यनिगम पर कन्ट्रोल करे और कन्ट्रोल नहीं कर सकती तो कम से कम चाहे किसान मरे या जिन्दा रहे, डूबे या तरे परन्तु यह जो धब्बा सरकार के माथे पर लग रहा है, यह जो कलंक लग रहा है वह तो बन्द हो जाये और

(श्री हंसराजमार्य)

सरकार अपनी बुराई से बच जाये और लोगों में जो पार्टीबाजी हो रही है उससे बच सके।

सभापति जी, समझ में नहीं आता पंचायत और पंचायत समिति का आपस में ताल मेल नहीं है। ग्राम पंचायत का बजट पंचायत समिति के बजट से नहीं मिलता और पंचायत समिति का बजट जिला परिषद से नहीं मिलता। और तीनों संस्थाओं का बजट का कोई ताल मेल नहीं है। पंचायत समिति का अलग बजट है और जिला परिषद का अलग है। सरकार पैसा भेजती है पानी के लिये और पंचायत समिति उस पैसे को लगाती है कुआ खुदवाती सिंचाई के लिये। सरकार पैसा भेजती है बैल खरीदने के लिये और खरीद की जाती है गाय। इस प्रकार दूसरे कामों में पैसा लगा दिया जाता है। मैं सभापति जी आपके माध्यम से पंचायत मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति के मारफत किसानों को जो खाद दिया जा रहा है उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है यदि आप उसकी जांच करवायें तो खाद ऐसे आदमियों के नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा जिसमें खाद को देखा तक नहीं है। खुद ने खाद ले लिया और दूसरे का नाम लिखा दिया। ज्ञानाराम ने खाद लिया और गोविन्दा के नाम लिख दिया अब उनसे वसूली का सवाल आता है तो कहते हैं खाद देखा तक नहीं। मेरे नाम तो कोई जमीन नहीं है। फिर मैं खाद लेकर क्या करता। इस प्रकार पंचायत समिति के अन्दर अनियमितता हुई है और इसकी जांच की जाये। जिन लोगों ने खाद नहीं खरीदा उन निर्दोष आदमियों के नाम खाद लिखा हुआ है और इस तरह खाद लेने वाले आदमी मुफ्त में लाभ उठा गये हैं......

इस लिये मेरा निवेदन है पंचायतों को या तो सरकार साधन सम्पन्न बनायें और अगर साधन सम्पन्न नहीं बनाती है तो पंचायतों को रखने में कोई फायदा नहीं है।

श्री सभापति : श्री मनोहर सिंह महता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : सभापति जी वैसे पंचायती राज कोई हमारे लिये नई बात नहीं है। यह परम्परा से चलता आया है लेकिन चुनाव इस तरह से नहीं होता था पहले मनाव होता था। कभी खुद घर घर में नहीं जाता था कि मुझे वोट दीजीये बल्कि गांव वाले उसको मनाते थे कि तुम हमारे गाव के लिये काम करो और उसको गाव के लिये काम करना पड़ता था लेकिन जब से यह चुनाव चला है तब से केवल चुनाव और स्वार्थी लोग रह गये है यह अजीब संयोग है। कि स्वर्गीय पूज्य जवाहरलाल जी नेहरू ने पंचायतों का दीपक जलाया है और अब शायद वह समय आयेगा कि इन्दिरा जी इस दीपक को बुझाने के लिये आयेगी। जैसा कि कांग्रेसी सदस्य द्वारा कहा गया है कि अब यह दीपक टिमटिमा रहा है मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी अन्तेयष्टी के लिये आयेंगी।

Page No 125

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

एक माननीय सदस्य : कहां से आयेगी ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : आपने पंचायत समितियों को प्राइमरी शिक्षा दी समझ में नहीं आया जिन छोटे बालकों को पढ़ाने के लिये बड़े से बड़ा शिक्षा शास्त्री चाहिये था वहां उन छोटे शिक्षकों के पंचायत के हाथ में क्यो सौप दिया ? वह शिक्षा शालायें पालिटिक्स के अड्डे बन गये। मास्टर वहां पहुंचते नहीं है पास करना उनके हाथ में हैं। बिना स्कूल खोले बच्चों को पास कर देते है और वे बच्चे आगे जाकर 8 वीं, 10 वीं में कक्षा में कमजोर हो जाते हैं। होनहार जो बच्चे हैं वे भले ही पढ़ पाते हैं । बाकी सब फेल होते हैं। जो टीचर गुलछर्रे उड़ाना चाहता है उसके लिये प्रधान और प्रमुख को खुश रखना जरूरी है। अगर दोनों को खुश कर ले तो रजिस्टर उनके हाथ में रहता है, 9—9 बजे तक स्कूल पहुंचते हैं, पसीना सुखता है और थोड़ी देर में वापिस रवाना हो जाता है। अगर आप वास्तव में बच्चों का हित चाहते तो पंचायत समितियों से स्कूल तुरन्त हटाइये । दूसरा जब तक आप यह न कर सकें तब तक कम से कम पंचायत समिति से स्कूलों को हटाकर इतना तो करिये कि उसी पंचायत समिति के जो अध्यापक है उनको वहां न रखिये, और ऐसी व्यवस्था करिये ताकि उनका रात्री का विश्राम तो वहां हो सके। पंचायत समितियों को जब स्कूल दिये थे तो यह सोचा था कि गांव वालों से अध्यापकों का सम्पर्क होगा, सामाजिक कुरीतियों का निवारण होगा लेकिन आज हालत यह है कि अगर गांव में कहीं मृत्यु भोज होगा तो वे वहां भोजन करते हुये जरूर मिलेंगे। बच्चों का जन्म दिन या कोई मुण्डन संस्कार होगा तो वे अध्यापक वहां जरूर जीमते हुये मिल जायेंगे। सात दिन तक स्कूल नहीं खोलेंगे लेकिन गांव में जब जीमन होगा तो वहां उस दिन जरूर मिल जायेंगे।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत सभानेत्री, पदासीन)

इसलिये कृपा कर पंचायत समितियों के टीचर्स को दूसरी पंचायत समिति में लगाइये। कई जगह सभानेत्री महोदया पंचायतों ने कृषि फार्म चला रखे है। हर कृषि फार्म में नुकसान। कितना बड़ा राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। जो खेती करने वाले हैं, जो भूमिहीन है उनको यह जमीन दे दी होती तो आज खूब अनाज पैदा करते लेकिन आपने पंचायती तथा पंचायत समितियों को सौंप रखी है। शाहपुरा पंचायत समिति हमारे भीलवाड़ा जिले में है। जिले भर में 7—8 कृषि फार्म हैं। सबके सब फार्मों में नुकसान और घोटाले हैं। यह तो केवल मैं एक जिले का हाल बता रहा हूं। 26 जिलों का अगर आप हाल देखेंगे तो किस तरह जमीन की बरबादी हो रही है आप स्वयं महसूस करेंगे। जिस विकास अधिकारी के खुद की जमीन हो तो आप स्वयं सोच सकते है वह ट्रैक्टर कहां चलेंगे और उस विकास अधिकारी का ध्यान किधर होगा। चौथी बात यह है कि पंचायत समितियों में जो जीपें दी हैं। यह भयंकर खराब काम किया। 232 पंचायत समितियों में 232 जीपें खूब गुलछर्रे उड़ रहे हैं। विकास अधिकारी, प्रधान सब मौज कर

(श्री मनोहरसिंह मेयता)

रहे है और जबसे एग्रीकल्चर ऐक्सटेन्सन आफिसर को बी0 डी0 ओ0 बनाया है तब से प्रधान उनके ऊपर इतने हावी हो गये है कि जिसकी कोई हद नहीं । जो प्रधान को नाराज कर दे तो तत्काल उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दें और उनको वापिस एग्रीकल्चर ऐक्सटेन्सन आफिसर बना दे इसलिये वे बेचारे अपने आपको सरेन्डर कर देते हैं, उनके सामने । इसलिये कृपा कर किसी भी एग्रीकल्चर ऐक्सटेन्सन आफिसर को बी0 डी. ओ. न बनायें । अगर आपको पंचायत राज जीवित रखना है और अगर जवाहर लालजी द्वारा जलाई गई ज्योति को जलाये रखना है तो तुरन्त छोटी-छोटी पंचायतों को तोड़िये और पंचायतों को बड़ी बनाइये, पंचायतों को अधिकार दीजिये और जिला परिषद् को शक्तिशाली बनाइयें और किसी भी एजेन्सी को इनके बीच में मत रखिये । पंचायतों को बड़ा बना देंगे, शक्तिशाली बना देंगे और जिला परिषद् का सीधा सम्बन्ध जोड़ देंगे तब तो आपका पंचायत राज सफल होगा अन्यथा ये पंचायतें बेकार हैं । दूसरी बात जो में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि ग्राम सेवकों का तबादला करिये । 9-9 साल से ग्राम सेवक एक ही स्थान पर लगे हुये हैं । यह मैं जानता हू आसान नहीं है क्योंकि आप प्रधान और प्रमुख को नाराज नहीं कर सकते हैं । जब प्रधान बड़े एस. डी. ओ. का ही तबादला करवा देते हैं । यह आपके लिये सम्भव नहीं है लेकिन मेरी अर्ज है कि आप तुरन्त ग्राम सेवकों को तबादला करिये । उनके खुद के खेत है और वे स्वयं खेती करते हैं । तनख्वाह लेते है राज्य से और काम करते हैं, अपने खेत पर इसमे बड़ा अन्याय और क्या होगा । इन ग्राम सेवकों के पास कोई काम नहीं है । पंचायतों को बड़ी बनाइयें और जो ग्राम सेवक निर्णय ले उसको पंचायत एक्जीक्यूट करें । आज ग्राम सभा को देखिये उनको कोई अधिकार नहीं, उनको जमीनों का अधिकार दीजिये । जिस तरह राज्य सरकार जमीनों की मालिक है उसी तरह ग्राम सभाओं को जमीनों का मालिक बनाइये । कोई भी जमीन को बेच नहीं सके जब तक ग्राम सभा से स्वीकृति न हो वह गांव से बाहर नहीं बेची जा सकती है, ऐसा उनको अधिकार दीजिये तब जाकर गांव शक्तिशाली बनेंगे । आज की स्थिति में ग्राम सभा कुछ कर नहीं सकती है । ग्राम सभा को पावरफुल बनाइये । पंचायतों की जो हालत है, आप देखिये मुझे क्षमा करें क्योंकि आप यहां विराजमान है इसलिये आपको गांव की हालत मालूम नहीं है । गांवों में घुसे तो आपको मालूम चल जायगा कितना भ्रष्टाचार पनप रहा है । आप गांवों में घुसते नहीं, वहां जाकर देखिये, रोशनी होती नहीं, सफाई होती नहीं और पंचायत बन्द पड़ी रहती है कोई काम होता नहीं । आप सरपंच के पास हमेशा जेब में रहती जब चाहें लगवा लें । अगर ऐसा ही था तो क्यों पूज्य जवाहर लाल जी ने इतने बड़े आदमी से इसका दीपक जलवाया । जितनी आपके लगान की रकम वसूल होती है वह पंचायतों को दीजिये और उसको खर्चा करने का अधिकार ग्राम सभा की स्वीकृति से दीजिये । लैन्ड रेवेन्यू की रकम कम से कम इनको दें लेकिन आप देते ही नहीं हैं ।

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
मैं आपको ऐसी पंचायत बता दूं जहां पर....

श्री दिग्विजयसिंह : दारू पी जाती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बड़ला कोटड़ी तहसील की पंचायत है वहां आज तक बैठक नहीं हुई। वह ग्राम सभा शक्तिशाली ग्राम सभा है उसके सामने एक एक पाई का हिसाब पेश करना पड़ता है। ऐसी ग्राम सभा के सामने जब मामला आता है तो उनको गड़बड़ करने का कम से कम मौका मिलेगा। यह एक प्रयोग करने लायक है। एक प्रयोग यह भी करके देखिये। इसमें आपको क्या आपत्ति है। और दारू की क्या बात है। अधिकांश पंच, सरपंच पीते हैं और हम पंचों और सरपंचों का क्यों दोष देते हैं जब हम यहां बैठते है, हमारे यहां पर बैठने वाले बहुत से मा. सदस्य शराब पीते हैं, वे ही जब शराब की इज्जत बढ़ा रहे हैं तो गांव के लोग तो क्यों नहीं पीयेंगे? जब हम लोग ही पीते हैं तो वे भी पीयेंगे। जब हम ही ऐसा काम करते हैं जब हमको ही वे इस प्रकार देखते हैं तो प्रेरणा तो वे यहीं से लेते हैं–प्रकाश पुन्ज तो यहां से ही जाती है। जो हम में कमजोरी है उसको दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं इसलिये यह मानकर नहीं चलना चाहिये कि वे दूध के धुले हुये है। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है यदि हम करना चाहे। अब एक निवेदन और करना है अब कई पचायत समितियां टैक्स लगा रही है। मैंने भी टैक्स का विरोध नहीं किया। मैं समर्थन करता हूं इस बात को जानता हूं कि जनता खिलाफ होगी लेकिन फिर भी मैं अपना समर्थन देता हूं। माण्डलगढ़ तहसील में टैक्स के रुपये इकट्ठे किये गये लेकिन आज तक वापिस पंचायतों को नहीं बांटे गये। मैंने स्वयं ने कई बार कहा कि रकम पचायतों को बांट दो मैं सभापति जी आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं या तो पचायतें जो एक दो महीने में रकमें वसूल हुई है दे दें नहीं तो मैं विज्ञप्ति निकालूंगा कि टैक्स पचायतों को मत दो। टैक्स ले लें और वापस ना बांटे। मोटरों में बैठ बैठ कर घूमे और गुलछर्रे उड़ाये और जनता के पैसे को लूट कर खा जाय इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं टैक्स वसूल हो और अगर लगान की रकम न दे सके तो 5) रु. जुर्माना के आप और लगाये और जरूर लगायें लेकिन जो आमदनी हो उसकी पंचायत को रसीद काटनी चाहिये वरना पचायत समितियां जनता के धन से खूब गुलछर्रे उड़ा रही है। वह बन्द होना चाहिये।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों आपने इन प्रधानों और प्रमुखों को थोपा है? आपने इनको थोपा है तो ठीक है। आपने यह क्यों बनाये हैं तो जब मेवाड़ के महाराणा राज्य करते थे तो 16 के उमराव उन्होंने खड़े किये और 32 के उमराव खड़े किये तो ठीक उसी तरह से आपने इन जिला परिषदों को और पंचायत समितियों को बना दिया। जिला परिषद् तो 16 के उमराव और पंचायत समितियां 32 के उमराव हैं आपके–

ज्यूं थरप्या मेवाड़ में सोला बत्ती भूप।
वाएं प्रमुख प्रधानरो वो रो वोही रूप॥

लेकिन अब नहीं है। अब आप इतने पावरफुल हो गये हैं कि प्रधान आपकी दया पर जीते हैं। तीन वर्षों में चुनाव हो जाने चाहिए थे लेकिन उसको आप बढ़ाते गये

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बढ़ाते गये और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं सेन्टर से आप ऐसी रिक्वेस्ट करने नहीं जा रहे हो कि हमारी भी 5-6 साल की मयाद बढ़ा दो। खुद के स्वार्थ बन गये है। इसलिये कृपया चुनाव जल्दी कराइये। लेकिन अगर आप चुनाव देर से करायें तो उसमें से पंचायत राज को सफल बनाने का हल निकालें कि पंचायतें बड़ी बनें और पंचायत समितियों को तोड़ने का निर्णय लें और जिला परिषदों को पावर फुल बनायें। पंचायत समितियों में से जीपों को तुरन्त हटायें।

आपने क्या नाम रखा है विकास अधिकारी तो पंचायत समितियों में जैसे ग्राम सेवक होते हैं तो उसी तरह से इनका नाम पंचायत समिति सेवक रख दें। वह साहब तो पहले से ही हैं। आपने पहले ही उनको साहब बना दिया तो सेवक कहां से बनेंगे। जीप लेकर गांव में जाते है तो लोग कहते हैं कि साहब पधारे थे और चले गये। साहब शब्द को हटायें। यह अंग्रेजों के वक्त की प्रथा बनी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद में जितनी अंग्रेजियत आई है वह अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं थी और जितनी ग्राम-व्यवस्था आज दिन तोड़ी गई हैं वह अंग्रेजों के वक्त में भी तोड़ी नहीं गई थी। काफी कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज ग्रामोद्योगों को नष्ट नहीं कर पाये, लेकिन अपने ग्रामोद्योगों को बिल्कुल नष्ट कर दिया और उनकी सारी प्रगति को रोक दिया और उनकी सारी अर्थव्यवस्था को ठप्प कर दिया।

मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सचमुच में आपको पंचायती राज्य कायम करना है तो उसके लिए आपको सोचना होगा कि क्या यह दोहा सही है "गाय कटे, मदिरा चटे, भाषा वो ही आज। कुण केवे माणे अठे हुयो आपणो राज।।" जिस देश में गाय कटती है, जिस देश में मदिरा पी जाती है और जिस देश की भाषा हिन्दी आज तक नहीं हुई तो हम कैसे कह सकते है कि हम आजाद हो गये हैं और हमारा राज्य काम कर रहा है। तो हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

आप कहते हैं कि विकास किया है तो क्या विकास किया है गांव की हालत जाकर देखिये। जहां पर पहले 4-5 घरों के बीच में एक बिलौना चलता था तो आज पूरे गांव में हमें 3-4 घरों में छाछ के दर्शन होते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : आजकल तो दारू पीते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आज दारू का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे बधाई देनी पड़ेगी इस बात के लिये कि गवर्नमेंट चाहे और किसी चीज की व्यवस्था नहीं कर सकी है लेकिन शराब की वह व्यवस्था पूरी तरह से कर सकी है। इस राज्य को को इस बात के लिए आदेश न दें। एक शहर में एक ठेकेदार की 5 दुकानें काम करती है लेकिन उसने मोहल्ले मोहल्ले में शराब पहुंचा दी है और शराब के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। मोटर स्टैण्ड के पास तक में दुकान खुलवा दी है। फिर भी आप बधाई नहीं देंगे तो यह आपकी

(मनोहरसिंह मेहता)

भूल है। शराब की पूरी व्यवस्था की गई है। जिन जिलों में प्रोहिबिशन किया गया है वहां भी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी हैं ताकि उस बहाने देशी शराब भी बिकती रहे। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके विषय में और उसका विषय जब होगा उस दिन ही बात करूंगा।

अगर आपको वाकई खुशहाली लाना है तो कितना अच्छा काम होता कि आप एक एक गांव में एक एक सांड पहुंचा देते वैसे तो पंचायतों का भला होता और गांव वालों के पास पैसों की व्यवस्था न होती तो उनको आप सबसिडी देते तो इन 5 सालों में गांवों की हालत ही दूसरी नजर आती और गांव वालों के पास हजार, हजार और डेढ डेढ हजार के बछड़े नजर आते, लेकिन आपने सारा काम बन्द कर दिया। इसलिए कृपा करके इस पर विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सभानेत्री : सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : (टौंक) सभानेत्रीजी, पंचायत राज्य की जो व्यवस्था है उसको लेकर आज इस सदन के अन्दर विभिन्न माननीय सदस्यों ने इस तथ्य को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पंचायत राज्य पूर्णतया निष्क्रिय और निष्प्रमाण वर्तमान स्थिति के अन्दर हो गया है। और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिस उद्देश्य को और जिस जोश को साथ लेकर पंचायती राज को शुरू में इन्ट्रोड्यूस किया गया था तो इन्डिया के अन्दर राजस्थान पहली स्टेट थी कि जहां पंचायती राज को इन्ट्रोड्यूस किया गया था। आज की स्थिति के अन्दर जिस प्रकार से पंचायती राज के तीनों अंग—पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्य कर रहे हैं उससे लगता है कि हो सकता है कि भविष्य में यह पहला राज्य होगा कि जहां पर इस पंचायती राज को खत्म करना पड़े। वह खत्म करने की मांग भी बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर रखी है। लेकिन, सभानेत्रीजी, पंचायती राज चले या न चले यह अलग मसला है, लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि राज्य सरकार ने विकेन्द्रीकरण की नीति को लेकर विभिन्न विषय पंचायत समितियों को सुपुर्द किये थे-शिक्षा का विषय, माइनर इरिगेशन का विषय है उनसे आज जनता को बहुत तकलीफ हो गई है। इरिगेशन में छोटे छोटे तालाब पंचायत समितियों के अन्दर हैं और कई छोटे छोटे बन्धे भी हैं उनको रिपेयर्स करने के लिए पंचायत समितियों के पास में पैसा नहीं है और इरिगेशन डिपार्टमेंट उसके अन्दर दखल नहीं कर सकता है। स्कूल की बिलडिंग्स के लिए उनके पास पैसा नहीं है और स्कूल की व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं है तो ऐसी स्थिति के अन्दर अगर इसी पंचायत राज को चलाना है या नहीं चलाना है यह तो राज्य सरकार बाद में तय करे, लेकिन उनको चलाने के लिए आवश्यक रूप से राशि दे या उनको अपने गवर्नमेंट के अन्दर टेक ओवर कर ले। वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर जब राज्य सरकार के द्वारा चुनावों को टाला जाता है। और 7 वर्ष तक चुनावों को नहीं कराया जाता है, अनुदान

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करते हैं। तो सभानेत्री जी इस प्रकार के आरोप तो विभिन्न विभागों पर भी लगाये जाते हैं। इस बात को मानने वाला मैं नहीं हूं कि इसी आधार को लेकर पंचायत समितियों को भंग कर दिया जाये। जिला परिषदों को भंग कर दिया जाये। या पंचायत समिति और जिला परिषदों से राज्य सरकार अधिकार वापस ले ले। सभानेत्री जी शिक्षा विभाग पर भी आरोप लगाये जाते हैं। पंचायत समितियों पर भी आरोप लगाये जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि गड़बड़ है तो हम खत्म कर दें। यह उचित नहीं है कि गड़बड़ तो हम खत्म करदें। यह उचित नहीं है। हमें उन्हें सुधारने का कोई कदम उठाना चाहिए। और धीरे धीरे आटोनोमी की स्थिति उन्हें देनी चाहिए। आज पैसा कहीं पर ज्यादा खर्च होता है, कहीं पर कम होता है। वहां खुला डिस्ट्रीब्यूशन होगा। माइनर प्रोजेक्ट का काम उनसे करायें। मेजर प्रोजेक्ट का काम सरकार करे। पहले आर. ए. एस. आफिसर्स थे। तो सभानेत्री जी. ए. ई. ओ. लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि ए. ई. ओ. से बी. डी. ओ. बनते हैं तो अच्छा है। आर. ए. एस. लगाये जायें तो वह प्रधान को काम नहीं करने दें। दिनरात अड़चनें पैदा करें। उसकी योग्यता और अयोग्यता का प्रमाण तो जनता के पास है। उसको सुधारने की कोशिश करें। लेकिन सभानेत्री जी मैं यह बात जरूर चाहता हूं कि राज्य सरकार का अंकुश पंचायत राज पर जितना कम हो सके, उतना अच्छा है। अभी तक अच्छा है। अभी तक पंचायत विभाग के हाथ में सारी शक्ति निहित है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि पंचायतों, पंचायत समितियों, और जिला परिषदों को सेल्फ सफीसिएन्च होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा बुरी पोजीशन तो यह है कि जिला परिषदों में बहुत से ऐसे लोग सुशोभित हैं, जो प्रथम पदों पर मौजूद है। जो कि एम. एल. ए. हैं या एम. पी. हैं।

एक माननीय सदस्य : हां हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो सभानेत्री जी एम. एल. एज. या एम. पीज. हैं।

एक माननीय सदस्य : उपमन्त्री भी हैं, सरपंच भी हैं।

श्री मेजर फतेहसिंह : विश्वेश्वरनाथ भार्गव प्रमुख थे, इसलिये तो चुनाव जीते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चुनाव तो इसलिये जीते हैं क्योंकि जनता ने समाजवाद को वोट दिया है। आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिये आप को वोट नहीं दिये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हां, शराब और लाटरी चलाने का प्रोग्राम इन्दिरा जी के पास है।

श्री लादूराम सलानियां : जयपुर जिले में हमारा प्रमुख जीता है, आप का नहीं।

एक माननीय सदस्य : इसलिए वह बैठ गये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभानेत्री जी, एम. एल. एज., एम. पी., मन्त्री, उपमन्त्री ऐसे पदों पर आसीन रहें तो वह अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। पर सिद्धान्ततः वह पोजीशन अलग वस्तु हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं हैं। इसके लिए

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)
राज्य सरकार शीघ्र से शीघ्र संशोधन प्रस्तुत करके इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए। विशेष रूप से यही कहना है कि इनको ऑटोनामी बनाकर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल का रूप देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोंसिल एक अलग यूनिट होगा। इसका कोई अधिकारी विधान सभा या पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होना चाहिए। इन सज्जनों की सूची पंचायत मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा (आसन की ओर से कोई संकेत होने पर) बस मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। इस पंचायत राज के लिए उनको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ऐसी पोजीशन में बहुत कमजोर होगा। पंचायत राज जिन वजूहात से असफल रहा है, उन वजूहात को हम समाप्त करना चाहते हैं हम उन्हें और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर इसके असफल होने की आशा नहीं है तो वह बहुत बडी कमजोरी है। राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय लेना होगा। पंचायत राज्य को आगे चलाना है तो आवश्यक संशोधन लाकर कामयाब बनाना होगा। नहीं चलाना है तो निर्भयतापूर्वक कहना चाहिए कि हम राजस्थान में पंचायत राज चलाने में असफल रहे हैं। अगर राज्य सरकार यह महसूस करती है।

हालांकि मैं इसके विरोध में हूं, मैं निवेदन कर चुका हूं, वर्तमान स्थितियों में लोकल नेससिटीज को देखते हुए पंचायत राज को वापिस लेने की बात होनी चाहिये, पंचायत राज को जयादा कामयाब बनाने के उन्हें जयादा पावर देनी चाहिये, टू टायर सिस्टम बनाना चाहिये और पंचायत राज को सफल करना चाहिये। यह अनुरोध मेरा सरकार से है और इस अनुरोध के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री दौलतराम सारण : अनुमति हो तो पांच दस मिनिट के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : पहले मिस्टर श्रवण लाल को समय दे दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी भी कट मोशन है। अभी तक मेरा नाम नहीं बोला गया है। मैं इन्तजार कर रहा हूं।

श्री सभापति : बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): सभापति महोदय, आज सामुदायिक विकास की मांग पर मेरी भी कट मोशन थे। इस विभाग के ऊपर बोलने वाले मेरे पूर्व वक्ताओं ने अब तक जो सुझाव दिये हैं वह पंचायती राज को समाप्त करने के सम्बन्ध में दिये हैं। इस पर ज्यादा जोर दिया है। इसका कारण भी है, आज पंचायत समिति, जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने कारण उनकी जो कार्यक्षमता है वह कार्य क्षमता दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई है। आज छोटी छोटी ग्राम पंचायतों के पास एक दूसरे को लड़ाने के सिवाय और कोई काम नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान पंचायती राज के अन्दर बकाया के सम्बन्ध में आकर्षित करूंगा। आज बकाया चाहे ग्राम पंचायत के सेक्रेट्री की हो, चाहे न्याय पंचायत के सेक्रेटरी की हो, चाहे किसी की हो—इन पंचायतों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सेक्रेटरी की बकाया लगभग पांच लाख के आस पास है। ग्राम पंचायत इस स्थिति में नहीं है कि वह एक साथ ही चुकारा कर दे। पांच

श्री श्रवणलाल)
गाय की बकाया तो विभाग के द्वारा दी गई लिस्ट के अनुसार है। ग्राम सेक्रेटरियों ने वर्षा तक ग्राम पंचायत का काम किया है, उनकी एक एक की बकाया उठा कर देख लीजिये, तीन तीन हजार रुपया एक एक का बकाया है। इस प्रकार की बकाया इस स्थिति में है तो ग्राम पंचायत के पास कभी भी इतने फंड नहीं होंगे कि वह चुका सके। ग्राम पंचायतों की स्थिति कमजोर हो गई है इसलिए वह इस बकाया को चुकाने में नाकामयाब रही है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ग्राम पंचायतों के सचिव का जो वेतन बकाया है उस वेतन को चुकाने के लिये शीघ्र से शीघ्र कदम उठाये जायें। अगर यह बकाया चलती रही तो पता नहीं कहां जाकर ठहरेगी। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने नियम बनाया था, ग्राम पंचायतों को आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए हर पंचायत को पन्द्रह बीघा जमीन एलॉट की जायगी। बहुत सी जगह पन्द्रह बीघा, बीस बीघा, पच्चीस बीघा ग्राम पंचायत के नाम से जमीन एलॉट की। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से, क्या हुआ, कितनी पंचायतों की आय बढ़ी? उसके अन्दर जो फसल होती है, उसको ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय स्वयं लीपापोती करके खा जाते हैं और फसल की सही स्थिति नहीं बताते हैं। मान लीजिये कि ग्राम पंचायत सही आय लिख दें तो उनको ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को बकाया चुकानी पड़ेगी, और जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन कार्यों को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए ग्राम पंचायत को जमीन एलॉट की है उससे आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता है। इसके साथ पंचायतों के ऊपर राज्य सरकार खर्च करती आ रही है, उन पंचायत समितियों की हालत क्या है। उनके पास कोई काम नहीं है। इस कारण जो पंचायत समिति के पास पूंजी है, उसका दुरुपयोग करने के सिवाय वह कुछ नहीं करती है। ग्राम पंचायत के प्रधान और विकास अधिकारी, अगर जयपुर में कोई नया पिक्चर लगता है तो जयपुर का प्रोग्राम बनाते हैं। दिखा यह देंगे कि फलां अधिकारी से मिलना है, फलां सब्जेक्ट के सम्बन्ध में मिलना है। प्रोग्राम बना कर जयपुर आये और एक दो दिन पिक्चर देखेंगे, इसमें ज्यादा खर्च हो जाता है और इन्कम नहीं होती है तो झूंठा टी.ए., डी.ए. बनाते हैं। इसकी जांच कराई जाय। पंचायत समितियों के पास जो जीप होती है, उसके मेन्टेनेन्स पर जो खर्च किया जाता है, इसकी इन्क्वायरी कमीशन से जांच करायें तो एक जीप बाईस-तेईस हजार की नई आ जाती है, लेकिन एक-एक जीप पर बाइस हजार रुपया तो चार साल के अन्दर मेन्टेनेन्स पर खर्च हो जाता है। इस प्रकार जनता का पैसा जीप के नाम पर पेट्रोल के नाम पर फूंका जाता है।

इसी प्रकार आज जो शिक्षा पंचायत के स्कूलों में दी जाती है, जो पंचायत समितियों के द्वारा जितने स्कूल चलाये जा रहे हैं, उनकी हालत देखें। उनकी शिक्षा पद्धति को देखें। वहां भी यही हालत है कि अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है। एक एक शिक्षक को दो दो साल से तनख्वाह नही मिली है।

(4.15 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह क्या करे। उनको परेशानी होती है। लेकिन इन्हें चिन्ता नहीं है। इन्हें अपने

(श्री श्रवणलाल)

वेतन की चिन्ता होती है। वह दौरा करते हैं और बड़े बड़े बिल द्वा कर लेते हैं। आज अध्यापकों का करीब दस लाख बकाया है। किसी अध्यापक के तेरह सौ बकाया हैं, किसी अध्यापक के अठारह सौ बकाया हैं, किसी के दो हजार। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बकाया अध्यापकों की है, तो इस तरफ आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं। आज एक तारीख को सोचता है कि मेरा वेतन मिलेगा तो मैं महीने भर का काम चलाऊंगा। लेकिन उनको वेतन नहीं मिलता है तो अध्यापक शिक्षा नहीं दे पाते हैं और अपने बाल बच्चों की देख रेख भी पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। इससे उनमें एक और प्रवृति पैदा हो जाती है। वह गावों की राजनीति में भाग लेना शुरू कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप स्कूलों को सम्भाल नहीं सकते, बकाया को चुकाने में असमर्थ हैं तो शिक्षा विभाग को यह स्कूल सौंप देने चाहिए, ताकि बच्चों के साथ में जो अत्याचार होता है वह नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, कसौली ग्राम पंचायत के जो अध्यापक हैं उन्होंने फीस के द्वारा और दूसरे जरिये से पैसा इकट्ठा करके गबन किया। क्या हुआ उसका। पंचायत समिति के अन्य अधिकारी हैं उन्होंने उस गबन को साबित कर दिया, आपके द्वारा उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्री द्वारा भिजवाई, लेकिन उसका क्या हुआ। यहां आकर वह केस खत्म हो गया। कोई चाहे कितना ही भ्रष्टाचार करे, यहां आकर विभागीय जांच होकर सब खत्म कर दिये जाते हैं मामले। जन लेखा समिति की रिपोर्ट है उसमें विभागीय कार्यवाहियों के लिए लिखा है, उसमें पंचायत विभाग का तीसरा नम्बर है। लेकिन वह रिपोर्ट भी खत्ते में पड़ जाती है। प्रधान और सरपंच मिनिस्टर के पास आते हैं। कहते हैं, फलां ने पैसा खाया है, इसको किसी तरह से बचाना है चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाय, इसकी चिन्ता नहीं है। इस प्रकार विभागीय कार्यवाही होती है। यह गम्भीर मसला है, जिसका मन्त्री महोदय द्वारा समाधान नहीं होता है। आज पंचायती राज का स्तर गिरने का एक ही कारण है कि पंचायती राज को गलत नीतियों के आधार पर चलाया है। मेरा निवेदन है कि जो भी काम पंचायतों के माध्यम से कराये हैं, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे स्कूल हो–उनकी मेन्टेनेन्स नहीं होती है। जो बांध है, उनके लिए सिंचाई विभाग कहता है, यह हमारे तहत नहीं आता है, यह विभाग में काम नहीं किया है, पंचायत समिति ने पैसा लगाया है, वही इसकी मेन्टेनेन्स करेगी ...

पंचायत समितियों के पास फन्ड नहीं हैं उनकी देख-रेख नहीं होती है, बंधा टूट जाता है। इसके बाद मरम्मत नहीं हो पाती है और नतीजा यह होता है कि उस पर जो पैसा लगा था चाहे 10 हजार चाहे 20 हजार, वह बेकार जाता है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समय बनी हुई सड़कें पंचायत समितियों द्वारा ग्रामों में बनी हुई सड़कें हैं। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़कें हैं। उस समय पंचायत समितियों के पास अन्धाधुन्ध पैसा आता था, इस प्रकार सड़कों का निर्माण किया। आज उनकी हालत क्या है? ऐसे जो स्थान हैं, वहां सड़कें पी0 डबल्यू0 डी0 को दे दो

(श्री श्रवणलाल)
जिससे पैसा उस पर जो खर्च हुआ है उसको सुरक्षित रखने के लिये दूसरा विभाग मरम्मत करेगा। सुचारु रूप से चलाने में सफल बनाऐगा और उसके साथ-साथ जितने कार्य हैं अपने विभाग के अन्दर रखें तो जितनी दुर्दशा हुई है उससे कई गुना अधिक हो जायेगी।

मैंने गत सेशन में एक प्रश्न उठाया था जिला सवाई माधोपुर में आलमपुर ग्राम पंचायत के अन्दर दुनियां भर के भ्रष्टाचार हैं उसके बाद भी किसी प्रकार की परवाह नहीं। मन्त्री महोदय ने उसके लिए इन्क्वायरी की पंचायत का जो रेकार्ड था उसको सील किया लेकिन हुआ क्या? जांच से सरपंच का क्या हुआ? आज वह गलत पट्टा दे रहा है हजारों रुपये की जमीन के गलत पट्टे दे रहा है, पुरानी तारीखों में आज भी लाखों रुपये की जमीन जो ग्राम पंचायत की थीं, वितरण कर रहे हैं। कलक्टर की परवाह नहीं करते, मन्त्री की परवाह नहीं करते। आपने क्या किया? कुछ नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि अनेक प्रकार के दबाव आते हैं और ऐसे मामलों को रफा-दफा दिया जाता है।

जहां तक बकाया का सम्बन्ध था हमारी सरकार चुकारा नहीं कर सकती जहां तक बकाया वसूल करने का संबंध है, हमारी सरकार वसूल नहीं कर सकती। इतना तो हर आदमी जानता है कि जो मुनीम, एक दूकान पर काम करता है, काम करते हुए हानि लाभ में किस प्रकार फैल हो जाता है तो फौरन उसको मालिक बदलता है और मालिक उससे कहता है कि आप बुद्धि से काम नहीं करते क्योंकि जमा की जगह नाम और नाम की जगह जमा कर देते हैं। इसी तरह से बकाया के सम्बन्ध में चाहे खाद का पैसा चाहे बीज का पैसा हो चाहे तकावी के रूप में दे दिया। मैंने पिछले सेशन में पूछा था खाद और बीज की बकाया के बारे में, लाखों रुपया बकाया है। बकाया के लिए हमारी सरकार किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करती। क्यों बहुत सी पंचयात समितियों में रेकार्ड ही जल गया ...

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित करें, तो अच्छा है। और भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें शीघ्र ही।

श्री श्रवणलाल : एक एक व्यक्ति कम से कम 15–15 हजार खाद और बीज खा कर बैठा है, हमारी सरकार वसूल करने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि पंचायत समितियों के पास में जो फंड जाता था, अनुदान की रकम जाती थी, चाहे कुओं के लिए खुर्रा बनाने के लिए या दूसरे काम के लिए, प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते थे। आज इस सरकार ने वह भी बन्द कर दिया। उनके लिए खुली छूट दे दी मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में बताया था कि इतने हजार के सर्टीफिकेटस प्राप्त होने चाहिए थे वह नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा कि सरकार की इतनी बड़ी रकम

(श्री श्रवणलाल)
कैसे कर सकते हैं तो ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं ये हमको जिताने वाले हैं। 5 साल में एक बार मौका पड़ता है, जिस तरह से कहते हैं वह करते हैं। सरपंच गांव में बैठा हुआ हैं, गांव के आदमियों पर रोब जमाकर वोट प्राप्त करा सकता है। इस लिए पैसा खाया है, गबन किया है, तो इनको माफ कर भ्रष्टाचार किया है, तो इनको माफ कर दो। तो हमारी सरकार इस प्रकार से जो माफ करने की पद्धति है सरपंचों तक पहुंचा रही है। अनुदान का हिसाब देते थे, आगे नहीं देंगे चाहे फलां आदमी के नाम से पैसा लिया है फलों के नाम से लिया है

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त हुआ।

श्री श्रवणलाल : मैं पंचायत समितियों में इस तरह के मामले वहां पर बता सकता हूं। साबित कर सकता हूं। कुए के निर्माण के लिए पैसा दिया लेकिन उस गांव में कुआं नहीं होगा। पंचायत समिति के रेकार्ड में जरूर होगा और पैसा खा गया। वहां पर इस बात के लिए कहा गया, कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह से हमारी हिंडौन पंचायत समिति के प्रधान के लिए दुनिया भर के घोटाले, दुनिया भर के भ्रष्टाचार के लिए यहां पर कहा गया तो जांच के लिए जिलाधीश को नियुक्त किया, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। उसमें जितने भ्रष्टाचार के आरोप थे अधिकतर साबित हुए। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा वास्तव में जो आरोप लगाये गये वे सही हैं। आपने क्या किया ? कुछ नहीं कर सकते। एक कारण है। पहले कुछ चर्चा थी, उसके खिलाफ चार्जशीट देंगे, लेकिन ज्योंही मध्यावधि चुनाव हुआ समाजवाद का नारा लगने लगा भुखमरी को मिटाना, अमीर को डाउन करना और गरीबों को अमीर बनाने के लिए नारा लगाया, प्रधान झंडा लेकर मैदान में कूद पड़े और नतीजा क्या हुआ जितने घोटाले थे उन पर पानी फिर गया इसलिए मैंने जो तथ्य रखे हैं आशा करता

(घंटी)

हूं कि मंत्री महोदय सभी बातों को मद्दे नजर रखते हुए मेरे मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) उपाध्यक्ष महोदय, यह है सही कि हमारे देश के लिए या राज्य के लिए पंचायती राज कोई नई चीज नहीं है। जैसे मनोहरसिंहजी मेहता कह रहे थे, उनका कहना था कि पुराना पंचायती राज था उसमें स्वत: पंचायतों के चुनाव किये जाते थे। आज की तरह वोट नहीं मांगने जाते थे। तो पंचायती राज हमारे यहां की अपनी खूबी थी और पंचायतों का संचालन किया जाता था, लेकिन बाद में कई शताब्दियों तक यह परम्परा चले जाने के बाद इस सिस्टम में नुकसान पैदा हुई और पंचायतों के द्वारा समाज पर खास तौर पर छोटे तबके पर और औरतों पर अत्याचार हुआ करते थे। अब जमाने में

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

तबदीली आई तो हमारी सरकार ने सोचा कि उसी प्राचीन परम्परा को आज के युग के अनुकूल फिर से लगा दिया जाए, यही सोचकर पंचायत परम्परा फिर से आरम्भ की।

श्री श्रवणलाल: आजकल भी अधिकतर सरपंच औरतें बेचते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: पंचायत राज कायम करते समय उद्देश्य था कि जो स्थानीय समस्यायें वहां होंगी जनता की वह मिलकर सुलझा सकें। जो झगड़े होते हों यह निपटा सकें। जैसे प्राचीन वक्त में गांवों की आत्मनिर्भर नीति थी, उसी प्रकार गांव आत्मनिर्भर होकर, छोटे छोटे कामों के लिये बाहर न जायें और विकेन्द्रित होकर वहां के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के अधिकार मिल जायं। इसी उद्देश्य से पंचायत राज कायम किया गया। इतने वर्षों के परीक्षण के बाद यदि सिंहावलोकन करते हैं तो हमें देखकर तकलीफ होती है कि जिस मकसद से पंचायती राज की स्थापना की उसको हम प्राप्त नहीं कर सके। उस बात को देख कर और भी दुख होता है कि पहले पंचायत राज चलता था कम्परेटिवली पंचायत राज सशक्त न होकर कमजोर होता जा रहा है और अधिक अधिकार मिलने चाहिये थे वहां ह्रास होता जा रहा है। पंचायती राज का आगे बढ़ना तो दूर रहा हम एक कदम और पीछे हैं। खुले शब्दों में कहा जाय तो पंचायती राज केवल तनख्वाह बांटने की एक मशीनरी है। न तो उसके पास पावर्स हैं न अधिकार। केवल एक अध्यापकों की जमात है। उनमें तनख्वाह बांट दी या उनका प्रशासनिक खर्चा इतना बढ़ गया है कि वे अपने आप में एक बोझा मात्र हैं। जो विकास के काम हाथ में लेने चाहिये थे, जो जिम्मेदारी जनता पर डालनी चाहिये थी और जो काम हाथ में होने चाहिये थे उनमें कुछ नहीं कर पाये हैं। जब एक नजर से पंचायती राज और पंचायती संस्थाओं को देखते हैं तो को-ओपरेटिव्ज सारी की सारी फेल हैं, इन्स्पेक्टर और कोओपरेटिव का खर्चा हमारे ऊपर आता है, काम देखने के बजाय, जब कि यह उम्मीद थी कि बीच में बिचौलिये नहीं होंगे और उनसे लोगों को फायदा हो सकेगा यह इनका मकसद था, जहां बिचौलियों को खत्म करना चाहते थे, वहां ये बिचौलिया बनकर आ गयी हैं। जनता की अज्ञानता के कारण समाज के कुछ व्यक्ति इन कोओपरेटिव्ज पर कब्जा करके बैठे हैं।

जब हम श्रमदान की ओर देखते हैं, तो हमारा मकसद यह था कि सरकार खर्चा करे और गांव वालों की मदद होकर श्रमदान दे देकर छोटी–मोटी चीजों को सामने रख सकें, लेकिन जब श्रमदान की ओर नजर डालते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। कागजों में नजर डालते हैं तो इधर उधर रुपया जमा कर श्रमदान दिखा दिया जाता है किन्तु वास्तव में वह किया नहीं जाता। बल्कि यह कहें कि कुछ वर्षों पहले जब पंचायती राज नहीं था तो गांवों के लोग काम करने के लिये जागरूक थे और सहयोग के साथ काम करते थे। वह सब तब्दील हो गया है। छोटे छोटे कामों के लिये आज सब

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

सरकार का मुह ताकना पड़ता और सरकार की ओर देखते हैं। अपने हाथ से कुछ नहीं करना चाहते अपने बचपन का किस्सा कहती हूं कि तालाब के टूटने का खतरा हो जाता, अथवा तालाब कमजोर हो जाता तो बाहर से मदद और रुपयों की आवश्यकता नहीं समझते थे। ढोल बजाया जाता था और गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, औरतें, बच्चे सब मिलकर तालाब पर मिट्टी डालने के लिये जाते थे और तालाब को मजबूत बनाया जाता था।

श्री उपाध्यक्ष : बेगार की प्रथा थी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : हम अपने हाथ से काम करते थे। आज यह स्थिति आ गयी है कि मेरी समिति के क्षेत्र में तालाब टूटने लगा। जोरों की वर्षा हुई थी इस कारण टूटने का खतरा था। गांव में जाकर कहा गया कि तालाब टूट रहा है, जल्दी आकर मदद करो नहीं तो टूट जावेगा। घरों में लोग सोते रहे लेकिन बाहर आकर किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की हम श्रम से जी चुराने लग गये और दूसरों का मुंह देखने लगे और स्वावलम्बी नहीं बने रहे।

विकास कार्यों के लिये पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं है। अकाल के समय में भी छोटे मोटे तालाब बने हैं, अकाल के रुपयों से बना लिये गये लेकिन उनको पूरा करने के लिये रुपया नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि सबसे पहले इसकी व्यवस्था करे कि जो छोटे मोटे तालाब पूरे होने से रह गये हैं उनको पूरा किया जाय और ऐसे स्थान हैं कि जहां सबसे पहली और सब से बड़ी आवश्यकता होती है छोटे छोटे तालाब बनाना है। मंत्री महोदय का ध्यान उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूं कि जिससे पंचायत समितियों की मदद करके छोटे छोटे तालाबों को पूरे बनाये जा सके।

हमारे यहां पंचायत समिति ने काम हाथ में लिये जंगल लगाने के लेकिन न तो जंगल लगाये और न कुछ। कुछ पंचायत समितियों ने फार्म लिये वे बिल्कुल फेल्योर हैं। ट्रैक्टर लिये वे बेकार पड़े हैं। विकास के कार्य करना चाहते हैं उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी जरूरत है कि विकास के कार्य किये जा सकें और पंचायत समिति के हाथ में ऐसी ताकत दी जाय कि राजस्व आता है वह पंचायत समितियों को दिया जाय, उनके हाथ में ताकत दी जाय जिससे वे छोटी-मोटी समस्याओं को खुद सुलझायें। पंचायत समिति को तोड़ी न जाकर उनकी ताकत को बढ़ाया जाय। मैं इस पक्ष में हूं। विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तब तक जनता को राज्य करने से दिलचस्पी होती है उसको बढ़ाया नहीं जा सकेगा। बार बार यह आवाज उठायी जाती है कि जो पंचायत समिति में स्कूल हैं, टीचर्स हैं उनको उनके पास से हटा कर शिक्षा विभाग को दे दिया जाय। मैं इसके विरोध में हूं। मेरी यह पूरी मान्यता है कि स्कूल पंचायत समितियों के अधीन रहने चाहिये। शिक्षा विभाग को दे दिये गये तो इतने छोटे 2 स्कूल हैं और छोटे गांवों में हैं नम्बर में ज्यादा हैं और विकट स्थानों पर हैं वहां पर शिक्षा विभाग का इन्स्पेक्टर

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत)

समय समय पर जाकर न तो निरीक्षण कर सकेगा। और न ही उनको सम्हाल सकेगा। यह मैं मानती हूं कि वास्तव में आज प्रबन्ध अच्छा नहीं है, टीचर्स समय पर नहीं पहुंचते हैं, छुट्टियां मनाने के लिये घर पर आ जाते हैं। शिक्षा विभाग के पास चले गये तो आज जो हालत है उससे भी बदतर हो जावेगी।

पंचायत समिति ने यह नियम बनाया है कि छोटे अध्यापकों के लिये जहां उसका गांव है उसके गांव के नजदीक रखा जाय। गांव में रहेगा तो बच्चों को पढ़ायेगा और बच्चों की तरह ही उनको समझेगा गांव में जान पहिचान होने कारण अपनत्व होने के कारण वह पूरा समय देगा और सेवा करेगा और यह ज्यादा से ज्याया अच्छा होगा। लेकिन इसका कार्य रूप भी जब देखा है तो इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ है। अध्यापक उस गांव के होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं और उस गांव में खेती वाड़ी के कारण आस पास में खेतीबाड़ी के कारण वे बच्चों पर ध्यान नहीं देते और पास में गांव होगा तो साइकिल पर चले जाते हैं और ध्याम नहीं देते। गांवों में रहने के लिये जो सुविधा चाहिये। वह उन्हें नही मिल पाती है। मकान नहीं मिलता। बकरियां बंधती मैंने देखी हैं जहां पर अध्यापक बैठा है और बच्चे वहां बैठे हैं। होनहार बच्चों के लिए सबसे अच्छा इन्तजाम शिक्षा का होना चाहिये उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। दूसरी बातों की ओर जितना ध्यान देते हैं उतना शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। शायद सोवियत रूस में किसी ने पूछा था कि आपके यहां कौनसी प्रिविलेज्ड क्लास है तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे लोग ही प्रिविलेज्ड क्लास हैं। यहां पूछें तो नेग्लेक्टेड क्लास कौनसो है तो शर्म के साथ कहना पड़ेगा कि बच्चे नेग्लेक्टेड क्लास हैं। टीचर्स मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं, उनका ज्ञान इतना कम होता है बल्कि कहना चाहिये उनका स्तर इतना नीचा होता है कि गांवों में जाते हैं तो न रहने के लिये मकान और न ही ज्ञान।

हम अपने बच्चों का जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है इस तरह के 16, 18, 20 वर्ष के लड़कों के हाथ में उनका भविष्य दे रहे हैं। वे खुद ज्यादा पढ़े हुए नहीं हैं वे खुद नहीं समझते हैं तो वे बच्चों को क्या पढ़ायेंगे? मैं समझती हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है और इस पर पंचायती राज को ध्यान देना चाहिये और अगर ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है। आखिर हमारी तो दो करोड़ जनता गांवों में बसती है। गांव के अन्दर जो अध्यापक हैं उसको अधिक ज्ञान नहीं है और वह बच्चों को भी ऊपरी मन से पढ़ाता है और सिर्फ वहां पर नौकरी के लिए जाता है और राम राम करके गांव में रहता है। उनको तो यह रहती है कि किसी तरह उनका तबादला हो जाये और वे अपने गांव या कस्बे में चले जायं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मैं उपाध्यक्षजी, आपको धन्यवाद देती देता हूं कि आपने मुझको इतना समय दिया। अन्त में यह कह कर समाप्त करती हूं कि पंचायत यूनिटों को शक्तिशाली बनाया जाये,

Page No 139

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

राज्य सरकार उनकी इनकम के साधन जुटाये और जो राजस्व की आमदनी उस क्षेत्र से होती है उसका कुछ अंश रखकर उसको इस ढंग से मजबूत बनावे और हमारी जनता के हाथ में, स्थानीय लोगों के हाथ में सरकार को इसकी बागडोर देनी चाहिये।

श्री लादूराम सुलानिया : आज अध्यक्ष महोदय ने यह फर्माया था कि कच्ची बस्तियों की तोड़-फोड़ के बारे में जो जलूस कल निकला था उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उत्तर देने वाली है शाम के किसी वक्त····

श्री उपाध्यक्ष : अगर पांच बजे तक मांगें पारित हो जायेंगी तो ? अभी तो ऐसा लगता है कि पांच बजे तक मांगें पारित नहीं होंगी।

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत मन्त्री जी से राजस्थान पंचायत राज संस्थाओं से जितना भ्रष्टाचार, जितना घोटाले आज तक हुए हैं, एक भी घोटाले की जांच मन्त्री महोदय द्वारा नहीं करवाई गई है। मैं उदाहरण के तौर पर पंचायत समिति, नोहर के बारे में भी कुछ कह देना चाहता हूं। पंचायत समिति नोहर में सन् 1966 में एक विकास अधिकारी एस. एन. व्यास थे जिसके द्वारा सामान खरीदा गया था और उस समय मैं प्रधान था। और उस सामान को मैंने रिजेक्ट किया था। यह एक लाख 33 हजार और कुछ सौ रुपयों का सामान था जिसको मैंने रिजेक्ट किया था। इसको रिजेक्ट करने के बाद एक कमेटी बनाई जांच करने के लिए यह सामान कहां से आया ? और कौन कौन सी फर्मों से खरीदा गया है और कितनी ऊंची कीमत पर और किस तरह से और उसके 9 दिन के बाद ही यहां के पंचायती राज मन्त्री द्वारा मुझे प्रधान पद से पृथक् कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि मेरे खिलाफ क्या आरोप थे लेकिन उस समय विकास अधिकारी एस. एन. व्यास थे वह पंचायत मन्त्री का आदमी था और इतना बड़ा घोटाला पकड़ा इस बात पर मुझे पृथक् कर दिया गया प्रधान के पद से। और 9 दिन के बाद ही। पृथक् होने के पहले जो मैंने सरकार को रिपोर्ट की उसके बाद उस विकास अधिकारी को 11 महीने तक वहां पर रखा गया इससे बढ़कर और क्या उदाहरण हो सकता है। एक 32 रुपये की चीज 385 रुपये में उसने खरीदी। हजारों रुपयों का फेमिली प्लानिंग का सामान खरीदा और 40 रुपये के सामान को ढाई हजार रुपयों में खरीदा गया और वह विकास अधिकारी आज राजस्थान केनाल में बड़ा आफीसर बन बैठा है। इतने ऊंचे पद पर आपने उसको बैठा रखा है। उसने लाखों रुपये राजस्थान केनाल क्षेत्र में कमाया है। अपने भाइयों के नाम से जमीन ली है, अपनी औरत के नाम से जमीनें बनवाई हैं। इस प्रकार की इस सरकार की नीति है और पंचायत मन्त्रीजी के सामने मैंने इस सम्बन्ध में कई बार कहा है और सदन में भी बराबर इस मामले को उठाता रहा हूं लेकिन जो सरकार इस प्रकार के घोटालों के ऊपर नजर नहीं रखती तो मैं यह समझ कर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

चलता हूं कि राजस्थान की सरकार का कोई भी मन्त्री इससे अछूता नहीं है। इसके बाद दूसरे विकास अधिकारी आये और उस विकास अधिकारी ने और वहां के उप प्रधान ने मिल कर जिस फर्म से सामान खरीदा गया था और जो सामान रिजेक्ट किया हुआ था और जिसका भुगतान चुकाया था उस फर्म के साथ फर्जी प्रस्ताव पास करा कर राजीनामा किया गया और उन कागजों को भी मैंने जिलाधीश को पकड़वाया और कई कागज सील करवाये और इस पर उप प्रधान और विकास अधिकारी मोअत्तिल हुए। मैं नहीं समझता कि वह उप प्रधान किस तरह से बहाल हो गया। विकास अधिकारी आज तक मोअत्तिल हैं लेकिन आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। कल को वह सारा पेमेन्ट फर्म को देना पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उन व्यक्तियों की होगी जिन्होंने यह राजीनामा किया था फर्जी प्रस्ताव पास करा के, मैंने सुना है कि अब इस विकास अधिकारी को बहाल की आप साजिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किस तरह से उसकी बहालगी होगी। अगर यह होता है तो कोई मजबूरी हो सकती है मन्त्री महोदय की। चाहे उनके लड़के के ऊपर कोई केस हो और उस प्रधान का भाई भी जेल में अधिकारी है और शायद इसलिए आपने उसको बहाल किया है। तब इस तरह से उस गरीब को क्यों सताया जा रहा है उसको भी बहाल करें। गुनहगार है तो दोनों को सजा मिलनी चाहिये। एक आदमी को सजा और एक के साथ रियायत। यह तो सही नहीं है। किसी को कुछ और किसी को कुछ भी नहीं। उसके बाद दूसरे विकास अधिकारी जी आये। उसने भी अनेक घोटाले किये और उन घोटालों के बारे में भी मैंने लिखा और वह भी पंचायत मन्त्रीजी के नोटिस में लाया। इनके सामने सारी बातें रखीं। मैं अब यह समझता हूं कि परसराम जी कुछ भी करने वाले आदमी नहीं हैं यह बिलकुल ही ढोंगी आदमी हैं। वे उसका तबादला भी नहीं कर सके और ज्यादा से ज्यादा सजा दी तो यह कि उस पंचायत समिति से हटा कर भादरा पंचायत समिति में हंसराज जी के पास भेज दिया। इस विकास अधिकारी ने तीन महीनों के अन्दर 72 मास्टरों का तबादला किया और प्रधान के लिख कर देने के बाद भी एग्री नहीं किया। उसने पंचायत समिति का कोई आदेश नहीं माना और एक अध्यापिका को जिसको कि दो साल से पृथक कर दिया गया था उसको घर बैठी को 4200 रुपये दिलाये। आज भी पुलिस विभाग के अन्दर इन्क्वायरी चल रही है। मैं नहीं जानता किस रूप में इन्क्वायरी चल रही है। मैं यह समझता हूं कि यह इन्क्वायरी नहीं होती है। एक किस अधिकारी ने एक लाख 33 हजार रुपयों का सामान खरीदा और उसमें घोटाला किया उस सामान को मैंने रिजेक्ट किया था उसको वितरण किया फिर फर्म के साथ मिलकर यह साजिश की और फर्म का जो बकाया था उसको लेने की वह हकदार हो गई। वह गुनहगार है लेकिन उसको आपने सस्पेन्ड नहीं किया। आपके इस भ्रष्टाचारी शासन में क्या उम्मीद करूं। आप इन्क्वायरी करवा सकेंगे या नहीं। आपके

(श्री रामचन्द्र आर्य)

अन्दर पानी नहीं है और आप दबे हुए हैं। क्या फायदा है आपको इस पद पर रहने से ? इस प्रकार से घोटाले हों और आप इन घोटालों को आंख मींचकर दबाते रहें। यह गन्दगी दबेगी नहीं निकलेगी और राजस्थान के अन्दर जितने घोटाले हुए हैं वे भी दब नहीं सकेंगे। वे दुबारा आयेंगे और जिन लोगों के खिलाफ आरोप हैं और जिनको आपने शह दी है, प्रोत्साहित किया है वे दोषी व्यक्ति आप भी जायेंगे। वक्त पर आपके सामने शिकायतें की जाती हैं। एक विकास अधिकारी ने सामान खरीदा गंगानगर से 8 हजार का सामान दस हजार रुपयों में खरीदा। वह भी शिकायत की गई। पंचायत समिति के अन्दर बिजली, पानी का खर्च जोड़ दिया इसकी भी शिकायत की कई। पंचायत समिति की भवन के मरम्मत के झूठे बिल बनाकर 1200|– रुपये उठा लिये लेकिन सुने कौन। इसकी कहीं कोई सुनाई नहीं होती है। सरकार के जिम्मेदार लोग इसको सुनते नहीं है। इतने बड़े घोटाले करने वाले को सजा देनी चाहिये। लाखों रुपयों का घोटला किया और घोटाला करने के बाद 11 महिने तक उसे उसी पंचायत समिति में रखा गया। वहां उस पद में रह कर उसने रिकार्ड की तबदीली की और आज वही अधिकारी और भी ऊंचे पद पर बैठ कर लाखों रुपये बटोर रहा है। इस प्रकार का राजस्थान सरकार के पंचायत विभाग के अन्दर हो रहा है। मानाराम विकास अधिकारी उस वक्त पंचायत समिति की जीप में शिकार खेलता था। ड्राईवर को साथ नहीं रखता था और उसका एक्सीडेन्ट हो गया और आज तक वह जीप खराब पड़ी है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कितने ही घोटाले हुए कोई पूछने वाला नहीं है। क्या आपका यही पंचायती राज है। क्या इसी प्रकार का पंचायती राज राजस्थान के अन्दर आप लाना चाहते हैं। आप पंचायती राज को तबाह कर रहे हैं और इसलिये आपने ये पंचायत समितियां खोल रखी हैं। लाखों रुपयों का घोटाला मैंने पकड़ा। मैं वहां का प्रधान था और इतना बड़ा घोटाला और कोई नहीं पूछता। कोई अंगुली करता है तो उसको अंगुली पकड़ता है। लेकिन किसके भरोसे, से किसके सहारे इसको आगे बढ़ा सके। एक नहीं 232 पंचायत समितियों में बाकी नहीं निकल सकती है। आये दिन पंचायत समितियों में प्रधानों के खिलाफ विकास अधिकारियों के खिलाफ, सरपंचों के खिलाफ पंचों के खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं लेकिन आपने आज तक क्या कार्यवाही की है ? मैं समझता हूं आज भी कुछ करने वाले नहीं हैं। यहां जवाब देकर चले जायेंगे और बाद में जाने वाले सेशन में फिर कोई पूछ लेगा तो कह देंगे कि कार्यवाही चल रही है सरकार के विचाराधीन है। यह बहुत बड़ा खाता खोल रखा है कोई भी हम पूछें तो जवाब मिल जायगा, राज्य सरकार के विचाराधीन है। विचाराधीन न मालूम कितने सालों तक रहेगा, आप रहेंगे तब तक रहेगा क्या जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन आपको जेल की तरफ मुंह करना पड़ेगा जो आपने सरकार के खजाने में डाका डलवाया है इसलिए आप गुनहगार है और मैं ज्यादा न कहता हुआ यह कहूंगा या तो आप पंचायत मंत्री न रहे और यदि रहते हैं तो जो भी शिकायत

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आती हैं उसको सजा मिलनी चाहिये और सजा नहीं देते हैं तो मैं यही समझूंगा कि इसमें आप भी शरीक हैं क्योंकि आप गुनाहगार को प्रोत्साहन देने वाले हैं। जो खुद गुनाहगार होता है वही दूसरों के गुनाह को पनपाता है। उनको सस्पेन्ड करिये। आप कमीशन बैठायें और कमीशन के लिए मांग करियें मुख्य मन्त्रीजी से कि राजस्थान में पंचायतों में जो घोटाले हुये हैं उनकी जांच होनी चाहिये, लेकिन नहीं करते हैं तो फिर मैं यही समझूंगा परसराम जो आप भी अछूते नहीं हैं। आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। आपका हाथ है और अगर आपका हाथ नहीं हैं तो मनीराम वाले केस को कैसे दवाया। आपने पहले तो कहा मैं तबादला कराऊंगा। पंचायत समिति के वहां के सब सदस्य जानते हैं किस तरह लोगों की मास्टरों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आये दिन मास्टरों का तबादला किया गया है। आज भी कई स्कूल विकास अधिकारी की मेहरबानी से बन्द पड़े हैं। आखिर जनता किसको अपना दुःख दर्द सुनाये। हम भी यह यहां किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। यहां विधान सभा में आकर और कहकर चले जाते हैं, कोई असर नहीं होता है चिट्ठी लिखते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता है और मिलता है तो कार्यवाही नहीं होती है। जो सरकार के घोटाले या गलतियां हैं उसको फिर किस रूप में रखें, उनको किस तरह आगे चलाया जाय? आप तो विधान सभा में बैठकर न्याय नहीं करना चाहते हैं, आप तो अपनी कुर्सी को कायम रखना चाहते हो। लोग सरकारी खजाने पर डाके डालें और आप चुप बैठे रहें उन तमाम बातों को सहन करते रहें। जो भी एक गिरोह है उसको बचाने में लगे रहते हैं सदन के सदस्य सब जानते हैं कि किस प्रकार से घोटाले दबे रह जाते हैं और अधिकारी अपनी जेबों को भरने में लगे रहते हैं जो कल तक लोगों के पास कुछ नहीं था आज उन्होंने अपनी जायदाद बना ली है, कितने रुपये कमा लिये हैं यह किसी से छिपा नहीं है। आज थोड़ी सी तनख्वा पाने वाला कर्मचारी अपने बच्चों का केवल पेट पाल सकता है लेकिन करोड़ों रुपयों की जायदाद नहीं बना सकता है। अगर आप में थोड़ी भी ईमानदारी हो तो देखिए लेकिन आपके खुद के मंत्री मण्डल के सदस्य अपनी औरत के नाम से सिनेमा बनवायें और यह हमारे मनफूल सिंह जी हैं जिनकी औरत के नाम का सिनेमा बनाया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो फिर पीछे कौन रहेगा। हरिजन और गरीब भूमिहीन और मजदूर वह भी पीछे नहीं रहने वाला है क्योंकि आप तो अधिकारियों के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ायें इसलिए कि राजस्थान का खजाना आपके हाथ में है। राजस्थान दिवालिया हो रहा है इसकी आपको परवाह नहीं। मैं ज्यादा न कहता हुआ यही निवेदन करूंगा सामुदायिक विकास विभाग आपको दिया गया है और जो मैंने शिकायत की है उनकी जांच करवायें...

श्री शंकरलाल (जैतारण) : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह रुपया उन लोगों से वसूल किया जाय जिन्होंने राज्य

Page No 143

(श्री रामचन्द्र आर्य)

के खजाने को लूटा है और उस प्रधान छेदीलाल के लिए मैं समझूंगा आपने कुछ नहीं किया है उस फर्म वाले ने पंचायत समिति पर डिग्री ली तो उसका भवन नीलाम कर दिया जायगा. उसका क्वार्टर नीलाम कर दिया जावे क्योंकि बैंक बैलेंस नहीं है। मैं भी अपनी धून का पक्का हूं इस भवन को नीलाम करवा दें लेकिन हम एक पैसा देने वाले नहीं हैं। आप कुड़की करवायें लेकिन इस सरकार के भरोसे हम कहां तक लटके रहेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा पंचायतों की जो हालत है वह आपके सामने है, पंचायतों में पार्टीबाजी है वह आपके सामने है। अगर एक सरपंच से एक रुपये का जमा खर्च गलती से रह जाता है उसको अदालत के सामने सिर झुका कर खड़ा रहना पड़ता है और जो लाखों रुपये डकार जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। जमा खर्च करने में गलती हो सकती है और गलती न होते हुए भी एक सरपंच को दण्ड भुगतना पड़ता है। एक मामूली रकम 100) दर्ज करने से रह गये और वह भी बाद में दर्ज कर दिये लेकिन उसका चालान हुआ और गंगानगर के बीच व जयपुर के बीच में उसने 100 चक्कर लगवाये। इस प्रकार अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। आज इतने दिनों से पंचायतों का चुनाव नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाते हैं चुनाव ? सरपंचों का चुनाव होना चाहिए पंचों का चुनाव होना चाहिए, खाली स्थानों की पूर्ति होनी चाहिए लेकिन आप सोचते हैं आम चुनाव आगे आ रहे हैं चुनाव करवा दिये गये तो ऐसा न हो उस इलाके से हमारा एम., एल. ए. चुनाव जीतकर नहीं आये। क्या भादरा में उस कुर्सी को खाली रखना चाहते हैं ? न वहां प्रधान है और न कार्यवाहक प्रधान हैं। किस प्रकार आप वहां काम चलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। समय बढ़ाना है मा. सदस्य।

सदन की अनुमति से मांगों के पारण होने तक के लिये समय बढ़ाया जाता है।

आपका भाषण समाप्त हो गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं, अध्यक्ष महोदय अभी एक....

श्री उपाध्यक्ष : आप 3-4 बार कह चुके हैं समाप्त कर रहा हूँ।

श्री किशन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय और भी बोलने वाले हैं। हम लोगों को तो बहुत कम समय मिलता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था पंचायतों के जो कार्यक्षेत्र बने हुये हैं वह गलत है। मैं तो यह कहता हूं, यहां तो माननीय सदस्य कहते हैं पंचायतें बड़ी होनी चाहिये और कहता हूं कि पंचायतें छोटी होनी चाहिये बड़ी नहीं होनी चाहिये। बड़ी पंचायतों ज्यादा पार्टी बाजी होती है, चुनाव ज्यादा खर्चा होता है। एक हजार से 1500 की जन संख्या पर एक पंचायत स्थापित होनी चाहिये। छोटी बड़ी पंचायतों से कोई आमदनी घटती बढ़ती नहीं है आमदनी तो तब बढ़ेगी जब राजस्थान की सरकार उनके लिये आमदनी के जरिये

(श्री रामचन्द्र आर्य)

खोलेगी। पंचायतों को राजस्थान कैनाल में जमीन बेचने का अधिकार दिया वह भी वापिस ले लिया और राजस्थान सरकार के कुछ हाथ नहीं आया....

इसलिए पंचायतों के पुनर्गठन का शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जाय और यह बाकी जितने मेरे यह कटौती प्रस्ताव हैं उन्हें स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडा रायसिंह): उपाध्यक्ष महोदयजी, आज पंचायती राज के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षे ों और पंचायतों के बाबत में काफी बातें कहीं और पंचायतों के बारे में तो यहां तक बतला दिया, उसके लिए मेरे कहने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदयजी जिस क्षेत्र का मैं सदस्य हूं उसमें 43 पंचायतें और 2 पंचायत समितियां हैं उनमें 43 सरपंच और और 2 प्रधान हैं उनके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में सरपंच अच्छा काम करते हैं और प्रधान भी अच्छा काम करते हैं, और एक सरपंच से कुछ अपने आप ही जानबूझ कर रेकार्ड में गलत हो गई तो उसकी मौत से वही मरा। मैंने तो शिकायत नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय जी, ····

श्री श्रवणलाल : उन सरपंचों और प्रधानों में आप जैसे आयाराम और गया राम···

श्री जगन्नाथ पटेल : तेरे जैसे गोली चलाने वाले नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में गोलिया नहीं चलती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तेरे जैसा नहीं आपके जैसा कहें।

श्री जगन्नाथ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय जी, जो सदस्य, सरपंच और प्रधानों की छोटी छोटी शिकायतें करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट तैयार है। श्रवणलाल तैयार हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदयजी, एक अर्ज और है कि पंचायत मंत्री महोदय इस पांच वर्षी योजना के अन्दर जो माननीय सदस्य इनको कहते हैं लेकिन मेरे ध्यान में यह बात है कि ऐसा पंचायत मंत्री महोदय इस राजस्थान राज्य के काम को चलाने वाला नहीं मिलेगा जो कि माननीय सदस्य और प्रधानों के काम को सही तरीके से कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदयजी, एक अर्ज और है कि पंचायत समिति की महफिल के अन्दर मैं देवली के अन्दर और टोडा रायसिंह के अन्दर जाता हूं तो कोई सरपंच····

श्री दिग्विजयसिंह : पाइंट आफ आर्डर, सर,

श्री जगन्नाथ पटेल : नो पाइंट आफ आर्डर। (हंसी)

श्री दिग्विजयसिंह : मीटिंग और महफिल में फर्क होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नो पाइंट आफ आर्डर।

Page No 145

श्री जगन्नाथ पटेल : नो वाइंट ग्राफ ग्रार्डर ।

तो उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति की महफिल के ग्रन्दर सरपंच निवेदन करते हैं सदस्यों को कि हमारी भी एक पुकार राज्य सरकार तक पहुंचाएं । बीच के ग्रन्दर सदस्यों का भत्ता 21 से 31 हो गया ग्रौर कई जिलों में तो 25 हजार मील तक रेल का भी फ्री कर दिया····

श्री दिग्विजयसिंह : साढ़े बारह हजार है ।

श्री जगन्नाथ : 12½ हजार होंगे, मैंने उसमें 25 देखा है । राजस्थान सरकार की जो मोटरें हैं उनके भी फ्री पास मिले हैं तो वे लोग कहते हैं कि हमारा भी भत्ता बढ़ाया जाय ग्रौर हमको भी ग्राने-जाने का ग्रौर 500 रुपये का कुछ हिस्सा बान्धा जाय । हम सरकार का एम. एल. ए. के माफिक काम करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदयजी, चुनाव के बारे में कहा गया तो चुनावों के बारे में यह है कि जैसा चुनाव प्रमुख ग्रौर प्रधानों का होता है तो माननीय सदस्य जो कहते हैं उसमें मेरी भी यह सलाह है कि जो प्रमुख ग्रौर प्रधान का चुनाव होता है तो एक तरह से तो यह विधान के जरिये होता है ग्रौर कुछ भी मुश्किल नहीं होता है । तो प्रधान ग्रौर प्रमुख का चुनाव जैसा सरपंचों का होता है उसी माफिक जनता के जरिये होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदयजी, पैसा पंचायत समिति के पास में कुछ भी नहीं है । पंचायत समिति टोडा रायसिंह का बजट मेरे पास में है ग्रौर यह बजट 19 अप्रैल को वहां पंचायत समिति की मीटिंग में हुग्रा है तो इस बजट में 92,671 रुपये की ग्रामदनी ग्रौर खर्च बतलाया गया है । उसमें पंचायत समिति का काम नहीं चल सकता है । इससे मैं ग्रापके माध्यम से पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, ग्रौर पंचायतों का कार्य जैसे कि गांवों के ग्रन्दर कुए हैं, या छोटे काश्तकारों को कोई ऋण देना है या छोटे तालाबों को बान्धना है तो इसके ग्रन्दर ग्रच्छी उनको सुविधा मिले तो उनका काम बहुत जल्दी ग्रासानी से हो सके ।

एक ग्रर्ज ग्रौर है, उपाध्यक्ष महोदयजी, ग्रौर वह क्या है कि न्याय पंचायतों के लिए मेरे को कहना है कि क्या योजना होनी चाहिए । यह न्याय पंचायतें साधारण पंचायतों के साथ ऐसी बन्धी है कि जैसे पौधों के ग्रन्दर खुजली हो जाती है तो न्याय पंचायतों को पंचायतों के ग्रन्दर खुजली लगा दी है । इन न्याय पंचायतों को तोड़ देना चाहिए । यह गलत नहीं है···

श्री दिग्विजयसिंह : न्याय पंचायतों में···

श्री जगन्नाथ पटेल : न्याय पंचायतों को तो देना चाहिए ग्रौर पंचायतों को पावर देने चाहिए दीवानी ग्रौर फौजदारी के····

श्री उपाध्यक्ष : न्याय पंचायत में ग्रापके विरोध में ग्राये हुए हैं क्या लोग ।

श्री जगन्नाथ पटेल : मेरा कोई विरोधी नहीं है। मैं न्याय पंचायत का निर्विरोध सदस्य हुआ था। लड़ने वाला मेरा दोस्त था।

एक माननीय सदस्य : आया राम गया राम।

श्री जगन्नाथ पटेल : आया राम का बड़ी मुश्किल से मौका दूंगा आपको।

उपाध्यक्ष महोदयजी, एक अर्ज और है यह न्याय पंचायतों के अन्दर जो दीवानी और फौजदारी का पैसा आता है यह कई कई जगह न्याय पंचायतों के अध्यक्ष पंचायतों को नहीं देते हैं और न न्याय पंचायतों से विकास अधिकारी हैं या और भी कोई है वह इनसे हिसाब नहीं लेते हैं। न याय पंचायतों का आडिट होता है। न्याय पंचायतों के जुडिशियरी के पावर्स तय किये हैं लेकिन वे अपनी मिसलों को आलोपित नहीं करते हैं। यूं तीन साल तक न्याय पंचायत का सदस्य रहा हूं इस वक्त की मिसलें देख लें कि किसी प्रकार का गबन हुआ हो किसी से लड़ाई हुई हो तो। न्याय पंचायतों की जांच कराई जाय और मुन्सरिम के जरिये करवाई जाय। न्याय पंचायतों की फाइलों में न्याय तो थोड़ा लेकिन यह बहुत ही बुरा अन्याय हो गया। इनकी अपील मुन्सिफ साहब के पास आती है तो वहीं का वहीं न्याय हो गया। न्याय पंचायतों को तोड़ दिया जाय और पंचायती राज को मजबूत कर दिया जाय। मैं इसी निवेदन के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : अब नहीं बोलेंगे दामोदरजी आ गये।

श्री जगन्नाथ पटेल : आप क्या बोलते हैं दामोदरजी व्यास के साथ हम जान दे देंगे या कुछ भी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र।

श्री जगन्नाथ पटेल : दामोदर व्यास का साथ तो मैं दूंगा, दूंगा। चाहे कुछ भी करो।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पंचायत राज होने के बाद छोटे कस्बों का काफी विकास हुआ है। मैं इसके साथ-साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से काम पंचायत समितियों द्वारा हुये हैं, वह धन के अभाव में बहुत से अधूरे पड़े हुये हैं। जैसे छोटे एनीकट से सिचाई के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि छोटी सिंचाई के लिए छोटे बन्धों को बनाते थे। जो छोटे तालाब और कुवों के जरिये से, उनकी अच्छी सिंचाई हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल हमारे सामने बड़ा जटिल है। जो सबसे बड़ा प्रमुख सवाल है शिक्षा का····

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

(5.12 म.प.)

बच्चों के विकास के लिए और राष्ट्र को दृढ़ करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, मैंने इसका अध्ययन किया है छोटे-छोटे बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। इनको आगे बढ़ाना है। तो मैं मानता हूं कि पंचायत स्कूलों को शिक्षा विभाग को ले लेना चाहिए। पंचायत समिति के जो स्कूल हैं, सरकार उनको अपने हाथ में ले लें। क्योंकि उन मास्टरों को कोई सुविधा

(श्री देवेन्द्र कुमार)

नहीं है क्योंकि गांव में मास्टर किस प्रकार से रहते हैं। उनको कोई सुविधा नहीं है उनको पढ़ाने के लिए टूटी खाट पर बैठना पड़ता है। आपको कोमल बच्चों की जिन्दगी को सुधारना है। आपको स्कूलों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मैं इसके द्वारा आपसे निवेदन करना चाहता हूं, साथ ही साथ पहाड़ी एरिया में सभापति महोदय, उदयपुर में ऐसा एरिया है, दो तीन गांव ऐसे हैं, गोगुन्दा, कोटडा, सरांडा ये ऐसी जगह हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं। अब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खेती की तरफ ध्यान किया है। इन आदिवासियों को कुवों को अनुदान दिया जा सकता हैं। जिससे कि वह कुआ बना सकते हैं। वह खेती करके अपने बाल बच्चों का पालन-पोषण कर सकते हैं। किसानों को जो सुविधा मिल सकती हो, वह देनी चाहिए। जो शारिरीक महनत करता है, उनको सुविधा देनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज हम जानते हैं, यह मैं अपने आप महसूस करता हूं कि हमारे गांव में बांध होना चाहिए। बांध होना जरूरी हैं लेकिन पंचायतों की हालत यह हो रही है, इसका कारण क्या है। पंचायतें बहुत ही छोटी बनाई हैं। छोटी होने से न तो वहां क्लर्क हैं और न चपरासी हैं। अनुदान कम मिलता है। कई तरह की दिक्कत आ जाती है। तो मेरा सुझाव है कि इन पंचायतों को बड़ा बनाना चाहिए। और आमदनी का जरिया देना चाहिए। साथ ही न्याय पंचायतों में जो केसेज गये हैं, मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने उस पर काफी बोला है, न्याय पंचायत बनाने के बाद विकास का कार्य बहुत कम हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायतों को तोड़ कर विकास पंचायतों को देना चाहिए। ताकि गांव का विकास कर सकें। मैं बांधों के बारे में बता सकता हूं। अभी हमारे गांव में ग्राम सेवक रखे हैं। ग्राम सेवकों का काम है कि हर गांव में घूम कर पता लगायें। वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी करें। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सेवकों से काम कराना चाहते हैं तो उनको ठीक ढंग से जानकारी कराई जाये। वहां पर जाकर वह 4 कक्षा वाला काम भी नहीं कर सकते हैं वह जानते हैं कि उस आदमी को पूरा ज्ञान होगा। मक्का कब होती है, यह ग्राम सेवक वहां बुलाकर उनको बता सकता है उसके नये तरीके बता सकता है। विकास का काम है। ग्राम सेवक का व्यवहार इस ढंग से होना चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो। गेहूं का जो कल्याण बीज निकाला है, बहुत से लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। सभापति महोदय, उन लोगों को बीज देने के बाद उन्होंने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो उपयोग क्या हो सकता है। तो इतनी इनकम नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से लापरवाह लोग रहते हैं। उनको यह ध्यान नहीं है कि इस प्रकार से होगा, तो ग्राम का विकास कैसे होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुदान ऋण का देते हैं, वह टाइम पर देना चाहिए। जैसे खेतों के लिए है। वह टाइम पर देना चाहिए। ताकि किसान वर्षा आने से पहले खेतों में डाल सकते

(श्री देवेन्द्र कुमार)

हैं। बस मैं इतना ही निवेदन करके समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण तानीवाल।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : सभापति महोदय, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कटौती प्रस्तावों को सदन में रखा और कुछ विचार भी रखे। एक वक्ता ने यह बात कही कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाई जानी चाहिए। मैं उस सम्बन्ध में कह कर अपने विचार व्यक्त करूंगा क्या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हों, या उसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही हों। यह बात ऐसी है, एक आम खाने से उकता कर दूसरा फल खाने वाली बात हो। प्रश्न यह है कि चुने हुए प्रतिनिधि भी अगर कार्य करना चाहें तो वह सारा कार्य कर सकते हैं। आज पंचायत समितियों के अन्दर सारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और उन्हीं के साथ अधिकारी गण भी बैठते हैं। जब दोनों वर्ग उस जगह पर एकत्र होते हैं तो क्या कारण है उनकी समस्यायें फिर भी अधूरी रह जायं और वह लोग उकता कर दूसरा माध्यम ढूंढने की कोशिश करें। प्रश्न यह है, हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में काम करता है, अपनी जिम्मेदारी को समझे, उसको निभाये तो हमें कभी भी इस प्रकार दूसरा पहलू सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, आज पंचायत समितियों की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, और चुनाव नहीं होने के कारण पुराने पंच, सरपंच ही पंचायत समितियों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस प्रकार से वह लोग धांधली मचा रहे हैं, इस बात का तो उदाहरण आज उनकी अकर्मण्यता और निष्क्रियता है, जो बढ़ती जा रही है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे सुझाव रखना चाहूंगा कि जिनसे इसमें कुछ सुधार पैदा हो सकता है। पंचायतों के अन्दर और और पंचायत समितियों के अन्दर जो प्रतिनिधि बैठते हैं, उन लोगों को अपने ग्रामों की पूरी जानकारी होती है। लेकिन होता क्या है, वे लोग अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत समितियों में जाते हैं तो वहां पर जिस विषय से सम्बन्धित वह समस्या होती है, बहुतायत यह देखा जाता है, उससे सम्बन्धित अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे जंगलात की समस्या है, तो डी॰ एफ॰ओ॰ साहब वहां पर नहीं होते हैं, तो उस समय उस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कृषि से सम्बन्धित खाद बीज की बात है, चाहे किसी विभाग से सम्बन्धित बात है, मेरा निवेदन है कि सरकारी अधिकारियों को विशेष कर पंचायत समितियों के अन्दर पूरी तरह से भाग लेना चाहिए, जिससे ग्रामीण समस्याओं को वह निकट से जान सकें, और जन प्रतिनिधियों द्वारा उस समस्या का निदान करने में वह लोग सहायक हो सकें। इसी प्रकार से जिस तरह से यहां पर घोटालों की चर्चा हुई, मैंने भी हमारी डग पंचायत से सम्बन्धित एक प्रश्न यहां पर रखा था, और सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि आज के पांच वर्ष पहले जो समस्या वहां बनी थी कि वहां के सरपंच ने अवैधानिक तरीके से कुछ एलाटमेंट किया था। आज भी प्रश्न के दौरान सरकार का उत्तर है कि वह

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

एलाटमेंट गलत हुआ है, लेकिन गलत हो जाने के पश्चात भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। फाइल ज्यों की त्यों रखी हुई है। जब हमारा यह विधान सभा का जो सदन में वह समस्या जब आ गई और उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो हम अपने से छोटे स्तर की पंचायत समिति से क्या अपेक्षा कर सकते हैं ? माननीय सभापति महोदय, उसमें स्पष्ट है कि उसके अन्दर उस सरपंच महोदय ने रिश्वत लेकर या जिस प्रकार से एलाटमेंट किया है, यह स्वयं विभाग के व्यक्ति जानते हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में जो समस्यायें हैं, उनका निदान उसी प्रकार से उलझा रह सकता है जिस तरह से हमारी विधान सभा में कोई प्रश्न आने के बाद भी उस पर कोई निदान नहीं हो पाता है। वहां भी उसी प्रकार से उलझा हुआ है।

इसी तरह से आज ग्रुप सचिव योजना सरकार ने चलाई थी, शायद सरकार के सामने भी इस प्रकार का प्रश्न कोई उपस्थित हुआ होगा यह योजना है. यह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। पंचायत समितियों की ओर से इस प्रकार के प्रपोजल पास करके भेजे गये हैं, जो सरकार के सामने विचाराधीन हैं। कब तक वह विचार करेंगी– यह उनके देखने की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुरन्त उस पर विचार करके, अन्य पंचायत समितियों से भी इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं, अगर वह योग्य नहीं हैं तो ऐसी योजना को समाप्त कर देना चाहिये।

दूसरी बात है, जो ग्रामों के अन्दर स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों के अन्दर सभापति महोमय, हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, वह देश की रीड है। किसान भाई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रथम सीढ़ी पर बच्चों का निर्माण नहीं हो पाया तो वह आगे जाकर कैसे बनेंगे–यह सोचने का सवाल है। वहां पर स्कूलों की ऐसी व्यवस्था है कि भवन का सर्वथा अभाव है, वहां पर जो मास्टर जाते हैं, अक्सर यह होता है कि मास्टर किसी दूर स्थान का रहने वाला होता है, और अधिकांशत: ऐसे नवयुवक पढ़ाते हैं, जिनको पढाने से कहीं अधिक किसी अन्य कार्य में रुचि होती है। जो अपने घर से चल कर बहुत दूरी पर जाकर पढाते हैं। इसलिए स्कूल खुलने के पश्चात् थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं। वहां कुछ देर बैठने के बाद क्यों कि उनका मकान दूर है स्कूल से, इसलिए स्कूल के टाइम में लड़कों को छोड़ कर चले जाते हैं। इसके कारण यह होता है कि बच्चों को शिक्षा पूरी तरह से दी जाय वह तो नहीं दी जाती है बल्कि उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस जगह ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, जिनको पांच, दस वर्ष का अनुभव हो ताकि वह लोग पढ़ाने में काफी रुचि ले सकें। नये नये विद्यार्थियों की, जो लोग एम. टी. सी. हैं, उनको अध्यापक के पद पर नियुक्ति होने के पश्चात् तुरन्त वह गांव में चले जाते हैं और चूंकि गांवों से उनको रुचि नहीं होती है, वह लोग निरन्तर शहर की ओर भागते हैं और मनोरन्जन के लिए अपने स्थानों पर जाने की

Page No 150

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)
कोशिश करते हैं। जो अपना कर्तव्य समझें अधिकांशतः समय उन गांवों में व्यतीत करें, जिनके सामने उनका उत्तरदायित्व हो, जिनका अध्यापक का अनुभव हो और काफी समय से जो अध्यापक का काम करते हों ऐसे अध्यापकों की वहां नियुक्ति की जानी चाहिए।

इसी प्रकार से पंचायत समितियों से जो प्रस्ताव पास किये जाते हैं और जिला परिषद् से प्रस्ताव पास किये जाते हैं, सरकार को उनके ऊपर ज्यों का त्यों उन्हें रख कर विचार करना चाहिए और उच्च अधिकारियों को, मन्त्री को किसी से प्रभावित होकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रस्ताव में हेर फेर नहीं करनी चाहिए। होता यह है, प्रस्ताव कैसे भी आवें, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित होकर उन प्रस्तावों की अवहेलना की जाती है और इस प्रकार जो जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पास किये जाते हैं, उन्हें दूर रख कर ऐसे व्यक्तियों की मनोकामना पूरी की जाती है, जो चाहे उनके निकट के हों, चाहे दल बदल कर बैठे हों, चाहे उनके दूसरे स्वार्थी की पूर्ति करने वाले लोग हो। मेरा अनुरोध है, उन प्रस्तावों को ज्यों का त्यों लेकर उनका उसी प्रकार से अमल कराने की नीति अपनायें। पिछले समय में इस प्रकार की घटना हुई थी और जिला परिषद के द्वारा प्रस्ताव पास करके भेजा था, जिसके अन्दर यह प्रस्ताव था कि पांच हजार से ऊपर की आबादी के गांव के अन्दर तुरन्त बिजली लगाई जानी चाहिए, और कई (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जगह निकट में कुए पड़ते हैं, उनको पहले लिया जाना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, उन स्थानों का उसमें जिक्र नहीं हुआ और हमें आश्चर्य हुआ कि एक एक करके दूसरी जगह तो बिजली लगाई गई। जब इस सम्बन्ध में जानकारी की तो यह कहा कि ऊपर वाले जाने। मै ऊपर वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रस्तावों पर सही प्रकार से विचार करके उनको कार्यान्वित कराने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री गोकुल प्रसाद शर्मा! केवल पांच मिनिट!

श्री नाथूराम (बागीडोरा) व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव 35-36 पर है, मैं दो बजे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। नाम भी दिया हुआ है, अभी तक नाम नहीं आया।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा; मेरा नाम लिया गया है, मुझे बोलने दिया जाय।

श्री सभापति: आपके मुख्य सचेतक ने नाम दिए हैं उसी हिसाब से मैं पुकार रहा हूं। शंकरलालजी का नाम पुकारा था वह नहीं थे, गोकुलप्रसादजी का भी पुकारा था, वह नहीं थे।

श्री नाथूलाल (बागीडोरा) : मेरा नाम भी दिया है।

श्री सभापति: बाद में दिया है।

श्री गोकुलप्रसाद (बीकानेर) : हमारे यहां काफी सामुदायिक विकास योजनायें चल रही हैं। जब इसकी शुरूआत हुई थी उस समय तो ऐसा लगता था कि सब गांवों का विकास एक साथ कर रख देंगे लेकिन

(श्री गोकुल प्रसाद)

बाद में मालूम पड़ा कि विकास कर पाए हैं तो संपन्न लोगों का कर पाए हैं गरीब तो जहां का तहां बैठा है। 1959 में ग्रामोद्योग के लिए काफी रकम रखी गई थी और आज बिल्कुल साफ है, कोई रकम नहीं हैं। जो इसमें कम दी गई हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता हैं कि राजस्थान के गांवों में जो लोग खेती नहीं करते हैं और दूसरा धन्धा करते हैं, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हो, कोई लकड़ी का काम करता हो, कोई लोहे का काम करने वाला हो उन लोगों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा इस बजट से मालूम पड़ रहा है। इसके साथ ही युवा पीढ़ी को किस प्रकार ठीक किया जाए बच्चों और महिलाओं को अच्छी तरह से विकास किया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छ बनाने के लिए राजस्थान में 5 हजार रुपए रखे हैं। ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए 5 हजार रखे हैं। कई करोड़ रुपए का बजट है लेकिन ग्राम स्वच्छता के लिए 5 हजार। सिंचाई के लिए करोड़ों रुपए रखा है। सारा बजट प्रायः सिंचाई में चला जाता है, किसानों का कैसे उद्धार करेंगे? पंचायतों के पास एक एक दो दो बीघा जमीन है। जिनके पास 50 बीघा का पिलाई का तलाब ग्राम पंचायतों के पास हैं उनके लिए आपके पास कोई बजट उनके लिए 50 हजार का बजट सारे राजस्थान में। 8हजार पंचायतों में 8-8 रुपए देगे तो 64 हजार हो जायेंगे। 8-8 रुपए से तालाब बन जाएगा, ऐसा सोचा होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि छोटे लोग पनप नहीं पाए हैं। वे शहरों में नहीं पनपे और गांवों में भी नहीं। इस राज में जो हल्ला करते हैं उनकी ज्यादा सुनवाई होती है। कोई सही बात कहे और दरखास्त दे खड़ा हो जाए तो नहीं सुनेगे। लेकिन बाहर पीला झन्डा लेकर हल्ला मचाये तो 4 नेता यहां से चले जायेंगे, झट से चले जायेगे: इनसे ज्यादा हल्ला करने वाले गिरधारीलालजी के पास हैं लेकिन वह लाते नहीं हैं। हजारों की तादाद में ला सकते हैं यहां। सिर्फ 40-50 लोग नीचे मुर्दाबाद के नारे लगायें तो यहां से नेता चले जायेंगे। जब संपन्न किसान चिल्लाते हैं कि मेरे यहां यह नहीं हुआ, 10 आदमी आए, 500 बीघा जमीन सिंचित होगी। करोड़ों रुपयों की योजना बना देंगे और जहां 50-50 बीघा के तालाब हैं हजारों की तादाद में ग्राम पंचायतों के उनके लिए सिर्फ 50 हजार रुपए रखे। इसलिए आप उन पर ज्यादा ध्यान दें। राजस्थान में बनने के बाद तालाबों की मरम्मत नहीं हुई। आपने 50 बीघा की सिंचाई के तालाब आपने ग्राम पंचायतों को सुपुर्द किए, उनके पास बजट नहीं सरकार पैसा नहीं देती। तालाब भर गए, नीचे की जमीन कमांड में आ गई। अब बच्चों और स्त्रियों के कार्यक्रमों के लिए इनको कैसे स्वच्छ रहना सिखाया जाए, 6 हजार रखे। यह आपके बजट की बात कह रहा हूँ। जो बच्चे गन्दे रहते हैं उनकी सफाई और विकास के लिए यह रकम रखी। क्या उनको सिखायेंगे? बाजरी के दाने फेंक देंगे। अब हस्तकला उद्योग के लिए श्रीमानजी करोड़ों रुपए की राशि चाहिए थी तब कुछ सिखाते बड़ी मेहरबानी करके सरकार ने 5 हजार रुपए बख्शे। लोग ग्रामोद्योग सीख लेंगे और हस्तकला में प्रवीण हो जायेंगे और उद्योग

(श्री गोकुलप्रसाद)
चला देंगे ? इससे मालूम पड़ता है कि बजट बनाते समय या मन्त्री महोदय ने देखा नहीं। अगर देखते, तो जो गरीब हैं उनके लिए दर्द होता।

अब उसके बाद युवकों की शिक्षा देना युवा शक्ति को बलवान बनाना चाहते हैं ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : विधान सभा क्षेत्र बदल रहे हैं क्या ? हमेशा शहरों के लिए बोलते थे अब गांवों के लिए बोलने लग गए ?

श्री गोकुलप्रसाद : मैं गांवों की भी और शहरों की भी बात करता हूं। आपकी पोल खोल दूंगा गोयल सहाब। आप हमेशा शहर वालों को बहकाने में लगे रहते हैं। अपना नारा लगाकर गरीब लोगों को फांस रखा है कि हम इनके साथ हैं। तो युवा कार्यकर्ताओं के लिऐ 7 हजार रुपए हैं उनको राजस्थान में पूरा शिक्षण देंगे कि तुम्हारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, गांवों के विकास की योजना कुछ लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, विकास अधिकारी से लेकर एक्सटेंशन आफिसर, कुछ क्लर्क, कुछ ग्राम सेवक इनको नौकरी मिल जाए। यह जरूर किया है कि अनाज के बीज को बदला है, बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया है, अगर कर्जा भी मिला है तो सेठों को मिला है। इन लोगों के लिए जो राशि रखी है उससे साफ जाहिर होता है सब समाजवादी बजट है या नहीं इस पर ध्यान दें। अगर समाजवादी बजट होता तो हम सामाजिक शिक्षा के लिए 3 हजार रुपए नहीं देते। इसलिए आप इसको सुधारें और कुछ राशि इसमें बढ़ायें। अगर बजट लिखने में गलती हो गई हो छपाई में तो उसको ठीक करायें, आपने कहीं ध्यान दिया हो तो ध्यान देकर विशेष राशि इसके लिए स्वीकार करें।

राजकीय व्यवसाय जिस प्रकार चलाया जाता है जैसे नमक। हम लें 80 पैसे में, बेचे 4.80 में इस मुनाफाखोरी से नमक बनाने वाले मजदूरों में असन्तोष हुआ और पूरा मुनाफा हमारे पास नहीं रहा। कई जगह क्योंकि सेठ लोग नमक खानें चला रहे हैं और नमक के कुए खोद कर सेठों ने चला रखे हैं तो डीडवाना में बन्द पड़ा है। मजदूर जो सैकड़ों वर्षों से वहां हैं, वह नमक नहीं बना सकते।

और दूसरे 2.80 पैसे में सेठों से लेने जाओ।

श्री लाभचन्द बेद : सेठ किसको कहते हैं ?

श्री गोकुल प्रसाद : लाभचन्दजी जैसे आप तो मेरे पड़ौस में रहते हैं। मेरा इस तरह फायदा मत उठाइये, हर वक्त लिहाज बरतता हूं। उनके खिलाफ क्या कहूं वे मेरे इतने अजीज हैं कि कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सेठ किसको कहते हैं ? जो बीच में बोलता है उसको सेठ कहते हैं और बीच में बैठे हैं मनोहरसिंहजी साहब सेठ हैं।

श्री लाभचन्द बेद : मंत्रियों से कोई बड़ा सेठ नहीं।

श्री गोकुल प्रसाद : मन्त्री रहेंगे जब तक जनता साथ देगी।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आपने काफी समय ले लिया है

श्री गोकुल प्रसाद : दो मिनिट ! जरूरी बात हैं ।

श्री सभापति : आप इतना ही कह दीजिये कि जिसका मोटा पेट वही सेठ । इसको जल्दी खत्म करिये ।

श्री गोकुल प्रसाद : बीकानेर में 1250 स्पिन्डल हैं और पांच हजार स्पिन्डल तय करके मिल बनाया, मकान और मशीनरी भी उसी कैपेसिटी के लिये । आज यह कहा जाता है कि नुक्सान होता है । खर्चा ज्यादा कर दिया । नफा लेना चाहते हैं वह नहीं हुआ । पांच हजार स्पिन्डल पूरे होने चाहिये । यह न समझें कि बीकानेर के लोग नहीं बोलेंगे और बाकी के स्पिन्डल और जगह लगा देते हैं किसी के दबाव में आकर लगा देते हैं तो बीकानेर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और कोई आन्दोलन करेगी ।

उस मिल में नुक्सान क्यों होता है । जितना नफा होना चाहिये वह क्यों नहीं होता है ? इसलिये नहीं होता है कि आपने अधिकारी ऐसे बिठा रखे हैं कि उनको वूल की जानकारी ही नहीं है । जो ऊन दो रुपये में बिकती है उसको वे हाई प्राइस पर खरीदते हैं । आप इसकी जांच करवा लीजिये । पता लगा लें कि मार्केट में क्या भाव है जो माल भरा पड़ा है, सूत बनाया है अधिकारियों ने और व्यापारियों ने लूट लिया है । जब कहा गया तो उस ओर ध्यान नहीं दिया । पब्लिक सेटर को इस प्रकार बदनाम करते हैं । बेईमान हैं उनके यह काम हैं । ऊन भरी पड़ी है, 20 परसेन्ट कमीशन देना चाहें तो भी लोग लेने के लिये तैयार नहीं हैं । खराब माल खरीद कर लिया । अधिकारियों को ज्ञान नहीं था । कमीशन एजेन्ट्स थे उनसे मिल कर बाजार के भाव से दूने चौगुने भाव से खरीदा गया । अब इस ओर भी ध्यान दें और पिछले लोगों ने जो ये काम किये हैं उनको सजा दें । मजदूर इतने मेहनत कश हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाया 1300 केजी कर दिया जबकि 450 का था । लेकिन मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है । चौर लोग वहां बैठे हुए हैं जो मंहगा माल खरीदते हैं और सूत बनाते हैं लेकिन वह बाजार में बिकता नहीं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री गोकुल प्रसाद : सभापति महोदय, नम्र निवेदन करना चाहता हूं । जरूरी बातें हैं । अन्न की खरीद के लिये सरकार सदन में घोषणा करती है कि अन्न सरकार खरीदती है । विरोधी दल चिल्लाता है कि जरूर खरीदो । जब बाजरी और अन्य गल्ला मंहगा बिका उस वक्त तो किसी ने कुछ कहा नहीं । सरकार यह तय कर दे कि इससे अधिक भाव नहीं बढ़ने देंगे । पुराने समय में इससे पहले जब यू. पी. में पं. गोविन्द वल्लभ पन्त की सरकार थी सो रुपये पाने वालों को मदद देते थे । जवाहरलाल नेहरू ने भी यह किया । जब जब अनाज का भाव बढ़ा जनता को जखीरे बाजों के सामने छोड़ दिया और उन्होंने कस कर लूटा जिसको सौ रुपया दोसौ रुपया मजदूरी मिलती है, हजार रुपया भी कमाये । उन सबको जखीरे बाजों के सामने छोड़ दिया । किसान को भी उनके भरोसे छोड़ दिया । गेहूं बाजार में 60 रुपया क्विन्टल और

(श्री गोकुलप्रसाद)

सरकार कहती है 76) । बाजरी 40) रुपये में मिलती है बाजार में सरकार कहती है 52) में खरीदो । गेहूं का भाव 80) 85) रुपये जब गेहूं मिलते हैं तो महनत कश जनता जो कि खरीदने वाली है वह यह समझेगी कि विधान सभा में बैठने वाले हैं वह उनके साथ नहीं है किन्तु जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनके साथ है । विरोधी पक्ष वालों ने कभी नहीं कहा कि कन्ट्रोल से खरीद कर दो । अब कहते हैं कि मंहगा हो गया । इलेक्शन में गये तो कहा कि अनाज सस्ता कर दिया । आज वह बात नहीं कहेंगे जब कि मंहगा हो गया ।

श्री सभापति : अब पर्याप्त होगा ।

श्री गोकुल प्रसाद : उनका ध्यान रखना चाहिये जो खरीद कर खाने वाले हैं । भाव बांध दीजिये कि इस भाव से देना होगा ।

श्री रामकिशन : आप तो मांग कर खाते थे ।

श्री गोकुल प्रसाद : आपके बापदादाओं ने मांग कर खाया है । मेरे बाप दादा ने तो कभी मांग कर नहीं खाया है । मांगकर खाने वाले आपके जैसे हैं ।

श्री रामकिशन : मैंने तो छोड़ दिया और आपने अपना लिया ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें !

श्री देवीलाल बुरासिया !

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, पंचायत राज को बने हुए इतने वर्ष हो गये । केकड़ी में न तो मकानों की मरम्मत होती है और यहां तक कि पंचायत की मीटिंग करने के लिये पंचायत घर में एकत्रित नहीं होते हैं क्योंकि वह टूटा फूटा पड़ा है। और जरजर हो रहा है ।

पंचायत समिति में स्कूल और क्वार्टर्स बने हुए हैं । उनकी यह हालत है कि जगह जगह टूटे हुए हैं मास्टरों के क्वार्टर्स में कुत्ते और सुअर आते हैं । दरख्त है तो किवाड़ नहीं और किवाड़ हैं तो दरख्त नहीं ।

मेरी पंचायत क्षेत्र अराई जालिया में तीन चार साल से स्कूल बनी हुई है और आज तक छत नहीं हुई । तीन चार सौ बच्चे पढ़ते हैं ।

पंचायत समिति के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं को रखा है यह एक राजनैतिक अखाड़ा है । बी. डी. ओ. से मास्टर मिल कर आराम करते हैं और तीन तीन चार चार दिन तक स्कूल में नहीं जाते हैं और इस कारण स्कूल बन्द रहते हैं और बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं । इसलिये प्राथमिक शालाओं के लिये आपकी मार्फत मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन प्राथमिक शालाओं को इन्सपेक्टर आफ़ स्कूल्स के अन्तर्गत दे दी जाय तो अच्छा है ।

मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि पंचायत समिति में तालाब हैं, उनकी मरम्मत वर्षों से आज तक नहीं हुई है । टूटे फूटे हैं । मरम्मत के लिये पंचायत समिति को अलग से बजट देना चाहिये ।

केकड़ी पंचायत समिति में अभी कृषि फार्म बनाया उसमें पाइप लाइन दी गयी । इसमें काफी घोटाला है । पाइप

(श्री देवीलाल बुरानिया)
लाइन की खरीद आदि में गलत रूप से पैसा उठाया गया है । उस फार्म पर सैकड़ों रुपया खर्च किया गया जब कि आमद नाम मात्र की है ।

इसके अलावा पंचायत समिति को खत्म की जाकर पंचायतों को अधिकार दे देने चाहिये ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान के अन्दर लगभग पांच साल से एक लाख के ऊपर तकावी बाकी है और अभी तक उसमें से एक भी पैसा नहीं लौटाया गया है ।

श्री जगन्नाथ पटेल : सभापतिजी, केकड़ी का प्रधान बहुत अच्छा है और उनके ऊपर कोई लांछन नहीं है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आपने फर्मा दिया है ।

श्री देवीलाल बुरासिया : मैं चेलैन्ज करता हूं । केकड़ी के प्रधान के अन्दर एक लाख रुपये की तकावी बाकी है ।

श्री जगन्नाथ पटेल : नहीं है ।

श्री देवीलाल बुरासिया : उनके परिवार के अन्दर है ।

श्री जगन्नाथ पटेल : एक पैसा नहीं है केकड़ी के प्रधान पर कोई कर्जा नहीं है ।

श्री सभापति : आपने तारीफ करदी औ आपने बुराई कर , इसमें क्या है माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज !

श्री देवीलाल बुरासिया : सभापतिजी, पंचायत समिति विकास कार्यों के लिए होती है । जबकि केकड़ी और अराई पंचायत समिति में कोई विकास कार्य नही हुआ है । यहां तक की पंचायत समिति गांव का रास्ता भी सुधार नहीं सकी । मैंने बार बार प्रधान और बी.डी.ओ. साहब को लिखा है कि इस गांव का रास्ता टूटा हुआ है और आवागमन बन्द है इसलिये इसका रास्ता दुरुस्त कराया जाये लगातार तीन साल से कहा लेकिन आज तक वह ठीक नहीं किया गया । इसके अलावा पंचायत समिति अराई के अन्दर जो बांध आता है वहां का रास्ता बरसात के अन्दर बन्द हो जाता है और पानी भरा रहता है और गांव का गांव पृथक हो जाता है । लोगों को चार मील का चक्कर लगाकर गांव में जाना पड़ता है । पंचायत समिति अराई के प्रधान, बी.डी.ओ. साहब को मैंने कहा लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसी तरह से ग्राम ताल सरोवर की मोरियां निकलती हैं । इसके आड़े चार, पांच गांव ऐसे आते हैं कि वहां से नहीं जा सकते और पंचायत समिति इस तरफ ध्यान नहीं देती है ।

दूसरा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि केकड़ी पंचायत समिति ने जो गुड़गावा कृषि सहकारी समिति का फार्म है उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और सहकारी समिति उसको मांगती है कि यह हमारा फार्म है हमें दीजिये । परन्तु पंचायत समिति उसका कब्जा नहीं छोड़ती है और उस फार्म को सहकारी समिति को नहीं सम्भलाती है । जबकि वे बराबर मांग कर चुके हैं ।

(श्री देवीलाल बुरानिया)

पंचायत समिति में जो काश्तकारों को ऋण दिया जाता है और पंचायत समिति के मार्फत जो फार्म भरने होते हैं वे फार्म काश्तकारों को पंचायत समिति के द्वारा नहीं दिये जाते हैं। इसी प्रकार लघु उद्योगों के लिये जो फार्म होते हैं उनका भी समय पर बंटवारा नहीं किया जाता और काश्तकारों को नहीं दिये जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है उसकी भी सूचना पंचायत समिति द्वारा काश्तकारों को समय पर नहीं मिलती है और इस प्रकार पंचायत समिति विकास में रुकावट पैदा करती है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा आशा है उस पर मंत्री महोदय अवश्य ही विचार करेंगे। पंचायत समिति केकड़ी के अन्दर पंचायत समिति अराई की पचायतें सांपला, चेतरां, ललाई, नमाणिया आदि जो पंचायतें हैं वे पंचायत समिति अराई से हटा कर केकड़ी पंचायत समिति में मिला दी जायें। इस पंचायत समिति से इन गांवों का आवागमन रहता है और पंचायत समिति की जब कभी मीटिंग होती है तो इन गांवों के लोगों को वहां पर पहुंचने में दिक्कत रहती है और करीब करीब सात घन्टे लग जाते हैं। ये सारे गांव केकड़ी पंचायत समिति के पास हैं। इसलिए जहां तक हो सके इनको केकड़ी पंचायत समिति में मिला देने चाहिये।

दूसरा आपने यह घोषणा की है कि अनाज खरीदा जायेगा और इसके लिये जगह जगह पर कमेटियों का निर्माण किया गया है पर अभी तक केकड़ी और सरवाड़ में क्वालिटी इन्स्पेक्टर का अपान्टमेन्ट नहीं हुआ है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी क्वालिटी इन्स्पेक्टर को भिजवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री नाथू भाई।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति जी मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं जिस पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा।

सभापति जी लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए पंचायती राज की स्थिति को सुधारना चाहिये। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायती राज में जो दलबन्दी प्रणाली से चुनाव कराये जाते हैं उसका बुरा असर हो रहा है। उसका विकास के कार्यों पर बहुत ही बुरा असर होता है। उसमें पक्षपात हो रहा है और जिस पार्टी का प्रधान या सरपंच होता है वह अपने आदमियों को ही विकास कार्यों के लिए पैसा दिलाने का प्रयत्न करता है। सभापति महोदय जैसे कि कृषि उत्पादन के लिये किसी आदमी को कुए की रकम की आवश्यकता है, उसके लिए जो अनुदान मिलने की आवश्यकता है तो वह कभी भी दूसरे को जिसको कि जरूरत है रकम नहीं दिलायेगा और अपने आदमियों को ही दिलाने की कोशिश करेगा इसलिये सभापति जी मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा पंचायत विभाग के मन्त्री जी को जो दलबन्दी प्रणाली से चुनाव होता है उसको खतम करना चाहिये ताकि विकास कार्य किये जा सके और अच्छी तरह से किये जा सके।

सबसे पहले तो सभापति जी पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना

(श्री देवीलाल बुरानिया)

चाहिये। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो विकास कार्य नहीं हो सकेंगे। पिछले वर्षों में जो विकास कार्य किये गए हैं वे अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिए पड़े है कि पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अनेक कार्य अधूरे पड़े हैं। उसके लिए आप पंचायत समितियों को रकम दे ताकि वे अधूरे काम पूरे हो सकें और सिंचाई के काम आ सके।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि कई वर्षों के पहले जब पंचायत समितियों की स्थापना हुई थी उस वक्त कृषि विभाग की मार्फत पंचायतों के अन्दर खाद डाला गया था। कई जगह कई-कई ट्रक खाद के डाले गये। लोगों के पास मकान नहीं थे तो खुली जगह पर यह खाद डाल दिया गया और हर साल पानी आया और बहकर खाद समाप्त हो गया। और अब सभापति महोदय इसकी वसूली के आदेश जारी किये गये है और काश्तकारों से ऊटपटांग वसूली की जा रही है। चाहे जिस किसान के नाम यह खाद लिख दिया गया और आज जो वसूली हो रही है उसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी किसान पर खाद का 100 रुपया मूल है तो 125 रुपया उसका सूद है। इस तरह से मूल धन से डबल वसूली की जा रही है। किसान के नाम पर एक तो खाद जबरदस्ती नाम मांड दिया गया और फिर इस तरफ से वसूली की जा रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनानी चाहिये और वह वास्तविकता की जांच करे। मैं मानता हूं कि आजकल किसान लोग खाद लेने लगे हैं लेकिन शुरुआत में नहीं लेते थे और यह गलती सरकार के कर्मचारियों की ओर से हुई है और आज उनकी गलती के कारण गरीब किसानों से वसूली की जा रही है। इसके लिये आप जल्दी व्यवस्था करने की कृपा करें।

सभापति, जी आज पंचायती राज क्यों सफल नहीं हो रहा है। इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। आज कृषि विकास अधिकारी जो कृषि का कार्य करता था और जिनकी योग्यता मिडिल तक है और नॉन मेट्रिक है उन कृषि प्रसार अधिकारियों को विकास अधिकारी बना दिया गया है वे प्रशासन के काम में लगे रहते हैं और कृषि उत्पादन की ओर ध्यान नही देते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कृषि प्रसार अधिकारी हैं उनको कृषि उत्पादन के काम में ही लगाया जाये और बी.डी.ओ के लिये कोई दूसरी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तब तक पंचायत समिति के प्रशासन का काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता है। इसलिए आपके द्वारा निवेदन है कि सरकार को जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए और कृषि प्रसार अधिकारी को खेती के काम में लगाना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं पंचायत समिति गढ़ी में विकास अधिकारी जो नान-मैट्रिक हैं बैंकों से ऋण दिलाने के लिए दो दो सौ रुपये के फार्म भरे··· सभापति महोदय मेरे विषय को कोई नोट भी नहीं करता है··· आप उसके जांच करवाये और मैं झूंठ बोलता हूं तो गढ़ी पंचायत समिति में जाकर···

एक माननीय सदस्य : पिछड़ी जातियों के या आदिवासी जातियों के जो सदस्य बोलते हैं । उनको वे नोट नहीं करते है ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : लगभग 200 आदमियों की उस बी. डी. ओ. ने वन फोर्थ रकम जमा करवाई । इन आदिवासियों के ढाई सौ रुपये साल भर में जमा कराये लेकिन एक व्यक्ति को बैंक से ऋण नहीं मिला । आप जांच करवा लीजिये गरीब आदिवासी किसानों को ऋण दिलाया हो तो आज समाजवाद लाने के लिये हम प्रोपेगेन्डा और प्रचार करते हैं लेकिन बांसवाड़ा में किसी किसान को बैंक से कर्जा नहीं दिलाया । 250 रु. जमा कराये है, यह उदाहरण है सभापति महोदय इसी तरह से मैंने गये साल भी आरोप लगाया कि भूतपूर्व विकास अधिकारी बागीदोरा को जो कुआ का पैसा दिया उसने नाजायज फायदा उठाया है । उस बी. डी. ओ. ने कई अनुदानों की रकमों को हजम की है । कुओं के लिए जो अनुदान मिले वे सब हजम कर गया । गये साल भी मैंने हाउस में रखा है । उस बी. डी. ओ. को दूसरी जगह रखा है । इस तरह आप सुधार लायें धन का दुरुपयोग होता है । आज पंचायत समितियों में क्या हालत है कि जहां रकम दी जाती है आज उसका ऑडिट भी होता है तो केवल कागजों में ऑडिट होता है । मौके पर जांच नहीं होती है कि कुआ खोदने के लिए अनुदान दिया गया था तो वास्तव में कुये के लिए पैसे खर्च हुए है या नहीं हुए । सभापति महोदय मैं, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं सरकार की अधिक धनराशि का दुरुपयोग होता है । मौके पर जांच होनी चाहिये न कि कागज के द्वारा जांच होनी चाहिए । बांसवाड़ा में आपको कई मामले मिलेंगे । कृषकों को सहायता देने का आपका मेन प्रोग्राम है लेकिन गरीब किसानों के पास न तो पूरा पैसा पहुंचता है और न अनुदान की रकम । खुले आम लोग कहते हैं आधी अनुदान की रकम दे दो तो हम तुमको अनुदान दिला दें । मेरा निवेदन है आप बांसवाड़ा जिले में पंचायत समितियों की जांच करायें, आप जांच करवा सकते हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं । आप केवल नारा मत लगाइये वास्तविक रूप में किसान को रकम मिलती है या नहीं मिलती है, यह देखिये और जिन कर्मचारियों ने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिये । यह मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं सभापति महोदय पंचायतों में जिला परिषद को विशेष अधिकार देना चाहिए । जब पंचायतें शुरू शुरू में स्थापित हुई तो उनके पास पहले पावर थे, पंचायतें बड़ी थी और हालत ठीक थी लेकिन आज पंचायतें छोटी छोटी बना दी हैं और पंचायत समिति भूखिया क्षेत्र में 15 पंचायतें, बागीडोरा में 25 पंचायतें और गढ़ी में 35 पंचायतें है । आज प्रशासन का खर्चा बड़ा होता है . . .

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पंचायतें बडी हों या छोटी इसलिए मैं सरकार को निवेदन करता हूं जो छोटी छोटी पंचायते हैं वे बड़ी होनी चाहिये । तमाम पंचायत समितियां समान होनी चाहिये और उनका समान ही खर्चा होना चाहिये । पंचायतों और जिला परिषद्

(श्री नाथूराम)

को विशेष अधिकार देने चाहिये न कि जिला परिषद को केवल डाक वगैरह का काम देना चाहिये। जहां जहां पर धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिये और जिन पंचायतों के चुनाव लम्बे अर्से से नहीं हुये हैं उसको कराया जाना चाहिये। सभापति महोदय (विराम) मैं आपके द्वारा सरकार से एक और निवेदन करता हूं कि आज विधान सभा और लोक सभा सदस्यों का सबको टी. ए., डी. ए. मिलता है लेकिन इस पंचायती राज में जो पंच, सरपंच है उनको मीटिंग अटेन्ड करने के लिये भत्ता नहीं मिलता है। मीटिंग अटेन्ड करें, तो साधारण रूप से उनको भत्ता मिलना चाहिये ताकि दिलचस्पी मे काम करेंगे। कइयों की घरेलू परिस्थिति ऐसी होती है कि काम नहीं कर पाते हैं···

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उनको भत्ता भी देना चाहिये। इसके अलावा जिन पंचायत समितियों ने ट्रेक्टर खरीदे हैं उसमें आज हजारों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जिन पंचायत समितियों ने ट्रेक्टर या कोई और साधन खरीदने हैं और जिनका दुरुपयोग हो रहा है उनकी जांच होनी चाहिये और उत्पादन के कार्य में विशेष ध्यान देना चाहिये, यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री सभापति मंत्री महोदय।

श्री परसराम (पंचायत मंत्री): माननीय सभापतिजी मांग संख्या 44 और मांग सं. 23 में 20 माननीय सदस्यों ने सुजाव कट मोशन के जरिये प्रस्तुत किये हैं। पहले मैं मांग नं. 44 के सम्बन्ध में जिन तीन मा. सदस्यों ने अपने सुझाव कट मोशन के जरिये रखे हैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। बाडमेर और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्यों ने बाजरे की खरीद के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की। कुछ रोज पहले जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं राज्य सरकार ने अपने स्टाक में 10 हजार मन बाजरा खरीदने का निर्णय लिया है और उसकी खरीद के लिये जो बाजरा काला है और जो स्पेसिफिकेशन निर्धारित किया गया था उसको भी रिलेक्स किया गया है। काला बाजरा तीन ग्रेड की 52 रु. प्रोक्योरमेंट कीमत ... उसमें काला बाजरा 8 परसेन्ट होना चाहिए था लेकिन अब राज्य सरकार ने 6 मे 13 परसेन्ट तक किया है। इसके बावजूद भी राजस्थान के पश्चिमी जिले, बाडमेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर में बरसात के वक्त में जो पका हुआ बाजरा था उसमें बरसात पड़ने से यह नतीजा हुआ कि काले बाजरे की परसेन्टेज 12 से ज्यादा है। इसलिये राज्य सरकार ने अभी चार रोज पहले यह निर्णय लिया है जो बाजरा पूरा पका हुआ है उसमें या तो एक डिसक्वालिफिकेशन है उसको राज्य सरकार ने हटा दिया है। उसमें एक सूरत रखी है 5 परसेन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसकी खरीद के लिये जो खाद्य विभाग के इन्सपेक्टर्स हैं उनको अलग अलग मण्डियों में लगाया है उनके साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर भी जहां कहीं मौजूद है लगाये हैं। विकास अधिकारी जो सबोर्डिनेट सर्विस में है बाजरे

Page No 160

(श्री परसराम मदेरणा)
की क्वालिटि के बारे में निर्णय करके निगम को खरीदने के लिये कहेंगे और इसके लिये खाद्य निगम इन्कार नहीं कर सकेगा।

यह मैंने पहले निवेदन किया था''

श्री भैरोंसिंह : बालोतरा में काश्तकार धरने पर बैठे हुए हैं इस बात पर।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार का जो एप्रूवल है वह कल ही मिला है और कल रात को वायरलैस से एफ. सी. आई. के परचेजिंग एजेण्ट ने इत्तिला दी है। मैं समझता हूं कि आज से परचेजिंग शुरू होगी। इसलिए माननीय सदस्यों को जो चिन्ता हो रही है कि रिलेक्शन के बाद भी बाड़मेर में बाजरा नहीं खरीदा जा सका है, यह बात तो सही नहीं है। बाजरा तो जरूर खरीदा है लेकिन 200 टन के आस पास खरीदा है। दो–तीन जिलों में फारेन मेटेरियल की पर्सेन्टेज ज्यादा है। काले छींटे के प्रश्न को हटा दिया है तो उसके हटाने के बाद में माननीय सदस्यों की जो यह शंका थी कि बाजरा परचेज नहीं किया गया तो और भाव गिरेंगे तो भाव अब नहीं गिरेंगे।

इसी प्रकार के केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि सरवाड़ में क्वालिटी इन्सपेक्टर नहीं पहुंचा है तो अगर क्वालिटी इन्सपेक्टर नहीं पहुंचा है तो परचेजिंग सेन्टर्स पर क्वालिटी इन्सपेक्टर को भेजने की व्यवस्था कर दी जायगी।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को बालोतरा से कोई टेलिग्राम मिला है कि वहां पर बाजरा खरीदा नहीं जा रहा है तो मेरा यह कहना है कि बाजरे के बारे में निर्णय राज्य सरकार ने तीन-चार दिन पहले ही लिया था और फिर उस पर भारत सरकार का एप्रूवल जरूरी था'''

श्रीमती मदन कौर : आपने निर्णय तो ले लिया लेकिन मंडियों में बाजरा खरीदा नहीं जा रहा है। तीन पर्सेन्ट फारेन मेटेरियल वाले को ले रहे हैं और 5 पर्सेन्ट वाले को रिजेक्ट कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सबसे बड़ी समस्या तो डिक्लेराइजेशन की थी। बालोतरा में बायतू में आदि सभी जगहों पर बाजरा था और जो मेरे पास सेंम्पल आये थे तो जोधपुर जिले में या तो उसके मेरे पास सेम्पल आये थे तो काले बाजरे का पर्सेन्टेज 28 पर्सेन्ट से कहीं पर भी नीचा नहीं था। यह देखा गया है कि बाजरा पका हुआ है कि नहीं। लेकिन फारेन मेटेरियल का जो स्टैण्डर्ड एफ. सी. आई. है वह 3 पर्सेन्ट का है उस फारेन मेटेरियल के पर्सेन्टेज को 5 पर्सेन्ट तक बढ़ा दिया है जिसका मतलब यह है कि उसमें डांगल या कंकर जो होगा वह 5 पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होंगे। उसका निर्णय लेने के बाद परचेज कर रहे हैं और अपने स्टाक में ले रहे है तो उसको हमें वापिस बेचना है और वह भी कन्ज्यूमर को बेचना है। इससे ज्यादा हम फारेन मेटेरियल को एलाऊ नहीं करेंगे। यह तो एक प्रश्न था जो कि मांग संख्या 44 के सम्बन्ध में था।

मांग संख्या 23 के संबंध में माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाये हैं। अभी कुछ

Page No 161

(श्री परसराम मदेरणा)

दिन पूर्व ही इसी सदन में जब पंचायत लाज अमेंडमेंट बिल चल रहा था उस वक्त भी इस प्रकार के मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये थे और मैंने उनका उत्तर दिया था ···

श्री भैरोंसिंह : अनाज का खत्म कर दिया क्या ? अगर ऐसा है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने यह कहा कि एफ. सी. आई. ने बाजरा परचेज किया है और स्टेट गवर्नमेंट परचेज कर रही है तो एफ. सी. आई. ने किस डिस्ट्रिक्ट में और किस मंडी में बाजरा खरीदा है, और क्या आपकी जानकारी में यह भी है कि जो बाजरा प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वहां से बाजरा नहीं खरीदा गया है लेकिन दूसरे शहरों में लाते है उन जगहों से तो वह बाजरा एफ. सी. आई. ने खरीदा है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालौर में 10 हजार क्विन्टल खरीदा गया है जब कि सांचोर जो कि प्रोड्यूसिंग एरिया है वहां नहीं खरीदा गया है।

श्री परसराम मदेरणा : जालौर तहसील हैडक्वार्टर है और वहां आस पास के गांवों से माल भी आता है। सांचोर में परचेजिंग सेन्टर नहीं था तो वहां पर अब किया है। अभी यह लिस्ट मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो कल बता सकता हूं। जब इस बारे में काल अटेन्शन मोसन था उसके बारे में अपना स्टेटमेंट दे रहा था तो वह लिस्ट मेरे पास थी। आज नहीं है। लेकिन कुछ हद तक माननीय सदस्य का कथन सही है कि बाजरा जो खरीदा गया है वह अलवर डिस्ट्रिक्ट में खरीदा गया है···

श्री रामकिशन : जब कि वहां पर पैदा कम होता है।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : अलवर डिस्ट्रिक्ट में बाजरा बहुत पैदा होता है।

श्री परसराम मदेरणा : पश्चिमी जिलों से नहीं खरीदा गया है। वहां पर इस समय बाजरे की पैदावर बहुत बढ़िया हुई हैं लेकिन सितम्बर महीने की बरसात से जबकि बाजरा पका हुआ था तो उससे कलर बदल गया।

श्री भैरोंसिंह : खरीदा तो वही है लेकिन व्यापारियों से खरीदा है।

श्री बिरदाराम : मैं समझता हूं···

श्री परसराम मदेरणा : बीच बीच में आप इस तरह से पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं नहीं दूंगा। आप मुझे सुन लें। एक एक क्वेश्चन के बाद उसका जवाब दूं यह मुमकिन नहीं है मेरे लिए।

श्री बिरदा राम : जवाब में··

श्री परसराम मदेरणा : यह तरीका गलत है।

श्री सभापति : आप बाद में प्रश्न पूछ लें।

श्री परसराम मदेरणा : आप कोई भी बात पूछें मैं जवाब नहीं दूंगा। मुझे कह लेने दें उसके बाद में प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दूंगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

तो मैंने निवेदन किया कि किन किन मंडियों में कितना कितना अनाज खरीदा गया है वह लिस्ट अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा कल। पंचायती राज के सम्बन्ध में बहुत सी बातें यहां पर कही गई। यहां पर यह बात भी कही गई कि पंचायती राज निष्क्रिय और निष्प्राण है इसलिए इसको खत्म कर दिया जाय। यहां पर यह भी कहा गया कि निष्प्राण होते हुए भी इसको खत्म नहीं किया जाय इसमें जान लाई जाय। माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो वही उलटी सीधी बात करते हैं···

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह मैंने अर्ज नहीं किया कि पंचायती राज को खत्म कर दिया जाय। मैंने तो यह कहा है कि निष्प्राण हो गया है तो इसमें नया जीवन डाला जाय।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो केवल ग्राम सभा चाहते हैं···

श्री रामकिशन : और जो उत्तेजना आती है वह शराब से आती है। उससे एक दम पैदा होती है।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायतों की उपलब्धि का सम्बन्ध अगर सामुदायिक विकास से अलग लेते हैं तो माननीय सदस्य बड़ी गलत फहमी में हैं। पंचायती राज और सामुदायिक विकास तो अब एक मायने में एक दूसरे से इनसेपेरेबल हैं। 1952 में जब घोषणा हुई थी तो उसके साथ सामुदायिक विकास का कार्य ब्लाक्स के जरिये लागू किया गया था जिसमें नान-आफिशियल्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था। 1959 में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का फोर्म पंचायती राज को मानकर पंचायती राज्य की स्थापना राजस्थान में की गई। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना में इस देश में अग्रणी था। लेकिन जो सामुदायिक विकास की किस्म थी तो उसके लिए भारत सरकार फर्स्ट स्टेज ब्लाक, सैकण्ड स्टेज ब्लाक्स और पोस्ट सैकण्ड स्टेज ब्लाक्स के ग्राउन्ड्स जो धनराशि देती थी वह धीरे धीरे कम होती गयी। जिस समय इस देश में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था तो यह सोचा गया था कि इसका लक्ष्य जो है वह स्वायत शासन की ओर है। धीरे धीरे जो भी धनराशि भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के मद में जो ट्रांसफर की जाती रही उससे एक प्रकार से विकास को गति तो मिल गई, लेकिन विकास की गति के साथ साथ यह पंचायती राज संस्था स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और आत्म निर्भर हो जायगी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने में पूरा दोष सरकार पर अगर आप रखना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा। आज जो शिक्षक पंचायतों में काम कर रहे हैं तो काफी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि प्राथमिक शालाएं ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं क्योंकि अध्यापक वहां पर पार्टी पोलिटिक्स में उलझे रहते हैं और सरपंच वगैरह की देखभाल नहीं है। अगर पूरे सरपंच—पूरे राजस्थान में 60 हजार हैं और कुछ हैं—ऐसे हो गये हैं और प्रधान 232 हैं वे भी निष्क्रिय हो गये हैं और प्रमुख 26 हैं वे भी निष्क्रिय हो गये हैं तो जन-प्रतिनिधियों से

(श्री परसराम मदेरणा)
वांछित आशाएं थी उसको वे पूरा नहीं कर सकें। इसका मतलब यह हुआ और जन प्रतिनिधियों में इस सदन के माननीय सदस्य हैं वे भी पंचायती राज की स्थापना में भागीदार हैं और उन संस्थाओं को सक्रिय बनाए रखने का उत्तरदायित्व उन पर भी था और मैं समझता हूं कि वे अपना कर्तव्य निभाने में···

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां के विकास अधिकारी प्रधान का हुकम नहीं मानें, सरपंच··

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बाद में पूछ लेना।

श्री रामचंद्र आर्य : आपने यह कहा कि सक्रिय रखने में हमारा भी उत्तरदायित्व था तो सक्रिय कैसे हो सकती है जब कि विकास अधिकारी प्रधान का आदेश न माने तो फिर सदस्य का हुकम तो कौन मानेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर यह भी बात कही गई कि प्रधान का हुकम विकास अधिकारी नहीं मानते हैं तो दूसरी तरफ यह बात भी कहते हैं कि आजकल तो विकास अधिकारी भी प्रधान के पीछे पीछे फिरते हैं। तो दोनों तरह की बातें सामने आती हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दोनों ही सही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : दोनों ही इस प्रकार की बातें सही हैं। आज कोई इस प्रकार का प्रस्ताव पास कर रही हैं पंचायत समिति जो कि पंचायत समिति के सम्बन्ध में जो नियम और उपनियम बने हुए हैं पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट के अधीन और जो आपके पास पावर्स हैं पंचायतों के पास उनको ट्रान्सग्रेस करते हैं या उससे आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार के प्रस्तावों को विकास अधिकारी अब्जेक्ट करेगा और जब विकास अधिकारी इस प्रकार से आब्जेक्शन करता है तो पंचायती राज के जो जन-प्रतिनिधि हैं कहते कि हमारा हुकम नहीं चलता है और जब पूरा हुकम मान लेते हैं तो जो खर्चे किये जाते हैं, जो खर्चे इर्रेगुलर हों, उनको रैगुलर करने के लिए विकास विभाग को लिखा जाना चाहिए। यह बात तो निश्चित है कि शुरू शुरू में पंचायत राज बना था तो उन दिनों में बी. डी. ओ. और पंचायत समिति के प्रधानों में आपस में तनाव रहा था। यह कुछ समय के लिए था। ओफिशियल और नान आफिशियल के विषय में कुछ बात रही। लेकिन अब हम शनैः शनैः कुछ पंचायत समितियों के अलावा सब जगह खतम हो चुका है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात भी उठायी कि प्रधान और बी. डी. ओ. में आपस में झगड़ा रहता है। यह सब के लिए सही नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों की यह राय कि पंचायती राज को जो कि हिन्दुस्तान के साढ़े 5 लाख गांवों में हैं उसे समाप्त कर दिया जाये। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि पंचायत राज में जो पंचायतें हैं उन्हें खतम करके उनके काम को ग्राम सभाओं द्वारा करा लेना चाहिए। इलेक्शन होने नहीं चाहिए। अगर इलेक्शन पंचायतों के नहीं कराते हैं तो इसमें राजनीतिक चाल कही जाती है। इसके अलावा कुछ

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि पंचायतों के सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान व न्याय पंचायत के अध्यक्षों ने बहुत गड़बड़ कर रखी है। पंचायतों के धन का दुरुपयोग किया जाता है पंचायत समिति की जीपों का दुरुपयोग किया जाता है। यह भी कहा गया है कि पंचायतों में बहुत भ्रष्टाचार है, अतः इनको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के युग में इलेक्शन सब जगह होते हैं। आप ने और हम ने भी देखा है कि लोक सभा के इलेक्शन में जीत कर जाते हैं। हम और आप भी असेम्बली के चुनाव लड़कर आते हैं। चूंकि इनके द्वारा जन प्रतिनिधित्व होता है। आज के युग में जन प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। स्वायत्त शासन संस्थाएं होनी चाहिए। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज दूसरे मुल्कों में हर जगह स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं। उनके बड़े बड़े बजट हैं। मिसाल के तौर पर आज अमेरिका के अकेले न्यूयार्क सिटी कारपोरेशन का जो बजट है, वह बजट भारत सरकार के बजट का तीन चौथाई है।

श्री भैरोंसिंह : वह कान्स्टीट्यूशनल प्रोटेक्टेड है।

श्री परसराम मदेरणा : इसीलिए इस समय यह निष्क्रियता आ रही है।

श्री भैरोंसिंह : यहां कान्स्टीट्यूशन से प्रोटेक्टेड नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हां यह यहां नहीं है।

मैं यह पहले भी इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि भारत सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है। जो कि पूरे भारत की स्टेट्स के लिए है। उसकी सिफारिशें राजस्थान पर भी लागू होंगी। वह कमेटी पंचायत राज के बारे में होगी। वह बताएगी पंचायत राज के फन्क्शन क्या होंगे। पंचायत राज का वर्किंग कैसा होना चाहिए। पंचायतों और न्याय पंचायतों के रिलेशन क्या रहने चाहिए। पंचायतों व न्याय पंचायतों के कार्य व उनकी अवधि के बारे में राय देगी। उनके क्या लिमिटेशन होने चाहिए। क्या डि-लिमिटेशन होने चाहिए। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इसके अलावा वह कमेटी पंचायत इकाइयों के लिमिटेशन के बारे में, ग्राम सभाओं के बारे में, तथा ग्रुप सचिवों की योजना को लागू किया जाना चाहिए। या नहीं किया जाना चाहिए। इन सब के बारे में अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देगी। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज थ्री टायर सिस्टम लागू किया जाय, उनके क्या फंक्शन होने चाहिए। उनका आपस में तालमेल क्या हो। उनकी आय के साधन किस प्रकार से बढ़ाये जा सकते है। इस पर, राजस्थान सरकार ने कई प्रकार के मुद्दों पर आज मन्त्रिमण्डल की सुबह की बैठक में निर्णय लिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह घोषणा तो आपने पिछले सत्र में की थी। शायद मंत्री महोदय को ध्यान नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। मैंने नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय को ध्यान नहीं है। पिछले सत्र में मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था और आप भी थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो यह कहा था कि 10–15 दिन में यह हो जावेगा और कुछ अमेण्डमेन्ट करके एक अमेण्डिग बिल लाया जायेगा। इन खामियों को पूरा करने के लिए। दूसरे मैं यह निवेदन करूं कि राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उसमें इस सदन के कुछ माननीय सदस्य भी होंगे। जो कुछ इन मुद्दों पर विचार करेगी। उनको कारबोरेट करने में तो समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : अगले सेशन में कर देना।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि वह कमेटी इन्हीं मुद्दों पर जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : सादिक अली कमेटी की बात भी कही थी।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर कई माननीय सदस्यों ने पंचायत समितियों के कृषि फार्मों के बारे में कई प्रकार की बातें कही हैं। खासतौर से मांडलगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। उन्होंने कहा था कि भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा, सुवाना पंचायत समितियों के कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। मैं यह निवेदन कर दूं कि राजस्थान के 26 जिलों में 232 पंचायत समितियां हैं उनमें 117 के पास एग्रीकल्चर फार्म हैं। और 123 पंचायत समितियों के पास कोई कृषि फार्म नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अब बचे 109, 110

श्री मनोहरसिंह मेहता : 109

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, उसमें कई जगह घाटे के कारण कृषि फार्म बंद हो गये। पंचायत समितियों में जो कृषि फार्म चल रहे हैं उनके बारे में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर और बी. डी. ओ. ने अपना जो रिकागनीशन हमारे पास भेजा है उसमें 7 फार्म तो उचित काम कर रहे हैं। लाभप्रद काम कर रहे हैं। उनको चलाने का निर्णय 6 फार्म्स के बारे में निर्णय लिया गया है कि उनको बन्द कर दिया जाये। 15 फार्म का मामला विभाग के पास विचाराधीन है। यह जो सूचनायें मेरे पास आई हैं वह 123 में से है। बाकी 9 पंचायत समितियों को बताया है। इनमें 85 पंचायत समितियों की सूचनाएं और आई हैं। बाकी सूचनाएं नहीं आई हैं। बाकी सूचनाएं प्राप्त होने के बाद में निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री श्रवणलाल : ये 6 पंचायतें आपने बताई हैं, वह कौन कौन सी हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास लिस्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : 81 की 81 सब घाटे में है।

श्री परस राम मदेरणा : यहां पर कई माननीय सदस्यों ने खाद और बीज के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है कि पंचायत समितियों द्वारा जो ऋण, खाद व बीज के लिए दिये गये थे उनमें काफी घोटाले हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)
अभी तक लोगों ने ऋण अदा नहीं किये हैं इस सम्बन्ध में मैं आपको यह निवेदन करूं कि राजस्थान के 6 जिलों के सम्बन्ध में खाद की लिस्ट मेरे पास है। वह इस प्रकार है, सवाई माधोपुर ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : शाहपुरा ।

श्री परसराम मदेरणा : शाहपुरा, उदयपुर, बूंदी, जालौर की दो पंचायत समितियां और बाड़मेर की पंचायत समिति है ।

ऋण के सम्बन्ध में भी कहा गया है यह बात सही है कि खाद और बीज के सम्बन्ध में दिया गया ऋण अभी काफी बकाया पड़ा है ।

एक माननीय सदस्य : कुल कितना ऋण दिया गया ? अदा कितना हो गया है और बाकी कितना है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस बारे में आप से निवेदन करूं कि पहले जो ऋण दिया जाता था । 2 अक्टूबर, 1959 के बाद जब पंचायत राज बना तो पंचायत समितियों के मार्फत ऋण दिया गया । इससे पहले का जो वसूल हो रहा है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मार्फत जो खाद और बीज के लिए ऋण दिया गया था उसकी जानकारी मुझे नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंन्ट ने किस तरह से ऋण खाद बीज के वितरण के लिए दिया। उसकी वसूली की कार्यवाही चल रही है। 2 अक्टूबर, 1959 के बाद में पंचायत समितियों द्वारा खाद और बीज के ऋण दिया कोपरेटिव के मारफत 7 करोड 38 लाख 9 हजार रुपये का ऋण दिया गया है। इस लोन का हिसाब अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया। इसलिए एक असिस्टेंट अकाउंट्स आफीसर की नियुक्ति की गई । 15 अकाउन्टेन्ट नियुक्त किये गये हैं। ये अकाउन्टेन्ट्स सभी जगह पंचायत समितियों में गये। उन्होंने हिसाब को चेक किया उसको रिक्साइलेशन किया । इस प्रकार 1 करोड़ 61 लाख 33 हजार का हिसाब बन गया है और उसका मिलान भी हो गया है। 2 करोड़ 76 लाख 86 हजार रुपये के कर्जे का हिसाब बनाना और उसको रिकन्साइल करना बाकी है। उसके बिना कोई डिमान्ड नहीं निकाली जाती है ।

यहां पर यह भी कहा गया है पिनल इन्ट्रेस्ट वसूल किया जाता है। मैं यह निवेदन करूं कि इसके बारे में निर्णय ले लिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा वह कर्जे में वसूल नहीं किया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : बीज अच्छा दिया हो तो वसूली भी कर लें ।

श्री जूझारसिंह : आपने सस्पेंड कर दिया तो वसूली किसकी होगी ? जो मूल रकम है, उसकी भी वसूली सस्पेन्ड कर रखी है । तो जो वसूली होगी, वह मूल रकम है और सस्पेंड की है, उसकी होगी ।

श्री परसराम मदेरणा : जो सस्पेंड रखने की बात है, उसमें मूल रकम तो वसूल होगी, पीनल इन्ट्रेस्ट की बात कह रहा हूं पीनल इन्ट्रेस्ट मूल रकम से ज्यादा हो गया हो तो इसमें पीनल इन्ट्रेस्ट की वसूली नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)
हो, मूल रकम की वसूली हो।

श्री भैरोंसिंह : जिन पंचायतों को खराब बीज दे दिया है जिस कारण से उनकी फसल खराब हो गई है, उस बीज की रकम को राइट ग्राफ करने के सम्बन्ध में क्या विचार किया है।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समितियों को बीज, कौनसी पंचायत समितियों को कौनसा बीज दिया गया है......

श्री भैरोंसिंह : अलवर से खराब बीज आया था, उसकी सदन की सब माननीय सदस्यों को जानकारी है।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति के मार्फत दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति के मार्फत दिया गया? वैसे भी दिया गया, शोभाराम जी को मालूम है। क्योंकि इनके फार्म से भी बीज गया है।

श्री परसराम मदेरणा : नेशनल सीड कारपोरेशन का बीज था, मैं समझता हूं, नेशनल सीड कारपोरेशन का बीज आया, इसके सम्बन्ध में मुझे पूरा याद नहीं, बीज खराब था। इस सम्बन्ध में पूर्व में चर्चा हो गयी है और राज्य सरकार नेशनल सीड कारपोरेशन के सामने इस प्रश्न को उठा है, और उसकी ज्यादा जानकारी कृषि मंत्री जी को है, मुझे नहीं। हमको कुछ बीज दिया जाता है, वह हम कृषि विभाग से भी लेते हैं। अब तो पंचायत समितियों को इस बात का अधिकार दे दिया है कि यह वहां से अच्छा बीज ले लें, पंचायत समिति किसी काश्तकार के बीज को ठीक समझ है तो वह उस बीज को खरीद ले औ खरीद कर उसका वितरण करे।

यहां पर सिकराय से आने वाले मा नीय सदस्य से सिकराय के प्रधान के सम्ब न्ध में कहा। बोरिंग के सम्बन्ध में शिका यत की कि बोरिंग को मैंने रोक दिया लोन और उसके सम्बन्ध में उन्होंने ब कही। उसकी हम जानकारी कर रहे हैं कि उन्होंने अनियमित कार्यवाही की तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय कु मामले राज्य सरकार के सामने आये उनके द्वारा अनिमियतता के कार्य के राज्य सरकार ने सस्पेंड किया। वह हा कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने रीयेनेस्टेट दिया, तो हाईकोर्ट का निर्णय राज्य स कार को मान्य हैं। हम उसमें कुछ क नहीं सकते।

पीपलखुड से आने वाले माननीय सद ने कुछ सरपंच और अलीगढ़ के सम्ब में कुछ बात कहीं। मैं आफ हैंड कु नहीं कह सकता, जिसके बारे में क शिकायत है। लेकिन बाड़मेर से आ वाले माननीय सदस्य ने पंचायत को छो करने के सम्बन्ध में और इस सम्बन्ध कि पंचायत के पास जो गोचर जमी है, उस पर लोग नाजायज कब्जा कर हैं, और पशु धन का विकास अधिक इसलिए गोचर भूमि पर कब्जा नहीं हो चाहिए यह कहा। मैं इस सुझाव सहमत हूं और विकास विभाग की तर से हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखेंगे गोचर जमीन के ऊपर नाजायज कब नहीं होना चाहिए, और जो गोचर जमी

(परसराम मदेरणा)
पशुधन के विकास के लिए है वह यथावत रहनी चाहिए।

ग्रुप सचिव की बात उन्होंने कही। ग्रुप सचिव के बारे में अलग अलग सुझाव पंचायत समिति, डिप्टी बी. डी. ओ. कलेक्टर और प्रधान के आये, वही पंचायत में एक ग्रुप सचिव रखना चाहिए, कई जगह से दो के सुझाव आये। ग्रुप सचिव के मामले में 65 पंचायत समितियों में योजना लागू कर रखी है। इस प्रश्न को हम एक कमेटी के सुपुर्द कर रहे हैं और उसमें माननीय सदस्य भी होंगे, इस सदन के सदस्य भी उस कमेटी के सदस्य होंगे और उस कमेटी की रिकमन्डेशन आने पर विचार किया जायगा।

रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दूसरी बात सलोतिया के सरपंच के सम्बन्ध में कही। एक प्रश्न का उत्तर दिया था, उसकी प्रतिलिपि भी मेरे पास पहुँचाई, मुझे दी गई। यह प्रश्न का उत्तर पहले का है। उसके बाद राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आगई और उसमें उनको निर्दोष पाया गया और उस पर राज्य सरकार ने फैसला कर दिया है।

श्री भैरोंसिह : जांच किसने की है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए आप जो बेजा प्राटेक्शन की बात कर रहे हैं वह गलत है . . .

श्री जुझार सिंह : कलेक्टर और तहसीलदार के जवाब से तो पहले ही निर्दोष हो गये थे, निर्दोष पाने का पहले ही जवाब दे दिया था।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने कोई अनियमितता की हो, घोटाला किया हो, मिस ऐप्रोप्रियेशन किया हो, इस प्रकार की बात उसमें नहीं है···

श्री जुझारसिंह : जांच रिपोर्ट किसकी है ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं आई, इसलिए राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का निर्णय लेने में असमर्थ है।

श्री भैरोंसिह : उपमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच आपने तहसीलदार से कराई है या और किसी से ?

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलदार से नहीं कराई है।

श्री जुझारसिंह : किससे करवाई है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे पूरी जानकारी नहीं है, किस से करवाई है···

श्री रामकिशन : उनको तो सुखाड़िया जी से करा लो, उन्होंने निर्दोष कह दिया।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास फाइल है···

श्री भैरोंसिह : किसने जांच की है, यह बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : एस. डी. ओ. झालावाड़।

Page No 169

श्री जुझारसिंह एस. पी. से क्या लेना देना है।

श्री परसराम मदेरणा : एस. डी. ओ.।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप उचित मानते हैं कि एक उपमंत्री की जांच एस. डी. ओ. से करायें।

श्री परसराम मदेरणा : उप मंत्री के खिलाफ शिकायत का प्रश्न नहीं है, उस समय वह सरपंच थे।

श्री भैरोंसिंह : एस. डी. ओ. से कैसे करा लेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : मौजूदा सरपंच की होती है तो पूर्व अवधि के भी हो सकती है, और किसी व्यक्ति ने गलती की है और वह सरपंच था, जैसे माननीय सदस्य है, आप में से कई म्युनीसिपेलिटी के मेम्बर थे, मैं खुद सरपंच था, काफी लम्बे अर्से तक, सरपंच की टर्म में ऐसी बात हो तो जांच एस.डी.ओ. करता है। और डिप्टी बी.डी.ओ करता है।

श्री जुझार सिंह : जांच रिपोर्ट कब आई?

श्री परसराम मदेरणा : यह नहीं कह सकता।

श्री जुझारसिंह : कुछ दिनों पहले तक कहते आये हैं...

श्री परसराम मदेरणा : जो मोटे मोटे मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर दे सकता हूं, कब आई और कब नहीं आई इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री जुझार सिंह : इस पाइन्ट से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इन्फार्मेशन ले ली गई और इन्फार्मेशन के आधार पर आपने जो उत्तर पढ़ा है, उसके बाद की बात है। राज्य सरकार का जो निर्णय है, वह निर्णय हुआ है दिसम्बर 1970 में। यहां पर हरिसिंह के बारे में रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही। जैसा कि सदन के अधिकतर माननीय सदस्यों को जानकारी है, उस सरपंच के खिलाफ एक्शन ले लिया है। उनको रिमूव करने का या फाइंडिंग को रिकार्ड करने का अधिकार उप मंत्री को था, और जब कभी किसी मामले में प्रिलिमिनरी जांच हो, फाइनल जांच हो और कोई फैसला होता है तो उसमें किसी को प्रोटेक्शन देने का सवाल नहीं है। आप बार बार कहते हैं क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी का था, हरिसिंह जराडिया और उसके बारे में प्रश्न पर प्रश्न पूछे हैं आपने, उनका हम उत्तर दिया है। आप बार बार पूछ रहे हैं और हम उत्तर दे रहे हैं उससे आपको संतोष नहीं हो रहा है...

श्री जुझारसिंह : आपका मकसद कुछ ऐसा है, मंत्री जी, आपने 12-5-70 को कहा है, यह गबन किसने किया है, फिर बारह महीने तक आपने क्या किया है?

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा गबन?

श्री जुझार सिंह : सरपंच जराडियां का नाम था हरिसिंह, उसमें आपने मंजूर किया है।

(श्री जुझार सिंह)

इसने गबन किया है। 12-5-70 को मन्जूर किया है, उसको एक साल हो गया अब कहते हैं कि उप मन्त्री से सम्बन्धित है, तो क्या उप मन्त्री की सरकार दूसरी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो बात कह रहा हूं वह मैं एक्सन लेने की बात कह रहा हूं। मैं रैस्पान्सिबिलिटी से इन्कार नहीं कर रहा हूं। यह विभाग की जिम्मेदारी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जांच का मामला आता है, तो हियरिंग का अवसर देते हैं और सुनने के बाद में फैसला करते हैं। जांच पूरी नहीं हो और प्रिलिमिनरी जांच के ऊपर एक्शन ले लिया जाय– यह कानून परमिट नहीं करता है। तो इसमें किसी को बेजा प्राटेक्सन देने का प्रश्न नहीं है। यह कौन है, यह मुझे मालुम नहीं था। आपने कहा था, कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, तो चाहे कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, चाहे भारतीय क्रान्ति दल का सदस्य हो, और भारतीय क्रान्ति दल के साथ ही चाहे जनसंघ का सदस्य हो, कोई भी हो – मुझे मालुम नहीं था ...

श्री बाल सिंह सोढा : बड़ा न्याय करने वाले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ध्यान भी नहीं रख पाता हूं। कोई पार्टी का हो, यदि गलती की है तो उसके पर एक्शन लिया जावेगा।

रामगंज मन्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने रिक्त स्थान के बारे में बात कही, तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ...

श्री जुझार सिंह : मेरा यह चार्ज स्टेण्ड करता है, कांग्रेस का होने के नाते आपने जान बूझकर साल भर तक जांच की शुरुआत नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : जांच तो हुई है।

श्री जुझार सिंह : लेकिन साल हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें रैफरेन्स टू कन्टेक्ट की बात है। गबन की बात है, इस प्रश्न का कब आन्सर दिया गया, सप्लीमेन्ट्री में दिया या रिटिन में दिया ..

श्री जुझार सिंह : आपको मालुम है, आपकी मेमोरी शार्प है। जो भी मामला हुआ वह सारा मामला अच्छी तरह आपको मालूम है। आपको जवाब भुगताना है इसलिए चाहे कैसे भी भुगतान कर दीजिये लेकिन अननेसेसरी प्राटेक्सन दिया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा ; गबन के मामले में मुझे मालूम नहीं है, किस सम्बन्ध में है किस स्टेज पर है, फाईनल इन्क्वारी पर चला गया हो, मैं फाईल देखकर बता सकता हूं कि क्या मामला है। एक बात फिर कह दूं कि इस सम्बन्ध में क्या फैक्चूएल पोजीशन है, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्यों नहीं हुई है, आपको पत्र के द्वारा इन्फारमेशन कर दूंगा।

श्री जुझार सिंह : मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। साबोतिया सरपंच के बारे में आपके पास विकास अधिकारी की रिपोर्ट आ गई थी। उसने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा नहीं दी और जिस नम्बर को बताया था उसकी रेग्यूलराइजेशन की बात। सब आपको

(श्री झुझार सिंह)
मालूम है। आप जान बूझकर आप प्रोटेक्ट करते हैं। हो सकता है कि किसी दबाव में आकर कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली...

श्री परसराम मदेरणा : दबाव का प्रश्न नहीं है। कलक्टर से क्या लेटर इन्वाइंड हुआ, सदन में दो घण्टे की बहस हुई, उत्तर दे चुका हूं।

श्री जुझारसिंह ; रेकार्ड आपके पास है।

श्री परसराम मदेरणा ; जो हमारे पास रिपोर्ट आई है।...

श्री भैरोंसिंह ; रिक्त स्थानों की जांच तो नहीं करवाई।

श्री परसराम मदेरणा ; फैक्चूएल रिपोर्ट मंगाई है। जांच और फैक्चूएल रिपोर्ट में क्या फर्क है?

श्री भैरोंसिंह ; जांज करवाई या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा ! जांच का मैं नहीं कह सकता, फैक्चूएल रिपोर्ट आई है और उसके अन्दर यह बात बेसलेस पाई गई है तो उसकी अन्कारी द्वारा कर दी गई है।

श्री झुझारसिंह ; आपका लिखित जवाब है। विधान सभा में आपने बताया है कि आपने लिख दिया है कि जांच की आवश्यकता नहीं है, इसकी लीपा पोती करके भेज दिया जाए, तो जांच कहां से होगी। आपके डाइरेक्शन्स के अनुसार भेज दिया, आपके जवाब की कापी आपको दी है। उससे लगता है कि आप जांच नहीं करवाना चाहते। आपके डाइरेक्शन्स पर सब कुछ हुआ है। आप पढ़कर सदन को सुना दें।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं है। मैंने तथ्यों की रिपोर्ट मंगाई है। उसके अन्दर किसी प्रकार के तथ्य होते तो मैं जांच के आदेश देता लेकिन तथ्यहीन बात के लिए जांच का प्रश्न नहीं...

श्री भैरोंसिंह ; तहसीलदार को जांच के आदेश दिये थे आपने।

श्री परसराम मदेरणा ; नहीं।

श्री भैरोंसिह : (पढते हैं) सरपंच सालोतिया के विरुद्ध शिकायत जांच के लिए जिलाधीश को भेजी गई, यह क्यों लिखा है, यह प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा ; जिलाधीश ने तहसीलदार को लिखा होगा।

श्री भैरोंसिंह ; पहले आप जांच कर रहे थे, बाद में

श्री परसराम मदेरणा : प्रिलिमनरी जांच फैक्चूएल है। राज्य सरकार के ध्यान में आ जाए तो 17 (4) में कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : सदन जानना चाहता है कि जांच और फैक्चूएल रिपोर्ट में अन्तर क्या है और अन्तर इस मामले में किस प्रकार ले लिया गया।

श्री. परसराम मदेरणा : कोई अन्तर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा जांच नहीं करवाई।

श्री परसराम मदेरणा : फैक्चूएल रिपोर्ट में क्या मुद्दा है?

श्री भैरोंसिंह : मुद्दे का सवाल नही है।

[दोनों साथ साथ बोलने लगे]

मुद्दा यह है कि जांच और फैक्चूएल रिपोर्ट में किसी प्रकार आप अन्तर नहीं मानते। प्रश्न के उत्तर में उस भाषा के प्रयोग कहने की आवश्यकता नहीं थी। पहले आपने जांच के आदेश दिए बाद में कहा तथ्यों की जानकारी के लिए एस. डी. ओ. को लिख दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : कलक्टर की लेविल पर बात कही तहसीलदार ने मना कर दिया, कि मैं नहीं करना चाहता। जब यहां से लिख दिया कि फैक्चूएल पोजीशन क्या है तो फैक्चूएल रिपोर्ट नहीं आई थी तव जबाव दिया था कि फैक्चूएल रिपोर्ट आ गई तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री जुझारसिंह :. कलक्टर ने आपके मार्ग दर्शन के लिए लिखा, आप ने कहा जांच की आश्यकता नहीं है। उसके वाद में सब कार्यवाही हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलदार ने मना कर दिया। मैंने लिखा एस. डी. ओ. फैक्चूएल रिपोर्ट मंगाई जाए।

. (श्री अध्यक्ष पदासीन)

(श्री निरंजन नाथ, अध्यक्ष पदासीन)

[6.45 म. प.]

उसके आने के बाद अगर प्राइमाफैसे कोई आरोप बनते तो निश्चित और से एक्शन ले लेते। फैक्चूएल रिपोर्ट में लिखा है कि जो कुछ आरोप लगाए हैं, निराधार हैं, तथ्यहीन तो कार्यवाही करने का प्रश्न कहां है?

श्री जुझारसिंह : तहसीलदार के बाद कलक्टर जांच नहीं कर सकते तो एस. डी. ओ. कैसे कर करेगा? कलेक्टर ने मार्गदर्शन के लिए आपसे पूछा है।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर सरपंचों की जांच नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्यों?

श्री परसराम मदेरणा : नियमों में है। वह प्रधानों और उप प्रधानों की करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. करते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं गया था। फैक्चूएल रिपोर्ट उन्होंने भेज दी।

श्री भैरोंसिह ; आप कानून की बात कर रहे हैं तो पंचायत एक्ट में एस. डी. ओ. से जांच कराने का कहां प्रावधान है।

श्री परसराम मदेरणा : है।

श्री भैरोंसिह ; बताइये।

श्री केशरीसिंह हाडा : कलक्टर फाइनल अथोरिटी है।

श्री परसराम मदेरणा : चाहे तो कलक्टर करा सकते हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मिश्रीलाल वाला मामला एक साल से आपके पास पेंडिंग पड़ा है। एक साल तक आपने कहा कि कलक्टर बूंदी के विचाराधीन है...

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये, आरम्भ रखिये।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायतों के जो रिक्त स्थान हैं, रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन कर चुका हूँ, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच, प्रधान सबके चुनाव महीने, डेढ़ महीने में कराने का राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है और आदेश चुनाव विभाग को दे दिये गये हैं। चुनाव विभाग ने तिथियां मुकर्र नहीं की हैं। मैंने उनसे बात की थी, जल्दी वे उस सम्बन्ध में तारीख मुकर्र करने वाले हैं। चुनाव कलक्टर्स करवा सकते हैं उनके लिए कलक्टर्स को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : प्रधान, उप-प्रधान, न्याय पंचायतों के चेयरमैन...

श्री परसराम मदेरणा : सभी के कराये जायेंगे। न्याय पंचायत के चेयरमेन, पंच, सरपंच, उप सरपंच, प्रधान उप-प्रधान, जो भी रिक्त स्थान है उनके चुनाव कराने का राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : ये आदेश वापस कब लेंगे ?

श्री विजय सिंह : विधान सभा सेशन के बाद।

श्री परसराम मदेरणा : मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जीपों के बारे में कहा कि पंचायत समितियों में जीपें चल रही हैं और नियम है कि 200 से ज्यादा पेट्रोल का खर्चा नहीं किया जाए। यह नियम होते हुए भी पंचायत समितियों में ज्यादा खर्चा हो जाता है। कुछ जीपें पुरानी होती हैं इसलिए पेट्रोल का कजमशन ज्यादा होता है। जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश हैं जब कोई प्रधान या उप-प्रधान पंचायत समिति में दौरा करे तो उसके साथ में विकास अधिकारी या एक्सटेन्सन अधिकारी होना चाहिए और जब जीपें पंचायती राज संस्थाओं को दे रखी हैं तो उनको वापस लेने का प्रश्न नहीं।

श्री भैरोंसिंह : विरोधी दलों की पंचायत समितियों की तो विथड्रा करा ली।

श्री परसराम मदेरणा : बता दें कि फलां पंचायत समिति की जीप हमने विथड्रा करा ली है क्योंकि वह विरोधी पंचायत समिति की थी।

श्री भैरोंसिंह : पोकरन में।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए नहीं। तहसीलदारों को वसूली के आदेश दे दिए थे, सभी की थी।

श्री बाजसिंह सोढा : सब से नहीं किया है। उनसे किया है।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार से डिस्क्रिमनेशन नहीं किया है। पोकरन से विथड्रा करने का प्रश्न नहीं होता है।

Page No 174

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री विजयसिंह : मुझे मकराना सरपंच से सूचना मिली है कि मकराना जीप पर करीब 60 हजार रुपए रिपेयर पर खर्च हुआ। ऐसी जीप रखने से क्या फायदा ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं। कुछ पंचायत समितियों में पुरानी जीपें हैं, रिपेयर पर काफी खर्चा हुआ है। कई जीपों के लिए राज्य सरकार के सीमित साधन परमिट नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्टरप्शन नहीं, अवसर बाद में दे देंगे।

टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य और कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर पंचायतों में जो सड़कें बनी हैं, पंचायत समितियों के तालाब हैं, विकास के कार्य और निर्माण कार्य की रिपेयर्स नहीं होने जा रही है उसके सम्बन्ध में कहा। माननीय सदस्यों को पता होगा कि भारत सरकार ने क्राफ्ट स्कीम फोर रूरल एम्प-लोयमेन्ट के नाम से एक योजना बनायी है और उसके अन्तर्गत वे ही काम लिये जावेंगे कि जिससे सौ आदमियों को एम्पलोयमेन्ट दिये जा सकें। तालाबों और सड़कों की मरम्मत, एप्रोच रोड्स आदि ये काम किये जा सकते हैं। सौ आदमियों को लाभ मिलने पर भी 3 करोड़ रुपये का खर्चा होगा।

श्री बालसिंह सोढा : वेरंटेज कितना होगा ?

श्री परसराम मदेरना : आपका नज-रिया है।

श्री बालसिंह सोढा : जो है वह सामने है।

श्री परसराम मदेरणा : रिपेयर्स वगैरह नहीं हो रही है, जैसलमेर वगैर पंचायत समितियों में यह काम न हो लेकिन दूसरी जगह तो सैंकड़ों और हजारों तालाब हैं जिनको रिपेयर्स नहीं हो पा रही है। प्राथमिकता तालाबों को दी है और पंचायत समितियों की सड़कें और दूसरी सड़कें हैं उनको लिया जा सकता है और फोरेस्ट के काम लिये जा सकते हैं लेकिन पंचायत समितियों में तालाबों को प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार के पास योजना है कि पंचायत समितियों को चलाया जा सके।

हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायत समितियों के अध्यापकों के बकाया की बात कही। राणावत पे कमीशन की रिकमन्डेशन को लागू करने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेन्ट ने ऐसा सरकुलर निकाला था कि फिक्सेशन के मामले हैं, युनिफाइड पे स्केल और दीगर रिविजन के कारण शिक्षा विभाग में जो दूसरे अधि-कार हैं उनकी ग्रेड आदि का रिविजन हुआ और वापिस यह मामला रिओपन हुआ, तो हमारे यहां के लिये भी पार्टी बना दी गयी है फिक्सेसन के लिये, तीन चार आदमियों को लगा दिया है, कई पंचायत समितियों के फिक्सेशन के मामले तय नही हुए हैं इसलिये फिक्सेशन के कारण बकाया है न कि तनख्वाह की बकाया अथवा तनख्वाह न मिलना।

श्री श्रवण लाल : अमुक समय में चुकारा कर दिया जावेगा यह तय कर दीजिये।

Page No 175

श्री परसराम मदेरणा : फिक्सेशन के बारे में असिस्टेन्ट अकाउन्टस आफिसर को लगा दिया है। जगह जगह जा रहे हैं और इसको देख रहे हैं।

यहां पर अध्यापकों के सम्बन्ध में और प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में भी बातें कही। अध्यापकों के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर दूं कि प्राइमरी स्कूलों में लड़कों की संख्या बढी है। अध्यापक लगाये जाते हैं उसके लिये एजुकेशन डिपार्टमेन्ट ने जो क्राइटोरिया तय किया है उसके अनुसार है और बच्चों की संख्या के अनुसार है और बच्चों की संख्या के अनुसार अधिक संख्या है तो डबल शिफ्ट के लिये निर्णय लिया है।

गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र कुमार और टोडा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसके लिये पंचायतों को अलग अलग रखा जाय या नहीं यह भी हाई पावर कमेटी को दिया गया है।

नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। तीन विकास अधिकारियों ने पर्चेजेज में घोटाले किये हैं उनके बारे में एक्शन लेने में राज्य सरकार असमर्थ रही है इस प्रकार की बात कही। पूर्व जो विकास अधिकारी थे, माननीय सदस्य प्रधान थे उस वक्त की कही बात कही। गंगानगर कलेक्टर से जांच करवायी गई तो जांच से यह सही पायी गयी। विकास अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र बना कर नियुक्ति विभाग को वह मामला भेज दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : 11 महीने तक क्यों रखा ?

श्री परसराम मदेरणा : अपोइन्टमेन्ट डि. के पास है और पंचायत विभाग के पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इससे क्या हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : एक्शन ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जोइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी है। अपोन्टमेन्ट डि. का काम है वह करेगा

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो एक्शन ले नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : इन्डिविजुअल जवाब नहीं दे सकते। कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री अध्यक्ष : आप आग्रह करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : स्टेटमेन्ट आफ एलीगेशन बना कर भेज दिया है। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से आरोप सिद्ध होते है इसलिए कार्यवाही की जाय यह उनको लिखा गया है। इसी प्रकार एक विकास अधिकारी पर छेदीलाल का मुकदमा चल रहा था। पेमेन्ट रोक दिया था। उसको पेमेन्ट नहीं करने से फर्म ने दावा किया था और उस दावे में विकास अधिकारी ने, कम्प्रोमाइज कर लिया उसके सिलसिले में बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके खिलाफ आरोप सिद्ध हैं। हमने यह मामला एन्टीकरप्शन को सौंप रखा है। और हम ताकीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक्शन लें। और जांच पूरी करके चालान करे।

(श्री परसराम मदेरणा)

यह बात कही गयी कि उप प्रधान को रीइन्सस्टेट कर दिया। इसलिए कर दिया कि विभाग में कार्यवाही चल रही थी, उसकी जोरिलेवेन्ट फाईल है जांच करने के लिये कलेक्टर को लिखा है उसने कहा कि फाइलें एन्टीकरप्शन वाले ले गये इसलिये कुछ नहीं कर सकते हैं। जन प्रतिनिधि हैं। राज्य सरकार ने आदेश निकाल रखे हैं कि दो ढाई साल से जिसका पीरियड है अधिक निकल जाय तो उसको रिइन्स्टेट कर दिया जाय। गवर्नमेंट सर्वेन्ट और जन प्रतिनिधि के बीच फर्क करना पड़ेगा। एन्टीकरप्शन के पास है इसलिये नहीं किया यह हमने ध्यान में रखा है।

श्री रामचन्द्र आर्य: गवर्नमेंट को तनख्वाह देनी पड़ती थी क्या ?

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री परसराम मदेरणा : मनीराम के विरुद्ध शिकायत आपने स्वयम् ने की और उसकी जांच करवायी और उसके बाद....

श्री रामचन्द्र आर्य : 1 लाख 33 हजार का सामान खरीदा गया।

श्री परसराम मदेरणा : प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है और उसके बाद कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसी जगह लगा दिया न प्रधान और न ही उप प्रधान वहां है। ऐसीं जगह लगा दिया।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी किसी दूसरी पंचायत समिति में लगाया।

श्री रामचन्द्र आर्य : कार्यवाहक प्रधान है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको तो सब विकास अधिकारी चोर दीख रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : सब नहीं दीख रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हरएक विकास अधिकारी के खिलाफ आरोप लगायें तो आप देखिये डिसमिस तो मैं नहीं कर सकता। जांच करवायी जावेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप को एक बात पूछना चाहता हूं कि आप यह बतला दें कि क्या उसनें 1,33 हजार का सामान जो रिजेक्ट किया था उसका वितरण नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : कितना क्या है यह मुझे मालुम नहीं है। कलक्टर को लिखा है कि डिप्टी डी.डी.ओ. को भेज कर इसकी जांच कराई जाये। वह जांच रिपोर्ट अभी तक मेरे पास में नहीं आई है तो कैसे कह सकता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय मैंने जो मुद्दा उठाया था उसका उत्तर नहीं दिया गया। आपने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने एक कटौती का प्रस्ताव एक सरपंच को आपने निर्दोष साबित किया है उस सम्बन्ध में मूव किया था।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ मुद्दे आपने उठाये थे। बाकी मुद्दे कामन थे इसलिये अलग से उत्तर नहीं दिया है। जो खुद फैसला कर दिया गया है अब उस फैसले में तब्दीली नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

की जा सकती । यह फैसला इवीडेन्स को लेकर किया गया है। अगर हर फैसले पर डिसकसन किया जायेगा तो उसका कोई अन्त नहीं है। जो रूल 21, 23 है उसको आप गलत इन्टरप्रिट कर रहे हैं। बाकी आपने डीलिमेटेशन के बारे में कहा है। यह मामला कमेटी के विचाराधीन है। चुनाव की पद्धति क्या हो इस सम्बन्ध में एक हाई पावर कमेटी बनी है। वह विचार कर रही है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने फर्माया कि इस सम्बन्ध में फैसला हो गया है। मैंने गवर्नमेंट का डिसीजन माना है। उस फैसले में यह है कि कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। आरोप प्रमाणित नहीं हुए तो खास आरोप क्या था और उसमें गवर्नमेंट क्या मानकर चलती है। इस केस के अन्दर आपका क्या व्यू था।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न होगा सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह जानकारी अभी मंत्री महोयद ने सदन के अन्दर दी है कि पंचायत समिति का डिलिमीटेशन का मामला हाई पावर कमेटी. कमीशन को सौंप दिया गया है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरा जो सुझाव था कि जो जिला परिषद् हैं वे सेल्फ सफिशियन्ट यूनिट हों और वे डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिये रेसपान्सविल हो। इसके बारे में क्या हाई पावर कमेटी सुझाव देगी, विचार करेगी।

श्री परसराम मदेरणा : आप एक तरह से आटोनोमस वोर्डों के रूप की बात कह रहे हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी है। यह मामला यह है कि इनको कैसे स्टेन्ड किया जाये। जो थ्री टायर सिस्टम है उसको रखा जाये तो कैसे रखा जाये और हटाया जाये तो किस किस को हटाया जाये। ये सब मुद्दे कमेटी के सामने विचाराधीन हैं और आटोनोमस का कोई मुद्दा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा तो यह सुझाव था कि ज्यादा से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट कोउन्सिल को सौंपे जायें और जो वहां के लोकल काम हो वह करें। जैसे की कोई माइनर प्रोजेक्टस हैं तो उसको वही कम्पलीट करावे। इस विषय में आपका क्या कहना है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। क्या माननीय मंत्री महोदय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्मस कमीशन की रिपोर्टस को पढ़ा है और उसमें जिस सिस्टम के बारे में भारत सरकार को सुझाव दिया गया है और टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां जो बात कही है उन्हीं बातों का उल्लेख उसमें किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्मश कमीशन ने जिला परिषद् के बारे में क्या सुझाव दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने क्या इसको पढ़ा है?

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ा तो नहीं है। कमीशन की एक प्रति आपके हाथ में देखी थी।

श्री भैरोंसिंह : आप पढ़ना चाहें तो अभी बता दूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप ही किताबों का ज्यादा अध्ययन करते हैं। इस कमेटी के बारे में जो टर्म आफ रेफरेन्स हैं वह स्पेसिफिक है और यह बात है कि जो थ्री टायर सिस्टम है उसमें कौनसे टायर का किस परपज के लिये और अलग अलग क्या फंक्शन होना चाहिये, क्या राईट्स हों, क्या पावर्स होने चाहिये। ये सब मुद्दे उस हाई पावर कमेटी के सामने विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्री महोदय के कथन से यह आभास होता था कि जो हाई पावर कमेटी है वह स्ट्रेक्चर के बारे में भी सिफारिश करेगी। मेरा सजेशन यह था कि ज्यादा पावर डेलीगेट की जाकर इसको सेल्फ सफीशियन्ट यूनिट बनाया जाये, जिला परिषद् को।

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ पटेल।

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर हरेक जिले के अन्दर एक हजार आदमियों को रोजगार देने का प्रावधान था लेकिन मंत्री महोदय ने अभी यहां पर बताया है कि टोंक जिले में जो तालाब हैं उन तालाबों में राज्य सरकार पंचायत समितियों के जरिये कार्य कर रही है लेकिन इस टोंक जिले अन्दर एक तारीख से, एक मई से जिलाधीश महोदय के यहां जो मीटिंग हुई थी उसके अन्दर 600 आदमी रखने का तय किया गया है। इस प्रकार 400 आदमी कम कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय स्पष्टीकरण।

एक और प्रश्न आने दीजिये।

श्री बिरदाराम ; अध्यक्ष महोदय, जालौर में जो अनाज का गोदाम है उसमें पंजाब से गेहूं आकर 15-20 गाड़ी रोज माल आ रहा है वह उस गोदाम में भरा जा रहा है और वहां की जो बाजरी है वह बाहर पड़ी है वाहर से आकर माल गोदाम में भरा जा रहा है और जालौर की बाजरी बाहर पड़ी है और यहां का अनाज बाहर पड़ा है.....

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये यह कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजीये। आप क्यों इन्टरप्रिट कर रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह ; अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा था कि मेरे उक्त प्रश्न का उत्तर दिलवा देंगे किन्तु उत्तर नहीं आ रहा है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 123 फार्मस नहीं है। तो क्या इन फार्मस के अन्दर ट्रेक्टर मोजूद हैं। 123 पंचायत समितियों के फार्मस नहीं है और ट्रेक्टर परचेज किये हैं।

श्री श्रवणलाल ; अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण के जरिये जो कटमोशन मूव किये थे उनमें से दो का मंत्री महोदय द्वारा स्पष्टीकरण चाहूंगा....

(श्री श्रवणलाल)

एक तो यह है कि जो पंचायत समिति हिन्डौन के प्रधान के खिलाफ कलक्टर ने एन्क्वायरी की और उस एन्क्वायरी में जो तथ्य थे मतलब ये सही मिले है और राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी। उसमें राज्य ने क्या ऐक्शन लिया–मैं यह जानना चाहता हूं। और एक जो ग्राम पंचायत आलनपुर है पंचायत समिति सवाई माधोपुर में जो सरपंच के द्वारा गड़बड़ी की गई है और कुछ उनके कागज भी सील्ड किये गये थे अब भी गलत कार्यवाही, गलत पट्टे की कार्यवाही कर रहे हैं। उसमें आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढा : बी. डी. ओ. पोकरन को तीन वर्ष से अधिक रखा है और ...

श्री किशनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय पंचायत समिति सिकराय में हाई कोर्ट का निर्णय हो गया उसके बाद भी सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। क्या उसकी जांच होकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी–सस्पेन्ड करने की या जो पैसे खर्च किये हैं उसको वापिस वसूल करने की और दूसरा जो सरपंचों के स्थान रिक्त हैं उनके चुनाव कराये जाय।

श्री परसराम मदेरणा : टोडा से आने वाले मा. सदस्य ने जो बातें कही कि वहां पर 600 व्यक्तियों को रूरल एम्पलायमेंट दिया जा रहा है यह बात सही नहीं है। एक हजार को दिया जायगा ....

(एक मा. सदस्य के उठने पर)

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय बोल रहे है।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें कलक्टर को दूसरे आदेश दिये गये हैं। उनियारा से आने वाले मा. सदस्य ने बताया 123 पंचायत समितियों में एग्रीकल्चर फार्म नहीं है और ट्रैक्टर सभी को दिये गये हैं। अब ट्रैक्टरों की दूसरी जगह क्या हालत है और क्या नहीं है मैं इस समय आफ हैन्ड जवाब नहीं दे सकता हूं। जालोर से आने वाले मा. सदस्य ने अनाज खरीदा जा रहा है गोदामों में पड़ा है और दूसरी जगह से लाया जा रहा है वह , वह उनका लुक आऊट है स्टोरेज करें माल खराब न हो तो उसके लिये स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है। हिन्डौन से आने वाले मा. सदस्य ने प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कही है और कहा है गबन कर लिया ऐसा आरोप है, मैं आफ हैन्ड जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई सूचना अभी नहीं है और वह इसलिये कि कहीं अध्यक्ष महोदय प्रिविलेज का प्रश्न न बन जाय। मुझे ऐसा याद पड़ता है प्रधान के खिलाफ एक चार्ज था। वह प्रधान रहते हुये अखबार का सम्पादन करता था। अखबार में एडवरटाईजमेंट निकाला गया था यह प्रश्न मेरे सामने आया था और मैंने देखा है। मैंने इस सम्बन्ध में कलक्टर से स्पष्टीकरण करने की कार्यवाही के लिये कहा है। जो दूसरे सरपंच के बारे में कहा गया है उसके लिये मैं आफ हैन्ड कुछ नहीं कह सकता हूं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा विकास अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं हुआ है और उसका ट्रान्सफर कर देना

(श्री परसराम मदेरणा)
चाहिये। इसमें मेरा यह निवेदन है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर ही ट्रान्सफर होता है····

श्री बालसिंह सोढा : मैंने यह नहीं कहा है ट्रान्सफर करना चाहिये : मैंने तो यह कहा है तीन बार ट्रान्सफर हो गया और तीनों ही बार ट्रान्सफर केन्सिल हो गया। सुबह ट्रान्सफर आर्डर निकाल दिया और शाम को टेलीग्राफिक मेसेज भेज कर केंसिल कर दिया गया। उसके बारे में कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हों।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय टेलीफोन किया गया है और ट्रान्सफर को रोका गया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह गलत बात कह रहे हैं। मैं इनके कहने से कोई विकास अधिकारी का ट्रान्सफर नहीं करने वाला हूं।

श्री बालसिंह सोढा : यह तो मुझे मालूम है····

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज!

एक मा. सदस्य : बेसलेस चार्ज लगाने से····

(पुनः शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! नो बेस लेस चर्ज···

श्री विजय सिंह :
श्री बालसिंह सोढा : } (दोनों मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

····यहां तो मुझे मालूम है मदन सिंह जी····

श्री परसराम मदेरणा : गलत आरोप लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! माननीय सदस्य।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री पद का दुरुपयोग है। मंत्री महोदय यह कहते हैं मैं नहीं करने वाला हूं यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि यह जनतन्त्र का युग है और जनतन्त्र में इस तरह की बात····

(कई मा. सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : प्रो. केदार!

श्री बालसिंह सोडा : यह फेक्ट्स है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री वृद्धि चन्द जैन : मेरे खिलाफ भी बेसलेस चार्ज लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज! चेयर इज आन लेग्स। स्थान ग्रहण करें।

प्रोफेसर केदार। आर्डर प्लीज!

प्रो. केदारनाथ : वी.डी.ओ. के ठेकेदार·· आपकी मारफत पंचायत समिति···(शोरगुल में अश्रव्य) कुछ स्टडीज की है। एडमिनि–

(प्रो. केदारनाथ)

स्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है फिर उसके बाद सादिक अली की रिपोर्ट आई अब फिर कौनसी ऐसी प्राबलम अन टच्ड–रह गई है कि हाई पावर कमेटी को कान्स्टीट्यूट करने की जरूरत पड़ी।

श्री परसराम मदेरणा : सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट 65 में आई उसके बाद पंचायत राज का स्वरूप बदल गया। उसके फंक्शन्स और पावर्स के बारे में दूसरी तरह के जो विचार आये इसलिये मुनासिब समझा कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट मौजूदा परिस्थितियों में ठीक नहीं है और अब एक नये तरीके से सोचना चाहिये

प्रो. केदारनाथ : प्लानिंग कमीशन ने क्या स्टडी की ?

श्री परसराम मदेरणा : प्लानिंग कमीशन ने कोई स्टडी की है तो वह राष्ट्रीय स्तर पर की है। अलग अलग जगहों के अलग अलग ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैं। कहीं पर जिला परिषद् पावरफुल है तो कहीं पर पंचायतें पावरफुल हैं इसलिए राजस्थान की अलग परिस्थिति है और राजस्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई समिति का गठन करना आवश्यक था।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय प्रो. केदार ने जो प्रश्न उठाया है उसी संदर्भ में मैं भी एक बात पूछना चाहता हूं और वह यह है कि राज्य सरकार ने आखिर अपना भी दृष्टिकोण बना रखा होगा। आपने भी संवैधानिक निर्देशन के अनुसार पंचायत राज स्थापित किया ठीक है, परन्तु आपको याद होगा...जब पंचायतें स्थापित की गई थीं तो एक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का नारा दिया गया और भारत वर्ष में प्रथम लोकतान्त्रिक-विकेन्द्रीकरण यहां किया गया। इस पर कइयों को पद्मश्री मिल गई और खूब ढोल पीटे गये। अब उसी लोकतान्त्रिक-विकेन्द्रीकरण की ओर राज्य सरकार की-कोई आस्था नहीं है, ऐसा लगता है, उससे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था और जब यह हुआ तो बलवन्त राय कमेटी कायम की गई लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ और जब यह फेल होने लगा तो पंचायत राज का नारा देने लगे और जब फिर यह सिसक रहा है अपनी अन्तिम घड़ियां गिन रहा तो फिर कसमसा रहे हैं। अपनी मान्यतायें रखनी चाहिये। पंचायत राज तो स्थापित कर दें उनको पावर दें नहीं, खर्चे के लिए साधन जुटाने दें नहीं और फिर बार बार में हस्तक्षेप करें। किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना दें लेकिन राज्य सरकार का आखिर स्पष्ट दृष्टिकोण क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार की यह मान्यता है और पूर्ण मान्यता है कि पंचायत राज्य संस्थाओं को सुदृढ बनाया जाय अब किसको ज्यादा बनाया जाय और किसको ज्यादा नहीं बनाया जाय यह अनुभव के आधार पर और जो कार्य प्रणाली रही है वह सब इस कमेटी के सामने होगा। कमेटी की रिकमन्डेशन आने पर राज्य सरकार निर्णय लेगी।

Page No 182

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे जो सजेशन है वे इनमें ारपोरेट होंगे। वह बात राज्य सरकार दे केगी या नहीं। (अश्रव्य) ऐडमिनिस्ट्रेटिवली ावरफुल वना सकेगी।

(व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महो- य 54 में पंचायतें बड़ी थी फिर नेहरूजी नारा दिया वन विलेज वन पंचायत, वन ापरेटिव का इस तरह नारा दिया और ाज्य सरकार ने उसको आंखें मीच कर ान लिया। लार्ज स्केल पंचायतें नहीं रहीं ोटी पंचायतें बन गई। प्रत्येक गांव की क पंचायत, प्रत्येक गांव की एक पंचायत मिति, प्रत्येक गांव की एक सहकारी संस्था ौर अब फिर बड़ी बनाने की बात कर हे हैं। आखिर कोई एक ऐक्शन होना ाहिए। रोज रोज इन संस्थाओं के बारे में स्तक्षेप करते हैं तो लोगों का विश्वास टता है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

मांग संख्या 3 ख मुख्य शीर्षक 37।

श्री बालसिंह सोढा : पाइंट आफ ार्डर सर।

श्री अध्यक्ष : व्हेन दी चेयर इज ओन ास देयर इज नो पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री बाल सिंह सोढा : अध्यक्ष म -होदय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समय देता हूं क आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बालसिंह सोढा : पाइन्ट आफ आर्डर मेरा......

श्री अध्यक्ष : आप पहले स्थान ग्रहण करें।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महो- दय मन्त्री महोदय ने जो कहा वह किस ग्राउन्ड पर कहा और यह कौन सा इश्यु है। इसकी व्यवस्था आसन दे।

श्री परसराम मदेरणा : प्रशासन कि कारणों से ट्रान्सफर्स होते हैं। इस सम्बन्ध में जो गलत और झूठे आरोप मेरे खिलाफ लगाये है तो गलत आरोप लगा कर ट्रांसफर कराना चाहें तो राज्य सरकार करने वाली नहीं है। राज्य सरकार ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों से करती है।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ट्रांसफर तो क्या उसको वहां का पट्टा दे दें, लेकिन जो मैंने एलिगेशन्स लगाये हैं वह सही हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री बालसिंह सोढा : लास्ट मई के अन्दर माननीय मंत्रीजी...........

श्री अध्यक्ष : आपने जो इस प्रश्न को बार बार उठा दिया। अब मैं इसको समाप्त करता हूं।

श्री बालसिंह सोढा : लास्ट मई के अन्दर खुबीराम चौधरी को ट्रांसफर कराकर गये।

श्री अध्यक्ष : आपने कई तरह से इस प्रश्न को रख दिया है। अब इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

श्री बालसिंह सोढा : यह नेचुरल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री विजयसिंह : इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष ; माननीय श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : 'यह जो आपने कमेटी बनाई हाई पावर्ड तो इसके टर्म्स बता दें और उसका समय बतादें। माननीय सुरेन्द्र व्यास जो इस सवाल को बार बार उठा रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उसको आप माने, लेकिन क्या राज्य सरकार की इस बारे में मन्शा है इसकी जानकारी दे वे कि इस प्रकार के सुझाव पर यह कमेटी विचार करेगी और इसमें राज्य सरकार की क्या मन्शा है।

श्री परसराम मदेरणा : कह पूर्व से ही निश्चित है कि अक्टूवर में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, और चूंकि टर्म्स आफ रेफरेन्स का निर्णय ले रहे हैं कि ये टर्म्स आफ रेफरेन्स इस कमेटी के होंगे तो एक-दो दिन में इसका एनाउन्समेंट कर दिया जायगा अगर उनका समय बढाने की आवश्यकता हुई तो एक दो महीने का समय और बढ़ा दिया जायेगा।

टोंक से आने वाले माननीय सदस्य की बात टर्म्स आफ रेफरेन्स में ही है कि नहीं तो जिला परिषदों को स्ट्रेन्गथन किया जाय यह उसमें और गुजरात और महाराष्ट्र का अनुभव भी हमारे सामने है कि वहां पर जिला परिषदें काफी कामयाब और सफल हुई हैं तो इस मुद्दे को भी नजर में रखकर यह कमेटी अपनी कामयाब और सफल हुई है यह जिला परिषद् का है उसका कोन्सिल से कोई मतलब नहीं है।

श्री रामकिशन : उनका मतलब भी यही है कि क्या जिला परिषदों का स्वरूप....

श्री परसराम मदेरणा : वे जिले के स्तर पर कोन्सिलें बनाने की बात कर रहे है।

श्री रामकिशन : जिला परिषद् का ही उनका सवाल है कि कितने पावर्स उनको दिये जायं।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात टर्म्स आफ रेफरेन्स में है, लेकिन उनको बिल्कुल ही ओटोनोमस बना दी जायं कि राज्य सरकार के पास कोई प्लान विभाग का किसी तरह का काम न रहे और जिले का विकास और ऐडमिनिस्ट्रेशन के सारे मामले वह कोन्सिल ही तय करे यह टर्म्स आफ रेफरेन्स में हैं।

श्री भैरोंसिह : क्या भारत सरकार द्वारा पंचायतों के वर्किंग की जांच करने के लिए कोई कमीशन नियुक्त किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने अभी कुछ महिनों पहले काम्युनिटी डवलपमेंट के लिए एक कन्सलटे-

(श्री परसराम मदेरणा)

टिव कौंसिल थी तो उस कौन्सिल के बजाय भारत सरकार के कम्युनिटी डवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि भारत सरकार एक हाई पावर्ड कमीशन कॉन्स्टीटयूट् करने जा रही है। जहां तक मैं सोचता हूं कमीशन के कांन्स्टीटयूशन का पर्सोनल का उन्होंने अभी तय नहीं किया है।

श्री भैरोंसिह : तो यह दोनों डुप्लीकेट आथोरिटिज कैसे वर्क करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाए के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,23,22,000 तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 7, 85, 26,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 7 बजकर 28 मिनिट पर कल दिनांक 5 मई, 1971 के प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 595 की सूची)

सूची "प्र"

(प्र) जिला कोटा :—

दांई मुख्य नहर में खरीफ सन् 1963 से रबी सन् 1969–70 तक जितना पानी दिया गया तथा इस पानी से जितना क्षेत्रफल सिंचित हुआ उसकी फसलवार तालिका,

क्रमांक	फसल का नाम व वर्ष		पानी की मात्रा (क्युसेक्स डेज में)	सिंचित क्षेत्र एकड़ों में
1	2		3	4
1.	खरीफ	1963	189245	5810
2.	रबी	1963–64	153530	66994
3.	खरीफ	1964	184329	5833
4.	रबी	1964–65	197738	111423
5.	खरीफ	1965	130834	14990
6.	रबी	1965–66	100166	199420
7.	खरीफ	1966	31568	79550
8.	रबी	1966–67	170093	148879
9.	खरीफ	1967	19633	8367
10.	रबी	1967–68	135307	147524
11.	खरीफ	1968	62606	29209
12.	रबी	1968–69	190424	186237
13.	खरीफ	1969	65843	126305
14.	रबी	1969–70	165860	176075

(ब) जिला बून्दी :-

बांई मुख्य नहर में खरीफ 1963 से रबी 1969–70 तक जितना पानी दिया गया तथा इस पानी से जितना क्षेत्रफल सिंचित हुआ उसकी फसलवार तालिका

क्रमांक	फसल का नाम व वर्ष		पानी की मात्रा (क्यूसक्स डेज में)	सिंचित क्षेत्र एकड़ों में
1	2		3	4
1.	खरीफ	1963	41855	3773
2.	रबी	1963–64	156025	71386
3.	खरीफ	1964	101360	10425
4.	रबी	1965–65	138180	90128
5.	खरीफ	1965	134502	15283
6.	रबी	1965–66	9970	79066
7.	खरीफ	1966	39775	5239
8.	रबी	1966–67	73727	76356
9.	खरीफ	1967	46957	8273
10.	रबी	1967–68	133964	105326
11.	खरीफ	1968	108068	20687
12.	रबी	1968–69	183390	130736
13.	खरीफ	1969	119523	18692
14.	रबी	1969–70	162714	133055

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोतर

जैतारण तहसील के ग्रामों में बिजली

615. शंकरलाल (जैतारण) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जैतारण तहसील के गांव निम्बोल, पावटा, राजा डन्ड, जोजनवास, जोधावास, रास, मोहराई, डिगरना, भूम्बलिया के काश्तकारान की मांग पर इन गांवों में कुओं के लिये बिजली देने हेतु कोई सर्वे की गई है ? यदि हां, तो कब और उसका क्या नतीजा रहा ?

(2) इन गांवों में बिजली कब तक उपलब्ध होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) ग्राम पावटा, मोहराई, निम्बोल एवं रास का सर्वेक्षण करके स्कीम रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें से ग्राम पावटा व मोहराई की योजना लाभप्रद नहीं थी । ग्राम निम्बोल के विद्युतिकरण की स्वीकृति दे दी गई है। रास व शेष अन्य ग्राम जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं थे। जोजनवास अब अप्रेल, 1971 में जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिसका सर्वे अब कराया जावेगा।

(2) निम्बोल के अलावा अन्य ग्रामों के विद्युतिकरण की फिलहाल सम्भावना नहीं है।

बंगाली विस्थापितों का पुनर्वास

616. श्री देवीदत गाडिया (वारां) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) राजस्थान में गत करीब दो तीन माह में अब तक बंगाल से कितने बंगाली विस्थापित आ चुके हैं और उसमें पुरुष, महिलाएं व बच्चे कितने कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) बंगाली विस्थापितों के पुनर्वास की अब तक सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की और भावी योजना क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि देवली कैम्प में बसाए गये विस्थापितों में से कुछ की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो कितनों की और किन कारणों से हुई ? मय नाम के सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) देवली कैम्प में विस्थापितों के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या व्यवस्था कर रखी है और उस पर कितना रुपया किस किस प्रकार से खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) कोई नहीं।

(2) कोई नहीं। भारत सरकार को रेवाईन रिकलिमिनेशन, डेयरी फार्मिंग, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन की योजनायें अनुमोदन हेतु भेजी हैं।

(3) 137 कमजोरी, डायरीया, निमोनिया आदि के कारण। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पुनर्वास मंत्री)

(4) देवली कैम्प में विस्थापितों के लिये आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा एवं सुरक्षा आदि की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है जिस पर 17,08,976 रुपया निम्न प्रकार से व्यय किया जा चुका है:--

निर्माण कार्य	5,10,328
जल प्रदाय	3,42,105
विद्युत्	51,172
यातायात	16,130
चिकित्सा	15,500
निर्वाह भत्ता	2,65,761
राशन अनुदान	1,65,125
व्यय	
बर्तन	18,215
कपड़े व बिस्तर	1,93,283
अन्य व्यय	1,31,357
योग:--	17,08,976

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जसनगर एवं गोठन के मिडिल स्कूल

617. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जसनगर एवं गोठन में इस समय मिडिल स्कूल है ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में छात्रों की संख्या देखते इन स्कूलों को हायर सेकण्डरी तक उन्नत किया जाना जरूरी है ?

(3) क्या सरकार इन स्कूलों को इस साल उन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाता है।

(3) इन दोनों शालाओं को आगामी सत्र में माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु गुणावगुण के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जायगा।

डाई नदी योजना

618. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में बहन वाली डाई नदी पर राज्य सरकार ने कोई नई स्कीम बनाकर प्लानिंग कमीशन भारत सरकार को भेजी है ? अगर हां, तो उक्त स्कीम क्या है और उस पर कितना खर्चा होगा ? मय नक्शे के प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त स्कीम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उक्त स्कीम किस कारण बनाई गई ?

(3) क्या उक्त स्कीम पर प्लानिंग कमीशन भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी ? अगर हां, तो कब ? स्वीकृति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत खेड़ा रसूलपुर द्वारा नीलाम की गई भूमि

619. श्री बृज वल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खेडा रसूलपुर द्वारा जाल खेडा के पास प्लाट नीलाम किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो इनके नीलामी के नोटिस कब जारी किये और नोटिस के कितने दिन पश्चात नीलाम किये गये ?

(3) कितने प्लाट काटे गए थे और किस किस को यह प्लाट नीलाम में दिए गए ? खरीददारों की सूची मय सकूनत और वल्दियत के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या उस कालोनी के मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा लोन अथवा अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि लोन को दिए काफी समय हो जाने पर भी मकान निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि लोन का उपयोग न होने से पंचायत समिति द्वारा वसूली करने का विचार किया गया था लेकिन वसूल नहीं किया गया ?

(7) उक्त व्यक्तियों में अनुसूचित जाति के कौन–कौन हैं तथा सरकारी मुलाजिम कौन कौन हैं ?

(8) क्या उक्त व्यक्ति पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं ?

(स्थगित किया गया)

तहसील किशनगंज के ग्रामों में बसे बंगाली विस्थापित परिवार

620. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील किशनगंज में घट्टा घट्टी व परानियां गांवों में बंगाली विस्थापितों को बसाया गया था ?

(2) इनको बसाने में कितना रुपया खर्च किया था ? किस किस मात्रा में ?

(3) कितने परिवार बसाये थे और उन्हें कितनी जमीन दी गई थी तथा आज वहां पर कितने परिवार और कितनी जमीन उनके पास है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि इनको दी हुई जमीन में पानी देने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितनी जमीन में पानी लगता है ? यदि पूरी जमीन में पानी नहीं लग पाता तो उसके क्या कारण हैं ?

(श्री नन्दलाल)

(5) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) रुपये 24,95,102-25
ऋण 6,28,792-23
अनुदान 18,66,310-02

(3) 266 परिवार 1229114 एकड भूमि। इस समय 130 परिवार हैं जिनके पास 1014 एकड़ भूमि है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) जी हां। 890 एकड़ भूमि। वर्षा की कमी के कारण।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)।

जवाई बांध से सिंचाई

621. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जवाई बांध किस वर्ष बनकर तैयार हो गया था और सिंचाई किस वर्ष शुरू की गई? कुल कमाण्डेड क्षेत्र कितने एकड है ?

(2) बांध बनाने के पश्चात् आज तक प्रति वर्ष बांध में कितना कितना पानी भरा एवं कितनी कितनी सिंचाई स्वीकृति थी और वास्तव में कितनी कितनी सिंचाई हुई ?

उत्तर

(1) जवाई बांध पूर्णतया सन् 1956-57 में बन कर तैयार हुआ। इस बांध से सिंचाई सन् 1951-52 से शुरू हो गई थी। कुल कमाण्डेड क्षेत्र 1,02,719 एकड़ (सी0 सी0ए0) है।

(2) सूची 'अ' संलग्न है।

(3) जी हां, कुछ वर्षों से स्वीकृत क्षेत्र से कुछ अधिक भूमि में सिंचाई हुई है। अधिक सिंचाई के कई कारण हैं। जिनमें मुख्यतः वर्षा का देरी तक होना (अक्टूबर के प्रारम्भ तक) क्रोपिंग पैटर्न बदलना जिसमें चने की फसल अधिक होना भी शामिल है, और कुछ काश्तकारों द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्र से अधिक में पानी लगा देना आदि है।

सूची 'अ'

जवाई बान्ध

सन्	बान्ध का गेज	सिंचाई प्रारम्भ होते समय पानी की मात्रा एम. सी. एफ. टी. में।	स्वीकृत क्षेत्रफल एकड़ों में	वास्तविक सिंचाई एकड़ों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1956-57	48-15	4,442-00		34542	
1957-58	33-62	2,363-49		17294	
1958-59	39-90	3,122-30	जल वितरण की यह	22212	
1959-60	51-30	5,020-50	फाईल चक भांडाई के	24061	
1960-61	45-06	3,889-90	वाफीदार के केस में	22206	
1961-62	48-90	4,577-00	कोर्ट में भेजी हुई है अतः	23821	
1962-63	37-00	2,781-50	यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	15578	
1963-64	31-40	2,128-40	8,000	7206	
1964-65	35-35	2,548-30	15,210	15761	
1965-66	31-06	2,098-73	10,600	11423	
1966-67	28-42	1,875-28	10% सी.सी.ए. 13,300	10785	
1967-68	57-24	6,331-88	40,000	40932	
1968-69	47-16	4,263-80	22,700	26168	
1969-70	16-90	1,104-50	—	—	अकाल वर्ष होने से सिंचाई
1970-71	48-00	4,410-20	22,400	30077	हेतु पानी नहीं दिया गया।

स्थगित प्रश्न

(20-4-71)

मरुस्थल के विकास के कार्यक्रम

361. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्रीय मरुस्थल के विकास मंडल ने मरुस्थल के सर्वांगीण विकास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है ?

(2) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान विभिन्न योजनाओं हेतु रखा है ?

(3) क्या मरुस्थल के समुचित विकास हेतु राज्य सरकार ने प्रोस्पेक्टिव प्लान बना रखा है ?

उत्तर

(1) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(2) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(3) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 596 की सूची)

कोटा जिले में देवस्थान विभाग के आधीन मंदिरों का विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम मंदिर	श्रेणी	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	लाडपुरा	श्री ब्रजनाथ जी	डायरेक्ट चार्ज	
2.	,,	श्री नवनीतप्रिया जी	,,	
3.	,,	श्री ब्रजराय जी	,,	
4.	,,	श्री घर मथुरेश जी	,,	
5.	,,	श्री गोकलेश्वर जी	,,	
6.	,,	श्री गोरधनधारी जी	,,	
7.	,,	श्री केटिया जी	,,	
8.	,,	श्री अन्नदाता जी	,,	
9.	,,	श्री फूलबिहारी जी	,,	
10.	,,	श्री दाऊजी सूर्यपोल	,,	
11.	,,	श्री सूर्यनारायण जी	,,	
12.	,,	श्री रामचन्द्र जी	,,	
13.	,,	श्री दाऊजी नागता	,,	
14.	,,	श्री करणी माताजी	,,	
15.	,,	श्री नीलकंठ महादेव	,,	
16.	,,	श्री कर्जेश्वर महादेव	,,	
17.	,,	श्री चन्द्रमंगलेश्वर जी	,,	
18.	,,	श्री बाला जी रंगवाडी	,,	
19.	,,	श्री डाढदेवी माताजी	,,	
20.	,,	श्री गोराजी गढ	,,	
21.	,,	श्री मुरली मनोहर जी	,,	
22.	रामगढ	श्री कृष्णायमाता जी	,,	
23.	अन्ता	श्री गोवर्धन नाथ जी	,,	
24.	मांगरोल	श्री बाबाजी राय	,,	
25.	लाडपुरा	श्री रामद्वारा किशोरपुरा	कोर्ट आफ वार्ड्'स	
26.	बारां	श्री कल्याणराय जी	आत्म निर्भर	

Page No 194

परिशिष्ट 4

(प्र. प्र. सं. 583 की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, अलवर (राज.)

सूची अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रार्थियों की जिनकी नियुक्ति की गई ।

1. श्री बनवारीलाल जाटल
2. श्री श्रीचन्द जाटव
3. श्री श्री रामप्रसाद चमार
4. श्री हरिराम जाटव
5. श्री मांगेलाल हरिजन
6. श्री चोखराम चमार
7. श्री किशनलाल कोल
8. श्री बाबूलाल
9. श्री मंगतराम, जाटव
10. श्री प्रभूदयाल
11. श्री रामकुमार
12. श्री प्रभूदयाल
13. परशराम

The N.D.S. Instructors will be absorbed in Rajasthan Government Service on the following terms and conditions:—

1. The N.D.S. Instructors possessing prescribed minimum qualification i.e. matriculation with M.D.S. Training, will only be taken. Non-matriculates will not be accepted because the Board of Secondary Education, Ajmer does not agree to appoint non-matriculate teachers in Secondary and Higher Secondary Schools and there is no scale for such teachers in revised pay scale.

2. The National Fitness Corps Directorate will supply a list of so qualified persons to be absorbed in our State alongwith their confidential rolls and personal files etc. The N.D.S. is thus finally selected will be screened by a committee consisting of the following members:-

(1) Shri S. Kumar Chairman, (2) Col. Man Singh, (3)Dr. R.L.Mini.

3. Persons working in Categories No. 1, 2 above shall be a absorbed in III grade-110-230 and those in Categories 3 & 4 in II grade 160-350 subject, however, to their fulfilling minimum qualifications for grade II viz, graduate with diploma in Physical Edu. Others will be absorbed in III grade.

Persons holding degree and diploma in Physical Education but working in Categories 1 & 2 will be absorbed in III grade and not in II grade.

4. The pay of N.D.S. Instructors drawn by them at the time of their absorption will, however, be protected. Their pay shall be refixed in the relevant State scale at a stage on the State Scale equal to his present pay or if there is no such stage the Stage next below his present pay plus personal pay equal to the difference to be absorbed in the next increment.

5. Service rendered by the N.D.S. Instructors under the Government of India may be counted to pension under State Rules provided Government of India contributes its share to State Government.

Benefit of leave earned prior to absorption in State Services may also be given provided leave salary contribution is given by the Government of India.

6. Seniority of N.D.S. Instructors will be counted in respective grade with effect from the date of their coming in the service of the State Government. No benefits of past services can be given for the purpose of seniority because it will affect adversely existing employees of the Government who are already extremely agitated on this score.

7. On absorption these persons shall be governed by relevant State service and other rules, in force and may be required to work anywhere as desired by the Department. Persons required to work in aided schools will be paid by them.

8. Their absorption will be subject to the creation of new posts by the Finance Department. Since the Expenditure on salaries alone of the N.D.S. Instructors working in the State is established to be rupees 15 lacs annually it will not be possible for us to accommodate it in State Five Year Plan. We shall, therefore, not be able to absorb N.D.S. Instructors unless 100% expenditure on pay and allowances of the N.D.S. Instructors is provided as 100% centrally sponsored scheme, over and above ceiling for five years from the date of their absorption. Even after this period funds will have to be provided by the Government of India and there should be firm commitment in this respect.

Page No 197

परिशिष्ट 6

(प्र. प्र. सं. 586 की सूची)

जिला बूंदी की पंचायत समितियों में चल रही प्राथमिक शालाओं का विवरण।

क्र. सं.	पंचायत समिति	संख्या शालायें जो भवनों में चल रही हैं	संख्या शालायें जो पेडों के नीचे चल रही हैं	संख्या शाला भवन जो अधूरे हैं	अधूरे होने का कारण
1.	हिन्डोली	66	19	8	जन सहयोग का
2.	केशोरायपाटन	72	20	8	,,
3.	नेनवा	63	7	22	,,
4.	तालेडा	103	6	4	,,

परिशिष्ट 7

अ. प्र. सं. 5 व 7 की सूची

पंचायत समिमि कठूमर द्वारा आरम्भ से लेकर फरवरी, 71 तक वितरित व वसूल की गई राशि का विवरण ।

क्र. सं.	पद	फरवरी, 71 तक वितरित राशि	फरवरी, 71 तक वसूल हुई राशि
1.	दीर्घकालीन ऋण	424575–15	9363–78
2.	मध्यकालीन ऋण	100–00	109–00
3.	अल्पकालीन ऋण	967920–05	870489–41
4.	सामुदायिक विकास	19000–00	98787–45
5.	राजस्व तकावी	20200–00	18143–80
6.	छाया एवं पूर्ण विस्तार	94950–00	83897–00
7.	लघु सिंचाई	78000–00	2860–09
		1755045–57	1168158–44

परिशिष्ट ९

(अ. प्र. सं. 501 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य के भिन्न भिन्न नियोजन कार्यालयों में दिनांक 28–2–70 को नौकरी चाहने वालों की जिलेवार सूची ।

क्र. सं.	नियोजन कार्यालय	दिनांक 28–2–71 को चालू रजिस्टर पर उपलब्ध प्रार्थियों की संख्या
1	अजमेर	1,019
2	अलवर	7,446
3	बांसवाड़ा	1,369
4	बाड़मेर	1,452
5	भरतपुर	6,636
6	भीलवाड़ा	4,803
7	बीकानेर	3,315
8	चित्तौड़गढ़	2,810
9	चूरू	2,862
10	डूंगरपुर	1,834
11	जयपुर	22,077
12	झालावाड़	1,743
13	झुंझुनू	3,761
14	जोधपुर	9,576
15	कोटा	9,052
16	नागौर	2,106
17	पाली	3,113
18	सवाईमाधोपुर	5,634
19	सीकर	2,815
20	सिरोही	2,500
21	श्रीगंगानगर	3,666
22	उदयपुर	11,993
23	वृतिक उवं कार्यकारी अनुभाग	2,699
	योग :	1.35,771

परिशिष्ट 1

(अ. प्र. सं. 596 की सूची)

किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसीलें	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	अब तक का खर्चा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
(1)	खटका	शाहबाद	8.72	2.63	कट आफ वाल तथा वेस्ट विचार पर कार्य चल रहा है।
(2)	बगदेव	,,	3.17	0.07	इस पर कार्य मार्च 1971 में ही प्रारम्भ किया गया है।
(3)	छबरपुरा	किशनगंज	8,48	3.64	वेस्ट वीयर पर जमीन की सतह 3 से 6 फीट तक खुदाई का कार्य तथा मिट्टी के बांध का कार्य चेन 58 से चैन 80 में 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक।
(4)	मोहबरी	,,	10.12	0.22	वेस्ट वियर की खुदाई का कार्य चल रहा है। चैन 74.00 पर मोरी की खुदाई पूर्ण हो चुकी है तथा चूने को मिट्टी डाल दी गई है।
(5)	गोपालपुरा	,,	28.58	1.00	चैन 21.00 से चैन 26.00 में नींव की खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा चेन 26 से 56 तक में कार्य प्रगति पर है

Page No 201

परिशिष्ट 10

(प्र. प्र. सं. 598 की सूची)

"सूची म"

सिंचाई विभाग बून्दी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत लघु सिंचाई योजना, इन पर स्वीकृत राशि एवं व्यय का ब्यौरा।

क्र.सं.	योजना	1967-68 स्वीकृत राशि	1967-68 व्यय	1968-69 स्वीकृत राशि	1968-69 व्यय	1969-70 स्वीकृत राशि	1969-70 व्यय	1970-71 स्वीकृति राशि	1970-71 व्यय	राज्य सरकार की स्वीकृति
1.	विजयगढ़ लघु सिंचाई योजना।	–	2633)	46000)	47312)	70000)	7227)	–	–	सी.ई.आई.नंटी 113 21डब्लू 647 दिनांक 27-5-68।
2.	गुढा गोकलपुरा	–	–	–	–	–	–	100 लाख	72315	सी.ई.आई.नंटी. 41512 559 दिनांक 27-11-70
3.	बसोली परियोजना	200000)	211599)	250000)	172577)	188000)	183024)	220000)	250836)	गवर्नमेंट आज्ञा नं. एफ-4(47) सिंचाई 61 दिनांक 22-1-62
4.	अभयपुरा परियोजना	–	–	–	–	–	–	200000)	103139)	गवर्नमेंट आज्ञा नं एफ-4(14) सिंचाई 65 दिनाक 8-1-70।
5.	देई गंगासार	50000)	49634)	45000)	32359)	70000)	7350)	7000)	35586)	टी 1694। डब्लू। 46। दिनांक 27-2-67

परिशिष्ट 11

(प्र. प्र. सं. 600 की सूची)

कार्यालय अधीक्षक, भेड़ प्रजनन केन्द्र, बाकलिया (लाडनूं)

इस फार्म पर माला व सप्लाई करने हेतु निम्नलिखित शर्तें होंगी:-

1. निविदा स्याही में लिखी होनी चाहिए।

2. निविदा की दरें जो लिखी हों ये अंकों व शब्दों दोनों में होनी चाहिये।

3. निविदा सभी दरों सहित होनी चाहिये।

4. भुगतान परिपूर्ण अन्य व्यय बिल द्वारा किया जावेगा।

5. माल भेड प्रजनन केन्द्र, बाकलिया पर पहुंचाना होगा।

6. निविदा देने वाले व्यक्ति को निविदा के साथ उपरोक्त सामान का नमूना भी देना होगा।

7. माल बढिया किस्म का देना होगा अगर माल खराब पाया गया तो उनकी धरोहर राशि जब्त करली जायेगी व माल किसी दूसरे व्यक्ति से खरीद कर लिया जायेगा।

8. निविदा लिफाफे पर निवेदन द्वारा अधीक्षक भेड प्रजनन केन्द्र बाकलिया लिखा होना चाहिये।

9. माल आर्डर मिलने से सात दिन के अन्दर देना होगा।

10. माल जरूरत के अनुसार ही लिया जायेगा और यह टेण्डर 31 मार्च 1977 तक के लिये मंजूर किये जायेगा।

11. निम्न हस्ताक्षर कर्ता टेन्डर मन्जूर व ना मंजूर करने का अधिकार होगा, यह जरूरी नहीं हैं कि कम दरों वाले की निविदा स्वीकृत की जाए।

12. निविदा पत्र में कोई भी ओवर राइटिंग व कटिंग नहीं होनी चाहिए यदि कहीं पर कटिंग होगी तो उस पर निविदा पत्र प्रेषक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

13. निविदा पत्र के प्रत्येक टेण्डर पर टेन्डर देने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए।

14. यदि कोई निविदा देने वाला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निम्न हस्ताक्षर कर्ता के टेन्डर के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश करेगा तो उसका टेण्डर फौरन रद्द कर दिया जायगा।

15. प्रतिभूति राशि पर कोई भी ब्याज इस कार्यालय से नहीं चुकाया जायगा।

16. माल टेन्डर में दी गई मात्रा से कम ज्यादा भी किया जा सकता है।

17. टेन्डर की अर्नेस्ट मनी रु. 200)होगी जो कि नगद या कार्यालय के नाम बैंक डाफ्ट के रूप में ली जा सकती हैं।

अधीक्षक
भेड़ प्रजनन केंद्र
बाकलिया (लाडनूं)

परिशिष्ट (ख)

STATEMENT FOR TENDER OF PALA FOR THE YEAR 1971-72.

S.No.	Name of Firm	Name of Article	Rate/Quintals.	Particulars	F.O.R.	Remarks.
1.	Sh. Zitmal Jangir Sadar Bazar, Ladnun.	Pala	Rs. 29.50	Supply of pala as per terms and conditions given by this office.	S.B.F. Bakalia	
2.	Sh. Mana Ram Gora Village Bakalia Tehsil Ladnun.	-do-	Rs. 31.00	-do-	-do-	
3.	Sh. Madan Lal, Village Dolatpura Tehsil Didwana.	-do-	Rs. 32.25	-do-	-do-	
4.	Sh. Chen Sukh Ram Prajapat Charawala, Tehsil Ladnun.	-do-	Rs. 32.00	-do-	-do-	
5.	Phool Singh Moyal, Janta Drug Store, Ladnun.	-do-	Rs. 31.50	-do-	-do-	

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 4 मई, 1971)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2		6	(डिजाइन्ड डिस्जार्ज)	(डिजाइन्ड डिस्चार्ज)
3		13	श्री नन्दलाल वरवा	श्री नन्दलाल बैरवा
7		13	(राव धीरसिंह)	(राव श्री धीरसिंह)
8	अन्तिम से	16	सनन	सदन
8	,,	6	मामला	मामलों
13	,,	2	सयम	समय
18	,,	15	श्री डूंगाराम राजोरिया	श्री डूंगाराम राजोरिया
30	,,	2	मश्न	प्रश्न
35		12	का	को
36		5	हूं तक	हूं कब तक
36	अन्तिम से	7	काय	कार्य
43		9	श्री कृष्ण कमार गोयल	श्री कृष्ण कुमार गोयल
43		18	तहां	वहां
44		13	असिसटेन्ट प्रोप्रेसर	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
45		2	नितदन	निवेदन
46	अन्तिम से	5	रेशनालाइज्ड	रेशनेलाइज्ड
48	,,	6	भावना पर	भावना उन्मूलन पर
49	,,	2	प्रक्लत	प्रकटत:
64		6	—	अनु. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
77		11	नेज	मेज
81	शीर्ष		(राजस्थान नहर परियोजना)	(राजस्थान नहर परियोजना मंडी)
87	,,		(सचाई मंत्री)	(सिंचाई मंत्री)
90		4	प्रेजनन	प्रजनन
98	अन्तिम से	11	टू दी एक्टोम	टू दी एक्स्ट्रीम
114		8	नामी नेतेड	नामीनेटेड
114	अन्तिम से	3	सारो	सारी
116	,,	7	श्री अध्यक्ष !	—

Page No 206

1	2	3	4
131	अन्तिम से 10	निर्मित	निमित्त
135	,, 9	अनुमोदन	अननुमोदन
138	19	खाद्यांन	खाद्यान्न
138	अन्तिम से 6	मां	मांग
139	11	भुख्य	मुख्य
142	अन्तिम से 1	दीटायर	ग्रोटायर
145	,, 11	मंग	मांग
147	,, 12	श्री वृद्धिचन्द जैन	श्री बृद्धिचन्द जैन
150	,, 15	श्री दोलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
151	शीर्ष	सारणा	सारण
152	1	धिकास	विकास
157	शीर्ष	गांग	मांग
157	10	य्यक्तियों	व्यक्तियों
158	अन्तिम से 8	जिलो	जिला
162	,, 2	जोद्यपुर	जोधपुर
163	अन्तिम से 9	जाच	जांच
165	2	संस्थायें	संस्थायें
177	अन्तिम से 10	ग्रोर	ग्रोर
188	13	स्थाइ	स्थायी
189	2	घोका	धोखा
189	अन्तिम से 7	पुविस	पुलिस
189	,, 5	काश्तगारों	काश्तकारों
190	,, 14	जाधे	जावे
194	5	द्रिया	दिया
194	अन्तिम से 10	लिऐ	लिए
202	4	सेक्रेटरी	सेक्रेट्री
203	अन्तिम से 12	अनियमितायें	अनियमिततायें
205	10	लिये होने चाहिये	लिये ही नहीं होने चाहिये
211	अन्तिम से 17	एक एक	एक
211	,, 10	इन इन	इन
212	16	में	मैं
213	1	श्री विठ्ठल भाई	श्री विट्ठल भाई
215	अन्तिम से 11	पंमे	पैसे

1	2	3	4
217	अन्तिम से	11 निराय	निर्णय
217	,,	1 गर	नगर
220		6 क्षेत्र	
221		5 एक्सर्ट	एक्सपर्ट
223	अन्तिम से	17 अवसर	अवसर पर
224	,,	17 सनितिमों	समितियों
225		8 राहट	राईट
230		7 डजन	दर्जन
232	अन्तिम से	12 बिल्कु	बिल्कुल
237		7 रकग	रकम
239		20 चार्जशीट	चार्जशीट
239	अन्तिम से	6 यचायती	पंचायती
240		8 उलर	उत्तर
240		14 टांक	टोंक
242	अन्तिम से	बिकेन्द्रीकरण	विकेन्द्रीकरण
243		15 दुदशा	दुर्दशा
243	अन्तिम से	4 असयर्थ	असमर्थ
250	,,	3 समितियो	समितियों
250	,,	2 गुलछर	गुलछर्रे
254	,,	9 समितियों	समितियों
256	,,	7 आदोष	आप दोष
257	शीर्ष	(मनोहरसिंह मेहता)	(श्री मनोहरसिंह मेहता)
263	अन्तिम से	12 जाहिए	चाहिये
264		6 श्री सभापति	श्रीमती सभानेत्री
272	अन्तिम से	2 तब्के	तबके
278	,,	3 धन्यवाद देती देता हूं	धन्यवाद देती हूं
284	,,	4 हसलिये	इसलिये
285	,,	2 सरकारो	सरकारी
286		13 ईमानदरी	ईमानदारी
286		14 लेखिन	लेकिन
287		7 क्योंकि	क्योंकि
289		15 क्षे ों	क्षेत्रों
290		1 गोलिव	गोली

1	2	3		4
290		18	एश	एक
293		14	भो	भी
293		15	नयाय	न्याय
297		12	ल्यक्त	व्यक्त
300		4	महोमय	महोदय
300		19	बुछ	कुछ
307	अन्तिम से	6	सेटर	सेक्टर
311	,,	2	श्री आपने बुराई कर	श्रौर आपने बुराई करदो
315	शीर्ष		(श्री देवीलाल बुरानिया)	(श्री देवीलाल बुरासिया)
336		15	रोयेनेस्टर्ट	रीइन्स्टेट
337	शीर्ष		(परसराम मदेरणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
337	अन्तिम से	9	निदोप	निर्दोष
340	,,	12	हम	हमने
341	,,	6	पर	ऊपर
342		9	टू कन्टेक्ट	टू कन्टेक्स्ट
342		10	क्या	गया
343		2	प्रोटेक्क	प्रोटेक्ट
343	अन्तिम से	12	जांज	जांच
343	,,	7	बन्कारी	इन्क्वायरी
344		9	तथ्य	तथ्य
345	अन्तिम		(श्री अध्यक्ष पदासी)	--
346		7	तथ्यहीन तो	तथ्यहीन हैं तो
347		16	मुकर्र	मुकर्रर
348		8	कजमशन	कंजम्पशन
348		13	अधिकार	अधिकारी
348	अन्तिम से	2	डिस्किूमनेशन	डिस्क्रिमिनेशन
350		7	जनको	जिनको
350	अन्तिम से	10	लिपे	लिये
352		9	रेस्पोस्सिविलिटी	रेस्पोन्सिबिलिटी
355	अन्तिम से	11	महोयद	महोदय
356	,,	7	रिफामंश	रिफार्म्स
357	,,	11	श्री जगन्नाथ पेल	श्री जगन्नाथ पटेल
360	,,	16	गवाब	जवाब

1	2	3	4
361 अन्तिम से	1	चर्ज	चार्ज
363	7	श्री परसराम मदरणा	श्री परसराम मदेरणा
366	9	कि	के
366	13	आज्य	राज्य
367 अन्तिम से	11	कह	यह
368	1	स्ट्रन्गथन	स्ट्रेन्थन
381	11	N.D.S. is	N.D.S. who is
383	8	जनसहयोग का	जनसहयोग का अभाव
387 अन्तिम से	3	उवं	एवं